
₹ 30
हिन्दी भाषियों की मासिक पत्रिका
शान्ति
अक्तूबर 2012
मानवता को
इस्लाम
की देन
विशेषांक

A PROMINENT INSTITUTE OF INFORMATION TECHNOLOGY IN JHARKHAND

Under

MARKAZ-E-ADAB-O-SCIENCE

(A REGISTERED EDUCATIONAL & CHARITABLE TRUST NO. 9665/IV~474)

1998-2009

Course Offered

DOEACC QUALITY ASSURANCE by COMPUTER EDUCATION

SOCIETY FOR INFORMATION TECHNOLOGY DEVELOPMENT SITD AN ISO 9000:2001 CERTIFIED

SOME FACTS & FIGURES

- 4 Wings : (i) Comparative Religion (ii) Literature
  (iii) Career Guidance & Training (iv) Research and Publication

MBA, MCA, BCA & CIT from IGNOU Courses recognised by AICTE, AIU, & UGC
Master in Bussiness Administration (MBA)
Marketing, Finance, HRD & Operation from IGNOU
M.A, B.A., Diploma in Journalism & Mass Communication, Teach English from MANUU
One year Diploma Computer Applications, Business Accounting And Multi Lingual DTP
Conducted by NCPUL,M inistry Of HRD Govt. Of India, New Delhi

• Institutions Established:

- **SAJJAD COMPUTER TRAINING & GUIDANCE CENTRE (SCTGC) Bariatu, Ranchi for one year DCA/DTP course**
- **SAJJAD INSTITUTE OF INFORMATION TECHNOLOGY (SIIT) Doranda, Ranchi for one year DCA/DTP course**
- **IGNOU SPECIAL STUDY CENTRE (CODE: 0531) Bariatu, Ranchi for MCA, BCA & CIC, MBA**
- **COMPUTER TEACHERS TRAINING CENTRE NURSERY TEACHERS TRAINING CENTRE (NTTC) Bariatu & Kanta Toli, Ranchi**
- **MAULANA AZAD NATIONAL URDU UNIVERSITY MANUU STUDY CENTRE (CODE:158)**



.....Contacts Addresses.....

(i) G. K. Market, 1st Floor, Kantatoli Chowk, Ranchi-834008, Phone : 0651-2532060, 9431587148
(ii) 2k/3, Bariatu Housing Colony, Ranchi-9 (Jharkhand), Phone : 0651-2543838, 2540534
E-mail : tariquesajjad@gmail.com, www.markazadab.org

आपकी आशाओं का सुन्दर प्रतिबिम्ब

हिन्दी भाषियों की मासिक पत्रिका

कान्ति

वर्ष 22 अंक 4 अक्तूबर 2012

प्रशंसा अल्लाह ही के लिए है जो सारे संसार का प्रभु है, बड़ा कृपाशील, अत्यंत दयावान है । –क़ुरआन

संपादक

डॉ० मुहम्मद अहमद

अपने विचार, लेख, रचनाएं भेजने एवं संपादकीय मामलों के लिए लिखें–

संपादक, 'कान्ति' मासिक

डी-314, दावत नगर, अबुल फ़ज़्ल इन्कलेव

जामिया नगर, नयी दिल्ली–110025

ई मेल editorkanti@yahoo.com

* * *

ख़रीदार बनने, एजेंसी लेने, प्रचार-प्रसार एवं प्रबंधकीय मामलों के लिए लिखें–

प्रबंधक, 'कान्ति' मासिक

डी-314, दावत नगर, अबुल फ़ज़्ल इन्कलेव

जामिया नगर, नयी दिल्ली–110025

फोन–(011)–26949430

सहयोग राशि

एक प्रति रु० 15/- विशेषांक रु० 30/-

वार्षिक रु० 160/-, दो वर्ष 300/-, पांच वर्ष 700/-

सऊदी अरब और खाड़ी के देशों से–60 रियाल

यूरोप व अमेरिका से–25 US डॉलर

वेब : **www.kanti.in**

चेक / ड्राफ्ट **'मासिक कान्ति'** के नाम से बनवाएं

सन्देश



यह जानकार हार्दिक प्रसन्नता हुई कि 'कान्ति' (मासिक) ने 'मानवता को इस्लाम की देन' शीर्षक विशेषांक प्रकाशित करने का निश्चय किया है । वास्तव में इस्लाम वह धर्म है, जो पूरी मानवता को संबोधित करता है । पवित्र क़ुरआन में अल्लाह का 'ऐ लोगो', 'ऐ मनुष्यो' ...का जो बार-बार संबोधन है, वह सारे मनुष्यों एवं सारी मानवता को संबोधन है । वह सभी मनुष्यों का रब और पालनहार है, अत: उसने जो धर्म (इस्लाम) अवतरित किया है, वह सभी का है । दूसरे शब्दों में सारी मानवता को अभीष्ट एवं अपेक्षित धर्म इस्लाम है ।

सारे मनुष्यों को अल्लाह के संबोधन में यह बात निहित है कि सारे मनुष्य बराबर हैं, कोई उच्च या न्यून नहीं है । सबको अल्लाह ने पैदा किया है । सब उसके बन्दे हैं । कर्म, आस्था आदि सभी मामलों में इस्लाम स्त्री-पुरुष में अन्तर नहीं करता । लोक-परलोक के फ़ायदे सबके लिए एक जैसे हैं । इस सिलसिले में सबके लिए एक ही नियम, विधान और क़ानून हैं । इस्लाम की दृष्टि में उच्चता और न्यूनता का आधार केवल ईश-भक्ति एवं ईशभय है । जो अपने पालनहार को पहचाने, उसकी विधिवत बन्दगी करे, वह उच्च है । इसके विपरीत जो उसे भुला दे, वह न्यून है । अत: हमें उच्चता अपनानी चाहिए और इसके लिए अपने आपको तैयार करना चाहिए ।

हमारा देश इस समय विभिन्न समस्याओं और विसंगतियों से दो-चार है । इनके निदान के लिए वास्तविक मूल्यों, मान्यताओं और उच्चादर्शों को अपनाना ज़रूरी है । यह सच है कि मनुष्य को संसार के अन्य सभी जीवधारियों पर श्रेष्ठता प्राप्त है । अल्लाह ने उसे बेहतरीन हालत, उत्तम संरचना और यथार्थ तत्व पर पैदा किया है और उसे इरादे व कर्म की आज़ादी प्रदान की । अल्लाह ने उसे जो बुद्धि-विवेक दिया है, अगर वह इनको सही ढंग से इस्तेमाल करता है, तो वह अपना ही भला व कल्याण करता है । संसार की वर्तमान स्थिति को देखते हुए 'कान्ति' की यह कोशिश बहुत सराहनीय है । शुभकामनाओं के साथ

सैयद जलालुद्दीन उमरी

चेयरमैन, दावत ट्रस्ट



कहां क्या है ?

संदेश		3
संपादकीय		5
अभिमत		7
इस्लाम स्वस्थ समाज का पक्षधर	–जयकृष्ण मेहता	13
वर्तमान काल का नैतिक संकट और इस्लाम	–डॉ॰ फ़ज़्लुर्रहमान फ़रीदी	19
इस्लाम की रहमत	–हमूदा अब्दलती	27
ब्रह्मांड की रचना और क़ुरआन	–सैयद वक़ार अहमद हुसैनी	31
इस्लाम में ज्ञान, बुद्धि एवं विवेक का महत्व	–ज़हीर ललितपुरी	41
अच्छे व्यवहार की शिक्षा	–मौलाना सैयद जलालुद्दीन उमरी	44
ज्ञानार्जन का महत्व	–अ॰ अहमद	50
इस्लाम के सुखद अनुभव	–इन्तिज़ार नईम	51
ख़ूबसूरत विचारों का गुलदस्ता है इस्लाम (उद्‌गार)	–शशिप्रभा शर्मा	61
इस्लामी बैंकिंग और भारत	–डॉ॰ फ़रहत हुसैन	62
ब्याज से त्राण	–डॉ॰ मुहम्मद ज़ियाउर्रहमान आज़मी	65
अन्तरात्मा की आवाज़	–अबरार अहमद	80
इन्सान और उसका कर्म	–संकलित	81
अहिंसा और इस्लाम	–डॉ॰ मुहम्मद अहमद	83
इस्लाम कमज़ोरों के अधिकारों का रक्षक	–मुहम्मद रज़ीउल इस्लाम नदवी	87
इस्लाम में अम्न व शांति का सन्देश	–संकलित	91
जीवन के प्रति सही दृष्टिकोण	–गुलज़ार सहराई	94
महिलाओं के साथ सद्व्यवहार और इस्लामी शिक्षाएं	–ज़हीर ललितपुरी	98
दहेज कुप्रथा के अंत का आह्वान	–संकलित	101
अन्तर्राष्ट्रीय संबंध और इस्लाम की शिक्षाएं	–मुशर्रफ़ अली	103
मानवसेवा और इस्लामी दृष्टिकोण	–संकलित	107
पर्यावरण संरक्षण और इस्लाम	–परवेज़ अशरफ़ी	111
मानवाधिकार प्रवर्तक इस्लाम	–अहमदुल्लाह क़ासिमी	113
मुसलमानों का योगदान भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में	–मुहम्मद मुहम्मद तहामी	115
भूगोल और मुसलमान	–डॉ॰ एम॰ अकबर	117
रसायन विज्ञान के क्षेत्र में मुसलमान	–मुहम्मद मुहम्मद तहामी	119
शरीआ इंडेक्स के बेहतर नतीजे	–डॉ॰ मुहम्मद अहमद	121
अन्य धर्मों के प्रति इस्लाम	–अबरार अहमद	122
न्याय की जीती जागती मिसालें	–संकलित	125
नशाख़ोरी के विरुद्ध इस्लामी शिक्षाएं	–मौलाना अबुल्लैस इस्लाही नदवी	129
मानव जीवन और परलोक	–अबू मुहम्मद इमामुद्दीन रामनगरी	132
पारलौकिक जीवन और इस्लाम	–अबरार अहमद	136

मानवता और इस्लाम धर्म

धर्म कोई थोपी हुई चीज़ नहीं होती । मनुष्य के सहज-स्वाभाविक कर्म अथवा वृत्ति को धर्म कहते हैं । यह मनुष्य के सही और वास्तविक आचार-विचार के समूह का नाम है । जिस प्रकार गुलाब के पुष्प का नैसर्गिक गुण सुवास एवं आकर्षण है, ठीक उसी प्रकार मनुष्य का स्वाभाविक जीवन-कर्म धर्म है । अतः पुष्प और सुवास के अन्तर्संबंधों की भांति जीवन और धर्म का घनिष्ठ संबंध है । धर्म मानव के लिए उतना ही आवश्यक है, जितना मछली के लिए जल । इससे यह मालूम हुआ कि धर्म एक है, अनेक नहीं । इसे ही सत्य धर्म कहा जाता है । धर्म-विरोधी बातों और व्यवस्थाओं को अधर्म कहते हैं । मानव के स्वाभाविक कर्म और स्वेच्छाचार दो अलग-अलग चीज़ें और और एक दूसरे के विपरीत हैं । स्वाभाविक कर्म-धर्म है और स्वेच्छाचार अधर्म ।

कभी-कभी स्वेच्छाचार में मनुष्य इतना रम जाता है कि वह उसे ही स्वाभाविक कर्म समझने लगता है और उसका अनुगामी बनकर वह अपने जीवन को विभिन्न प्रकार की समस्याओं से ग्रसित कर डालता है । इस प्रकार वह अधर्मगामी बन जाता है । मानवों के मार्गदर्शन और रहनुमाई के लिए उसके पैदा करने वाले स्रष्टा-ईश्वर ने रसूलों, पैग़म्बरों और अवतारों को भेजा और उन्हें मनुष्यों को सत्य-धर्म की ओर आमंत्रित करने का आदेश दिया । इनकी मौलिक शिक्षाएं एक थीं, सभी मौलिक रूप से एक ही शिक्षा लेकर आये थे, लेकिन स्वार्थी लोगों ने अपने क्षुद्र स्वार्थों की पूर्ति के लिए सत्य धर्म को बिगाड़ा, उसमें परिवर्तन-परिवर्धन कर डाला । इसके बावजूद करुणामय, कृपाशील ईश्वर ने अपने रसूलों और अवतारों के द्वारा सत्य धर्म को उसके मौलिक रूप में भेजने का सिलसिला जारी रखा, यहां तक कि अंतिम पैग़म्बर, रसूल हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) भेजे गये और ऐसी व्यवस्था कर दी गयी कि सत्य धर्म सुरक्षित रहे । इस प्रकार अब रहती दुनिया तक कोई नया नबी, रसूल और पैग़म्बर आने वाला नहीं है ।

मानव और मानवता को उच्चता प्रदान करना धर्म को अभीष्ट है । इस्लाम को इसका श्रेय प्राप्त है । इस्लाम मानव और मानवता के आरंभ से है । यह हज़रत आदम (अलैहि०) से प्रारंभ हुआ और पहले पैग़म्बर हज़रत आदम (अलैहि०) बनाये गये । फिर अंत में हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) के द्वारा अंतिम रूप से परिष्कृत, समृद्ध और पूर्ण हुआ । मानवता पर इस्लाम के उपकार ही उपकार हैं, जिनकी गणना संभव नहीं । फिर भी कुछ महत्वपूर्ण विषयों और तथ्यों पर इस विशेषांक में प्रकाश डाला गया है, लेकिन सही अर्थ में मानवता पर इस्लाम की देनों को गिनाने के लिए कई विशेषांकों की आवश्यकता पड़ेगी ।

इस्लाम एक बौद्धिक, ज्ञान-विज्ञान, सदाचार और मानव-उत्थान का धर्म है । यह जन-सामान्य से अपेक्षा करता है कि सभी शिक्षित और सदाचारी बनें । यह कोई वर्ग-विभाजन या कर्म-विभाजन नहीं करता, बल्कि अपने हर मानने वाले अनुयायी के लिए भलाई, कल्याण और उद्धार की सभी राहें खोल देता है । पवित्र कुरआन में है-"पढ़ो, अपने रब के नाम से जिसने पैदा किया...जिसने क़लम के द्वारा शिक्षा दी । मनुष्य को वह ज्ञान प्रदान किया, जिसे वह न जानता था" (96:1,4,5)। अल्लाह के अंतिम रसूल हज़रत

मुहम्मद (सल्ल०) के अनेक वचनों (हदीसों) में ज्ञानार्जन और इसके फैलाव की शिक्षा एवं ऐसा करने वालों के लिए शुभसूचनाएं दी गयी हैं । एक हदीस में है, ''इल्म सीखो और दूसरों को सिखाओ'' (बैहक़ी)। एक और हदीस में अल्लाह के रसूल (सल्ल०) ने फ़रमाया, ''लोग अपने पड़ोसियों को अनिवार्यत: शिक्षा दें, उन्हें नसीहत करें और अच्छी बातें बताएं'' (तबरानी)। एक और हदीस में है, ''जो व्यक्ति ऐसी राह अपनाये, जिसमें उसे इल्म हासिल हो, तो उसकी बदौलत अल्लाह उसके लिए जन्नत की राह आसान कर देगा'' (मुस्लिम)। एक हदीस के ये शब्द हैं, ''जो इल्म हासिल करने के लिए घर से निकले, वह अल्लाह की राह में है, जब तक कि वापस न आ जाए'' (तिरमिज़ी)।

इस्लाम में ज्ञान-विज्ञान को अति महत्व दिये जाने एवं इस दिशा में अपेक्षित कार्य किये जाने के कारण पवित्र कुरआन के अवतरण के एक सौ वर्ष के अन्दर ही मुसलमानों ने पूरे संसार पर बौद्धिक श्रेष्ठता प्राप्त कर ली थी । इस तथ्य को 1927 ई० में जॉर्ज सार्टन ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक MONUM ENTAL WORK (An Introduction to the History of Science) में विस्तार के साथ प्रस्तुत किया है । इस्लाम मानव-जीवन के प्रत्येक क्षेत्र को संबोधित करता है । अत: उसकी देनों को जानने-समझने के लिए सभी क्षेत्रों पर विहंगम दृष्टि डालनी चाहिए । इस दिशा में हमने इस विशेषांक में कुछ प्रयास अवश्य किया है, लेकिन जैसा कि पहले उल्लेख किया जा चुका है कि मानवता को इस्लाम की सभी देनों को इसमें समाहित नहीं किया जा सकता । फिर भी जो सामग्रियां प्रस्तुत की गयी हैं, उनके सिलसिले में आपसे निवेदन है कि अपनी अमूल्य प्रतिक्रियाओं और विचारों से हमें अवश्य अवगत कराएं ।

सदाकांक्षा

'सदाकांक्षा' 2011 विविधा अंक

'सदाकांक्षा' (2011) का अगला अंक विभिन्न विधाओं पर केन्द्रित है, जो शीघ्र ही प्रकाशित किया जाएगा । यह विभिन्न साहित्यिक विधाओं पर आधारित है ।

संपादक, 'सदाकांक्षा'

इस्लामी साहित्य संगम

2703, बारादरी, बल्लीमारान, दिल्ली-110006

ई-मेल :-sadakanchha@gmail.com

प्राचीन अरब और भारत

■ प्रो॰ बी॰ एन॰ पाण्डेय

अरबों और भारतवासियों का संबंध अरबों के मुसलमान होने से बहुत पहले से, यानी हज़रत मुहम्मद (सल्ल॰) के जन्म से कम से कम पांच सौ साल पहले से चला आता था। हज़रत ईसा (अलैहि॰) के जन्म के समय से ही हज़ारों अरब सौदागर भारत के पश्चिमी और पूर्वी बन्दरगाहों पर आकर उतरते थे। ख़ासकर पश्चिम में चाल, कल्याण, सुपारा और मालाबार तट पर अरबों की अनेक बड़ी-बड़ी बस्तियों का उस समय के इतिहास में ज़िक्र आता है। हज़रत ईसा (अलैहि॰) के जन्म से पहले भी श्रीलंका और दक्षिण भारत में अरबों और ईरानियों की अनेक बस्तियां मौजूद थीं।

ईरान, अरब, अफ़्रीक़ा और यूरोप के अनेक देशों के साथ भारत का उस समय जितना व्यापार था अधिकतर अरब और ईरानी सौदागरों ही के हाथों में था। रोमन इतिहास लेखक लिखते हैं कि रोम और यूनान के जो जहाज़ उन दिनों भारत आते-जाते थे उनके भी नाविक अधिकतर अरब ही होते थे। भारत और चीन के बीच तिजारत का भी एक ख़ासा हिस्सा अरबों ही के हाथों में था जिसके सबब भारत के पूर्वी तट से भी ये लोग पूरी तरह परिचित थे और वहां भी स्थान-स्थान पर इनकी अनेक बस्तियां आबाद थीं।

उस समय अरबों का मज़हब एक प्राचीन ढंग का मूर्ति पूजकों का मज़हब था। वे अपने अलग-अलग क़बीलों के अलग-अलग देवी-देवताओं को मानते थे और उनकी मूर्तियों की पूजा करते थे। उस समय के अनेक सफ़रनामों से साबित है कि ये अरब सरल स्वभाव और उदार चित्त के थे। भारत में उनकी बस्तियां ख़ूब ख़ुशहाल थीं।

इसके बाद मुहम्मद साहब (सल्ल॰) के जन्म और इस्लाम के प्रचार का समय आया। अरबों और ख़ासकर अरब व्यापारियों का भारत आना पहले की तरह जारी रहा। फ़र्क़ केवल यह हो गया कि पुराने मूर्तिपूजक अरबों की जगह अब निराकार के उपासक अरब भारत आने लगे। या वही अरब अब मुसलमान हो गये। उनके साथ-साथ अब एक नये मज़हब और इस्लाम के नये विचारों और नये आदर्शों ने भी भारत में प्रवेश किया। उस समय के अरब मुसलमानों और उनके साथ इस्लाम के इस तरह भारत में प्रवेश करने का किसी फ़ौजी हमले से कोई संबंध न था।

आठवीं सदी का भारत

इस स्थान पर आगे बढ़ने से पहले उस समय के भारत की हालत को संक्षेप में बयान कर देना भी आवश्यक है। ईसा की सातवीं सदी के मध्य में सम्राट हर्षवर्धन की सत्ता का अन्त हुआ। उत्तर भारत टुकड़े-टुकड़े होकर अनेक छोटी-छोटी रियासतों में बंट गया। राजपूतों ने पश्चिम से चलकर उत्तर-पूर्व में और मध्य भारत में अनेक छोटी-छोटी रियासतें क़ायम कर लीं। अनेक नयी जातियां अपने को राजपूत कहने लगीं। यहां तक कि मुसलमानों के आने से ठीक पहले पंजाब से दक्षिण तक और बंगाल से अरब सागर तक क़रीब-क़रीब सारा देश अलग-अलग राजपूत सरदारों के शासन में आ गया। किन्तु कोई प्रधान केन्द्रीय शक्ति इन सब छोटी-बड़ी रियासतों को एक सूत्र में बांधने वाली न थी, और आये दिन इन रियासतों के बीच अपना-अपना राज बढ़ाने के लिए एक-दूसरे से संग्राम होते रहते थे। यानी, एक प्रधान और प्रबल भारतीय साम्राज्य की जगह एक-दूसरे के प्रतिस्पर्धी और एक-दूसरे से स्वतंत्र अनेक छोटे-बड़े राजा भारत पर शासन करते थे और देश की राजनैतिक या राष्ट्रीय एकता केवल स्वप्न मात्र थी।

पुराने साम्राज्यों के केन्द्र-मगध, पाटलिपुत्र, राजगृह इत्यादि-खंडहर दिखायी दे रहे थे। वैशाली, कुशी नगर, केड़िया, रामग्राम, कपिलवस्तु और श्रावस्ती, जिनके नाम बौद्ध इतिहास में मशहूर हो चुके थे, अब बरबाद दिखायी देते थे और देश के राजनैतिक और आर्थिक जीवन के दूसरे केन्द्रों ने उनकी जगह ले ली थी।

धर्म के क्षेत्र में भी भारत का वह समय अवनति का समय था। बुद्ध के निर्वाण से ढाई सौ साल के अन्दर, यानी हज़रत ईसा (अलैहि॰) के जन्म से क़रीब ढाई सौ साल पहले, बौद्ध धर्म हिन्दू धर्म का स्थान ले चुका था। किन्तु

''کلام نبوت حصہ سوم'' کا ہندی میں نیا اڈیشن

हदीस सौरभ

(अनुवाद एवं व्याख्या सहित) भाग 3

मौलाना मुहम्मद फारूक खाँ

اس حصے میں ان احادیث کا انتخاب اور ترجمہ وتشریح شامل ہے، جو معاشرت سے متعلق ہیں۔ اجتماعیت، سماجی اقدار، خاندان کی تاسیس، تعلقات کا دائرہ، اجتماعی مصالح، سماجی زندگی کے آداب اور اسلامی تہذیب وثقافت سے متعلق احادیث کا عام فہم ترجمہ اور عالمانہ ودل نشیں تشریح۔ آخر میں تصویر، موسیقی، علم نجوم اور علاج ومعالجے وغیرہ سے متعلق مسائل بھی زیر بحث آئے ہیں۔

'حدیث سوربھ جلد اوّل اور دوم' کی پذیرائی کے بعد ہندی میں جلد سوم کی معیاری اور دیدہ زیب طباعت کے ساتھ تازہ اور دل کش اڈیشن۔

• سائز: ۲۳×۳۶/۱۶ • صفحات: ۳۸۴ • قیمت: Rs. 160/-

MARKAZI MAKTABA ISLAMI PUBLISHERS

D-307, Dawat Nagar, Abul Fazl Enclave, Jamia Nagar, New Delhi-110025
Phone: 26971652, 26954341, 26946447(D) Fax: 26947858
E-mail: mmipublishers@gmail.com Website: www.mmipublishers.net

जिन ब्राह्मण पुरोहितों और उच्च जातियों के विशेषाधिकारों पर बौद्ध धर्म ने हमला किया था उनकी ओर से विद्रोह की आग बराबर सुलगती रही । धीरे-धीरे मूर्ति-पूजा और प्राचीन हिन्दू कर्मकांडों ने बौद्ध धर्म में भी प्रवेश करना शुरू किया । उत्तर भारत में महायान सम्प्रदाय की नींव रखी गयी, जिसमें बुद्ध भगवान के अलावा अनेक बोधिसत्वों की और ख़ासकर 'अमिताभ' की, पूजा होने लगी । बौद्ध मन्दिरों का समस्त कर्मकांड हिन्दू मन्दिरों के ढंग पर ढल गया । शुरू के बौद्ध मत ने जो स्थान संस्कृत से छीन कर जनता की भाषाओं--प्राकृत या पाली--को दिया था, वह अब महायान सम्प्रदाय में फिर से संस्कृत को प्रदान किया गया । ज्ञान मार्ग की जगह बहुत दरजे तक कर्मकांड और पूजा-भक्ति ने ले ली ।

भारत में इस्लाम धर्म का प्रवेश

ठीक उस समय जबकि इस देश की यह हालत थी, इस्लाम ने भारत में प्रवेश किया । इतिहास से पता चलता है कि इस धर्म का भारतवासियों ने उसी प्रेम के साथ स्वागत किया जिस प्रेम के साथ सैकड़ों साल पहले से वे अरब सौदागरों का स्वागत करते आये थे । एक बार भारतवर्ष की सीमाओं के अन्दर प्रवेश करते ही इस्लाम भी भारत के असंख्य सम्प्रदायों में से एक गिना जाने लगा । इतिहास लेखक रालैंडसन लिखता है कि सातवीं सदी के अन्त में मुसलमान अरब मालाबार तट पर आकर बसने लगे थे । इतिहास लेखक स्टराक लिखता है कि--"सातवीं सदी से ही ईरानी और अरब सौदागर भारत के पश्चिमी तट पर अलग-अलग बन्दरबाहों में बड़ी संख्या में आकर बसने लगे । ये लोग इसी देश की स्त्रियों के साथ शादियां कर लेते थे । इनकी बस्तियां मालाबार में बड़ी-बड़ी और महत्वपूर्ण थीं, क्योंकि मालूम होता है वहां बहुत शुरू ज़माने से राज की यह एक नीति चली आ रही थी कि बन्दरगाहों को हर तरह से सुविधाएं दी जाएं ।"[1]

धीरे-धीरे दक्षिण भारत में अरबों का प्रभाव बढ़ता गया । राज्य की ओर से उन्हें तिजारत करने और ज़मीन ख़रीदने के साथ-साथ अपने धर्म का प्रचार करने की भी पूरी सुविधाएं दी जाने लगीं । नवीं सदी तक ये लोग समस्त पश्चिम तट पर फैल गये । भारत में उस समय बौद्ध मत और जैन मत का हिन्दू मत और उसके नये सम्प्रदायों शैव और शक्ति मत के साथ भीषण संघर्ष जारी था । कर्मकांड और रूढ़िवाद से ग्रस्त हिन्दू सम्प्रदायों के मुक़ाबले में, इस्लाम के सीधे-सादे और सरल सिद्धान्तों की ओर, और उसके अन्दर मनुष्य मात्र की समता के विचार की ओर लोगों का ध्यान ज़ोरों के साथ आकर्षित हुआ । इस्लाम के विरुद्ध पक्षपात या उसके साथ द्वेष का कोई सबब उस समय तक मौजूद न था । नवीं सदी के शुरू में ही मालाबार के हिन्दू राजा, चेरामन पेरूमल ने, जिसकी राजधानी कोंडंगलूर थी, इस्लाम स्वीकार कर लिया ।[2] राजा का नाम अब्दुर रहमान सानी रखा गया । इस्लाम मत स्वीकार करने के बाद अब्दुर रहमान अरब गया । चार साल बाद अरब में उसकी मृत्यु हुई । अरब से उसने कई मुसलमान विद्वानों और प्रचारकों को भारत भेजा, उनकी मारफ़त अपने उत्तराधिकारियों को शासन प्रबन्ध के लिए हिदायतें दीं और यह भी हिदायत दी कि देश के अन्दर नये मत के प्रचार में अरब विद्वानों को सहायता दी जाए । चेरामन पेरुमल के उत्तराधिकारियों ने बड़े हर्ष के साथ अरब विद्वानों का स्वागत किया और उनके आदेशानुसार मालाबार तट पर अल्लाह की इबादत के लिए ग्यारह नयी मस्जिदें बनवायीं ।

कालीकट के सामुरी राज़ा और तिरुवांकुर के महाराजा भी उसी चेरामन पेरुमल के वंशज और उत्तराधिकारी थे । इन दोनों स्थानों पर उस ग्यारह सौ साल पहले की घटना की याद में कम से कम सन् 1912 ई० तक यह रिवाज चला आता था कि जिस समय नया सामुरी राजा गद्दी पर बैठता था तो अरबों की तरह उसका मुंडन किया जाता था, उसे अरबों के से कपड़े पहनाए जाते थे, एक मोपला उसके सिर पर ताज रखता था, राजतिलक के बाद उसे जातिच्युत समझा जाता था । अपने घर के लोगों के साथ भी वह सहभोज न कर सकता था और कोई नायर उसे स्पर्श नहीं करता । समझा यह जाता है कि हर सामुरी चेरामन पेरुमल के अरब से लौटने के इन्तिज़ार में केवल उसके एक प्रतिनिधि की हैसियत से उसकी जगह तख़्त पर बैठता है । तिरुवांकुर के महाराजाओं की गद्दी पर बैठते समय जब खड्ग हाथ में दी जाती थी तब उन्हें यह कहना पड़ता था--"मैं इस खड्ग को उस समय तक रखूंगा, जब तक कि मेरा वह चचा, जो मक्का गया है, लौट न आये ।"[3]

सामुरी ने अपने राज में अरबों की हर तरह की सहायता की । कोई नायर किसी नम्बूदरी ब्राह्मण के बराबर में न बैठ सकता था, किन्तु कोई भी अरब बैठ सकता था । मुसलमानों

का धर्मगुरु थंगल सामुरी के साथ-साथ पालकी में निकलता था । अरबों और दूसरे मुसलमानों की मदद से सामुरी ने अपने राज की सीमाओं को बढ़ाया और जिससे राज की खुशहाली में बहुत बड़ी उन्नति हुई । आजकल का कालीकट का नगर उस समय के एक मालाबार क़ाज़ी ही का बसाया हुआ है । मालाबार के राजाओं की जल सेना के सेनापति अधिकतर अरब के होते थे जो 'अली राजा' कहलाते थे । इस्लाम धर्म के प्रचार में भी सामुरी ने सहायता दी । यहां तक कि उसने आज्ञा दे दी कि हर हिन्दू मल्लाह के घर के कम से कम एक लड़के को बचपन से अरबों की तरह नाविक शिक्षा दी जाए । यहीं से आजकल के मोपलों की उत्पत्ति हुई । मोपला शब्द का अर्थ महापिल्ला यानी ज्येष्ठ पुत्र है ।[4]

भारत के पूर्वी तट पर भी मुसलमानों की बस्तियां और उनका महत्व बढ़ता चला गया । एक मुसलमान फ़क़ीर, नजद वली के प्रभाव से ग्यारहवीं सदी में मदुरा और तिरुच्चिरापल्ली के इलाक़ों में अनेक लोगों ने इस्लाम मत स्वीकार किया । यह नजद वली टर्की का एक शहज़ादा था, जो फ़क़ीर हो गया था और अरब, ईरान और उत्तर भारत से होता हुआ तिरुच्चिरापल्ली पहुंचा था, जिसे उस समय त्रिचूर कहते थे । बारहवीं सदी में एक-दूसरे फ़क़ीर, सैयद इब्राहीम शहीद के असर से भी अनेक लोगों ने इस्लाम स्वीकार किया । इसी तरह बाबा फ़ख़रुद्दीन इत्यादि और बहुत से इस्लाम धर्म प्रचारकों के नाम उस समय के इतिहास में मिलते हैं । बाबा फ़ख़रुद्दीन के प्रभाव से पुन्नुकोंडा के हिन्दू राजा ने इस्लाम स्वीकार किया । यह भी साफ़ पता चलता है कि इन अरबों की कोशिश से भारत और ख़ास कर दक्षिण भारत की तिजारत और खुशहाली में बहुत बड़ी तरक़्क़ी हुई । दक्षिण के हिन्दू राजाओं की ओर से चीन जैसे दूर-दूर के देशों में मुसलमान एलची और राजदूत भेजे जाते थे । अनेक हिन्दू दरबारों में मुसलमान मंत्री और प्रधानमंत्री थे । अनेक प्रांतों के शासक मुसलमान नियुक्त किये जाते थे । हिन्दू राजाओं के अधीन बड़ी-बड़ी मुसलमान सेनाएं थीं ।

ग्यारहवीं सदी के क़रीब खंभात में कुछ हिन्दुओं ने मुसलमानों की एक मस्जिद पर हमला करके उसे गिरा दिया । राजा सिद्धराज ने तहक़ीक़ात करके अपराधियों को दंड दिया और मुसलमानों को अपने धन से एक नयी मस्जिद बनवा दी । ग्यारहवीं सदी में गुजराती बोहरा के शिया धार्मिक नेता मुल्ला जी ने यमन (अरब) से आकर गुजरात में रहना शुरू किया । उसी समय के निकट नूरुद्दीन ने गुजरात के कुनबियों, खेरवाओं और काडियो को इस्लाम में शामिल किया । मुसलमान संत और फ़क़ीर आठवीं सदी से लेकर पन्द्रहवीं सदी तक बराबर उत्तर से लेकर दक्षिण तक और पूरब से लेकर पश्चिम तक भारत के विभिन्न भागों में आकर बसते रहे । जिनके ऊंचे चरित्र और इस्लाम के सरल धार्मिक सिद्धांतों के सबब उस धार्मिक अव्यवस्था के युग में स्थान-स्थान पर अगणित भारतवासियों ने इस्लाम धर्म स्वीकार करना शुरू कर दिया । अभी तक यदि उत्तर भारत के उन ग्रामों में घूमा जाए जिनकी अधिकांश आबादी मुसलमान है, तो दरियाफ़्त करने पर मालूम होगा कि वहां के लोगों के इस्लाम स्वीकार करने का सबब किसी न किसी समय किसी न किसी त्यागी और संयमी मुसलमान फ़क़ीर का उनके अन्दर सहवास था ।

भारत में इस्लाम का प्रचार

निस्संदेह हर युग और हर देश में प्रजा के ऊपर राजा या शासकों के धार्मिक विचारों का प्रभाव पड़ना स्वाभाविक और अनिवार्य है । यदि सम्राट अशोक न होता तो बौद्ध धर्म का भारत के एक कोने से दूसरे कोने तक इस तरह फैल सकना शायद इतना आसान न होता । इसी तरह यदि सम्राट समुद्रगुप्त और चन्द्रगुप्त (दूसरा) वैष्णव मत के पोषक और सम्राट यशोधर्म देव (विक्रमादित्य) शैव मत के पोषक न होते तो शैव मत का बौद्ध मत को भारत से निकाल बाहर कर सकना इतना सरल न होता । शैव और शाक्त मतों के साथ बौद्ध मत और जैन मत के संघर्ष के दिनों में भी इस तरह बल प्रयोग की अनेक मिसालें मिलती हैं । किंतु इतिहास से बिल्कुल साफ़ पता चलता है कि इस देश के ऊपर मुसलमानों के हमलों से बहुत पहले इस्लाम इस देश में प्रवेश कर चुका था । इस्लाम इस देश में महमूद ग़ज़नवी के हमले से भी पहले काफ़ी फैल चुका था और इस्लाम के भारत में फैलने का ख़ास सबब उस समय के इस्लाम के प्रचारकों का त्याग, उनकी सच्चरित्रता और इस्लाम के स्पष्ट और सीधे-सादे सिद्धांत थे, जो भारत के अनेक हिन्दू संप्रदायों के मुक़ाबले में जनसामान्य के लिए अधिक सरल, हितकर और सुसाध्य थे । भारत के जिन लोगों ने उस समय इस्लाम स्वीकार किया, उनमें अधिकांश पिछड़े वर्ग के लोग

थे जो उस समय की भारतीय वर्ण-व्यवस्था को अपने लिए अन्यायपूर्ण अनुभव करते थे और हिन्दुओं की किसी उपजाति का इस्लाम स्वीकार करना ठीक वैसा ही था जैसा उनका वैदिक मत का छोड़ कर बौद्ध मत स्वीकार करना या बौद्ध मत को छोड़कर वैष्णव मत या शैव मत स्वीकार करना या चीनियों या बरमियों का अपने-अपने मतों को छोड़कर भारतीय बौद्ध मत को स्वीकार करना ।

भारत की क़रीब एक चौथाई आबादी के धीरे-धीरे इस्लाम स्वीकार करने में राजनैतिक दबाव या ज़बरदस्ती का हिस्सा कहां तक था, इसके संबंध में हम केवल दो एक इतिहास लेखकों की सम्मतियां नीचे देते हैं । भारतीय मुसलमानों का ज़िक्र करते हुए इतिहास लेखक आरनॉल्ड लिखता है–

''इनमें अधिकांश ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी स्वतंत्र इच्छा से इस्लाम स्वीकार किया ।''[5]

एक दूसरा इतिहास लेखक, टाउन्सेंट लिखता है–''इस मत के इस देश में फैलने का ख़ास सबब ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है ।''[6]

एक-दूसरे स्थान पर यही लेखक भारतीय मुसलमानों के विषय में लिखता है–''इन तमाम मुसलमानों में से 90 फ़ीसदी में भारतीय रक्त है, वे इस देश के वैसे ही भारतीय नागरिक हैं जैसे हिन्दू । उनमें बहुत से पुराने हिन्दू अंधविश्वास भी अभी तक मौजूद हैं । वे केवल इसलिए मुसलमान हैं क्योंकि उनके पूर्वजों ने अरब के उस महापुरुष (मुहम्मद) का दीन (धर्म) स्वीकार किया था ।''[7]

और आगे चलकर यही विद्वान लिखता है कि भारत में मुसलमानों का राज क़ायम हो जाने के बाद भी प्रजा को ज़बरदस्ती मुसलमान बनाना मुसलमान शासकों के हित और उनकी रुचि, दोनों के विरुद्ध था । वह लिखता है–

''इस्लाम का प्रचारक बल प्रयोग न कर सकता था और जिन हमला करने वालों ने यहां पर विजय प्राप्त की और यहां बस गये, उन्होंने भी प्राय: कभी भी बल प्रयोग करना नहीं चाहा । उसकी वजह भी काफ़ी थी और वह वजह यह थी कि बल प्रयोग करने में उनका हित न था । वे अपना राज, बादशाहतें या साम्राज्य क़ायम करना चाहते थे न कि अपनी ही टैक्स देने वाली प्रजा के साथ घरेलू युद्ध छेड़ना या इस विशाल प्रायद्वीप की योद्धा जातियों की अदम्य शत्रुता को अपने विरुद्ध भड़का देना, ये जातियां हिन्दू थीं और हिन्दू रहीं ।''[8]

तेरहवीं सदी के अंत से सोलहवीं सदी के प्रारंभ तक जबकि भारत में अपना साम्राज्य क़ायम करने के लिए मुसलमानों के प्रयत्न जारी थे, उस समय के बारे में सर अलफ्रेड लायल लिखता है कि मुसलमान नरेश–

''आमतौर पर लड़ाई में इतने मशग़ूल रहते थे कि वे धर्म प्रचार की ओर अधिक ध्यान न दे सकते थे, या यह कि उन्हें लोगों को मुसलमान बनाने की अपेक्षा उनसे ख़िराज वसूल करने की अधिक चिंता रहती थी ।''[9]

ज़ैनुल आबिदीन, शेरशाह सूरी, बाबर, अकबर, जहांगीर, औरंगजेब ही नहीं बल्कि अधिकांश मुसलमान शासकों के पचासों फ़रमान और आज्ञाएं इस विषय की नक़ल की जा सकती हैं जिनसे मालूम होता है कि वे अपनी हिन्दू और मुसलमान प्रजा को एक दृष्टि से देखते थे और राज शासन में किसी तरह का धार्मिक दख़ल अपने लिए हितकर न समझते थे ।

सन्दर्भ

1. Logan : Malabar, Vol. (i) p. 425
2. Innes : Malabar and Anjengo District Gazetteer, p. 190
3. Quadir Husain Khan : South Indian Mussalmans, Madras Christian College Magazine (1912-13), p. 241
4. Logan : Malabar, Vol. (i) p. 231
5. T. W. Amold : By far the majority of them entered the pale of Islam of their own free will–The Preaching of Islam, 1913, p. 255
6. M. Townsend "Its spread as a faith is not due mainly to compulsion". Asia and Europe, London, 1911, p. 44
7. "Ninety percent of the whole body of the Muslims are Indians by blood, as much children of the soil as the Hindus, retaining many of the old pagan superstitions, and only mussalmans because their ancestors embraced the faith of the Great Arabian". Ibid, p. 43
8. The missionary of Islam could not use force and...as to the invaders who conquered and remained, they seldom or never wished to use it, for the sufficient reason that it was not in their interest. The wanted to found principalities, or Kingdoms or an empire, not to wage an internecine war with their own taxpaying subjects or to arouse against themselves the unconquerable hostility of the warrior races of the gigantic peninsula who were and who remain Hindus–Ibid, p. 45
9. "Generally too busily engaged in fighting to pay much regard to the interests of religion, or else thought more of the exaction of tribute than of the work of conversion.– Asiatic Studies, By Sir Alfred Lyall.

अनाथ लड़कों की पुकार

VOICE OF ORPHAN BOYS

यतीमख़ाना इस्लामिया (गया)



एक परिचय

● दीनी और असरी शिक्षा की अपनी तरह की जानी-मानी रिहाइशी पाठशाला ● 95 वर्षों की सेवाएं ● बहुत से विभाग ● शिक्षा के पड़ाव : प्राथमिक से मैट्रिक तक ● हिफ़्ज़ का विभाग : हिफ़्ज़ के साथ-साथ मैट्रिक ● हर वर्ष बिहार स्कूल बोर्ड परीक्षा का 100 प्रतिशत रिज़ल्ट ● पत्राचार शिक्षा 2012-2013 के सत्र के लिए 11वीं, 12वीं और बी०ए० और लाइब्रेरी साइंस (BLIS) में प्रवेश जारी ● कंप्यूटर की भी शिक्षा ● किफ़ाला स्कीम के तहत एक अनाथ छात्र पर वार्षिक ख़र्च 12000/- रुपये प्रति वर्ष ● कुल वार्षिक ख़र्च 16 लाख से अधिक ● आमदनी का स्रोत : मुस्लिम अवाम के चन्दे ● 125 अनाथ बच्चे जिनका पूरा ख़र्च इदारा ही उठाता है ।

● जिस रूप में संभव हो मदद करके अल्लाह से बड़ा इनाम प्राप्त करें–उदाहरण के लिए ● ज़कात ● सदक़े ● अतिया ● पैदावार की ज़कात ● क़ुरबानी की खाल ● एक अनाथ बच्चे का वार्षिक ख़र्च ● अपने या किसी बुज़ुर्ग के नाम पर कमरा या हॉल बनवाना आदि ।

● याद रखें यहां हर वर्ष ऑडिट (Audit) भी कराया जाता है । आप खुद यतीमख़ाना इस्लामिया पहुंच कर बराबरी का व्यावहारिक नमूना अपनी आंखों से देखें कि किस प्रकार अनाथ और मां-बाप वाले बच्चे मिल-जुलकर रहा करते हैं ।

इनायत पोलिटेक्निक (ENAYETH POLYTECHNIC) की इमारत के निर्माण का काम जोरो शोर से जारी है।

यह इदारा आप से उदार सहायता की अपील करता है ।

नोट : यह इदारा विदेशी मुद्रा के क़ानून FCRA के तहत भी रजिस्टर्ड है ।

Foreign Donors विदेशी चन्दा देने वाले

अब आप विदेश से BANK A/c No. 300402010000187

BANK CODE NO. UBININBBJAM,

UNION BANK OF INDIA (MAIN BRANCH, GAYA)

में अपनी रक़म भेज सकते हैं

चेक या ड्राफ्ट पर केवल यह लिखें–THE GAYA MUSLIM ORPHANAGE

चेक, ड्राफ़्ट, मनीऑर्डर या ख़त भेजने का पता

Hon. SECRETARY, THE GAYA MUSLIM ORPHANAGE

At+P.o : CHERKI-824237, Distt : GAYA (BIHAR) INDIA

LOCAL DONARS मक़ामी चन्दा देने वाले

BANK A/C NO. : 10581, UNION BANK OF INDIA (MAIN BRANCH, GAYA)

CORE BANKIN G A/C NO.: 300402010010581, ☎ 0631-2734428 ● Mobile : 9955655960

E-mail : gmocde@yahoo.co.in, Website : www.gmogaya.com

नोट : कोर बैंकिंग वाले हज़रात E-mail या डाक से अपना मुकम्मल पता भेज दिया करें ताकि उसी पते पर रक़म की रसीद रवाना की जा सके ।

अध्यक्ष : डॉ० फ़रासत हुसैन **एज़ाज़ी नाज़िम : डॉ० मुहम्मद एहतिशाम रसूल**

इस्लाम स्वस्थ समाज का पक्षधर

■ जयकृष्ण मेहता

इस्लाम में इससे बढ़कर इस बात का प्रमाण और क्या मिलेगा कि स्वयं पैग़म्बर हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) का मुसलमानों के लिए निर्देश था कि ऐसे किसी व्यक्ति को अपना रहनुमा या रहबर मत मानों जिसकी कथनी और करनी में मेल न हो। जो ख़ुद तरह-तरह की बुराइयों में लिप्त हो और दूसरों को उपदेश देता फिर रहा हो।

पैग़म्बर हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) के उपदेश का साफ़ और स्पष्ट उद्देश्य यही है कि बुराइयों में लिप्त व्यक्ति किसी भी सूरत में समाज का उच्च स्थान प्राप्त करके समाज में प्रतिष्ठा न पा सके। हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) के प्रिय साथी हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने मसऊद जो इस बात के गवाह हैं कि हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) ने फ़रमाया–'उस ज़ात की क़सम जिसके क़ब्ज़े में मेरी जान है तुम ज़रूर लोगों को पवित्र जीवन बिताने के लिए कहते रहोगे। बुराइयों से रोकते रहोगे। ज़ालिम का हाथ पकड़ोगे। ज़ालिम को न्याय करने पर विवश करोगे।'

नाजायज़ तरीक़े से हासिल की गयी दौलत ही समाज को हर स्तर पर खोखला कर रही है। आज समाज में जितनी बुराइयां हैं वे ग़लत दौलत की देन हैं। यह अवैध दौलत स्वस्थ समाज के निर्माण में सबसे बड़ी रुकावट है। इस्लाम ने नाजायज़ धन पर सबसे ज़्यादा चोट की है और जायज़ तथा सही तरीक़े से हासिल की गयी आमदनी को सबसे बेहतर माना है। इसलिए इस्लाम में मेहनतकशों का रुतबा है।

एक बार हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) ने एक आदमी से हाथ मिलाया। हाथ मिलाने के बाद उन्हें उस आदमी की हथेलियों में गड्ढे पड़े होने का एहसास हुआ। पूछने पर उस आदमी ने कहा कि "हुज़ूर' सख़्त मेहनत करने से ये गड्ढे पड़ गये हैं।"

हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) ने बड़ी श्रद्धा से उस शख़्स के हाथों को चूम लिया, क्योंकि वे हाथ ईमानदारी और मेहनत करके अपनी रोज़ी कमाने वाले के हाथ थे।

जबकि इसके विपरीत नाजायज़ तरीक़ा से हासिल की गयी दौलत से कोई नेक काम इस्लाम को स्वीकार नहीं। ख़ासकर रिश्वत देने और लेने-दोनों को ग़लत माना है और

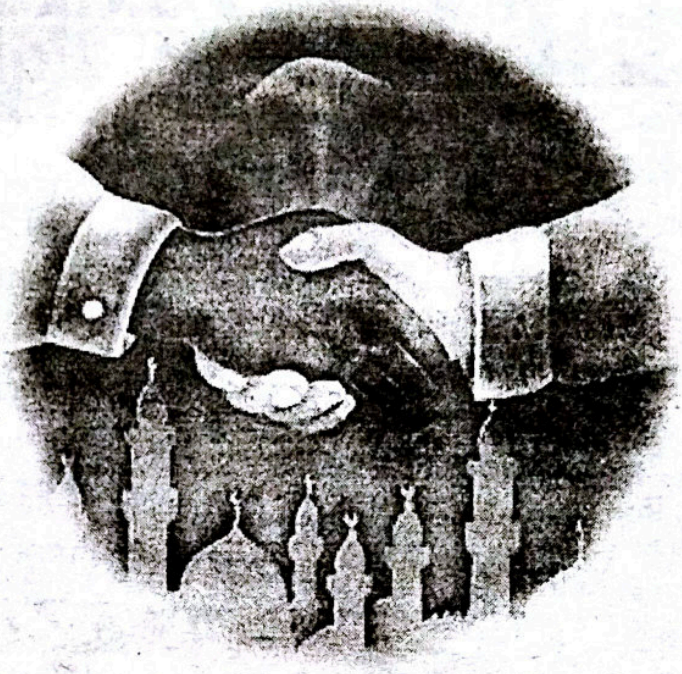

दोनों की सख़्त निन्दा की गयी है। उन्हें सज़ा का हक़दार माना गया है तो दूसरी ओर व्यवसाय में ग़लत तरीक़े अपनाकर मुनाफ़ा कमाने की होड़ में लगे व्यावसायियों को सख़्त ताकीद की गयी है कि वे ग्राहकों के साथ धोखाधड़ी, झूठ बोलना, नाप-तौल में गड़बड़ी न करें। कालाबाज़ारी करने वाले व्यावसायियों को ऐसे कार्य से दूर रहने के लिए कहा गया है।

एक बार हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) एक व्यावसायी के क़रीब से गुज़रे। वह अनाज बेच रहा था। उन्होंने अपना हाथ अनाज के अन्दर डाला। अन्दर का हिस्सा पानी से भीगा हुआ था। उन्होंने पूछा–'यह क्या ? व्यवसायी ने जवाब दिया 'हुज़ूर बारिश में भीग गया है।' उन्होंने कहा फिर उसे ऊपर क्यों न रखा ? फिर उसी समय उन्होंने स्पष्ट तौर पर निर्देश दिया कि जो लोग धोखा करे वह हम में से नहीं यानी मुसलमान नहीं है। इस प्रकार समाज को संतुलित रखने के लिए इस्लाम की स्पष्ट मान्यता है कि जब कभी दो पक्षों में विवाद उत्पन्न हो तो यह न देखा जाए कि किस पक्ष के लोग किस धर्म के मानने वाले हैं, बल्कि हमेशा जो उचित हो उसका समर्थन और जो अनुचित हो उनका विरोध किया जाए।

इससे ज़ाहिर है कि समाज में ग़लत काम करने वालों

मदद के लिए अपील

जामिया मिस्वाहुल उलूम चौकोनियां, पूर्वी उत्तर प्रदेश का एक जाना-माना तालीमी इदारा है। यह इदारा सिद्धार्थ नगर ज़िला के ग्रामीण क्षेत्र में है। यहां लगभग सभी राज्यों और पड़ोसी देश नेपाल के छात्र तालीम हासिल कर रहे हैं। यह इदारा आधी सदी से तालीम व तर्बियत के मोर्चे पर मुस्लिम समाज की सेवा कर रहा है। यहां प्राइमरी से लेकर आलिमीयत तक की तालीम का पूरा इन्तिज़ाम है। यहां दीनी और असरी उलूम को एक ख़ास इम्तिज़ाज के साथ समोया गया है, जिसके कारण जामिया को तालीमी मैदान में एक अलग और प्रतिष्ठित स्थान प्राप्त है। यहां क़याम और तआम की सारी सहूलतें उपलब्ध हैं। जामिया मिस्बाहुल उलूम की विशेषता तालीम के साथ इस्लामी बुनियादों पर छात्रों की मिसाली तर्बियत करना है।

जामिया वेफ मंसूबे

● मर्कज़ी लाइब्रेरी की तामीर ● जामिया की मस्जिद के अधूरे कामों को पूरा करना ● लड़कियों के लिए अलग दर्सगाह की तामीर ● टेक्निकल सेन्टर का क़याम ● होस्टल की तामीर ● अनाथालय की तामीर ● फैमिली क्वार्टर्स की तामीर

अह्ले ख़ैर हज़रात से दरख़्वास्त है कि जामिया की दिल खोलकर मदद करें और अल्लाह वेफ यहां उसका बदला पाएं।

—: भेजने का पता :—

जामिया मिस्वाहुल उलूम

चौकोनियां भारत भारी, सिद्धार्थनगर-272191

फ़ोन : 09670641947, 09451097177

जामिया का बैंक खाता नं॰

A/c No. 30290663653 S.B.I. डुमरियागंज, कोड-1250

A/c No. F.C.R. CD-149 सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया बेवॉ चौराहा

को जनसमर्थन न मिलने के कारण उनका मनोबल टूटेगा और न्यायप्रिय व्यक्ति का मनोबल ऊंचा होगा । अबू फ़सीला नामक व्यक्ति कहते हैं कि मैंने एक बार हज़रत मुहम्मद (सल्ल॰) से पूछा-'क्या आपने लोगों से कहा है कि मुहब्बत करना बुराई है ? उन्होंने जवाब दिया-'नहीं, बल्कि बुराई यह है कि आदमी जुल्म के मामले में अपनी क़ौम का साथ दें ।'

फिर हज़रत मुहम्मद (सल्ल॰) ने अपनी इस बात को और ज़्यादा स्पष्ट करते हुए कहा-'जो व्यक्ति किसी नाजायज़ मामले में अपने समुदाय की मदद करता है, उसकी मिसाल ऐसी है, जैसे कि कोई ऊंट कुएं में गिर रहा है और वह उसकी दुम पकड़ कर लटक गया है और खुद को भी गिरा लिया हो ।'

इस प्रकार इस्लाम का मूल सिद्धांत एक स्वस्थ समाज का निर्माण है । इसलिए उसने सामाजिक बुराइयों के ख़ात्मे के लिए हमेशा मुसलमानों को संघर्ष करने की तालीम दी और उन्हें बार-बार यह समझाया कि यह कभी न देखो कि बुराइयों को फैलाने वाला कौन है ? अगर वह मुसलमान भी है तो बिना किसी हिचक के उसका अपनी पूरी ताक़त के साथ विरोध करो, ताकि किसी प्रकार का पक्षपात स्वस्थ समाज के निर्माण में बाधक न बने और इस्लाम की किरण जिन पवित्र उद्देश्यों के लिए निकली वही किरण और वही मूल सिद्धांत ही क्षीण न पड़ जाए ।

इस्लाम की मान्यता है कि मनुष्य सामान्यत: जो कुछ बाहर देखता-सुनता, समझता और अनुभव करता है वह यथार्थ ज्ञान नहीं है । किन्तु वह भ्रमवश उसी को सच्चा और पक्का ज्ञान मान लेता है । अवास्तविक ज्ञान को सही ज्ञान समझकर और तदनुसार ही कार्यों को करने के कारण ही मानव अपने मूल उद्देश्य सुख-शान्ति की दिशा में अग्रसर न होकर विपरीत दिशा में चल पड़ता है ।

इस्लाम ने इन्सान को इन्सान होने की हैसियत दी है । क़ुरआन में वर्णन आया है कि-"किसी गिरोह की दुश्मनी तुम्हें इतना न भड़का दे...कि तुम नामुनासिब ज़्यादती करने लगो ।" (5:8) आगे चलकर इसी सिलसिले में फिर फ़रमाया-"और किसी गिरोह की दुश्मनी तुमको इतना उत्तेजित न कर दे कि तुम इन्साफ़ से हट जाओ, इन्साफ़ करो, यही धर्म परायणता के अधिक अनुकूल है ।" (5:8) एक और जगह फ़रमाया गया है कि ऐ लोगो जो ईमान लाये हो, इन्साफ़ करने वाले और खुद वास्ते के गवाह बनो । (5:8) मालूम हुआ कि आम इन्सान ही नहीं दुश्मनों तक से इन्साफ़ करना चाहिए, दूसरे शब्दों में इस्लाम जिस इन्साफ़ की दावत देता है, वह सिर्फ़ अपने देश के रहने वालों के लिए या अपनी क़ौम के लोगों के लिए या मुसलमानों के लिए ही नहीं, बल्कि दुनिया भर के सब इन्सानों के लिए है । हम किसी से भी बेइन्साफ़ी नहीं करते, हमारा हमेशा रवैया यह होना चाहिए कि कोई आदमी भी हमसे बेइन्साफ़ी का अंदेशा न रखे हम हर जगह हर आदमी के साथ न्याय और इन्साफ़ का ख़याल रखें ।

इस्लाम में इन्सानी बराबरी की भावनाओं पर सर्वाधिक बल दिया गया है । इस्लाम न सिर्फ़ यह कि किसी रंग व नस्ल के भेदभाव के बग़ैर तमाम इन्सानों के बीच बराबरी को मानता है, बल्कि उसे एक महत्वपूर्ण सत्य नियम क़रार देता है । क़ुरआन में अल्लाह ने फ़रमाया है कि, "ऐ इन्सानो ! हमने तुमको एक मां और एक बाप से पैदा किया ।" दूसरे शब्दों में इसका मतलब यह हुआ कि तमाम इन्सान अस्ल में भाई-भाई हैं, एक ही और एक ही बाप की संतान हैं । "और हमने तुमको क़ौमों और क़बीलों में बांट दिया ताकि तुम एक-दूसरे को पहचानो ।" (49:13) यानी क़ौमों और क़बीलों में यह तक़्सीम पहचान के लिए है । इसलिए है कि एक क़बीले या एक क़ौम के लोग आपस में एक-दूसरे से परिचित हों और आपस में सहयोग कर सकें । यह इसलिए नहीं है कि एक क़ौम दूसरे क़ौम पर बड़ाई जताये और उसके साथ घमंड से पेश आये, उसको कमज़ोर और नीचा समझे और उसके अधिकारों पर डाके मारे ।

"हक़ीक़त में तुममें इज़्ज़त वाला वह है, जो तुम में सबसे ज़्यादा खुदा से डरने वाला है ।" (49:13) यानी इन्सान पर इन्सान की बड़ाई सिर्फ़ पाकीज़ा किरदार और अच्छे आचरण के बिना पर है, न कि रंग व नस्ल, ज़ुबान या वतन की बिना पर । और यह बड़ाई भी इस गरज़ के लिए नहीं है कि अच्छे किरदार और आचरण के लोग दूसरे इन्सानों पर अपनी बड़ाई जताये, क्योंकि बड़ाई जताना स्वयं में एक बुराई है, जिसको कोई धर्मपरायण और परहेज़गार आदमी नहीं कर सकता और यह इस गरज़ के लिए भी नहीं है कि नेक आदमी के अधिकार बुरे आदमियों के अधिकारों से बढ़कर हो या उसके अधिकार उनसे ज़्यादा हों, क्योंकि

यह इन्सानी बराबरी के ख़िलाफ़ है ।

इसी बात को अल्लाह के रसूल (सल्ल०) ने एक हदीस में बयान फ़रमाया है कि–"किसी अरबी को ग़ैर-अरबी पर कोई बड़ाई नहीं है, न ग़ैर-अरबी को अरबी पर कोई बड़ाई है । न गोरे को काले पर और न काले को गोरे पर कोई बड़ाई है । तुम सब आदम (अलैहि०) की औलाद हो और आदम मिट्टी से पैदा हुए थे ।" इस तरह इस्लाम ने तमाम मानवजाति में बराबरी क़ायम की और रंग-नस्ल, भाषा और राष्ट्र की बिना पर सारे भेदभावों की जड़ काट दी । इस्लाम के नज़दीक यह हक़ इन्सान को इन्सान होने की हैसियत से हासिल है उसके साथ उसकी खाल के रंग या उसकी पैदाइश की जगह या उसकी जन्म देने वाली नस्ल व क़ौम की बिना पर कोई भेदभाव न बरता जाये । उसे दूसरे के मुक़ाबले में नीच न ठहराया जाये । और उसके हुक़ूक़ दूसरों से कमतर न रखे जाएं । अमेरिका के अफ़्रीक़ी नस्ल के लोगों का मशहूर लीडर "मैलकमइक्स" जो काली नस्ल के बाशिन्दों की हिमायत में सफ़ेद नस्ल वालों के ख़िलाफ़ सख़्त कशमकश करता रहा था, मुसलमान होने के बाद जब हज के लिए गया और वहां उसने देखा कि एशिया, अफ़्रीक़ा, यूरोप, अमेरिका, भारत हर जगह के और हर रंग व नस्ल के मुसलमान एक ही लिबास में एक ख़ुदा के घर की तरफ़ चले जा रहे हैं, एक ही घर का तवाफ़ कर रहे हैं, एक ही साथ नमाज़ पढ़ रहे हैं और उनमें किसी तरह का भेदभाव नहीं है तो वह पुकार उठा कि यह है रंग और नस्ल के मसले का हल, न कि वह जो हम अमेरिका में अब तक करते रहे हैं । आज ख़ुद ग़ैर-मुस्लिम विचारक भी जो अंधे भेदभाव और तास्सुब में ग्रस्त नहीं है, यह मानते हैं कि इस मसले को जिस कामयाबी के साथ इस्लाम ने हल किया, कोई दूसरा मज़हब और तरीक़ा हल नहीं कर सका है । इसलिए इस्लाम के दर्शन में समस्त मानव का एक स्वरूप दीखता है । इस्लाम-दर्शन सर्वश्रेष्ठ दर्शन है । और इस्लाम धर्म, मानव-धर्म है ।

इस्लामिक दर्शन में इस्लाम के उस उसूल की चर्चा भी आवश्यक है जिसमें यह कहा गया है कि भलाई के कामों में हर एक से सहयोग और बुराई में किसी से सहयोग नहीं । इस्लाम ने एक सबसे बड़ा अहम उसूल यह पेश किया है कि "नेकी और परहेज़गारी में सहयोग करो । बुराई और गुनाह के मामले में सहयोग न करो ।" (5:2) इसका अर्थ यह है कि जो आदमी भलाई और ख़ुदातरसी का काम करे, यह देखे बग़ैर कि वह उत्तर का रहने वाला हो या दक्षिण का, वह यह हक़ रखता है कि हम उससे सहयोग करेंगे । इसके विपरीत जो आदमी बड़ी और ज़्यादती का काम करना चाहे वह हमारा क़रीबी, पड़ोसी या रिश्तेदार ही क्यों न हो, उसका न यह हक़ है कि नस्ल व वतन या भाषा और क़ौमियत के नाम पर वह हमारा सहयोग मांगे, न उसे हमसे यह उम्मीद रखनी चाहिए कि हम उससे सहयोग करेंगे । न हमारे लिए यह जायज़ है कि ऐसे किसी काम में उसके साथ सहयोग करें । बदकार हमारा भाई ही क्यों न हो, हमारा और उनका कोई साथ नहीं है ।

नेकी का काम करने वाला चाहे हमसे कोई रिश्ता न रखता हो, हम उसके साथी और मददगार हैं, या कम से कम ख़ैरख़्वाह और शुभचिन्तक तो ज़रूर ही हैं । इस्लाम में यह एक ऐसा उसूल है जो अन्य धर्मों की अपेक्षा इन्सानियत की रक्षा के भाव को ज़्यादा उजागर करता है । हर इंसान की आज़ादी का हक़ पर इस्लाम में काफ़ी बल दिया गया है । इस्लाम में किसी आज़ाद इन्सान को पकड़ कर गुलाम बनाना या उसे बेच देना बिल्कुल हराम क़रार दिया गया है । अल्लाह के रसूल (सल्ल०) के साफ़ शब्द ये हैं कि तीन क़िस्म के लोग हैं जिनके ख़िलाफ़ क़यामत के दिन मैं ख़ुद इस्तिग़ासा दायर करूंगा उनमें से एक आदमी वह है जो किसी आज़ाद इन्सान को पकड़कर बेचे और उसकी क़ीमत खाये । रसूल (सल्ल०) के इस फ़रमान के शब्द भी आम हैं, उसको किसी क़ौम या नस्ल या देश व वतन के इन्सान के साथ ख़ास नहीं किया गया है । पाश्चात्य लोगों को बड़ा गर्व है कि उन्होंने गुलामी का ख़ात्मा किया है । हालांकि उन्हें यह क़दम उठाने का अवसर पिछली सदी के बीच मिला है । उससे पहले जिस बड़े पैमाने पर वे अफ़्रीक़ा से आज़ाद इन्सानों को पकड़-पकड़ कर अपनी नव-आबादियों में ले जाते रहे हैं और उनके साथ जानवरों से भी बुरा सुलूक करते रहे हैं, इसका ज़िक्र उनकी अपनी ही लिखी हुई किताबों में मौजूद है ।

हर मांगने वाले और तंग दस्त का यह हक़ है कि उसकी मदद की जाए :

क़ुरआन में यह हुक्म दिया गया है कि, "और मुसलमानों के मालों में मांगने वाले और महरूम रह जाने वाले का हक़ है ।" (5:19) पहली बात तो यह है कि इस

हुक्म में जो शब्द आये हैं वे सबके लिए हैं, उसमें मदद करने को किसी धर्म विशेष के साथ ख़ास नहीं किया गया है और दूसरे यह कि ये हुक्म मक्का में दिया गया था। जहां मुस्लिम समाज का कोई बाक़ायदा वजूद ही नहीं था और आम तौर पर मुसलमानों का वास्ता ग़ैर-मुस्लिम आबादी से ही होता था। इसलिए क़ुरआन की उक्त आयत का साफ़ मतलब यह है कि मुसलमान के माल पर हर मदद मांगने वाले और हर तंगदस्त और महरूम रह जाने वाले इन्सान का हक़ है। यह हरगिज़ नहीं देखा जाएगा कि वह अपनी क़ौम या अपने देश का है या किसी दूसरी क़ौम का नस्ल से उसका संबंध है। आप हैसियत और सकत रखते हो और कोई ज़रूरतमंद आपसे मदद मांगे या आपको मालूम हो जाए कि वह ज़रूरतमन्द है तो आप ज़रूर उसकी मदद करें। ख़ुदा ने आप पर उसका हक़ क़ायम कर दिया है।

इस्लामी युद्ध-नियम व संधि की हैसियत

इस्लाम में इन्सान के इन्सान होने की हैसियत से जिस अधिकार का बयान किये गये हैं, उसको दुहराने की ज़रूरत अब नहीं है। इन बातों को ज़ेहन में रखते हुए देखना यह है कि इन्सान के दुश्मन के क्या हुक़ूक़ इस्लाम में मुक़र्रर किये गये हैं।

युद्ध भूमि में जो लड़ने वाले नहीं हैं, उनको क़त्ल नहीं किया जाए।

"किसी बूढ़े, किसी बच्चे और किसी औरत को क़त्ल न करो।"

"ख़ानकाह में बैठे राहिबों को क़त्ल न करो।"

या इबादतगाहों में बैठे हुए लोगों को न मारो। जंग में एक मौक़े पर हुज़ूर (सल्ल०) ने एक औरत की लाश देखी तो फ़रमाया, "यह तो नहीं लड़ रही थी।" इससे इस्लामी क़ानूनदानों ने यह उसूल मालूम किया कि जो लोग लड़ने वाले न हों उनको क़त्ल न किया जाए।

अब यह देखना है कि युद्ध के मैदान में लड़ने वालों को क्या अधिकार इस्लाम ने दिये हैं।

(क) आग का अज़ाब न दिया जाए: हदीस में हुज़ूर (सल्ल०) का इरशाद है कि, "आग का अज़ाब देना आग के रब के सिवा किसी को ज़ेबा नहीं देता।" इससे यह हुक्म निकला कि दुश्मन को ज़िन्दा न जलाया जाए।

(ख) ज़ख़्मी पर हमला न किया जाए। "किसी ज़ख़्मी पर हमला न करो। मुराद है वह ज़ख़्मी जो लड़ने के क़ाबिल न रहा हो, न अमली तौर पर लड़ रहा हो।

(घ) क़ैदी को क़त्ल न किया जाए। "किसी क़ैदी को क़त्ल नहीं किया जाए।

(ङ) बांधकर क़त्ल न किया जाए। "नबी (सल्ल०) ने बांध कर क़त्ल करने या क़ैद की हालत में क़त्ल करने से मना फ़रमाया है।" हज़रत अबू अय्यूब अंसारी (रज़ि०) जिन्होंने यह रिवायत हुज़ूर (सल्ल०) से नक़ल की है फ़रमाते हैं कि "जिस ख़ुदा के हाथ में मेरी जान है, उनकी क़सम खाकर कहता हूं कि मैं किसी मुर्ग को भी बांध कर ज़िब्ह न करूंगा।"

(च) दुश्मन क़ौम के देश में आम ग़ारतगी या लूटमार न की जाए। यह हिदायत भी की गयी कि दुश्मनों के मुल्क में दाख़िल हो तो आम तबाही न फैलाओ। बस्तियों को वीरान न करो, सिवाय उन लोगों के जो तुम से लड़ते हैं, और किसी आदमी के माल पर हाथ न डालो। हदीस में बयान किया गया है कि "नबी (सल्ल०) ने लूटमार से मना किया है।" और आप (सल्ल०) का फ़रमान था कि "लूट का माल मुरदार से ज़्यादा हलाल नहीं है।" यानी वह भी मुरदार की तरह हराम है। हज़रत अबू बक्र सिद्दीक़ (रज़ि०) फ़ौजों को रवाना करते वक़्त हिदायत फ़रमाते थे कि "बस्तियों को वीरान न करना। खेतों और बाग़ों को बरबार न करना, जानवरों को हलाक न करना।" (ग़नीमत के माल का मानना इससे अलग है। इससे मुराद वह माल है, जो दुश्मनों के लश्करों, उसके फ़ौजी कैम्पों और उसकी छावनियों में मिले। उसको ज़रूर इस्लामी फ़ौजें अपने क़ब्ज़े में ले लेगी। लेकिन आम लूटमार वह नहीं कर सकती।)

(छ) जीते हुए इलाक़े के लोगों से कोई चीज़ मुफ़्त या बिना इजाज़त न ली जाए।

इस्लाम में इस बात से भी मना कर दिया गया कि आम आदमी आबादी की किसी चीज़ से मुआवज़ा अदा किये बग़ैर फ़ायदा न उठाया जाए। जंग के दौरान में अगर दुश्मन के किसी इलाक़े पर क़ब्ज़ा करके मुसलमानों की फ़ौज वहां ठहरी हो तो उनको यह हक़ नहीं पहुंचाता कि लोगों की चीज़ों का रोक-टोक इस्तेमाल करे।

(ज) दुश्मन की लाशों पर गुस्सा न निकाला जाए। इस्लाम में पूरे तौर पर इस बात को भी मना किया गया है कि दुश्मन की लाशों का अनादर किया जाए या उनकी गत

बिगाड़ी जाए । हदीस में आया है कि "नबी (सल्ल०) ने दुश्मनों की लाशों की काट, पीट या गत बिगाड़ने से मना फ़रमाया है । यह हुक्म जिस मौक़े पर दिया गया वह भी बड़ा सबक़ अंदाज़ है । उहद की जंग में जो मुसलमान शहीद हुए थे, दुश्मनों ने उनकी नाक काट कर उनके हार बनाये और गले में पहने ।

हुज़ूर (सल्ल०) के चाचा हज़रत हम्ज़ा (रज़ि०) का पेट चीर कर उनका कलेजा निकाला गया । उस वक़्त मुसलमानों का गुस्सा हद को पहुंच गया था । मगर हुज़ूर (सल्ल०) ने फ़रमाया कि तुम दुश्मन क़ौम की लाशों के साथ ऐसा सुलूक न करना । हमें एक-दूसरे के साथ भाईचारे का प्रेम-व्यवहार करना चाहिए । इस्लाम धर्म के भी यही बुनियादी सिद्धांत हैं । हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) ने भी इस संसार के सारे लोगों को इसी प्रकार भाईचारे का अमर संदेश दिया है ।

इस्लाम वादाख़िलाफ़ी को सख़्ती से मना करता है

इस्लाम में बदअहदी को बड़ी सख़्ती से मना किया गया है । अल्लाह के रसूल (सल्ल०) फ़ौजों को भेजते वक़्त जो हिदायतें देते थे, उनमें से एक यह थी कि "बदअहदी न करना, क़ुरआन और हदीस में इस हुक्म को बार-बार दोहराया गया है कि दुश्मन अगर 'अहद' व 'पैमान' की ख़िलाफ़वर्ज़ी करता है तो करे, लेकिन तुमको अपने अहद व पैमान की ख़िलाफ़वर्ज़ी कभी न करना चाहिए । हुदैबिया की सुलह की मशहूर घटना है कि सुलहनामा तय हो जाने के बाद एक मुसलमान नवजवान अबू जुंदल (रज़ि०) जिनका बाप सुलहनामे की शर्तें अल्लाह के रसूल (सल्ल०) से तय कर रहा था, बेड़ियों में भागते हुए आये और उन्होंने कहा मुसलमानों मुझे बचाओ ।

अल्लाह के रसूल (सल्ल०) ने उनसे फ़रमाया कि मुआहिदा (समझौता) हो चुका है । अब हम तुम्हारी मदद नहीं कर सकते, तुम वापस जाओ । अल्लाह तुम्हारे लिए कोई रास्ता खोलेगा । उनकी दयनीय दशा को देखकर मुसलमानों की पूरी फ़ौज रो पड़ी; लेकिन अल्लाह के रसूल (सल्ल०) ने जब फ़रमा दिया कि अहद को हम तोड़ नहीं सकते । तो उनको बचाने के लिए एक भी आगे न बढ़ा और इन्कारी उनको जबरन धसीटते हुए ले गये । यह अहद व पैमान की पाबन्दी की अनोखी मिसाल है और इस्लामी इतिहास में ऐसी मिसालें बहुत-सी मौजूद हैं ।

जान-माल की रक्षा

अल्लाह के रसूल (सल्ल०) ने अपने आख़िरी हज के मौक़े पर जो तक़रीर की थी, उसमें फ़रमाया था कि तुम्हारी जानें और तुम्हारे माल एक-दूसरे पर क़ियामत तक के लिए हराम है । "जो आदमी किसी मोमिन को जान-बूझकर क़त्ल करे, उसकी सज़ा जहन्नम है, जिसमें वह हमेशा रहेगा, अल्लाह ने उस पर लानत फ़रमायी है, और उसके लिए सख़्त अज़ाब तैयार कर रखा है ।" (4:93) नबी (सल्ल०) ने जिम्मियों के बारे में भी फ़रमाया कि, "जिसने किसी मुआहिद (यानी जिम्मी) को क़त्ल किया वह जन्नत की ख़ुशबू तक न सूंघ सकेगा ।" क़ुरआन किसी जान के क़त्ल करने को हराम क़रार देने के बाद, इसमें सिर्फ़ एक क़त्ल की इजाज़त देता है और वह यह है कि ऐसा क़त्ल हक़ के साथ हो । यानी नाहक़ न हो, बल्कि कोई क़ानूनी हक़ उसका तक़ाज़ा करता हो कि आदमी को क़त्ल किया जाए और ज़ाहिर है कि हक़ और नाहक़ का फ़ैसला एक अदालत ही कर सकती है । इसके साथ ही इस्लाम में जान के साथ माल की रक्षा का हक़ भी दिया गया है । क़ुरआन तो ख़ुदा के क़ानून के सिवा किसी और तरीक़े से लोगों के माल लेने को बिल्कुल हराम क़रार देता है । "और अपने माल आपस में बातिल तरीक़े से न खाया करो ।" (क़ुरआन, 2:188)

इस्लाम दर्शन में मानव जीवन के समग्र पक्षों की चर्चा है । मानव के निजी ज़िन्दगी की रक्षा, इज़्ज़त की रक्षा, हर इन्सान की आज़ादी तथा हक़ की रक्षा, औरत की आबरू की रक्षा तथा आदर, ज़ुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने का अधिकार, अपनी राय को आज़ादी से प्रकट करने का अधिकार अन्तरात्मा और आस्था की आज़ादी का अधिकार, यह अधिकार कि धर्म के नाते किसी को दुख न पहुंचाया जाए, यह अधिकार की एक के जुर्म में दूसरा न पकड़ा जाए, हर ज़रूरतमंद का यह अधिकार है कि उसकी मदद की जाए, क़ानून की निगाह में बराबरी का अधिकार, गुनाहों से बचने का अधिकार, हुकूमत के काम में शामिल होने का अधिकार, ज़िन्दा रहने का अधिकार तथा ख़ालिस इन्सानी अधिकार । उपरोक्त तमाम अधिकारों की चर्चा बड़े विस्तार से क़ुरआन में तथा हदीसों में की गयी है । इस्लाम के सिवा किसी अन्य धर्म-दर्शन में मानव जीवन से जुड़े समस्त पक्षों की व्याख्या इतने व्यापक रूप से नहीं मिलती है ।

('इस्लाम की किरण' से)

वर्तमान काल का नैतिक संकट और इस्लाम

■ डॉ॰ फ़ज़लुर्रहमान फ़रीदी

मौजूदा दौर की एक मौलिक समस्या व्यक्तिगत एवं सामूहिक नैतिक संकट है । आज नैतिकता का ठोस एवं सुदृढ़ आधार मौजूद नहीं है । न नैतिक जीवन गुज़ारने की भावना पायी जाती है और न ऐसे प्रेरक मौजूद हैं जो इन्सान को नैतिक मूल्यों की पैरवी पर आमादा कर सकें । साथ ही सामूहिक माहौल भी ऐसा है जो इन मूल्यों के अनुसार चलना मुश्किल बनाता है, लेकिन इनके हनन को आसान बनाता है और इसके लिए अनुकूल वातावरण उपलब्ध करता है ।

समाज-निर्माण से संबंध रखने वाली हर जिद्दोजहद की कामयाबी किसी न किसी तरह की नैतिकता पर निर्भर होती है । कम्युनिस्ट समाज यद्यपि नैतिकता एवं धर्म को रद्द करता है, लेकिन एक विशिष्ट नैतिकता को प्रसारित करना चाहता है । इस मक़सद के लिए वह भी ज़ोर-ज़बरदस्ती से काम लेता है और कभी सामाजिक संस्थाओं एवं संगठनों का इच्छानुकूल गठन करता है, ताकि उसके द्वारा निर्मित नैतिकता की बुनियादें मज़बूत हो जाएं ।

पूंजीवादी व्यवस्था के बारे में विभिन्न विद्वानों ने एक विशिष्ट प्रकार के मूल्यों को पूंजीवाद के विकास का ज़िम्मेदार किया है । जैसे वित्तीय नीति, टैक्स नीति और सम्पत्ति के सीमांकन की नीति । आप कितनी ही अच्छी योजनाएं बना लीजिए, मगर वे सफल नहीं हो सकतीं, जब तक कि उसके पीछे अपेक्षित नैतिक मूल्य विद्यमान न हों ।

यह समस्या उस वक़्त और भी पेचीदा हो जाती है जबकि पूरे समाज का कल्याण अपेक्षित हो । जैसे अगर आर्थिक प्रगति के साथ-साथ यह भी अपेक्षित हो कि इस प्रगति के लाभ जन-साधारण तक पहुंचें । आर्थिक प्रगति किसी विशेष वर्ग तक सीमित न रह जाए, बल्कि आम इन्सानों तक इसकी पहुंच हो और आर्थिक न्याय का प्रचलन हो । इस उद्देश्य के लिए विभिन्न नीतियां अपनायी जाती हैं । (देखिये Religion and the Rise of Capitalism) मगर ये न्याय हासिल करने में एक सीमित दूरी तक ही जा सकती हैं । इनकी कामयाबी व नाकामी अर्थ-तंत्र को चलाने वाले हाथों की ईमानदारी पर निर्भर है । इनके ज़िम्मेदारी के एहसास और त्याग भाव पर निर्भर है इन जैसे नैतिक गुणों को पल्लवित किये बग़ैर आर्थिक प्रगति की उपादेयता जन-साधारण तक नहीं पहुंच सकती । आर्थिक प्रगति एवं जीवन-स्तर की उच्चता जिन गुणों पर निर्भर होती है, उनमें सबसे महत्वपूर्ण धन लोलुपता एवं स्वार्थ है । इनमें और उन नैतिक गुणों में जो आम इन्सानियत को ज़िन्दगी की नेमतों से भर सकते हैं, विरोधाभास पाया जाता है । इसलिए इन दोनों प्रकार के गुणों के बीच संतुलन एवं सामंजस्य पैदा करना ज़रूरी है । मगर अफ़सोस है कि वर्तमान भारतीय समाज में धन लोलुपता और उच्च जीवन-स्तर की तलब छाती जा रही है और इसके मुक़ाबले त्याग की भावना जैसे गुण विलुप्त होते जा रहे हैं ।

औरत की मज़्लूमियत

अर्थ-तंत्र के अलावा समाजी ज़िन्दगी के अन्य पहलुओं की तामीर भी नैतिक मूल्यों पर निर्भर है । मसलन आम इन्सानी संबंधों की बुनियाद जब तक आपसी प्रेम एवं सहयोग पर आधारित न हो तो हर तरक़्क़ी प्रकोप बन जाती है और सुधार का हर क़दम उपद्रव का कारण बन जाता है । पारिवारिक ज़िन्दगी की बेहतरी के लिए जो क़दम भी महज़ कठोर क़ानून के रूप में उठाया जाता है, वह न्याय के बजाय स्वयं में जुल्म का बहाना बन जाता है ।

औरत सदियों से कमज़ोर रही है । उसे वे साधन भी उपलब्ध नहीं रहे जो पुरुषों को प्राप्त रहे हैं । इसलिए वह अपने अधिकारों की प्राप्ति के लिए सिर्फ़ हाथ-पैर मार सकती है, उन तक पहुंचना उसके लिए बहुत दुष्कर है ।

स्त्री-पुरुष की समानता (Gender Equality) के तमाम

हमारी कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें

इस्लाम एक सामान्य परिचय	80.00	शैख़ अली तंतावी	90.00	اسلام کا عام فہم تعارف
इस्लाम एक स्वयंसिद्ध.....	25.00	राजेन्द्र नारायण लाल	25.00	اسلام ایک خدائی نظام حیات
इस्लामी सभ्यता	05.00	मुन्शी प्रेम चंद	05.00	اسلامی تہذیب
इंसानी भाईचारा और इस्लाम	05.00	मौलाना फ़ारूक़ ख़ाँ	05.00	انسانی اخوت اور اسلام
प्यारे नबी की पाक ज़िन्दगी	25.00	ऐजाज़ुल हक़ क़ुद्दूसी	25.00	پیارے نبی کی پاک زندگی
इतिहास के साथ यह अन्याय!	07.00	बी॰ एन॰ पाण्डे	05.00	تاریخ پر یہ ستم !
मेरे दावती तजुर्बात (प्रथम)	25.00	नसीम ग़ाज़ी फ़लाही	20.00	میرے دعوتی تجربات (اول)
ग़लत फ़हमियों का निवारण	25.00	डॉ॰ ज़ाकिर नाईक	25.00	غلط فہمیوں کا ازالہ !
क़ुरआन और हम मुसलमान	15.00	नसीम ग़ाज़ी फ़लाही	15.00	قرآن اور ہم مسلمان
क़ुरआन का पैग़ाम	10.00	ख़ुर्रम मुराद	10.00	قرآن کا پیغام
क़ुरआन पर अनुचित आक्षेप	15.00	नसीम ग़ाज़ी फ़लाही	15.00	قرآن مجید پر اعتراضات کی حقیقت
हमें ख़ुदा कैसे मिला?	100.00	अब्दुल ग़नी फ़ारूक़	120.00	ہمیں خدا کیسے ملا؟
इस्लाम आतंक या आदर्श?	40.00	स्वामी लक्ष्मी शंकराचार्य	40.00	اسلام دہشت گردی یا مثالی دین؟
इस्लाम और इनसान (1-6)	84.00	डॉ सैयद शाहिद अली	15.00	اسلام اور انسان
दलित समस्या जड़ में कौन?	120.00	इन्तज़ार नईम	140.00	دلت مسئلہ جڑ میں کون؟
हज़रत मुहम्मद (सल्ल॰) और भारतीय धर्मग्रन्थ	18.00	डॉ॰ एम॰ ए॰ श्रीवास्तव	18.00	حضرت محمد ﷺ اور ہندوستانی مذہبی کتابیں

इस्लामी लिट्रेचर, दावती किताबों और मर्कज़ी मक्तबा की किताबों और हमारी पुस्तक सूची के लिए सम्पर्क करें। दावती काम करने वालों के लिए विशेष छूट

MADHUR SANDESH SANGAM

E-20, Abul Fazl Enclave, Jamia Nagar, New Delhi-110025

e-mail: madhursandeshsangam@yahoo.co.in 09212117559, 011-26953327 :فون

दावों के बावजूद भारतीय महिला आज भी कमज़ोर और मज़लूम है । उसके अधिकारों की प्रदत्तता का अमल उसी वक़्त परिणामजनक हो सकता है, जबकि वह नैतिक वातावरण पैदा किया जाए जो उसे पुरुषों का अधीन न समझे बल्कि प्रेम एवं परस्पर सहयोग की भावना को बढ़ावा दे ।

पारिवारिक जीवन की सुरक्षा के लिए ईसाई समाज में एक अर्से तक तलाक़ को तक़रीबन नामुमकिन बना दिया गया था । मगर इससे सामाजिक सुदृढ़ता तो क्या आती, जुल्म और शोषण के विभिन्न रास्ते निकाल लिए गये । पति-पत्नी के स्वाभाविक संबंधों की जगह ग़लत और अनैतिक तरीक़े आम हो गये ।

भारत में पति की आज़ादी पर रोक लगाने के लिए तलाक़ के बाद उम्र भर भरण-पोषण की ज़िम्मेदारी आयद कर दी गयी । लेकिन आंकड़े बताते हैं कि तलाक़ के बाद भरण-पोषण हासिल करने के लिए कमज़ोर और असहाय औरत को अदालतों के इतने चक्कर लगाने पड़ते हैं कि अंततः अधिकतर औरतें मायूस हो जाती हैं ।

राजनीतिक जीवन में दलित वर्गों के लिए जो क़दम उठाये गये हैं वे बहुआयामी हैं, लेकिन इसके बावजूद उनकी मज़्लूमियत और दमन ख़त्म नहीं हुए हैं । उनकी औरतों के शील-भग की घटनाएं रोज़ाना अख़बारों में आती रहती हैं । उनकी बस्तियां उजाड़ी जाती हैं, उनके जान-माल तबाह किये जाते हैं । मगर विडम्बना यह है कि दलित लीडर उनकी पीठ पर सवार होकर उनकी बदहाली का मज़ाक़ उड़ाते हैं, अपनी दुनिया संवारते हैं और कमज़ोरों की बदहाली को सियासी ताक़त का माध्यम बनाते हैं ।

नैतिक संकट की व्यापकता

यह नैतिक पतन जीवन के प्रत्येक क्षेत्र पर हावी है । इसका बिगाड़ इतना व्यापक है, इसका अंधेरा इतना गहरा है कि जनसाधारण के अलावा विशिष्ट जन भी परेशान हैं । सामूहिक जीवन में जिस तरह चरित्र-आचरण का फ़साद बरपा है, उसकी विवेचना की ज़रूरत नहीं । लेकिन कुछ महत्वपूर्ण नैतिक फ़साद ऐसे हैं, जिनका उल्लेख करना भावी संवाद के लिए आधार उपलब्ध कर सकता है ।

हिंसा, उपद्रव की लहर

सबसे अहम फ़साद हमारे समाज में इन्सानी ज़िन्दगी और मान-सम्मान का हनन है, हिंसा और उपद्रव है । जिस किसी के पास शक्ति और साधन हैं, वह अपने मक़सद को हासिल करने के लिए हिंसा को क़ानून पर वरीयता देता है । पहले यह काम सिर्फ़ वे लोग करते थे जिनका पेशा अपराध और मादक-पदार्थ थे । मगर अब यह रुझान शिक्षित युवकों, धनी लोगों तक फैल गया है । यहां तक कि नाबालिग़ लड़के और लड़कियों में हिंसा एवं अपराध की प्रवृत्ति तेज़ी से फैल रही है । नेतागण और उनके सहयोगी भी दुस्साहस से हत्याएं करते हैं, जिनका सुबूत चुनावी हिंसा है । अपराध और हिंसा को हमारे समाज में अब इज़्ज़त मिलने लगी है । इसका एक रूप यह है कि विभिन्न राजनीतिक दल चुनावों के अवसरों पर अपराधियों और हत्यारों को न केवल टिकट देती हैं बल्कि उन्हें मंत्री पद भी दिये जाते हैं ।

रिपोर्टों के अनुसार उत्तर प्रदेश के मंत्रिमंडल में 12-13 लोग ऐसे हैं जिन पर हत्या व दंगों के बहुत से मुक़दमे चल रहे हैं । हत्या एवं उपद्रव अब धार्मिक फ़साद के भी बहाने बन गये हैं । जैसे स्टेंस और उसके दो अबोध बच्चों की हत्या, हाल में एक ईसाई पादरी की हत्या । साम्प्रदायिक दंगों के मौक़ों पर बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद बम्बई और अन्य स्थानों के फ़साद । ये घटनाएं इन्सानी ज़िन्दगी की अवमानना के ठोस सुबूत हैं ।

वैवाहिक जीवन में हत्या की घटनाएं अब आम होती जा रही हैं । इनमें से कुछ मीडिया की नज़र में आ जाने की वजह से सामने आ जाती हैं । मसलन अभी दो साल पहले एक सियासी पार्टी के युवा नेता ने अपनी पत्नी की हत्या की, और फिर उसकी लाश के टुकड़े करके तंदूर में फेंक दिया । हिंसा एवं हत्या का शिकार मज़लूम औरतें ज़्यादा हो रही हैं । कितनी ही दलित औरतें ऐसी हैं जिनकी इज़्ज़त लूटने के बाद उसकी हत्या कर दी गयी ।

इन्सानी ज़िन्दगी अवमानना का सबसे संगीन पहलू यह है कि अब हत्या जैसा संगीन जुर्म अपने भौतिक एवं राजनीतिक हितों की पूर्ति का आम ज़रिया समझ लिया गया है । मामूली और तुच्छ हितों, धन-सम्पत्ति के लिए हत्याएं पहले भी होती थीं । मगर अब यह रुझान इतना तरक़्क़ी कर गया है कि विचारों के मतभेद भी इसी तरह हल किये जाते हैं । कुछ दिन पहले ख़बर आयी थी कि दिल्ली में दो दोस्त युवक किसी मुद्दे पर बहस कर रहे थे, यहां तक कि एक ने दूसरे की हत्या कर दी । ट्रेनों में सीट के झगड़े और सिनेमा के टिकट लेने पर झगड़े भी कभी-कभी हत्या का

कारण बन जाते हैं ।

नवजात बच्चों की हत्या

इन्सानी ज़िन्दगी की अवमानना का एक अत्यंत घिनौना रूप नवजात शिशुओं की हत्या है । भारत में इस ज़माने में भी कुछ राज्यों जैसे केरल, उड़ीस, बिहार में यह रिवाज है कि माएं खुद दाइयों की मदद से अपनी नवजात बच्चियों की विभिन्न निर्मम तरीक़ों से जन्म के कुछ महीने बाद इस भय से हत्या कर देती हैं कि इनकी वजह से दहेज का इंतिज़ाम करना पड़ेगा ।

टाइम्स ऑफ़ इंडिया (22 सितम्बर 99) में एक रिपोर्ट प्रकाशित हुई है, जिसमें बताया गया है कि राजस्थान के एक गांव में 110 साल बाद एक लड़की की शादी हुई । इसलिए कि बाड़मेर ज़िले की इस देवार गांव में एक लंबे अर्से से एक लड़की के भी जन्म की रिर्पोट नही मिली । इस सूरतेहाल का दुखद कारण यह है कि मासूम बच्चियां गला घोट कर या अफ़ीम खिलाकर मौत के घाट उतार दी जाती हैं । अख़बार आगे लिखता है कि आधुनिक तकनीक को बच्चियों की भ्रूण हत्या करने के लिए भी बड़े पैमाने पर प्रयोग किया जाता है ।

दहेज की वजह से नयी दुल्हनों की हत्या की ख़बरें अख़बारों में बराबर आती रहती हैं । दुख की बात यह है कि इन घटनाओं में अधिकतर शिक्षित लोग लिप्त पाये गये हैं ।

पुलिस और सेना का दमन

यह रुझान सिर्फ़ जन-साधारण में नहीं पाया जाता बल्कि प्रशासन के उन लोगों में भी बड़े पैमाने पर मौजूद है, जो शांति स्थापना के ज़िम्मेदार हैं । यातनाएं और हिरासत की मौतें अब रोज़ की घटनाएं बन गयी हैं । मानवाधिकारों के अन्तर्राष्ट्रीय सिम्पोज़ियम की प्रबंध समिति के अध्यक्ष जस्टिस वी॰एस॰ मलथैन ने अपने हाल के एक बयान में कहा है कि देश भर के तमाम पुलिस स्टेशनों में यातनाएं देने की घटनाएं हो रही हैं, यहां तक कि उन स्टेशनों में भी जिनके इंचार्ज महिलाएं हैं ।

(क़ौमी आवाज़, 22 सितम्बर 99)

मानवाधिकार संगठन 'पुलिस यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज़' (PUCL) की रिपोर्टों के मुताबिक़ सैनिक एवं अर्द्ध सैनिक बलों ने कश्मीर में निरपराध लोगों की हत्याएं और औरतों की बेइज़्ज़ती को अपना धंधा बना लिया है । कश्मीर की अदालतों में ऐसे सैकड़ों मुक़द्दमे दर्ज हैं जिनमें पुलिस और सेना के जवान आरोपी हैं । यह सुलूक उन लागों के साथ हो रहा है जो इस देश के नागरिक हैं और उस क्षेत्र में हो रहा है जिसे हम देश का अटूट अंग कहते हैं । उत्तराखंड आंदोलन के दौरान मुज़फ़्फ़रनगर और अन्य क्षेत्रों में पुलिसकर्मियों ने बड़े पैमाने पर महिलाओं को अपमानित किया और शांतिप्रिय लोगों में से कितने ही लोगों को गोलियों का निशाना बनाया । कुछ महीने पहले आंध्र प्रदेश में पुलिस के उत्पीड़न से तंग आकर बहुत से लोगों ने आत्महत्या कर ली । बम्बई के 1993 के दंगों में मासूम लोगों के घरों को जलाया गया और कितने ही लोगों को गोलियों से भून दिया गया । बिहार की जेल में पुलिस ने 22 क़ैदियों की आंखें फोड़ दी थीं । यह सब शांति एवं व्यवस्था के नाम पर हो रहा है । इनका शर्मनाक पहलू यह है कि भय और आतंक फैलाने के लिए औरतों की इज़्ज़त को ख़ास निशाना बनाया जाता है । यह उस देश में हो रहा है जहां लोकतंत्र क़ायम है, जहां मानवाधिकार के विभिन्न संगठन सरगर्म हैं ।

हिंसा की इस व्यापकता का एक कारण यह है कि इन अपराधों में संलिप्त लोगों को यह यक़ीन है कि क़ानून की मशीनरी इतनी नाकारा है कि उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता । क़ानून की पकड़ अगर कहीं सख़्त भी होती है तो वे रिश्वत के बलबूते पर इससे बच जाते हैं । दूसरा कारण उनका यह यक़ीन है कि मनमाने नतीजे बाहुबल से हासिल किये जा सकते हैं । इस सूरतेहाल की संगीनी का अंदाज़ा आप इससे कीजिए कि आम नागरिक भी क़ानून से मदद लेने के बजाय बाहुबल रखने वालों से मदद लेना चाहते हैं । इसलिए लोग मुजरिमों और हथियार धारकों से मदद लेना चाहते हैं । दैनिक जीवन की आम सुविधाओं की प्राप्ति अब क़ानून की मदद से कठिन होती जा रही है । कुछ बड़े शहरों के बारे में यह बात मशहूर है कि छोटे दुकानदार शहर के दादा लोगों को 'टैक्स' देते हैं, ताकि वे ख़ैरियत से अपना कारोबार चला सकें ।

भ्रष्टाचार का बढ़ना

इस नैतिक संकट का दूसरा रूप यह है कि जिन नैतिक बुराइयों को व्यक्तिगत जीवन में लोग बुरा समझते हैं, उन्हें सामूहिक मामलों में अपनाने में संकोच नहीं करते, बल्कि इन बुराइयों को अब ऐब भी नहीं समझा जाता । मसलन बिजली की चोरी अब शहरों में आम है । टैक्स की चोरी के लिए बेशुमार बहाने प्रचलित हो गये हैं । सरकार की

विभिन्न योजनाओं के लिए जो रक़में मंज़ूर की जाती हैं उनका बड़ा भाग नौकरशाही की जेबों में चला जाता है ।

पूर्व प्रधानमंत्री दिवंगत राजीव गांधी ने अपने एक बयान में कहा था कि सरकार अगर एक रुपया मंज़ूर करती है तो । पैसे ही जनता तक पहुंचते हैं । देश की सेवा के दावेदार राजनेता तो देश के सेवा के दावेदार राजनेता तो देश के धन पर अपना अधिकार समझते हैं ।

जहां तक आम नैतिक मूल्यों का ताल्लुक़ है, उनका हाल और भी बुरा है । मामलात में धोखा और ख़यानत, खाद्य पदार्थों में मिलावट, कम नापना और तौलना, एहसासे ज़िम्मेदारी और कर्तव्य पालन से बचना, झूठ, फ़रेब वर्तमान भारतीय समाज में बुरी तरह प्रचलन में है । ये तमाम बुराइयां अपने प्रारूप और प्रभाव के एतिबार से समाजी ज़िन्दगी में फ़साद पैदा करती हैं । इनसे अवाम और विशिष्ट जन सभी परेशान हैं ।

क़ानून का इस्तेमाल किसके लिए ?

इन नैतिक संकट ने ऐसा माहौल पैदा कर दिया है कि जिसमें नैतिक गुणों को अपनाना बहुत मुश्किल हो गया है । ईमानदारी अपनाना कठिन हो गया है और बेईमानी आसान व परिणामजनक । क़ानून का पालन सुरक्षा प्रदान नहीं करता बल्कि उसके उल्लंघन में ख़ैरियत है । शांतिप्रिय नागरिक महत्वहीन है और बाहुबल वाला सम्मानीय । अगर आप धोखाधड़ी करने में माहिर हैं तो दौलत और सत्ता आपके पैर चूमेंगे । लेकिन अगर आप सीधे और साफ़ तरीक़ों से व्यापार करना चाहते हैं तो पूरी ज़िन्दगी अभावग्रस्त रहेंगे ।

इस नैतिक बिगाड़ से प्रत्येक निष्ठावान भारतीय परेशान है । इसके प्रभावी इलाज के विभिन्न तरीक़े बताए जाते हैं, मगर सबसे ज़्यादा मशहूर दो तरीक़े हैं–एक यह कि इन्सान अपनी फ़ितरत के एतिबार से लालची और स्वार्थी है । उसकी तबाहकारी से बचने के लिए क़ानून का सहारा लेना चाहिए और ऐसा समाधान अपनाना चाहिए जिसके भय से वह बिगाड़ से बचा रहे । लेकिन इस समाधान की सबसे बड़ी ख़ामी यह है कि ख़ुद क़ानून लागू करने वाले भी वही इन्सान होते हैं जिनकी सोच अगर ख़राब हो तो उसकी भी ख़राब होगी । जिन पर वह क़ानून लागू किया जाता है । इसकी दूसरी ख़ामी यह है कि बहुत-से नैतिक दुर्गुणों का इलाज उसी वक़्त और उसी सूरत में मुमकिन है, जबकि दिल व दिमाग़ का सुधार किया जा सके ।

धर्म की भूमिका

दूसरा प्रचलित समाधान है धर्म और धर्म की नैतिक शिक्षाएं । लेकिन अधिकतर धर्म, आध्यात्मिक और सामूहिक व व्यक्तिगत नैतिकता को एक दूसरे से बिल्कुल अलग रखते हैं । कुछ धर्म ऐसे हैं जिनमें आध्यात्मिकता एवं आत्मिक शुद्धि का एकमात्र रास्ता संन्यास है । जितने ज़्यादा आध्यात्मिक चरण आप तय करते जाएंगे, उतना ज़्यादा आप जनसाधारण और ज़िन्दगी के मामलों से अलग होते जाएंगे । इनमें से कुछ ऐसे हैं जो नैतिकता को सीमित अर्थों में लेते हैं । जैसे ईसाइयत के निकट दया, सहिष्णुता व स्नेह ही अस्ल मूल्य हैं । सामूहिक नैतिक का इसकी शिक्षाओं में कोई स्थान नहीं है । इसलिए वह सामूहिक जीवन के बारे में कोई निर्देश नहीं देता । अहिंसा की शिक्षा देने वाले धर्म भी जैसे बौद्ध मत और जैन मत भी सामूहिक नैतिकता को आध्यात्मिक जीवन से पृथक रखते हैं । इसकी वजह यह है कि उनके यहां भी आध्यात्मिक पराकाष्ठा सांसारिक जीवन का त्याग है ।

नैतिक बिगाड़ के इस सर्वांगीण संकट में आज प्रत्येक नागरिक जो परंपरागत विद्वेष तथा अज्ञानता के दुराग्रह में लिप्त नहीं है, एक ऐसी वैचारिक एवं व्यावहारिक व्यवस्था की तलाश में है, जो इसका समाधान कर सके । दुनियापरस्ती और नफ़्सपरस्ती की दृढ़ मानसिकता पर क़ाबू पाने में इन्सान की मदद कर सके । सत्य एवं न्याय के केवल शब्द और भ्रामक नारे ही प्रदान न करे, बल्कि इस सिलसिले में व्यापक मार्गदर्शन भी दे । वह धर्म एवं आध्यात्मिकता को विचित्र कर्मकांडों एवं विचारों का संग्रह न माने बल्कि उन्हें इन्सान के व्यक्तिगत एवं सामूहिक जीवन के सुधार का माध्यम बनाए । नैतिक मूल्यों को मात्र व्यक्तिगत एवं निजी (प्राइवेट) जीवन तक सीमित करे बल्कि उन्हें समाज निर्माण का आधार बनाए ।

सही विचारधारा

इस्लाम एक ऐसी ही वैचारिक एवं व्यावहारिक व्यवस्था है । वह विशुद्ध आध्यात्मिक जीवन, यहां तक कि इबादतों (पूजा-पाठ) को भी नैतिकता से जोड़ती है । बल्कि ज़्यादा सही बात यह है कि इसके निकट ईश-प्रसन्नता का मार्ग भी नैतिक मूल्यों की निष्ठापूर्ण पैरवी से होकर गुज़रता है । वह चरित्र-आचरण को मोमिन की ज़िन्दगी में केन्द्रीय हैसियत देती है । वह संसार त्याग के बजाय सामूहिक जीवन के

निर्माण और सुधार को सत्य-धर्म (इस्लाम) का उद्देश्य घोषित करता है। इसने हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) के सद्गुण जिस तरह बयान किये हैं, वे बहुत महत्वपूर्ण हैं।

कुरआन में है–''बेशक तुम नैतिकता के उच्च स्तर पर हो।' (सूरह क़लम, आयत : 4)

एक-दूसरी जगह इरशाद है–'ऐ पैग़म्बर ! यह अल्लाह की बड़ी रहमत है कि तुम उनके लिए बहुत नर्म मिज़ाज हो। अगर कहीं तुम सख़्त मिज़ाज और संगदिल होते तो ये सब तुम्हारे आसपास से छंट जाते। अत: उन्हें क्षमा कर दो और उनके हक़ में क्षमा की दुआ करो और दीन के काम में उनसे राय-मशविरा करो। और जब अज़्म (दृढ़ संकल्प) कर लो तो अल्लाह पर भरोसा रखो। अल्लाह को वे लोग पसन्द हैं जो उसके भरोसे पर काम करते हैं।'

(सूरह आले इमरान, आयत : 159)

इस आयत में सामूहिक नैतिकता को हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) की पैग़म्बराना हैसियत के साथ किस तरह जोड़ा गया है, यह विशेष ध्यान देने योग्य है। एक अन्य जगह हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) के नैतिक गुणों को इस तरह बयान किया गया है–

'तुम लोगों के पास एक रसूल आया है जो खुद तुम ही में से है। तुम्हारा मुश्किल में पड़ना उसके लिए असह्य है, वह तुम्हारे कल्याण का लालसी है। वह ईमान लाने वालों के लिए करुणामय और दयाशील है।'

(सूरह अत-तौबा, आयत : 128)

सत्य, न्याय और सद्व्यवहार : इस्लाम का विशिष्ट गुण

सामूहिक नैतिकता को विभिन्न रूपों में धार्मिक ज़िन्दगी की पहचान बताया गया, इबादत का एक मक़सद बताया गया है। इसे मोमिनों की विशिष्टता बताकर कुरआन ने यह स्पष्ट कर दिया है कि अल्लाह ने सत्य-धर्म (इस्लाम) को अवतरित किया है, ताकि इसकी शिक्षाओं की पैरवी करके एक ओर तो इबादत का हक़ अदा किया जा सके और दूसरी ओर इन्सान की व्यक्तिगत और सामूहिक ज़िन्दगी को सुधारा जा सके। बल्कि कुछ जगहों पर तो इन्सानों के दर्मियान सत्य-न्याय की स्थापना और सद्व्यवहार को इस धर्म को अवतरित करने का उद्देश्य घोषित किया गया है।

वह्य के प्रारंभिक काल में हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) को हुक्म दिया कि अपने रब की शुक्रगुज़ारी (कृतज्ञता) का हक़ अदा करो।

कुरआन में है : 'अत: अनाथ (यतीम) पर सख़्ती करो और साइल (मांगने वाले) को न झिड़को।'

(सूरह ज़ुह

पैग़म्बराना मिशन की पूर्ति के लिए जो हुक्म दिया है, उसमें ख़ालिस दीनदाराना ज़िन्दगी और सामूहिक नैतिक का सामंजस्य इस तरह किया गया है कि इससे बेह तरीक़ा संभव न था।

कुरआन में है : 'ऐ बोढ़-लपेट कर लेटने वाले और ख़बरदार करो। अपने रब की बढ़ाई का एलान व और अपने कपड़े साफ़ रखो। गन्दगी से दूर रहो और एहस न करो ज़्यादा हासिल करने के लिए।' (सूरह मुद्दस्सि

गन्दगी से आशय यद्यपि कुफ़्र और शिर्क की गन्दगी लेकिन इससे सफ़ाई-सुथराई भी आशय है। एहसान जत से भी मना किया गया है, इसलिए कि यह एक ऐब है नैतिक पावनता और नैतिक अशुद्धता को पैग़म्बर के आ मिशन से इस तरह जोड़ा गया है कि मानो वे एक-दूसरे अटूट अंग हैं।

सत्य-धर्म का उद्देश्य न्याय स्थापना बताया गया है। बताया गया है कि आध्यात्मिकता–संसार-त्याग का नाम है। बल्कि ईश-प्रसन्नता इसमें निहित है कि न्याय-स्था की अनथक कोशिश की जाए :

'हमने रसूलों को साफ़-साफ़ निशानियों के साथ भे और उनके साथ किताब और मीज़ान (तुला) नाज़िल कि ताकि लोग इन्साफ़ पर क़ायम रहें।'

(सूरह अल-हदी

एक सारगर्भित आयत में मात्र न्याय ही नहीं बल्कि अन्य नैतिक गुणों का भी हुक्म दिया गया है :

'और अल्लाह न्याय एवं सदाचार का हुक्म देता है और बदी (दुष्कर्म), बेहयाई व जुल्म से मना करता है। वह नसीहत करता है ताकि तुम सबक़ लो।' (सूरह नह

एक अन्य आयत में तक़वा (ईश-परायणता) और अद्ल (न्याय) का प्रत्यक्ष रूप से रिश्ता जोड़ा गया है

'किसी गिरोह की दुश्मनी तुम्हें इतना उत्तेजित न कर कि इन्साफ़ से फिर जाओ। इन्साफ़ से काम लो, यह तक़ से ज़्यादा मुनासिबत रखता है।' (सूरह माइ

मोमिनों के गुण बयान करते वक़्त अल्लाह ने कुरआ में कई जगहों पर सामूहिक गुणों को नमाज़ और रब

बन्दगी के साथ बयान फ़रमाया है :

'वे लोग अपनी अमानतों और अहद व पैमान (वचनबद्धता) का लिहाज़ रखते हैं ।' (सूरह मोमिनून)

एक अन्य जगह यह इरशाद है कि मोमिन तो वे हैं जिनके धन में असहाय वंचित लोगों का हक़ होता है (सूरह ज़ारियात)।

एक स्थान पर तफ़्सील से अल्लाह के नेक बन्दों के सद्‌गुण बयान किये गये हैं :

'जो ख़र्च करते हैं तो, न फ़िज़ूलख़र्ची करते हैं न कंजूसी । बल्कि उनका ख़र्च दो इंतिहाओं के बीच इन्साफ़ पर क़ायम रहता है । जो अल्लाह के सिवा किसी और माबूद (पूज्य) को नहीं पुकारते । अल्लाह की हराम की हुई किसी जान को नाहक़ हलाक नहीं करते, और न ज़िना (व्यभिचार) करते हैं । यह काम जो करेगा वह अपने गुनाहों का बदला पाएगा...और जो लोग झूठ के गवाह नहीं बनते और किसी निकृष्ट चीज़ पर से उनका गुज़र हो तो शरीफ़ आदमियों की तरह उस पर गुज़र जाते हैं ।' (सूरह फ़ुरक़ान)

सामूहिक नैतिकता को दीनदाराना ज़िन्दगी का तक़ाज़ा क़रार देने के लिए हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) के बहुत से कथन हैं । आप (सल्ल०) ने इरशाद फ़रमाया :

'विधवा और मुहताज के लिए दौड़-धूप करने वाला व्यक्ति उस व्यक्ति की तरह है जो अल्लाह की राह में जिहाद करता है । रावी (उल्लेखकर्ता) कहते हैं कि मुझे यह ख़याल होता है कि आप (सल्ल०) ने यह भी फ़रमाया था कि वह इस तरह है जो रात को नमाज़ में खड़ा रहे और ढीला न हो, और वह उस शख़्स की तरह है जो दिन के रोज़े रखे और कभी न छोड़े ।' (बुख़ारी)

इस्लाम ने इस तरह दीनदारी को सामूहिक नैतिकता से अंतरंग किया है । अत: तक़वा और ख़ुदा का ख़ौफ़, जन्नत की कामना, आख़िरत के अज़ाब से बचने की अभिलाषा—ये सब इन्सान को दुनिया के मोहपाश से दूर रखती हैं । इन शिक्षाओं की ख़ूबी यह है कि ये सादा हैं, पेचीदा नहीं हैं । ये इन्सानी स्वभाव की कमज़ोरियों का लिहाज़ करती हैं । उसे फ़रिश्ता नहीं बनाना चाहतीं बल्कि उसकी यथा सामर्थ्य इनकी पैरवी चाहती हैं । नैतिक बिगाड़ के इस दौर में ऐसी ही वैचारिक एवं व्याहारिक व्यवस्था की ज़रूरत है । यह वह अमृत है जिसके स्रोत को विद्वेष एवं दुराग्रह के अंधेरों ने छुपा रखा है ।

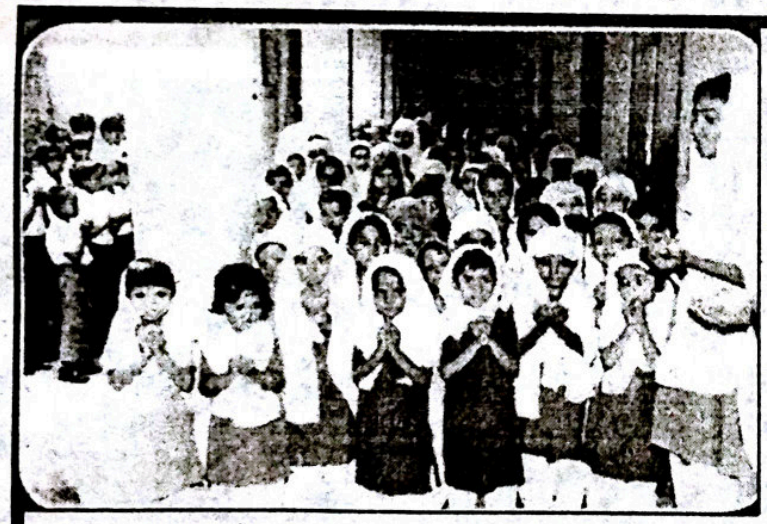

اسلامک اکیڈمی

اپیل

مادہ پرستی، اخلاقی پستی اور معاشی پسماندگی کے اس دور میں ملت کی نئی نسل کی اس انداز سے تعلیم و تربیت کہ وہ علم دین اور دنیا میں گہری نظر رکھتے ہوں۔ جیسے مقاصد کے حصول کے لئے قائم ادارہ کی سرگرمیوں اور آئندہ کے منصوبے کا سرسری مطالعہ کرلیا۔ یہ محض اللہ کے فضل اور آپ حضرات کے تعاون سے ممکن ہوسکا ہے۔ آئندہ بھی حضرات سے مندرجہ بالا منصوبوں کی تکمیل کے لئے تعاون کی درخواست ہے۔

ISLAMIC ACADEMY

BASED ON JHARKHAND ACADEMIC COUNCIL

English, Urdu, Hindi Medium (Nursery to 10th)

SAUDAGAR MOHALLAH, RAMGARH CANTT. (JHARKHAND)

Phone : 09835355299, 9507673067

Md. Rashid
9835125717

N. S. ENCLAVE

Masud Ahmad
9431107797

आप मकान,
दुकान, कोठी,
रिहाइशी मकान एवं
सस्ते और सुन्दर
प्लाट एवं फ्लैट
के लिए
संपर्क करें।



साथ में
बी॰ एड॰ कॉलेज
एवं
इंजीनियरिंग कॉलेज
की भी सुविधा
उपलब्ध है।

साथ में मस्जिद एवं क़ब्रिस्तान भी है।

नग़मा ड्रेसेज

हमारे यहां फैंसी साड़ियां, रेडिमेड ड्रेस, टी शर्ट,
बाबा सूट, फ्रॉक, मिडी, नाइटी, स्कूल ड्रेस,
जींस पैंट एवं फैंसी रेडिमेड होजरी वस्त्रों के लिए पधारें।

OFFICE CONTACT : NAGMA DRESSES
Booti Chowk, Dubey Market, Ranchi (Jharkhand)

CONTACT No. 2 Masud Ahmad, Hamid Book Depot,
Opp. Urdu Library,
Main Road, Ranchi-834001 (Jharkhand)

Mobile : 09431107797

इस्लाम की रहमत

■ हमूदा अब्दलती

यद्यपि इन्सान महान सृष्टि का बहुत छोटा अंश है, फिर भी अगर वह योजना बनाता है और योजना के गुणों को सराहता है, तो उसका अपना वजूद और सृष्टि का जीवन भी किसी सुनियोजित नीति पर ही आश्रित होना चाहिए । इसका अर्थ यह हुआ कि हमारे इस भौतिक वजूद के पीछे कोई योजनाकार है या कोई विलक्षण प्रतिभा है जो चीज़ों को अस्तित्व प्रदान करती और उन्हें व्यवस्थित रखती है । हमारे संसार के अनोखे आश्चर्य और हमारे जीवन के रहस्य इतने बड़े हैं कि वे अललटप घटनाओं या मात्र संयोग की पैदावार कहे ही नहीं जा सकते ।

फिर तो इस संसार में कोई महान शक्ति होनी चाहिए जो कार्यरत हो और हर चीज़ को व्यवस्थित रखे । प्रकृति की सुन्दरतम वस्तुओं के लिए कोई महान कलाकार होना चाहिए, जो कला के उत्कृष्ट नमूने तैयार करता है और जीवन के ख़ास मक़सद को पूरा करता है । यह शक्ति तमाम शक्तियों में महान और यह कलाकार तमाम कलाकारों में श्रेष्ठ है । विवेकी और सूझ-बूझ से काम लेकर ईमान को सुदृढ़ बनाने वाले लोग ऐसी शक्ति और ऐसे कलाकार को अल्लाह या ईश्वर कहते हैं । वे उसे अल्लाह कहते हैं, इसलिए कि वही सृष्टि का स्रष्टा है, वही रचयिता है, वही जीवनदाता है और हर वस्तु को अस्तित्व प्रदान करने वाला है । वह इन्सान नहीं है, इसलिए कि इन्सान न किसी इन्सान को बना सकता है, न पैदा कर सकता है । वह पशु भी नहीं है, न ही वह पेड़-पौधा है, न ही वह किसी मूर्ति का नाम है, न ही किसी चीज़ की कोई प्रतिमा, इसलिए कि इनमें से कोई चीज़ न कुछ बना सकती है, न पैदा कर सकती है । वह मशीन भी नहीं है । वह न सूरज है, न चांद, न ही कोई सितारा, इसलिए कि ये चीज़ें नियंत्रित हो रही हैं किसी नियंत्रण से और बनायी गयी हैं किसी बनाने वाले द्वारा । वह इन सब चीज़ों से भिन्न है, इसलिए कि वह सब चीज़ों का पैदा करने वाला और पालने-पोसने वाला है । किसी चीज़ के पैदा करने वाले को उस चीज़ से भिन्न और महान होना चाहिए, जिसे उसने पैदा किया है ।

हम यह भी जानते हैं कि कोई भी चीज़ अपने आप जीवन नहीं पा जाती । हमें यह भी मालूम है कि यह अद्‌भुत संसार अपने आप नहीं पैदा हो गया, न ही आकस्मिक घटना के रूप में अस्तित्व में आया । संसार में हो रहा अनवरत परिवर्तन सिद्ध करता है कि यह रचा गया है और हर चीज़ जो रची जाए, उसका रचयिता होना ही चाहिए ।

संसार का पैदा करने वाला, उसको पालने-पोसने वाला, इन्सान का रचयिता और पालनकर्ता, विश्व की गतिमान शक्ति और प्रभावी ताक़त, यह सब एक ही हस्ती है और उसी का नाम अल्लाह या ईश्वर है । वही है तमाम भेदों का भेद और संपूर्ण जगत में सर्वश्रेष्ठ । पवित्र कुरआन ख़ुदा की सच्ची किताब में है–

'संसार का पैदा करने वाला, उसको पालने-पोसने वाला, इंसान का रचियता और पालनकर्ता, विश्व की गतिमान शक्ति और प्रभावी ताक़त, यह सब एक ही हस्ती है और उसी का नाम अल्लाह या ईश्वर है । वही है तमाम भेदों का भेद और सम्पूर्ण जगत में सर्वश्रेष्ठ । पवित्र कुरआन, ख़ुदा की सच्ची किताब में है–

'अल्लाह ही है जिसने तुम्हारे लिए रात बनायी, ताकि तुम उससे आराम (और चैन) पाओ और दिन को प्रकाशमान बनाया । निस्संदेह अल्लाह लोगों के लिए बड़ा अनुग्रह वाला है, परन्तु अधिकतर लोग कृतज्ञता नहीं दिखलाते । यह है अल्लाह, तुम्हारा पालनहार, हर चीज़ का पैदा करने वाला । कोई उपास्य नहीं सिवा उसके । फिर तुम कहां से बहकाए जा रहे हो ? इसी तरह वे लोग बहकाए जा रहे हैं जो अल्लाह की आयतों का इंकार करते थे । अल्लाह ही है, जिसने तुम्हारे लिए धरती को ठहरने की जगह बनायी और आकाश का छत (के समान) बनाया और तुम्हारा रूप बनाया तो क्या ही अच्छे बनाए तुम्हारे रूप और अच्छी चीज़ों की तुम्हें रोज़ी दी । यह है अल्लाह, तुम्हारा पालनहार, तो क्या ही बरकत वाला है, अल्लाह सारे संसार का पालनहार ।' (40:61-64)

अल्लाह की मख़्लूक़ के प्रति अल्लाह का प्रेम अपार है, और मानव-कल्पना से परे है । हम उसके इस लगाव को नाप सकते हैं, न गिन सकते हैं । उसने हमें पैदा किया,

हमारी देख-भाल की, न सिर्फ़ पैदाइश के वक़्त, बल्कि उस के बहुत पहले से । उसने हमें अच्छा और सुडौल जिस्म दिया और हमारे भौतिक विकास के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत थी, वह सब जुटाया । उसने हमारी उस समय सहायता की, जब हम स्वयं अपनी सहायता नहीं कर सकते थे । वही हमें और हमारे तमाम आश्रितों को रोज़ी भी देता है । उसने इंसान को दिमाग़ दिया है वह समझे, आत्मा और चेतना दी है कि अपने को नेक और बेहतर बना सके, भावनाएं और अनुभूति दी है कि वह मेहरबान और दयालु बन सके ।

उसकी कृपा से ही हम सत्य ज्ञान प्राप्त करते हैं और सत्य प्रकाश देखते हैं, क्योंकि वह कृपालू है । उसने हमें सुन्दर आकार दिया है और हमारे लिए सूरज और चांद, धरती और समुद्र, ज़मीन और आसमान वनस्पति और जीव सधा रखे हैं, उसने उन तमाम चीज़ो को, जो हमारे फ़ायदे और उपयोगिता की हैं, पैदा कर रखा है, वह हमारे जीवन में काम आने वाली और हमारी सेवा करने वाली चीज़ों का रचयिता है । इंसान को प्रतिष्ठा, बुद्धि, आदर और सम्मान का पद दे रखा है, इसलिए कि वह तमाम रचनाओं में श्रेष्ठ है । यह अल्लाह की कृपा है कि उसने हमें आशा, शान्ति, साहस और विश्वास सरीखे गुणों से विभूषित किया है, अपने दुखों और कष्टों के सहन करने और उसका इलाज ढूढ़ निकालने की क्षमता दी है, ताकि हम इन पर क़ाबू पाकर अपने जीवन को सफल बना सकें । सच तो यह है कि अल्लाह की कृपा ही से दुखी व्यक्ति को राहत, रंजीदा को प्रसन्नता, बीमार को सेहत, कमज़ोर को शक्ति और ज़रूरतमंद को सुख मिलता है । संक्षेप में हम कह सकते हैं कि अल्लाह की कृपा जीवन के हर पहलू में हर समय, हर जगह अपना कार्य कर रही है । कुछ लोग इसे महसूस नहीं कर पाते, इसलिए कि वे ऐसा होना अनिवार्य समझते हैं, लेकिन यह है सत्य और हम इसे महसूस भी कर सकते हैं और अपनी बुद्धि से सोच भी सकते हैं ।

यह दयालु, कृपालु अल्लाह हमें भुलाता नहीं, हमें गिराता नहीं, हमारी निष्ठापूर्ण दुआओं को नज़रंदाज़ नहीं करता । उसी दयालु और कृपालु अल्लाह ने हमें अपना सन्मार्ग दिखाया, अपने दूतों, शिक्षकों, किताबों और ग्रन्थों को भेजा, जो सब के सब हमारी सहायता और रहनुमाई के लिए हैं । अल्लाह के अन्तिम दूत हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) हैं और अति जीवंत और पूर्ण सुरक्षित ग्रंथ क़ुरआन है । क़ुरआन और हदीस से हमें यह बात भी मालूम होती है कि अल्लाह अति क्षमाशील है । एक व्यक्ति अगर गुनाह का काम करता है या कोई ग़लत काम करता है, तो कहा जा सकता है कि वह अल्लाह के क़ानून के ख़िलाफ़ काम कर रहा है, वह उसके प्रति उद्दंडता दिखा रहा है और अपनी प्रतिष्ठा और अपने अस्तित्व को आघात पहुंचा रहा है । लेकिन अगर वह निष्ठावान है, गुनाह के कामों पर दुखी होता है, ग़लत कामों पर अफ़सोस करता है, अल्लाह से रुजू करना चाहता है, उससे माफ़ी तलब करता है और उससे गिड़गिड़ा कर विनती करता है, तो फिर अल्लाह उसे निश्चित रूप से क्षमा कर देगा और उसकी विनम्रता को स्वीकृति देगा । यहां तक कि वे लोग जो एक ख़ुदा को मानने के बजाए उसके साथ

SHATABDI FOUNDATION, GAYA

- Started Shatabdi Public School in 2001 with primary classes, has now developed into a 10+2 CBSE affiliated educational institution with quality education in modern subjects with moral orientation.
- Presently there are around 1000 students who are provided modern teaching facilities. The Foundation also adopts poor/ orphan students
- Under Upwardbound .scheme, another project has been launched for preparation of +2 students to compete in Entrance Test for Engineering, Medical and other professional & technical courses.
- Our immediate needs are — Purchase one more school bus, Construction of Prayer Hall & Purchase of 30 Computers.

Ahle Khair Hazrat are Requested to Donate.

Kindly send your cheque/draft in favour of "Shatabdi Foundation, Gaya".

(ProfZ.H.Khan) Chairman — *(Prof M. B. Zaman)* Secretary

Shatabdi Public School, Katari Hill Road, Gaya-823001 (Bihar) INDIA

शरीक ठहराते हैं, उनको भी क्षमा मिल सकती है, अगर वे अपनी ग़लती महसूस करें, अपना दृष्टिकोण बदल और एक अल्लाह की ओर पलट आएं ।

इस्लाम का अर्थ

इस्लाम शब्द अरबी धातु 'स-ल-म' से निकला है, जिसका अर्थ है 'शान्ति, शुद्धता, समर्पण और आज्ञाकारिता, परिभाषा में इस्लाम का अर्थ हुआ खुदा की प्रसन्नता के प्रति समर्पण और उसके क़ानून का पालन । इस्लाम के शाब्दिक और पारिभाषिक अर्थों में आपस में बड़ा गहरा और मज़बूत संबंध है । खुदा की प्रसन्नता के प्रति समर्पण तथा उसके क़ानून के पालन मात्र से ही सच्ची शान्ति और सदा की शुद्धता को प्राप्त किया जा सकता है ।

कुछ लोग हमारे धर्म को 'मुहम्मदवाद' और अनुयायियों को 'मुहम्मदी' के नाम से याद करते हैं । मुसलमान इन शब्दों के प्रयोग को नापसन्द भी करते हैं और इसका सख़्त विरोध भी करते हैं, इसलिए कि मुसलमानों के विश्वास और आस्था की दृष्टि से इन शब्दों के लिए प्रयोग का कोई औचित्य दीख नहीं पड़ता । इस्लाम किसी व्यक्ति विशेष को कोई 'वाद' नहीं, न हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) की अपनी किसी 'विचारधारा' का नाम ही है जैसे गांधीवाद, मार्क्सवाद, हिटलरवाद आदि इस्लाम इस प्रकार का मुहम्मद (सल्ल०) को कोई 'वाद' नहीं है कि उसका नाम 'मुहम्मदवाद रखा जा सके । 'मुहम्मदवाद' से एक अर्थ और निकलता है, वह यह कि मुहम्मद का अनुयायी मुहम्मद की उपासना करने वाला हो या उनमें ऐसी आस्था रखने वाला, जैसे 'ईसाई' हज़रत ईसा की उपासना करते या उनमें ऐसी आस्था रखते हैं । इस शब्द के आधार पर यह भ्रम पैदा किया जा सकता है, वह यह कि इस्लाम के संस्थापक हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) हैं, इसीलिए उन के नाम के साथ इस धर्म का नाम जुड़ा हुआ है ।

ये तमाम बातें पूर्णतः ग़लत और भ्रामक है ।

इस्लाम न तो और 'वादों' की तरह कोई 'वाद' है, न मुसलमान मुहम्मद की उपासना करते हैं, न ईसाइयों, यहूदियों, मार्क्सवादियों आदि की तरह उनमें आस्था रखते हैं । मुसलमान तो सिर्फ़ खुदा की इबादत करते हैं । मुहम्मद (सल्ल०) तो सिर्फ़ ईशदूत थे, जो मानवजाति को खुदा का कलाम सुनाने और करके दिखाने आये थे । इतिहास गवाह है कि आपने ऐसा ही किया और जीवन के हर पहलू में आदर्श पेश किया । मुसलमान यह कभी नहीं सोचते कि इस्लाम के संस्थापक हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) थे । इस्लाम की संस्थापना तो अल्लाह स्वयं कर रहा है, इसकी संस्थापना हज़रत आदम (अलैहि०) के युग में हुई और इस्लाम उसी समय से इंसानों का धर्म चला रहा है और यह जब तक मानवजाति पायी जाती है, चलता रहेगा ।

इसलिए धर्म का अस्ल नाम इस्लाम ही है और जो इसे मानें, वे मुस्लिम हैं । इस्लाम या खुदा की प्रसन्नता को समर्पण और उसके आदेशों के पालन से किसी को यह भ्रम नहीं होना चाहिए कि इस्लाम इस तरह व्यक्तिगत स्वतंत्रता के ख़िलाफ़ है या वह भाग्यवाद के आगे हथियार डाल देता है । अगर किसी को यह भ्रम होता है तो इसका मतलब यह है कि उसने न तो इस्लाम का अर्थ समझा और न ही इस्लाम में खुदा (ईश्वर) की धारणा को ही समझ सका । इस्लाम में खुदा कर जो धारणा है, वह यह है कि वह अति दयावान, कृपालु, प्रेममय, इंसानों का प्रबल हितैषी, अति विवेकी और अपनी रचनाओं तथा जीवों का बहुत ख़याल रखने वाला है । इस प्रकार उसकी प्रसन्नता शुभचिता और भलाई की प्रसन्नता है और जो क़ानून भी बनाता और जो आदेश भी देता है, मानवजाति के हित ही में होता है ।

एक सच्चा निष्ठावान मुसलमान एक खुदा को, सम्प्रभु, सर्वशक्तिमान, सर्वश्रेष्ठ और अनन्त, कृपालु, दयालु, रचयिता और पालनकर्ता स्वीकार करता है । इसे मान लेने का अर्थ है कि वह उसमें पूर्ण आस्था रखे, उसकी प्रसन्नता के प्रति आत्मसमर्पण करे और उस पर पूरा भरोसा रखे । इस तरह एक मनुष्य की गरिमा बनी रहेगी और वह अपने को किसी भय और किसी भी प्रकार की निराशा से बचाये रख सकेगा । न ही उसे किसी प्रकार का भ्रम होगा और न ही वह किसी प्रकार के सन्देह में पड़ेगा ।

वह तमाम पैग़म्बरों को बिना किसी भेदभाव के स्वीकार करता है । हर क़ौम में सचेत करने वाले ईशदूत (खुदा के पैग़म्बर) आये हैं । ये सभी पैग़म्बर भलाई के महान उपदेशक और सत्य के श्रेष्ठ समर्थक थे । उन्हें मानवजाति को अपना संदेश सुनाने के लिए अल्लाह ने चुना था । वे इतिहास के हर युग में भेजे गये थे और हर क़ौम में एक या एक से अधिक आए थे । कभी तो दो या इससे भी अधिक पैग़म्बर एक ही क़ौम में और एक ही समय में भेजे गये । क़ुरआन मजीद उनमें से 25 का उल्लेख करता

है और मुसलमान उन सबको बिना किसी भेदभाव के स्वीकार करते और उन सबको अल्लाह का भेजा हुआ सच्चा रसूल तस्लीम करते हैं । वे सभी हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) को छोड़कर किसी ख़ास आबादी या ख़ास क़ौम के लिए भेजे गये थे, लेकिन उनका पैग़ाम, उनका मज़हब, मुल रूप से वही था, जिसे 'इस्लाम' कहते हैं, इसलिए कि यह एक ही अल्लाह का भेजा हुआ सन्देश बताया हुआ रास्ता था, सबका उद्देश्य भी एक ही था । ये सभी पैग़म्बर, बिना किसी अपवाद के, अल्लाह के भेजे हुए, चुने हुए रसूल थे, उसके भक्त और दास भी थे और अल्लाह ने अपनी वह्य और ग्रन्थों द्वारा उनका मार्गदर्शन किया था ।

नबियों की इस शृंखला में हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम आख़िरी पैग़म्बर थे और इस इमारत की आख़िरी ईंट थे ।

यह कोई अललटप कल्पना नहीं है, न कोई अटकल-पच्चू है, इस्लाम की दूसरी धारणाओं की तरह यह एक वैज्ञानिक तथा तार्किक तथ्य भी है ।

यहां कुछ प्रमुख पैग़म्बरों का उल्लेख करना उपयोगी ही होगा, जैसे हज़रत नूह, हज़रत इ़ब्राहीम, इस्माईल, मूसा, ईसा (अलैहि०) और हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैंहि व सल्लम । अल्लाह की शान्ति इन सब पर हो । कुरआन के शब्दों में मुसलमानों को आदेश इस तरह दिया गया है–'कह दो, हम ईमान लाए अल्लाह पर और उस चीज़ पर जो हमारी ओर उतारी गयी और उस चीज़ पर जो इब्राहीम, इस्माईल, इस्हाक़, याक़ूब और उनकी संतान की ओर उतारी गयी और जो मूसा और ईसा को दी गयी और जो दूसरे सभी नबियों को उनके रब की ओर से मिली, हम उनमें किसी के बीच अन्तर नहीं करते और हम उसी के आज्ञाकारी हैं । (2:136)

आज़ादी और मुक्ति की यह इस्लामी धारणा, अल्लाह के न्याय और अल्लाह के सामने हर व्यक्ति की अपनी जवाबदेही के सिद्धांतों पर आधारित है । यही स्वाभाविक भी है । हर व्यक्ति को अपना बोझ खुद उठाना चाहिए, और अपने कर्मों का खुद ज़िम्मेदार होना चाहिए, इसलिए कि कोई दूसरा किसी दूसरे के पाप का प्रायश्चित नहीं कर सकता । इस तरह एक मुसलमान यह मानता है कि हज़रत आदम से पहली ग़लती हुई थी, यह उनकी अपनी ज़िम्मेदारी थी कि उस ग़लती का वह प्रायश्चित करें । ये बातें कि अल्लाह आदम को क्षमा करने में असमर्थ था और उसके गुनाह के प्रायश्चित के लिए किसी और को तैयार किया था यह कि आदम ने क्षमा चाहने की दुआ नहीं की या दुआ तो की, लेकिन उसे स्वीकृति नहीं मिली, बहुत ग़लत और अल्लाह की कृपा-दया, न्याय और क्षमा करने के गुण और सामर्थ्य के बिल्कुल विपरीत है । यह कल्पित विचार सामान्य बुद्धि को खुली चुनौती और अल्लाह की धारणा का घोर तिरस्कार है ।

पुष्टि के लिए क़ुरआन की इन आयतों को भी पढ़िए– 'जिस किसी ने भलाई की, तो अपने लिए और जिस किसी ने बुराई की, तो उसका वबाल भी उसी पर पड़ेगा । तुम्हारा पालनहार बन्दों पर ज़ुल्म करने वाला नहीं ।' (41:46)

जो भला करेगा, अपना ही भला करेगा और जो बुरा करेगा, अपना ही बुरा करेगा । फिर तुम्हें अपने पालनहार की ओर पलटना होगा । (45:15)

माल का लालच और ईमान दोनों किसी बन्दे के दिल में हरगिज़ जमा नहीं हो सकते ।

मअ़रूफ़ी

मद्रासी होटल
मालवीय रोड
रायपुर (सी०जी०)
फोन : 0771-2539516,2236788

मद्रासी होटल
शॉप नं० 1-7
मोतीबाग़ चौपाटी, रायपुर
फोन : 0771-2533946, 5053603

ब्रह्माण्ड की रचना और क़ुरआन

■ सैयद वक़ार अहमद हुसैनी

ब्रह्माण्ड और जगत का स्रष्टा अल्लाह है और वही इसका संचालक, नियंता और अधिपति है । क़ुरआन में है–

क़ुरआन द्वारा प्रस्तावित–ईश्वर, ब्रह्माण्ड के आरंभक व सृजक के रूप में : अंतरिक्ष विज्ञान के अध्ययन का दायित्व ।

"क्या उन्होंने देखा नहीं कि अल्लाह जिस प्रकार पैदाइश का आरंभ करता है और फिर उसकी पुनरावृत्ति करता है ? निस्संदेह यह अल्लाह के लिए अत्यंत सरल है । कहो कि : धरती में चलो-फिरो और देखो कि उसने किस प्रकार पैदाइश का आरंभ किया । फिर अल्लाह पश्चात्वर्ती उठान उठाएगा । निश्चय ही अल्लाह को हर चीज़ का सामर्थ्य प्राप्त है ।" (क़ुरआन, 29:19-20)

"जिसने ऊपर तले सात आकाश बनाए । तुम रहमान की रचना में कोई असंगति और विषमता न देखोगे । फिर नज़र डालो : क्या तुम्हें कोई बिगाड़ दिखायी देता है ?

फिर दुबारा नज़र डालो । निगाह रद्द होकर और थक-हार कर तुम्हारी ओर पलट आएगी ।"

(क़ुरआन, 67:3-4)

"पूरब और पश्चिम अल्लाह ही के हैं, अत: जिस ओर भी तुम रुख़ करो उसी ओर अल्लाह का रुख़ है । निस्संदेह अल्लाह बड़ी समाई वाला (सर्वव्यापी), सर्वज्ञ है ।

कहते हैं : अल्लाह के औलाद है–महिमावान है वह ! (पूरब और पश्चिम ही नहीं, बल्कि) आकाशों और धरती में जो कुछ भी है, उसी का है । सभी उसके आज्ञाकारी हैं ।

वह आकाशों और धरती का प्रथमत: पैदा करने वाला है । वह तो जब किसी का निर्णय करता है, तो उसके लिए बस कह देता है कि "हो जा" और वह हो जाता है ।"

(क़ुरआन, 2:115-117, 6:100-102)

"यदि हम उन पर आकाश से कोई दूर खोल दें और वे दिन-दहाड़े उसमें चढ़ने भी लगें, फिर भी वे यही कहेंगे : "हमारी आँखें मदमाती हैं, बल्कि हम लोगों पर जादू कर दिया गया है ।

हमने आकाश में बुर्ज (तारा-समूह) बनाए और हमने देखने वालों के लिए उसे सुसज्जित भी किया । और हर फिटकारे हुए शैतान से सुरक्षित रखा । यह और बात है कि किसी ने चोरी-छिपे कुछ सुनगुन ले लिया तो एक प्रत्यक्ष अग्नि शिखा ने भी झपटकर उसका पीछा किया"– (15:14-18, 37:7, 41:12 एवं 15:17, 2:14)

"क्या उन्होंने आकाश और धरती को नहीं देखा, जो उनके आगे भी है और उनके पीछे भी ? यदि हम चाहें तो उन्हें धरती में धंसा दें या उन पर आकाश से कुछ टुकड़े गिरा दें । निश्चय ही इसमें एक निशानी है हर उस बन्दे के लिए जो रुजू करने वाला हो ।" (34:9)

मूल क्रिया 'ख़लक़' (उसने पैदा किया) और इससे निकले हुए शब्द क़ुरआन की अनेक आयतों में 200 से अधिक बार आये हैं । कुछ आयतों में 'यबदऊ' (पहली बार पैदा करता है) आया है, कुछ में 'फ़ातिर' (पहली बार शुरू करने वाला) है और पैदा करता है) आया है, कुछ में 'फ़ातिर' (पहली बार शुरू करने वाला) है और कुछ में 'बदीअ' शब्द है, जिसका अर्थ अनुपम स्रष्टा है । 950 से अधिक आयतों में अल्लाह के लिए (रब) (पालने वाला, बाक़ी रखने वाला और उत्तम व्यवस्था करने वाला आदि) शब्द आया है, जबकि अपनी विशिष्टताओं के साथ 'अल्लाह' शब्द लगभग 2700 बार आया है । यूं अल्लाह तआला का आकाशों और धरती के रचनाकार की हैसियत से किसी भी सूरत और पहलू से कदापि इन्कार नहीं किया जा सकता और न उसे नज़रअंदाज़ किया जा सकता है ।

अल्लाह तआला जगत का स्रष्ट है और वही अपने प्राकृतिक क़ानून का व्यवस्थापक है । एकवचन शब्द 'आयत' (34:9) से व्युत्पन्न शब्द क़ुरआन में लगभग 382 बार प्रयुक्त हुए हैं । 'आयात' (बहु०) का अर्थ निशानियां, संदेश, चमत्कार और क़ुरआन की आयतें हैं । अल्लाह की आयतों से अभिप्रेत भौतिक जगत के प्राकृतिक दृश्य, शक्तियां और क़ानून और साथ ही इनसे अभिप्रेत क़ुरआन की आयतों पर आधारित नैतिक क़ानून और मिसाली उसूल भी हैं । इनका अल्लाह के दृढ़ निश्चय और क़ानून की हैसियत से भी हवाला दिया जाता है (41:12)। अल्लाह की सुन्नत (तरीक़े) से तात्पर्य मानवीय स्वभाव या अल्लाह

Estd. : 1986

Ph. : 2226009

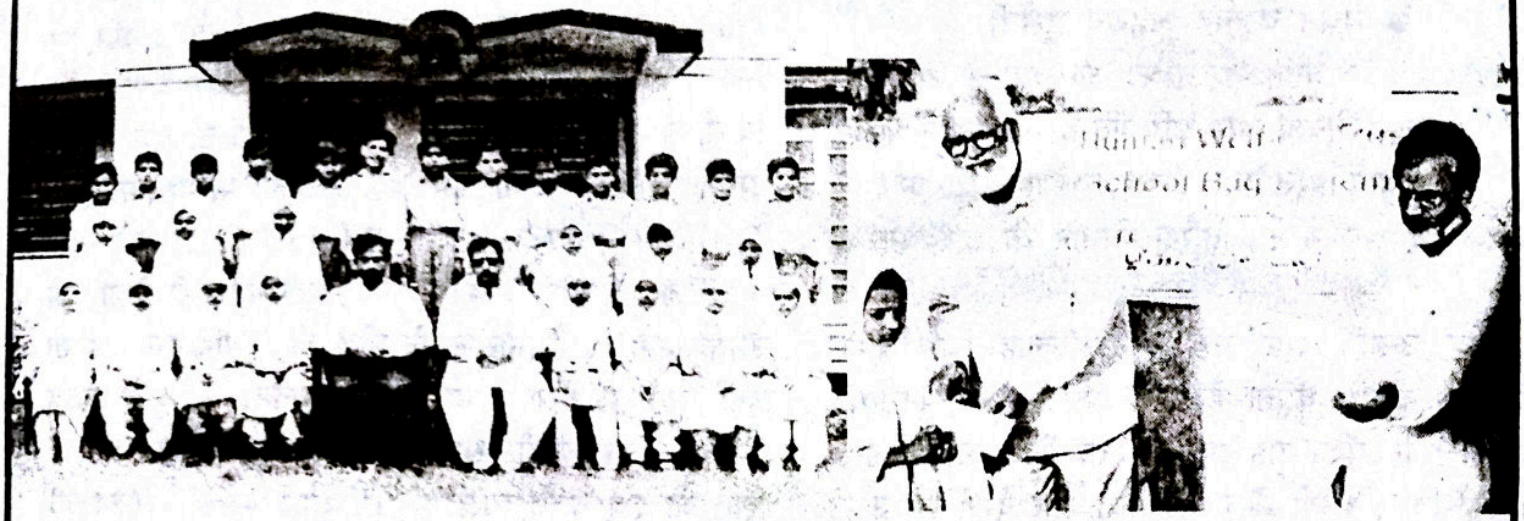

IQRA PUBLIC SCHOOL, GAYA

ENGLISH, URDU MEDIUM WITH C.B.S.E. CURRICULUM

IMPORTANT INFORMATION 2013

MATRIC
Result 100%
From
2002-2012
100% 1st Div.

- NCERT Syllable with Stress on Tarbiyah up to VI.
- Special arrangement for teaching of Quran, Islamiat, Urdu & Arabic.
- Basic Computer Education with grand Computer Lab.
- Science Lab. & Library facilities.

ACADEMIC SESSION	**- APRIL - MARCH**
Admission Start from	- December, 2012
Commencement of Classes	- 2nd April, 2013
Examination : Monthly Test	- Half Yearly (Sept.) Final (March)
Monthly Test	**- 20 of every Month**

REGISTRATION FORM MAY BE OBTAINED
☞ FROM COUNTER PAYING RS. 50/-

द्वारा उत्पन्न सच्ची प्रकृति एवं अल्लाह की रचना आदि का सेकुलरवादी और नास्तिक केवल 'प्रकृति' या प्राकृतिक क़ानून आदि की हैसियत से उनका उल्लेख करते हैं और हवाले देते हैं ।

उपरोक्त उद्धरित आयतों पर कई प्रश्न उठाये जा सकते हैं । वे कौन-से माध्यम और तरीक़े हो सकते हैं जिन्हें मानव को खगोलीय अध्ययन और अनुसंधान में भौतिक रूप में देखने, परीक्षण व प्रयोग करने में अपनाना चाहिए ? ब्रह्मांड की रचना और उसके विकास के बारे में जानकारी प्राप्त करने में दृष्टि, पर्यवेक्षण, धरती और अंतरिक्ष में यात्रा करने का और उनके अध्ययनों का समावेश और आवश्यकतानुसार नयी जानकारी की रोशनी में उन्हें हटाने के दूसरे साधनों की क्या भूमिका होगी ? मानव क्यों यह निर्णय कर सकता है कि ब्रह्मांड की रचना और उसकी क्रियाशीलता में कोई दोष नहीं है ? और मानव-ज्ञान की क्या क्षमताएं और सीमाएं हैं ? धरती पर गिरने वाले आकाश-पिंड क्या इनसे अभिप्रेत उल्कापिंड (Meteoroids) अर्थात लोहे और चट्टान के टुकड़े हैं जो धरती के वातावरण में प्रवेश करते हैं और वातावरण में उल्कापिंड की हैसियत से जलकर धूल-धूसरित हो जाते और जिनमें से कुछ उल्कापिंड पल्परों के रूप में धरती पर गिर जाते हैं ? क्या अंतरिक्ष में सितारों को घेरे हुए 'शोलों' से तात्पर्य गर्मी और विकिरण हैं ? और क्या चोरी-छिपे उन तक पहुंचने के विरुद्ध चेतावनी अनुसंधानकों की ओर से सचल अंतरिक्ष यात्राओं के लिए बुनियादी आवश्यक शर्तों को पूरा करने की ओर एक संकेत है जो जगत-सौंदर्य को देखना और उसके बारे में जानना चाहते हैं ? जगत की उत्पत्ति और इसकी समाप्ति से क्या अभिप्राय है ? आकाशों और धरती की रचना से पहले क्या था ? अंतरिक्षीय इकाइयों की रचना और इनके पैदा किये जाने से पहले पाये जाने वाले और अल्लाह की ओर से इनकी समाप्ति के समय पाये जाने वाले 'दुखान' (धुएं) से आख़िर क्या अभिप्राय है ? क्या अंतरिक्ष वैज्ञानिक और दूसरे वैज्ञानिक सभी अंतरिक्ष इकाइयों का पर्यवेक्षण कर सकते हैं ? और जो लोग अल्लाह द्वारा रचित जगत में सौंदर्य और उसकी पूर्णता (Perfection) को सराहते हैं, उन्हें अल्लाह के सच्चे बन्दे बनाने के लिए आख़िर क्या करना पड़ेगा ? आख़िर वे लोग कौन हैं जो भौतिक जगत की पूर्णता के प्रति साक्ष्य से अभिभूत नज़र आते हैं, लेकिन इसके बावजूद अल्लाह के अस्तित्व को स्वीकार करने और उसके नैतिक आदेशों व उद्देश्यों को पूरा करने से इन्कार करते हैं ?

अंतरिक्ष और ब्रह्मांड संबंधी विज्ञानों में भी इस्लामी वैज्ञानिक पद्धति लागू करने की मंशा यही है कि अल्लाह को धरती और आकाशों की हर चीज़ के आद्यक और स्रष्टा क हैसियत से स्वीकार किया जाए । प्रकृति और मानव गतिविधियों में उसके क़ानूनों के बारे में जानकारी प्राप्त की जाए और अल्लाह के नैतिक आदेशों के अनुसार उनका क्रियान्वयन किया जाए ।

ब्रह्मांड स्वयमेव उत्पन्न और स्थापित नहीं है । अल्लाह अपने एक आदेश 'कुन' (हो जा) से किसी भी मौलिक या नयी चीज़ को अस्तित्व प्रदान करता है । वह चीज़ों को उत्पन्न और पुनरोत्पन्न करता है । आकाश और धरती जैसे अब हैं, पहले मौजूद न थे, वे एक प्रकार के 'दुख़ान' (धुआं) थे (कुरआन, 41:11)। जब अल्लाह हमारे जगत या सौरमंडल को समाप्त करने के लिए 'क़ियामत' लाएगा तो वह इन्हें दुबारा 'दुख़ान' (धुआं) में परिवर्तित कर देगा (कुरआन, 44:10)।

ब्रह्मांड में एक सुव्यवस्थिता, क्रमबद्धता और संतुलन है । और इसमें नियमितता (Punctuality) और विधेयात्मकता है । इसके विपरीत इसमें कोई स्वच्छंदता और प्रतिफल होने वाले परिवर्तन नहीं है । सब कुछ सुव्यवस्थित है । अल्लाह द्वारा स्रष्ट हर चीज़ में तत्वदर्शिता, बुद्धिमत्ता, सौंदर्य, पूर्णता, उपयोगिता और नैतिक प्रयोजन सब कुछ मौजूद है । सूर्य और चन्द्रमा की गतियों का भी यही हाल है । साथ ही साथ बड़ी क़ौमों के पतनशील होने का भी यही मामला है, जो कि सामाजिक गतिशीलता के अल्लाह तआला के बताये हुए क़ानूनों का तोड़ती हैं । कुरआन में है–"तो तुम अल्लाह की नीति में कोई परिवर्तन न पाओगे और न तुम अल्लाह की रीति को कभी टलते ही पाओगे ।" (35:43)

अत: बौद्धिक ढंग से अंतरिक्ष विज्ञानों का अध्ययन इन्सान को इस तथ्य की ओर ले जाता है कि अल्लाह का अस्तित्व है, वह एक है और उसी के पास सर्वाधिकार है । अल्लाह ने जगत में उपस्थित सभी चीज़ों के क़ानून, नक्षत्रों और ग्रहों की गति के भी नियम बना दिये हैं । इनका मानवों पर कोई अधिकार नहीं है और वे मानवों से न्यून हैं और उनके वशीभूत हैं । ये इस्लामी एकेश्वरवाद या तौहीद: "एक, एकीकृत और समन्वित करने"–के सिद्धांत हैं ।

'तौहीद' सेकुलरिज़्म के साथ नहीं चल सकती जो जगत के स्रष्टा और रब (पालनहार) को नज़रअंदाज़ कर देती है। इसलिए सेकुलरिज़्म के अंतर्गत किसी भी विज्ञान या कला-कौशल को प्राप्त करने का प्रयास नहीं किया जाना चाहिए। अल्लाह का इन्कार करना और उसकी रचनाओं (मनुष्य आदि) पर उसके क़ब्ज़ा व अधिकार का इन्कार करना वास्तव में अल्लाह की शान में गुस्ताख़ी (धृष्टता), उसका अपमान और अनादर है।

इस प्रकार कुरआन, इस्लामी अंतरिक्ष विज्ञान और ब्रह्मांडशास्त्र (Cosmology) के बुनियादी दार्शनिक उसूल मुहैया करता है। यह मानव का एक इस्लामी कर्तव्य है कि वह जगत की उत्पत्ति व रचना के संबंध में कठिन और दुष्कर ब्रह्मांडीय जानकारियां प्राप्त करे। यद्यपि इस बात का उसे एहसास होना चाहिए कि बौद्धिक ज्ञान, समय और स्थान की सीमाओं और मानव-विचार की सापेक्षता के अधीन है। अल्लाह के आकाशों और धरती में मानव की शक्तियों के प्रभाव-क्षेत्र से परे बहुत-सी ऐसी चीज़ें हैं कि मानव उन्हें नहीं जानता और न ही कभी जानेगा। मानव को ज्ञान 'चुराने' का प्रयास नहीं करना चाहिए। जो चीज़ें जानने के योग्य और बोधगम्य नहीं हैं मानव को ग़लत साधनों का सहारा लेकर गुप्त (Occult) और तंत्र (Esoteric) विद्याओं या छद्म विज्ञानों के द्वारा उन्हें जानने का प्रयास नहीं करना चाहिए, जैसे ज्योतिषशास्त्र।

जब वह आकाशों या अंतरिक्ष में प्रवेश करता है तो मनुष्य को एक 'प्रत्यक्ष अग्निशिखा' (शिहाबुम-मुबीन-कुरआन 15:14-18) का सामना करना पड़ता है। तारे और तारा मंडल (बुर्ज) अल्लाह के द्वारा घिरे हुए हैं या संरक्षित हैं अग्निशिखा से। इसके बावजूद 'लिन-नाज़िरीन' (कुरआन, 15:16) अर्थात उन लोगों के लिए जो उन्हें देखते हैं या (उनके बारे में) ज्ञान प्राप्त करने के लिए बौद्धिक अनुसंधान का बीड़ा उठाते हैं रास्ते खुले हुए हैं। लेकिन यह काम सही तरीक़ों और उत्प्रेरकों के अंतर्गत ही किया जाना चाहिए और उसका सदुपयोग होना चाहिए। कुरआन की दूसरी आयतें अंतरिक्ष इकाइयों के नैतिक और उपयोगितावादी कार्यों को बयान करती हैं। ये कार्य हैं : प्रकाश और ऊर्जा पहुंचाना, रास्ता दिखाना या सही दिशा में मार्गदर्शन करना और समय की गणना और इसकी भविष्यवाणी करना आदि। अंतरिक्ष अध्ययनों को मानव का अल्लाह पर यक़ीन व ईमान लाने और कुरआन में दिये गये उसके नैतिक आदेशों के हमारे जीवन, समाज और सभ्यता में लागू करने की ओर मार्गदर्शन करना चाहिए। अंतरिक्ष विज्ञान को ज्योतिषशास्त्र के विकास हेतु इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अल्लाह की यातना के पात्र हैं वे लोग जो आकाशीय नक्षत्रों, ग्रहों आदि से अटकलबाज़ी करके ग़लत उद्देश्य से ग़लत ज्ञान द्वारा लोगों का भविष्य बताते हैं (कुरआन 67:5, 37:6-11)। वे अपराधी हैं गहनतम धोखाबाज़ी और मानवजाति को तबाही की तरफ़ ले जाने के लिए। वे ऐसा करके ज्ञान के बौद्धिक व नैतिक आधारों के प्रति अन्याय करते हैं।

कुरआन के पूर्व काल का अंतरिक्ष विज्ञान और ब्रह्मांडशास्त्र एवं कुरआन

पवित्र कुरआन के अवतरण से पहले, पहली हिजरी पूर्व (छठी शताब्दी ईसवी) के दौरान टोलेमी (Ptolemy) (दूसरी शताब्दी ईसवी) की पुस्तक 'अलमैजेस्ट' (Almagest) के द्वारा भू-केन्द्रिक सिद्धांत प्रस्तुत किया गया, जो अति प्रभावकारी था। वह एक स्कन्दरियाई अंतरिक्ष विज्ञानी था, जिसने दूसरी शताब्दी ई॰पू॰ के हिप्पारकस (Hipparchus) और यूडोक्स (Eudoxus) एवं अरस्तू (Aristotle) (चौथी शताब्दी ई॰पू॰) के विचारों को उन्नत किया। यह सिद्धांत यह सिखाता था कि ग्रह, सूर्य और चन्द्रमा एवं तारे, धरती के चारों ओर घूमते हैं। आरंभिक मुसलमानों ने 'अलमैजेस्ट' का अरबी में अनुवाद करा लिया था। उन्होंने इस धरती केन्द्रित सिद्धांत का विरोध किया था। बतलेमूसी मॉडल का सुधार किया था और ब्रह्मांड का सूर्य केन्द्रित विचार प्रस्तुत किया था, जिसमें ग्रहों का सूर्य के चारों और घूमने का सिद्धांत था। पोलैंड के वैज्ञानिक कॉपरनिक्स ने इस मुस्लिम मॉडल को उस समय सीखा और ग्रहण किया, जब वह इटली जाने के बाद इस्लामी अंतरिक्ष विज्ञान का छात्र बन गया था। दक्षिणी और पश्चिम यूरोप का एक बड़ा भाग सीधे तौर पर अरबी पुस्तकों के द्वारा और उनके लैटिन व

For Information On
City Shops, RoaosQ–Products, Restaurants, Magazine, Schools And much more.
Syed Shahbaz Alam Barvi
Business Development Director (09049185093)
Visit us:
www.shoppinglanes.com

दूसरी यूरोपीय भाषाओं में अनुवादों के द्वारा कई शताब्दियों से मुस्लिम विज्ञान और दर्शन सीख रहा था, उसे ग्रहण व आत्मसात कर रहा था । पश्चिमवासी इस मध्यकालीन इस्लामी मॉडल को आधुनिक अंतरिक्ष विज्ञान के सूत्रपात के रूप में देखते हैं और इसका जश्न मनाते हैं, लेकिन इसे कॉपरनिक्सी क्रांति (Copernican Revolution) नाम देते हैं । वे 1543 ई० में प्रकाशित कॉपरनिक्स की पुस्तक "Concerning the Revolutions of the Celestial Spheres" (आकाशीय पिंडों से संबंधित क्रांतियां) को ब्रह्मांड को समझने में पहली बड़ी सफलता प्राप्त करने कर श्रेय देते हैं ।

हिन्दू-बौद्ध भारत में पहली शताब्दी हिजरी पूर्व (छठी शताब्दी ईसवी) के दौरान अंतरिक्ष विज्ञान मिश्रित ज्योतिषशास्त्र सहित ज्ञान-मीमांसा की सीमाओं पर खड़ा था । उस काल के अति प्रभावशाली नाम आर्य भट्ट (जन्म 476 ई०), लाटदेव और वराहमिहिर (मृत्यु 587 ई०) हैं । वराहमिहिर ने गणित और अंतरिक्ष विज्ञान पर एक पुस्तक लिखी थी, जिसमें हिन्दू त्रिकोणमिति और ज्योतिषशास्त्र के साथ यूनानी ज्ञान संग्रहीत किया गया था । इस पुस्तक को उस काल की वैज्ञानिक रचनाओं में प्रमुख स्थान प्राप्त है, लेकिन वराहमिहिर की दूसरी पुस्तक 'वृहत जातक' दक्षिण एशिया में हिन्दू जन्म कुंडली पर आधारभूत उद्धरण की पुस्तक बन गयी ।

यहां सबसे महत्वपूर्ण बिन्दु ये हैं : सबसे पहला बिन्दु यह है कि पहली शताब्दी हिजरी (सातवीं शताब्दी ईसवी) में जगत और ब्रह्मांड के बारे में क़ुरआन मजीद में प्रस्तुत वैज्ञानिक वैश्विक दृष्टिकोण, यूरोप, उत्तरी अफ़्रीक़ा, पश्चिम एशिया और दक्षिण एशिया में प्रचलित उस समय के अति प्रभावकारी एवं स्वीकृत दृष्टिकोणों से बुनियादी तौर पर अलग था । बाद में प्रस्तुत किया गया दृष्टिकोण यूनानी, रूमी, स्कन्दरियाई, सीरियाई, सासानी या ईरानी, हिन्दू, बौद्ध और चीनी साइंस और सभ्यता का प्रतिनिधित्व करता था । अरब प्रायद्वीप के रहने वाले हज़रत मुहम्मद (सल्ल०), जो अनपढ़ थे उनको क़ुरआन में प्रस्तुत दृष्टिकोण का ज्ञान आख़िर कैसे हो गया जबकि अंतरिक्षीय और ब्रह्मांडीय शास्त्रों पर क़ुरआन के 'मार्गदर्शन' को हाल की शताब्दियों विशेषकर हाल के दशकों में धीरे-धीरे मालूम किया जाना था और उसकी पुष्टि की जानी थी । दूसरा बिन्दु यह है कि जहां तक दार्शनिक और धार्मिक बिन्दुओं का संबंध है, यूनानी, हिन्दू और दूसरे धर्मों में बहुदेववाद, प्रकृति पूजा, पौराणिकता आदि का प्रभाव था, यहूदियत और ईसाइयत अपनी 'तौहीद' (एकेश्वरवादी धारणा) खो चुके थे । ये सब ज्ञान-विज्ञान के क्षेत्र में अंधकार युग से गुज़र रहे थे । इस्लाम की अनुपम और अद्वितीय एकेश्वरवादी धारणा के साथ सभी जागतिक व्यवस्थाओं एवं प्रकृति की सभी शक्तियों तथा क़ानूनों का एक नियंत्रक और व्यवस्थापक होने का तथ्य क़ुरआन का एक आश्चर्यजनक प्रारूप था ।

समकालीन अंतरिक्ष विज्ञान और सिद्धांत

क़ुरआन हमें इस्लामी वैज्ञानिक दर्शन के सिद्धांत और कुछ बुनियादी तथ्य प्रदान करता है । हमारा ब्रह्मांड एक सुव्यवस्थित और योजनाबद्ध जगत है जो ईश्वर के क़ानूनों के अन्तर्गत चल रहा है । ये क़ानून मानवीय सीमाओं के अन्दर बोधगम्य और प्रतिपाद्य हैं । अंतरिक्ष विज्ञान और ब्रह्मांडशास्त्र के कुछ विषयों पर मानवीय जानकारी, दृष्टिगोचर तथ्य और प्रमाण्य निश्चितताओं (Provable Certainties) की सूरत इख़्तियार करने के बजाय सदैव 'सिद्धांतों और 'वैज्ञानिक कल्पनाओं' की शक्ल में रहेगा । जगत इतना विस्तृत और पेचीदा है कि मानव के लिए उसे जानना असंभव है ।

अल्लाह की निशानियां (आयात) और उसके तरीक़े (सुन्नत) का यह मतलब लेना कि वे प्राकृतिक क़ानून (Laws of Nature) आदि ही हैं, 'सेकुलर' विज्ञान और उनके वैज्ञानिक तरीक़े पर आधारित आधुनिक वैश्विक दृष्टिकोण से अनुकूलता रखता है । 'तौहीद' (एकेश्वरवाद) के मुक़ाबले में सेकुलरिज़्म के दोषों का उल्लेख पहले किया जा चुका है । जैसा कि पहले आ चुका है कि 'तौहीद' की धारणा एक एकत्व है जो स्रष्ठा की हैसियत से अल्लाह की धारणा को सृष्टि की कल्पना के साथ समन्वित करता है ।

आधुनिक विज्ञान का यह विश्वास है कि ब्रह्मांड किसी समय पैदा किया गया था और यह किसी समय समाप्त हो सकता है । यह सदा रहने वाला और अतीत व भविष्य में समयातीत नहीं है । इसकी कभी शुरुआत हुई थी और इसलिए एक दिन इसकी इन्तिहा भी आ जाएगी और यह समाप्त हो जाएगा । उदाहरण के रूप में ब्रह्मांड का अध्ययन इस बात पर विश्वास करने की ओर प्रेरित करता है कि जगत में सितारों के केन्द्र में कुछ अधिक घनत्व और तापमान क्षेत्र हैं और कुछ कम घनत्व और तापमान के क्षेत्र हैं । यह

भिन्नता इस बात की पुष्टि करती है कि जगत सदैव से नहीं है, बल्कि इसे भी पैदा किया गया था, क्योंकि यह बात तर्कपूर्ण है कि यदि जगत सदैव से होता, तब तो ताप और दबाव के संतुलन के अंतर्गत प्रत्येक स्थान पर इसमें समान घनत्व और ताप होना चाहिए था। इसी प्रकार रेडियो एक्टिव पदार्थ जैसे रेडियम और यूरेनियम का अस्तित्व भी इस बात का प्रमाण है कि जगत की उत्पत्ति हुई, क्योंकि रेडियो एक्टिव पदार्थों के बारे में यह देखा गया है कि वे अपनी बनावट के समय से ही एक नियमित मात्रा के साथ नष्ट होना प्रारंभ हो जाते हैं।

अंतरिक्ष वैज्ञानिकों का यह विश्वास है कि प्रचंड विस्फोट के साथ 10 से 20 अरब वर्ष पूर्व ब्रह्मांड का प्रारंभ हुआ था। इसे तकनीकी शब्दावली में 'बिग बैंग' (Big Bang) कहा जाता है। इससे पूर्व के ब्रह्मांड का सारा पदार्थ एक छोटे से धब्बे की शक्ल में दबा और भिंचा हुआ था। प्रचंड विस्फोट ने उसे उड़ाकर तमाम दिशाओं में फैला दिया। इस सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड अपने प्रारंभ के क्षण से फैलता जा रहा है। पहले पहल वह अधिकांशतः विकिरण पर आधारित था। उसका बड़ा भाग फैलने के दौरान ही पदार्थ में परिवर्तित हो चुका है। चूंकि सभी आकाशगंगाएं (नक्षत्रों, धूल और गैसों की एक व्यवस्था जो गुरुत्वाकर्षण के कारण परस्पर जुड़ी हुई रहती हैं) तीव्र गति के साथ एक-दूसरे से परे गतिशील हैं, इसलिए ब्रह्मांड के फैलने का केन्द्र बिन्दु होना चाहिए और इसी कारण स्वयं ब्रह्मांड का भी एक आरंभ होना चाहिए। प्रायः अनुसंधान यह संकेत करते नज़र आते हैं कि ब्रह्मांड सदा फैलता ही जाएगा, लेकिन कुछ अध्ययन इस बात की ओर संकेत करते हैं कि अंततः उसका फैलना रुक जाएगा और वह सिकुड़ने लगेगा। इन चीज़ों को ब्रह्मांड की उत्पत्ति, जीवन और मृत्यु से अभिहित किया जा सकता है।

यहां नक्षत्रों (सितारों) के जन्म और मृत्यु पर वैज्ञानिकों के विचारों से एक विशेष उदाहरण प्रस्तुत किया जा सकता है। सूर्य सहित सभी नक्षत्र निहारिका कहलाये जाने वाले गैसों और धूल के व्यापक बादलों से पैदा होते हैं। निहारिका के कुछ भाग सिकुड़ने लगते हैं और घनीभूत से और अधिक घनीभूत होते जाते हैं यहां तक कि उनके केन्द्र पर ताप इतना अधिक हो जाता है कि ताप-नाभिकीय प्रतिक्रियाएं प्रारंभ हो जाती हैं। उनके हाइड्रोजन, हीलियम में परिवर्तित होकर प्रकाश और ऊर्जा निकालने लगते हैं, इस प्रकार एक नक्षत्र जन्म लेता है। जब नक्षत्र अपने हाइड्रोजन का भंडार समाप्त कर देते हैं तो वे मानो मर जाते हैं। अनुमान किया गया है कि सूर्य और सौर मंडल की सभी चीज़ें 4.6 अरब वर्ष पुरानी हैं। सूर्य आने वाले 5 अरब वर्ष में अपने पूरे हाइड्रोजनी ईंधन को जला डालेगा और चमकना बन्द कर देगा।

उपरोक्त वर्णित और दूसरे सिद्धांत, ब्रह्मांडीय सिद्धांतों या वैज्ञानिक पूर्वानुमानों पर आधारित हैं। इस सिलसिले में स्पष्ट अनुभव यह है कि वैज्ञानिक स्वयं स्वीकार करते हैं कि दूर-दराज़ के नक्षत्रों के संबंध में वर्णित इतिहास गणनाओं पर आधारित निरे अनुमान हैं। इसलिए हमें ब्रह्मांड संबंधी सिद्धांतों के बारे में संदेह और अनिश्चितता की नीति बरक़रार रखनी चाहिए। साथ ही हमें मानवीय विचार की सापेक्षता और अविश्वसनीयता का अभिज्ञान होना चाहिए और हमें इस संबंध में उपरोक्त उल्लिखित क़ुरआन (9:34) की शिक्षा को स्वीकार कर लेना चाहिए। आकाशों और धरती के बारे में हम जो कुछ जानते हैं, वह उस चीज़ के सदृश है जो हमारे हाथों में है या उनके बीच है, और जो कुछ हम नहीं जानते और नहीं जान सकते उन सभी चीज़ों के सदृश है जो हमारे हाथों की हथेलियों से बाहर है और जो हमारे आगे है या हमारी पीठ के पीछे हैं।

ब्रह्मांड : ज्योतिषशास्त्र बनाम अंतरिक्ष विज्ञान

पवित्र क़ुरआन में शैतान से तात्पर्य कोई शक्ति, आवेग या व्यक्ति है जो सच्चाई और भलाई से विशेषकर अल्लाह और उसके क़ानून एवं नैतिक चीज़ों से बहुत दूर हो या उनका विरोध करता हो।

'रुजूम' (जिसका एकवचन रज्म है) का अर्थ वह चीज़ है जिसे फेंककर अंधाधुंध मारा जाता है जैसे पत्थर आदि। सांकेतिक रूप में इसका लाक्षणिक अर्थ है—किसी चीज़ को कल्पना का विषय बनाना या अललटप अनुमान से कोई बात कह देना।

ज्योतिष बनाम अंतरिक्ष विज्ञान पर क़ुरआन का मंतव्य

"हमने आकाश में बुर्ज (तारा-समूह) बनाए और उसे देखने वालों के लिए सुसज्जित भी किया, और हर फटकारे हुए शैतान से उसे सुरक्षित रखा, यह और बात है कि किसी ने चोरी-छिपे कुछ सुनगुन ले लिया तो एक प्रत्यक्ष अग्निशिखा ने भी झपटकर उसका पीछा किया। (15:16-18)

"हमने निकटवर्ती आकाश को दीपों से सजाया और उन्हें शैतानों के मार भागने का साधन बनाया और उनके लिए हमने भड़कती आग की यातना तैयार कर रखी है। जिन लोगों ने अपने रब के साथ कुफ़्र किया उनके लिए जहन्नम की यातना है और वह बहुत ही बुरा ठिकाना है। (67:5-6)

"वास्तव में तुम्हारा पूज्य प्रभु अकेला है। वह आकाशों और धरती और जो कुछ उनके बीच है, सबका रब है और पूर्व दिशाओं का भी रब है।"

"हमने दुनिया के आकाश को सजावट अर्थात तारों से सुसज्जित किया, (रात में मुसाफ़िरों को मार्ग दिखाने) और प्रत्येक सरकश शैतान से सुरक्षित रखने के लिए। वे (शैतान) "मलए आला" (फ़रिश्तों का प्रतिष्ठित समूह) की ओर कान नहीं लगा पाते और हर ओर से फेंक मारे जाते हैं भगाने-धुतकारने के लिए। और उनके लिए अनवरत यातना है। किन्तु यह और बात है कि कोई कुछ उचक ले, इस दशा में एक तेज़ दहकती उल्का उसका पीछा करती है।"

"अब उनसे पूछो कि उनके पैदा करने का काम अधिक कठिन है या उन चीज़ों का, जो हमने पैदा कर रखी है। निस्संदेह हमने उनको लेसदार मिट्टी से पैदा किया।" (37:4-11)

सूर्य, चन्द्रमा, दूसरे नक्षत्र और ग्रह, धरती एवं जो कुछ इनके ऊपर है, ये सब चीज़ें अल्लाह तआला ने इन्सान के लिए और उसकी सेवा (सख़्ख़र) के लिए पैदा की हैं और उसके लिए इन्हें वशीभूत कर दिया है। अल्लाह ने इन सबको अपने आदेश के द्वारा अपने क़ानूनों के अधीन कर दिया है और इन्सान का भी अधीनस्थ बना दिया है। ये पूरी आज्ञाकारिता के साथ अपने-अपने रास्तों पर चलते हैं। इनकी वैध गतिविधियां और इनका उपयोग यह है कि ये प्रकाश और ऊर्जा पहुंचाते हैं, यात्रा में मार्ग बताते और रहनुमाई करते हैं एवं अनेक उद्देश्यों के लिए इन्हें हिसाब-किताब का माध्यम बनाया जाता है आदि। इन तक पहुंचना भी संभव है, लेकिन जो ऐसा करते हैं उन्हें पता चलेगा कि ये आकाशीय पिंड (Heavenly Bodies) एक लपट (Flame) से घिरे हुए हैं जो बिधे हुए और 'बहुत स्पष्ट' हैं।

आकाशीय पिंडों को ज्ञान 'चुराने' के लिए नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। इसका अर्थ ज्योतिषशास्त्र के द्वारा भविष्य पर प्रभाव डालने का दावा करना और उसके बारे में भविष्यवाणी करना है। इस्लामी नीतिशास्त्र (Ethics) के अनुसार यह चीज़ ग़लत और अनौचित्यपूर्ण है। ज्योतिषी ईश्वरीय व्यवस्था का उल्लंघन करते हैं। इन्सान में नैतिक स्वतंत्रता और दायित्व विद्यमान है। वह नक्षत्रों की गतिविधि और ज्योतिषशास्त्र की दूसरी परिकल्पनाओं के आगे विवश नहीं है और न इनसे उसके भाग्य का निर्धारण होता है। इन्सान में यह क्षमता है कि वह ब्रह्मांड से अपनी सेवा ले सकता है। क़ुरआन में वर्णित सिद्धांतों के अनुसार ऐसा करना उसका कर्तव्य है। ज्योतिषी सत्य ज्ञान का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, वे तो केवल अंधाधुंध अटकलें लगाते हैं और जो बेचारे उनके जाने-बूझे झूठ और छल-कपट का शिकार हो

Prop : Abid Hussain
09413037652
09252235194

Shop : Mujahid Hussain
09214747172



कान्ति मार्बल हैंडीक्राफ्ट

सभी प्रकार के वन पीस और ज्वाइंट पीस चकलों के निर्माता व थोक विक्रेता, मार्बल के फव्वारे तथा टेबल, टेलीफ़ोन स्टेंड, नोजल लैंप, गमले, घड़ी व फैंसी आइटम

Shop : Hotel Moti Mahal, Manglana Road, Makrana-341505
Fact : Bypass Mor, Opp : Sai Kirpa Petrol Pump, Makrana Road, Borawad (Raj.)

जाते हैं उन्हें हानि पहुंचती है । ज्योतिषी ज्ञान की महत्ता को घटा देते हैं । यह सर्वमान्य है कि ज्ञान तथ्यों की सत्यता और ईश्वर द्वारा निर्मित एवं निर्धारित प्राकृतिक क़ानूनों पर आधारित होता है । ज्योतिषियों ने एक मिथ्या चीज़ को हुनर ठहरा दिया है और झूठ-फ़रेब ही को एक व्यवसाय बना लिया है । ज्योतिषशास्त्र, जिसके द्वारा जन्म-कुंडली बनायी जाती है और भविष्यवाणियां की जाती हैं, एक मानवता विरोधी चीज़ है, इसीलिए क़ुरआन इस कर्म की कड़ी निंदा करता है और इसे शैतानी कर्म ठहराता है ।

स्वयं आकाशीय पिंडों के भविष्य को जानने और उनके निर्धारण की उन शक्तियों से सुरक्षा की गयी है जिन्हें उनकी ओर संबद्ध किया जाता है । वे अल्लाह द्वारा रचित हैं और उसके आज्ञाकारी हैं । वे पूर्ण रूप से अल्लाह के भौतिक और अंतरिक्ष संबंधी क़ानूनों के अधीन हैं । मनुष्यों के विपरीत उन्हें कोई नैतिक स्वतंत्रता प्राप्त नहीं है ।

केवल अल्लाह ही भविष्य का अपने क़ानूनों के अनुसार निर्धारण करता है, जो प्रकृति, मानव और समाज सब पर प्रभाव डालता है । फिर भी कुछ ऐसे लोग हैं जो अल्लाह द्वारा निर्धारित मानवीय सीमाओं के भीतर भविष्य जो जान भी सकते हैं, उसका निर्धारण कर सकते हैं और भविष्यवाणी भी करते हैं । उनके गुणों और उनकी विशेषताओं को क़ुरआन में बयान किया गया है । ये वे लोग हैं जो ज्ञानवान हैं, उन्होंने विधिवत ज्ञानार्जन किया है और ये वे लोग हैं जो सही तौर पर और पूरी गंभीरता व निष्ठा के साथ सच्चे ज्ञान में गहराई और निपुणता रखते हैं, उन्हें क़ुरआन में 'रासिख़ून फ़िल इल्म (ज्ञान में गहराई और पहुंच रखने वाले) कहा गया है ।

वे अल्लाह की आयतों और क़ानूनों के बारे में अपने ज्ञान और अपनी तत्वदर्शिता (हिकमत) के आधार पर भविष्यवाणी कर सकते हैं । यूं अल्लाह के नैतिक और भौतिक क़ानून जो योग्य लोगों की ओर से क्रियान्वियत होते हैं एवं अल्लाह के इन्हीं क़ानूनों के द्वारा लोगों या क़ौमों के भाग्य का निर्धारण होता है । इसका निर्धारण नक्षत्र-परिभ्रमण से नहीं होता ।

ज्योतिषशास्त्र और अंतरिक्ष विज्ञान के बारे में क़ुरआन के अवतरण से पहले का दृष्टिकोण

ज्योतिषशास्त्र के अनुसार आकाश पिंड धरती पर घटित होने वाली बातों पर प्रभाव डालते हैं । वे ऐसे ढंग बताते हैं जो किसी व्यक्ति के चरित्र, लोगों के भविष्य और घटनाओं को प्रकट कर सकते हैं । संभवत: 2000 ईसा पूर्व में बेबीलोनिया (वर्तमान इराक़) में ज्योतिष विद्या का आरंभ हुआ । यहां के लोगों का यह विश्वास था कि पांच ग्रह (Planets) ऐसी शक्तियां निकालते हैं जो अनेक विशेषताएं रखती हैं । उनमें का एक ग्रह (मंगल Mars) जो उन्हें लाल नज़र आता था, उसे क्रोध, आक्रामकता और युद्ध से जोड़ दिया गया ।

ज्योतिषी एक वृत्ताकार चार्ट बनाते हैं जिसे जन्मकुंडली कहा जाता है । यह चार्ट प्राय: किसी भी व्यक्ति के जन्म के समय धरती और ग्रहों की स्थिति को बताता है । जन्मकुंडली के चार तत्व, धरती, ग्रह, राशिचक्र और कोष्ठक हैं । ज्योतिषी एक नक्षत्र और ग्रहों के बीच कोई अन्तर नहीं करते । वे धरती को सौर मंडल के केन्द्र में रखते हैं और यह विश्वास करते हैं कि धरती के हवाले से ग्रहों की स्थितियां किसी भी व्यक्ति के चरित्र और भविष्य को प्रकट करती हैं । राशि चक्र, नक्षत्रों का एक वृत्त में घेरे हुए है, उसको चिन्हों से अभिहित कर 12 समान भागों में बांट दिया गया है ।

उनकी यह धारणा है कि राशि चक्र के चिन्ह तय करते हैं कि ग्रह किस प्रकार एक व्यक्ति के चरित्र और उसके समस्त क्रियाकलाप को प्रभावित करते हैं । धरती की सतह को भी 12 भागों में विभाजित किया गया है । ये भाग जिन्हें कोष्ठक की संज्ञा दी गयी है, उनके बारे में यह मान लिया गया है कि वे किसी व्यक्ति के जीवन की विशेषताओं को प्रकट करते हैं । राशिचक्र का विकास संभवत: प्राचीन मिस्र में हुआ । बेबीलोन (वर्तमान इराक़) ने भी उसे ई॰पू॰ 1000 के बाद अपना लिया । ज्योतिषियों ने जन्म कुंडली बनाने की व्यवस्था को ई॰पू॰ 600-200 के दौरान विकसित किया ।

प्राचीन यूनानी और रोमी भी ज्योतिष विद्या को व्यवहार में लाते थे । उन्होंने इस विद्या को ख़ूब आगे बढ़ाया । भारत के वराहमिहिर (मृत्यु 587 ई॰) अपनी शताब्दी का सर्वाधिक प्रामाणिक और प्रभावशाली वैज्ञानिक था । उसकी पुस्तकें हिन्दू त्रिकोणमिति और ज्योतिषशास्त्र के साथ यूनानी ज्ञान की झांकी प्रस्तुत करती हैं, लेकिन इनमें ज्योतिष भी प्रचुर मात्रा में है । वराहमिहिर की पुस्तक 'वृहतजातक' ने हिन्दू न्यायिक ज्योतिषशास्त्र (Hindu Judicial Astrology)

अर्थात जो व्यक्तियों की जन्म कुंडली से बहस करता है और विरासती ज्योतिषशास्त्र अर्थात जो घटनाओं और संस्थाओं के भविष्य से बहस करता है, में बुनियादी पुस्तक का दर्जा प्राप्त कर लिया है ।

इस प्रकार आरंभिक पहली शताब्दी हिजरी (सातवीं शताब्दी ई०) में कुरआन के अवतरण से पहले अंतरिक्ष विज्ञान-जैसा कि आज हम उसे जानते हैं और ज्योतिषशास्त्र में कोई अन्तर नहीं किया जाता था । ये आपस में पूरी तरह गड्ड-मड्ड थे । अंतरिक्ष विज्ञान के उसूलों और उनके व्यावहारिक रूपों पर ज्योतिष शास्त्र छाया हुआ था ।

ज्योतिषशास्त्र और अंतरिक्ष विज्ञान के बीच समकालीन संबंध

आधुनिक विज्ञान ने ज्योतिषशास्त्र के बुनियादी उसूलों को ग़लत सिद्ध किया है । सौर मंडल का केन्द्र नहीं है । प्राचीनकाल से अब तक अंतरिक्ष में धरती की स्थिति बदल चुकी है, इसलिए राशिचक्र के चिन्ह उनके ग्रहों से मेल नहीं खाते, जिनके नाम पर उनको रखा गया है । यूं ज्योतिषशास्त्र का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है ।

ज्योतिषशास्त्र के वैज्ञानिक आधारों का इन्कार करते हुए आधुनिक विज्ञान ने पवित्र कुरआन की ज्योतिष-निंदा को पुष्ट किया है । इस सिलसिले में आधुनिक विज्ञान ने अंतरिक्ष विज्ञान के विकास और क्रियान्वयन में अंतरिक्ष पिंडों के प्रति कुरआनी तरीक़ों, उद्देश्यों और इस्तेमालों का अनुसरण किया है । फिर भी यह कहा जाता है कि ज्योतिषशास्त्र में दिलचस्पी और उसका इस्तेमाल वर्तमान काल में पिछले किसी भी ज़माने से कहीं अधिक है । विदित तथ्य है कि कुरआन में ही ज्योतिष पर सबसे बढ़कर पुरज़ोर हमले किये गये थे । ज्ञान-मीमांसा के आधार पर ज्योतिष का खंडन किया गया । क्योंकि वह सिरे से कोई ज्ञान-मीमांसा ही नहीं है, बल्कि वह केवल अटकल और अनुमान है और मात्र गोरखधंधा है । जगत के संबंध में कुरआन का यह दृष्टिकोण कि वह अल्लाह द्वारा पैदा की गयी है और उसी के भौतिक क़ानूनों के अंतर्गत उसकी व्यवस्था और उसका संचालन किया जा रहा है । इन क़ानूनों को जानने के तरीक़े और ज्ञानार्जन के लिए एवं उनके मूल्यांकन के लिए तार्किक व नैतिक प्रयास–यह सब कुछ ज्योतिष के विरोधी हैं । इस्लामी एकेश्वरवाद (तौहीद) अंतरिक्ष विज्ञान की ओर इन्सान का मार्गदर्शन करता है । दूसरे यह कि ज्योतिषियों को शैतान ठहरा कर उन पर प्रहार किया गया, क्योंकि वे ऐसे लोग हैं, जिनके विश्वास, प्रेरक और उद्देश्य एवं निष्ठा–सब कुछ निहित उद्देश्य के अनुसार ग़लत और जान-बूझकर तोड़े-मरोड़े हुए हैं । ज्योतिषशास्त्र को सत्य विरोधी कहा गया और 'कुफ़्र' ठहराया गया, जो ईश्वर का इन्कार करता एवं उसे रद्द कर देता है और साथ ही समन्वित कुरआनी तार्किक व नैतिक व्यवस्थाओं को अस्वीकृत कर देता है ।

सन्दर्भ

1. वे आयतें, जिनमें अल्लाह तआला के बारे में बताया गया है कि उसने आकाशों धरती आदि का पहली बार सृजन किया, उनमें कुरआन ये आयतें भी सम्मिलित हैं–10:4, 34, 12:76, 21:101-104, 27:64, 29:19, 20, 30:11, 27, 32:7 और 85:13 । केवल दो आयतें जिनमें अल्लाह तआला को आकाशों और धरती का 'बदीअ' (बिना नमूने के पैदा करने वाला) बताया गया है, वे 2:117 और 6:101 हैं । आयतें जिनमें अल्लाह तआला को ब्रह्मांड का 'फ़ातिर' (पहली व पैदा करने वाला) कहा गया है वे–6:14, 79, 12:101, 14:1, 30:30 और 35:1, 39:46 और 42:11 हैं ।

2. हवाले के लिए देखें–वर्ल्ड बुक इंसाइक्लोपीडिया 1981 'Astronomy', 'Copernicus', 'Cosmology', 'Su Ptolemy', 'Stars' और 'Universe' शीर्षक । साथ ही लेर की पुस्तक 'Islamic Science and Public Policies' देखें ।

3. कुरआन 14:33, 16:12, 29:61, 31:29, 35:13, 39:5, 7:54, 16:12, 14:33, 6:96, 55:5, 35:28, 26:197, 3:18, 16:27, 17:107, 22:54, 28:80, 29:49, 30:56, 34:6, 47:16, 58:11, 3:7 और 4:162

4. 'Astrology', World Book Encyclopedia 1981 और अन्य।

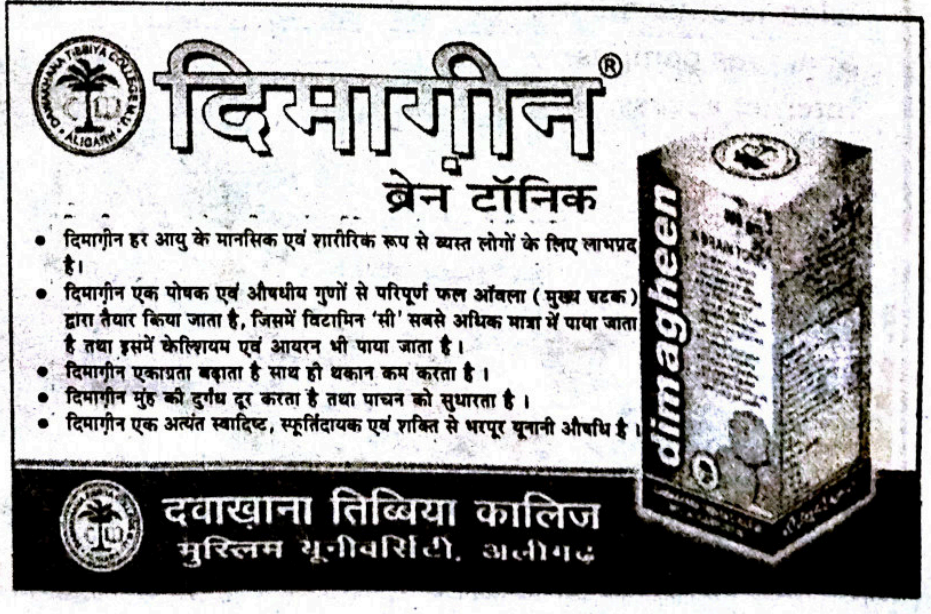

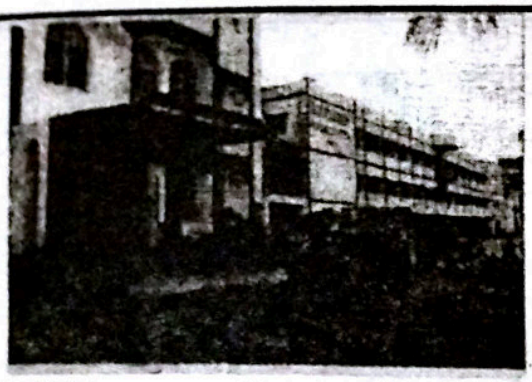

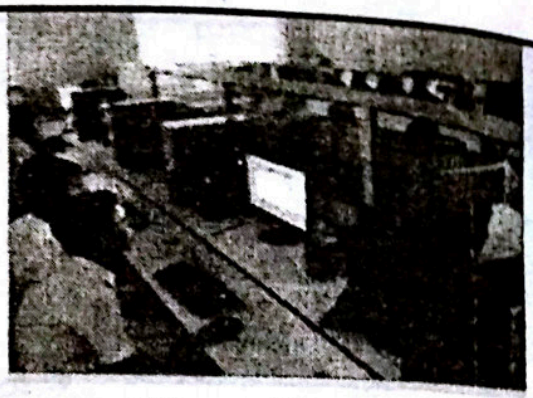

Shatabdi Public School

A Senoir Secondary School

AFFILIATED TO CBSE, DELHI AFF. No. 330113

Katari Hill Road, Gaya-823001 (Bihar) Ph. : 0631-2424301, 2221386

AIMS AND OBJECTIVES

To impart sound education with moral orientation.
To nurture and nourish creative talents of students along with formal education.
To help new generation to achieve all-round development to promote socialization of new generation in a plural society.
To prepare a new generation in order to face the challenges of the new 'Shatabdi'.

SPECIAL FEATURES

English medium with Sanskrit, Hindi, Urdu and Islamic.
Separate Sections for boys and Girls.
Well-equipped laboratories.
Hostel facility available.
Islamic atmosphere.
Spacious campus.
Internet access.
Rich library.



Registration for admission 2013 going on

इस्लाम में ज्ञान, बुद्धि एवं विवेक का महत्व

■ ज़हीर ललितपुरी

इस दौर में मुसलमानों के पिछड़ेपन, तबाही और बर्बादी की एक ख़ास वजह यह है कि वे अल्लाह की किताब क़ुरआन, उसके रसूल (सल्ल०) की ज़िन्दगी, दुनिया और कायनात में मौजूद तमाम चीज़ों के सही इल्म को नहीं समझते । जो लोग क़ुरआन की शिक्षाओं और रसूल (सल्ल०) के तरीक़े की जानकारी रखते हैं, उनमें से ज़्यादातर लोग दुनिया व कायनात के इल्म, नये दौर के विषयों और ज्ञान-विज्ञान की कमी की वजह से उस पर सही अमल नहीं कर पा रहे हैं । इसी प्रकार नये दौर के विषयों, ज्ञान, विज्ञान की जानकारी व अनुभव रखने वाले तथा नयी-नयी खोजें और नये-नये अनुसंधान करने वाले ग़ैर-मुस्लिम विद्वान, इस्लामी शिक्षाओं से दूर होने की वजह से, सही मायने में इन्सानियत को फ़ायदा नहीं पहुंचा पा रहे हैं, जबकि इस्लाम ने मज़हबी तालीम हासिल करने के साथ-साथ नये दौर के विषयों व ज्ञान-विज्ञान की शिक्षा हासिल करने, इस्लामी उसूलों की रोशनी में उनका इस्तेमाल करने तथा इन्सानियत की ख़िदमत करने की शिक्षा दी है ।

किसी भी इन्सान के लिए, ज्ञान, बुद्धि और विवेक के बग़ैर कामयाब ज़िन्दगी गुज़ारना बहुत कठिन है । ज्ञान के बिना बुद्धि और विवेक का कोई अर्थ नहीं और बुद्धि एवं विवेक के बिना ज्ञान अधूरा है । इस्लाम धर्म में इन तीन चीज़ों का बहुत महत्व है । इनके बग़ैर इस्लामी उसूलों और आदेशों को समझना और उनके मुताबिक़ अमल करना असंभव है । जिस तरह इन्सान को कोई काम करने के लिए उस काम की पूरी जानकारी की ज़रूरत होती है, उसी तरह उस जानकारी और इल्म के मुताबिक़ काम करने के लिए बुद्धि और विवेक की भी ज़रूरत होती है । अल्लाह के दीन पर चलने के लिए भी उसकी पूरी जानकारी हासिल करना और अक़्ल और हिकमत के साथ उस पर चलना ज़रूरी होता है । लेकिन एक रोशन सच्चाई यह भी है कि इस्लामी शिक्षाएं, आस्थाएं और विश्वास ही इल्म, अक़्ल और हिकमत रखने वालों को सही दिशा की तरफ़ ले जाते हैं ।

इसलिए एक तरफ़ जहां यह कहना सही है कि नये ज़माने के इल्म, ज्ञान-विज्ञान, तजुर्बे और उनकी रोशनी में काम करने वाली अक़्ल और हिकमत के बिना, इस ज़माने के हालात के मुताबिक़, इस्लामी शिक्षाओं को समझना, उनकी रोशनी में ज़िन्दगी गुज़ारना और इस्लामी जीवन व्यवस्था क़ायम करना मुश्किल है, तो दूसरी तरफ़ यह भी एक सच्चाई है कि क़ुरआन और हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) की शिक्षाओं व इस्लामी दृष्टिकोण पर आधारित ज्ञान, बुद्धि और विवेक ही इन्सान को सही रास्ता दिखा सकते हैं । हालांकि आधुनिक ज्ञान-विज्ञान, नयी-नयी खोजें, अवधारणाएं इन्सानियत के लिए एक सीमा तक फ़ायदेमन्द हैं लेकिन अगर उनको इस्लाम की रोशनी में समझा जाए और उनकी व्याख्या इस्लामी उसूलों और आस्थाओं की रोशनी में की जाए तो इन्सानियत को उनका और अधिक फ़ायदा हासिल होगा । बल्कि इस्लामी उसूलों की रोशनी में आधुनिक ज्ञान-विज्ञान, दर्शन और नये-नये आविष्कार हक़ीक़त में इन्सानियत को फ़ायदा पहुंचा सकेंगे । आख़िरी आसमानी किताब क़ुरआन और अल्लाह के आख़िरी नबी हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) की शिक्षाओं में इस संबंध में बहुत सारी नसीहतें और हिदायतें दी गयी हैं । अल्लाह तआला क़ुरआन में फ़रमाता है :

कोई इन्सान अल्लाह के हुक्म के बग़ैर ईमान नहीं ला सकता और अल्लाह का तरीक़ा यह है कि जो लोग अक़्ल से काम नहीं लेते वह उन पर गन्दगी डाल देता है । ...इनसे कहो कि ज़मीन और आसमानों में जो कुछ है उसे आंखें खोल कर देखो और जो लोग ईमान लाना ही नहीं चाहते उनके लिए निशानियां और नसीहतें आख़िर क्या फ़ायदेमन्द हो सकती हैं । (क़ुरआन, 10:100-101)

इन आयतों से ज़ाहिर है कि इन्सान की अक़्ल जो

उसके लिए अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, से काम न लेने वालों की अल्लाह की नज़र में क्या अहमियत है । इसके बिना एक इन्सान ईमान की दौलत से महरूम और अल्लाह की नाराज़गी का भी शिकार हो सकता है । अगली आयत में तो अल्लाह ने साफ़ तौर पर ज़मीन और आसमान में मौजूद तमामतर चीज़ों को आंख खोल कर देखने यानी उनके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हासिल करने का हुक्म दे दिया है । पुराने ज़माने में इन्सान को ज़मीन, आसमान और कायनात में मौजूद चीज़ों की जानकारी कम थी । हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) के दौर में इन्सान, इनके बारे में जानकारी हासिल करने के मामले में, काफ़ी आगे बढ़ चुका था । लेकिन आज का दौर तेज़ रफ़्तार तरक़्क़ी का दौर है । इन्सान ने इतनी तरक़्क़ी कर ली है कि दुनिया बहुत छोटी लगने लगी है । आसमान ज़मीन के क़रीब-सा आ गया है । लगातार इन्सान की कोशिशों के ज़रिये नयी-नयी जानकारियां और तजुर्बे हासिल हो रहे हैं । इन्सान की सोच, फ़िक्र और नज़रिये में बहुत फ़र्क़ आ गया है ।

ऐसे हालात में सदियों पुरानी सोच, की बुनियाद पर क़ुरआन की शिक्षाओं, उसूलों और हिदायतों व नसीहतों को समझना, समझाना और उन पर अमल करना आसान नहीं है और लकीर का फ़क़ीर होना भी ठीक महसूस नहीं होता । इसलिए वक़्त का तक़ाज़ा है कि नये ज़माने के ज्ञान-विज्ञान, जानकारियों और तजुर्बों की रोशनी में उनको समझा जाए । इस्लाम की नज़र में यह ग़लत भी नहीं है क्योंकि ख़ुद अल्लाह के रसूल (सल्ल०) ने फ़रमाया है :

''सुन रखो उस इबादत में कोई भलाई नहीं जिसमें तफ़क़ा यानी ग़ौर फ़िक्र न हो, और उस इल्म में कोई भलाई नहीं जिसमें समझ-बूझ नहीं और उस क़ुरआन ख़्वानी में कोई भलाई नहीं जिसमें तदब्बुर यानी अच्छे-बुरे व सही-ग़लत अंजाम की परख और समझ न हो ।''

ज़मीन और आसमानों में जो कुछ है, उसको इस दौर में आंखें खोलकर देखने का मतलब है, आजकल की जानकारियों और तजुर्बों की बुनियाद पर वजूद में आये नये इल्म और नये विषय जैसे फ़िज़िक्स, कैमिस्ट्री, बायॉलोजी, ज़ूलोजी, बोटनी, मेडिकल साइंस, कंप्यूटर और इन्फोर्मेशन टेक्नालोजी, प्रौद्योगिकी, सोशल साइंस, पर्यावरण विज्ञान, राजनीतिशास्त्र, अर्थशास्त्र, कॉमर्स, मनोविज्ञान आदि की शिक्षा हासिल करना । हम जानते हैं कि तरह-तरह के इन्सानों, वस्तुओं, घटनाओं और परिस्थितियों की गहरी समझ एवं अनुभव को बुद्धिमानी कहते हैं और इनका इन्सान की सोच, फ़ैसला करने की क्षमता और कार्य करने की योग्यता पर गहरा असर पड़ता है । इससे इन्सान की भावनाओं एवं उनकी प्रतिक्रिया के सम्वेग, गति और तीव्रता पर नियंत्रण रखने की अपेक्षा की जाती है ताकि निजी ज़िन्दगी से लेकर सामूहिक, सामाजिक, राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय जीवन व्यवस्था के सिद्धांतों, समस्याओं और परिस्थितियों की जानकारियों से इन्सानी अमल को निर्धारित किया जा सके । यानी इन्सान की क़ुदरती अक़्ल को, जिसके ज़रिये नुक़सान-फ़ायदे, सच्चाई-झूठ, अंधेरे-उजाले, अच्छाई-बुराई और उचित-अनुचित के अन्तर को समझा जा सकता है, विभिन्न प्रकार के ज्ञान-विज्ञान की जानकारी और अनुभव से और अधिक निखारा जा सकता है । इससे बढ़कर इन्सान की अक़्ल और इल्म को विवेक, हिकमत यानी समझ-बूझ और निर्णय-क्षमता का सही इस्तेमाल करके अनुशासित किया जा सकता है और उसके सही इस्तेमाल से इन्सान की ज़िन्दगी को एक हद तक ख़ुशहाल बनाया जा सकता है ।

इतिहास गवाह है कि इन्सान की ज़िन्दगी से संबंधित जो भी नीतियां, सिद्धांत और उसूल बनाये गये हैं वे अक़्ल, इल्म और हिकमत की बुनियाद पर बनते हैं । अब से पहले भी, इस्लामी जीवन व्यवस्था के अलावा जो जीवन व्यवस्थाएं

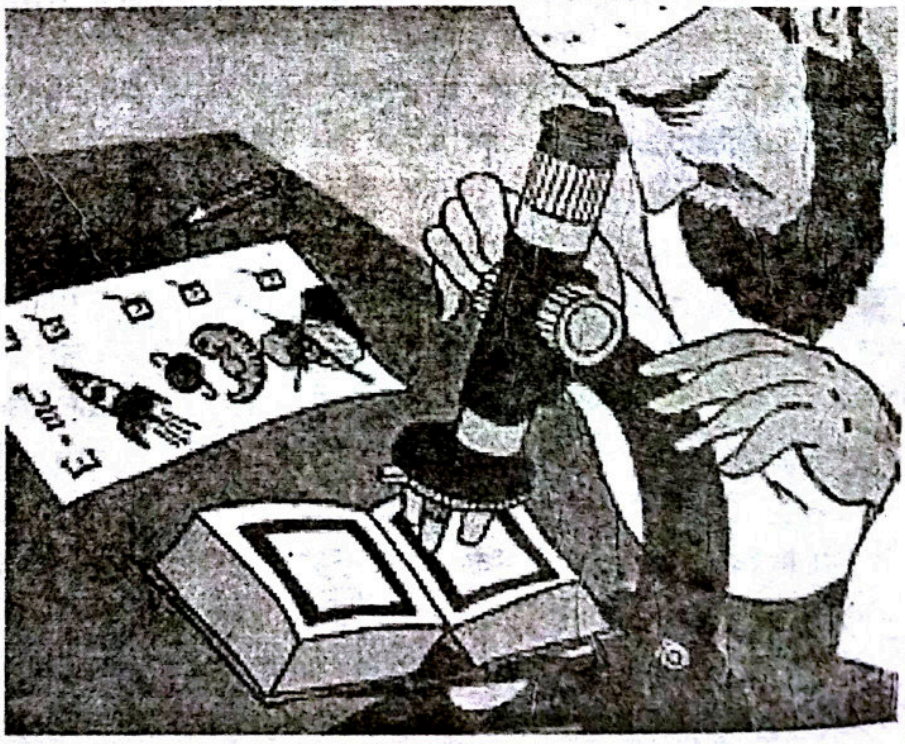

और ज़िन्दगी गुज़ारने के तरीक़े वजूद में आये उनमें अनुभव, ज्ञान-विज्ञान और उन पर आधारित दर्शन ने नयी-नयी राहें खोलीं । जिस तरह आज भी प्राचीन इतिहास, घटनाओं, जीवन व्यवस्थाओं, क्रांतिओं, धार्मिक, राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक आन्दोलनों को समझने व उनके अनुभवों से फ़ायदा उठाने के लिए उनकी विस्तृत जानकारी, अक़्ल और समझ-बूझ की ज़रूरत होती है, उसी तरह अल्लाह के दीन इस्लाम के उसूल और क़ुरआन में दी गयी शिक्षाओं, ऐतिहासिक घटनाओं और उसमें दिये गये अल्लाह के आदेशों व निर्देशों को समझने व उनके मुताबिक़ कामयाब ज़िन्दगी गुज़ारने के लिए इल्म, अक़्ल और हिकमत ज़रूरी है । चाहे अल्लाह की इबादत का मामला हो या इन्सानों की भलाई का मसला हो, चाहे इस्लामी उसूलों के मुताबिक़ इन्सान की निजी ज़िन्दगी गुज़ारने का मामला या सामाजिक ज़िन्दगी गुज़ारने का या सियासत, हुकूमत, तहज़ीब, ज़बान आदि के मामले हों, अगर इल्म और अक़्ल और हिकमत का इस्तेमाल नहीं किया जाए तो एक कामयाब इस्लामी ज़िन्दगी नहीं गुज़ारी जा सकती और न ही इस्लामी निज़ाम क़ायम हो सकता है ।

इस्लामी शिक्षाओं को अच्छी तरह से समझने, इस्लामी निज़ाम क़ायम करने के लिए जिद्दोजहद करने और अल्लाह की रज़ा हासिल करने के मक़सद से आज के ज़माने की शिक्षाएं हासिल करना, स्कूल, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में पढ़ना, लिखना और अध्ययन करना अल्लाह के आदेश का पालन करने के बराबर है और ये रवैया अल्लाह के दीन पर चलने में, इस्लामी शिक्षाओं को फैलाने में और इस्लामी जीवन व्यवस्था को क़ायम करने में और अधिक मददगार साबित हो सकता है । यह अल्लाह पर ईमान का तक़ाज़ा, सच्ची अक़्लमंदी और हिकमत है । क़ुरआन की शिक्षाओं के अनुसार अगर किसी इन्सान को ऐसी अक़्लमंदी और हिकमत की दौलत मिल जाए तो वह कामयाब और ख़ुशक़िस्मत है, वह दुनिया में भी कामयाब हो सकता है और मरने के बाद आख़िरत में भी । क़ुरआन में फ़रमाया गया है :

"अल्लाह बड़ी समाई वाला, सर्वज्ञ है । वह जिसे चाहता है तत्वदर्शिता प्रदान करता है और जिसे तत्वदर्शिता प्राप्त हुई, उसे बड़ी दौलत मिल गयी । किंतु चेतते वही हैं जो बुद्धि और समझ वाले हैं ।" (क़ुरआन, 2:268-269)

"साबित क़दम रहो और उन लोगों के तरीक़े की पैरवी न करो जो इल्म रखते ।" (क़ुरआन, 10:89)

इस तरह हम निशानियां खोल-खोलकर बयान करते हैं उन "लोगों के लिए जो सोचने-समझने वाले हैं ।"
(क़ुरआन, 10:42)

जिस तरह क़ुरआन की बेशुमार आयतों में इल्म, अक़्ल और हिकमत की अहमियत पर रोशनी डाली गयी है उसी तरह अल्लाह के रसूल (सल्ल०) की हदीसों में भी इल्म, अक़्ल और हिकमत की अहमियत पर रोशनी डाली गयी है । अतएव रसूल (सल्ल०) ने फ़रमाया–

"अल्लाह जिसके लिए बेहतरी का इरादा फ़रमाता है उसको दीन में तक़फ़ा यानी सूझ-बूझ अता करता है ।"

"लोगों में सबसे बेहतर वो है जो अमल के एतिबार से बेहतर है बशर्ते कि दीन में समझ-बूझ रखते हो ।"

"इल्म हासिल करो चाहे इसके लिए तुम्हें चीन जाना पड़े ।"

हालांकि ऊपर लिखी आयतों और हदीसों से ख़ासकर ऊपर लिखी सूरा यूनुस की आयत 101 से यह भी ज़ाहिर होता है कि जो लोग अल्लाह पर ईमान नहीं लाना चाहते उनके लिए निशानियां, शिक्षाएं, ज्ञान-विज्ञान की जानकारी कभी फ़ायदा नहीं पहुंचा सकतीं । क्योंकि ईमान के बिना इन्सान उनका सही इस्तेमाल नहीं कर सकता बल्कि उनके ग़लत इस्तेमाल का ख़तरा ज़्यादा है । अगर हम आंख उठाकर देखें तो ईमान की कमी की वजह से इस दौर के बड़े-बड़े ज्ञानी, दार्शनिक, वैज्ञानिक और बुद्धिजीवी इन्सानियत को फ़ायदा पहुंचाने के बजाय नुक़सान पहुंचा रहे हैं । अगर इस दौर के ज्ञानी, दार्शनिक, वैज्ञानिक, बुद्धिजीवी और रहनुमा, आधुनिक ज्ञान-विज्ञान से, माडर्न रिसर्च, प्रयोग और नये-नये अनुसंधानों और आविष्कारों से, अवधारणाओं और संस्थापनाओं से इन्सानियत की सच्ची सेवा करना चाहते हैं तो उनके लिए इस्लामी आस्थाओं और विश्वास की अवधारणाओं को समझना ज़रूरी है । ईमान की बुनियाद पर इस्लामी शिक्षाओं की रोशनी में अपनी अक़्ल, इल्म और हिकमत का इस्तेमाल करके, वे अपनी कोशिशों से ख़ुद को व इन्सानियत को सच्चा फ़ायदा पहुंचा सकते हैं ।

इस्लाम-परिचय
हिन्दी वेबसाइटें
www.quranhindi.com
www.islamdharma.org
www.islamicwebdunia.com
www.islamic-videos.com

अच्छे व्यवहार की शिक्षा

■ मौलाना सैयद जलालुद्दीन उमरी

समाज में जो भी व्यक्ति सेवा का हक़दार हो उसकी सेवा होनी चाहिए । इस्लाम ने यह भी बताया है कि सेवा और अच्छे व्यवहार के प्राथमिक अधिकारी कौन हैं । इन्सान को मां-बाप, बाल-बच्चों और निकटतम संबंधियों से स्वाभाविक रूप से प्रेम होता है । वह उनसे एक विशेष हार्दिक संबंध महसूस करता है, इसी कारण उनकी सेवा को अपना नैतिक कर्तव्य समझता है, परंतु समाज के अन्य लोगों के साथ इस प्रकार का भावनात्मक लगाव उसके अन्दर नहीं होता, अत: उनके साथ उसका व्यवहार भी भिन्न होता है । इस्लाम इन्सानों के बीच संबंधों के प्रकार, उनके पदों और श्रेणियों को पूरी तरह ध्यान में रखता और उनके अधिकारों का निर्धारण करता है ।

इसके साथ उसकी शिक्षा यह है कि इन्सान मात्र उन्हीं व्यक्तियों की सेवा करने को अपना कर्तव्य न समझे जिनसे उसका ख़ून का संबंध है, बल्कि वह उन लोगों के साथ भी अच्छा व्यवहार करे जिनसे उसका कोई रिश्ता-नाता नहीं है । उसकी सेवा और सद्व्यवहार का क्षेत्र उसके घर और परिवार से आगे बढ़कर समूचे समाज तक फैल जाए । वह संपूर्ण मानवजाति को अपना परिवार समझकर उसकी सेवा के लिए खड़ा हो जाए । कुरआन की सूरा 'निसा' की एक आयत अति संक्षिप्त रूप में बताती है कि वे कौन लोग हैं जो सेवा और अच्छे व्यवहार के अधिकारी हैं और जिनसे ग़फ़लत और लापरवाही नहीं बरती जा सकती । वह आयत यह है :

"और अल्लाह ही की बन्दगी करो और उसके साथ किसी को साझी न ठहराओ । और अच्छा व्यवहार करो मां-बाप के साथ और नातेदारों, अनाथों, मुहताजों, नातेदार पड़ोसियों के साथ और उन पड़ोसियों के साथ जो अजनबी हों, और पास के व्यक्ति के साथ और साथ के मुसाफ़िरों के साथ और उन (लौंडी-गुलामों) के साथ जो तुम्हारे अधिकार में हों । निस्संदेह अल्लाह किसी ऐसे व्यक्ति को पसन्द नहीं करता जो इतराने वाला और डींग मारने वाला हो ।" (4:36)

इस आयत में हालांकि समाज के उन समस्त कमज़ोर और वंचित वर्गों का उल्लेख नहीं है जिनकी सेवा करने की कुरआन ताकीद करता है, परन्तु इससे उसके सहानुभूतिपूर्ण तथा प्रेम से भरे हुए व्यवहार को समझने में सहायता मिलती है । यहां हम इस आयत की संक्षिप्त व्याख्या करेंगे, लेकिन इससे पहले यह बात स्पष्ट कर देना उचित होगा कि कुरआन ने 'सेवा' के लिए 'एहसान' का पारिभाषिक शब्द प्रयोग किया है ।

यह बड़ा व्यापक शब्द है जो सेवा के सभी पहलुओं पर हावी है । इसमें ढाढ़स, सहानुभूति, प्रेम, आवश्यकताओं का पूरा करना तथा किसी को उसके अधिकार से अधिक देना आदि सब कुछ आ जाता है ।

मां-बाप के साथ अच्छा व्यवहार

कुरआन में एक अल्लाह की इबादत का आदेश देने के पश्चात इन्सानों के साथ अच्छे व्यवहार की हिदायत की गयी है । इस विषय में सबसे पहले मां-बाप का उल्लेख किया गया है–

"मां-बाप के साथ अच्छा व्यवहार करो ।" (4:36)

मां-बाप की सेवा की शिक्षा दुनिया के प्रत्येक धर्म ने दी है । कुरआन मजीद में एक-दो नहीं, बल्कि अनेक स्थानों पर अल्लाह की इबादत के पश्चात मां-बाप के साथ अच्छे व्यवहार का आदेश दिया गया है । इसमें यह संकेत है कि इन्सान पर सबसे अधिक उपकार अल्लाह तआला के हैं । उसके बाद मां-बाप के उपकार हैं । इन्सान का अस्तित्व, उसका जन्म, पालन-पोषण, देखभाल, शिक्षा-दीक्षा तथा उसके आर्थिक एवं नैतिक विकास आदि में मां-बाप अधिक भागीदार होते हैं । यदि वे ध्यान न दें तो वह उन्नति नहीं कर सकता, बल्कि उसका अस्तित्व ही ख़तरे में पड़ सकता है । अशिक्षित से अशिक्षित तथा दरिद्र मां-बाप भी संतान के लिए जो कुरबानी देते हैं, इन्सानी समाज में इसका कोई दूसरा उदाहरण नहीं दिया जा सकता । उनके उपकारों में अल्लाह तआला के उपकारों की झलक दिखायी पड़ती है ।

अल्लाह की इबादत वास्तव में उसके उपकारों के प्रति कृतज्ञता-प्रकाशन है । मां-बाप का स्थान चूंकि अल्लाह के बराबर नहीं है । अत: उनकी उपासना तो नहीं की जा

सकती, परंतु उनके साथ अच्छा व्यवहार करना अनिवार्य है । यही उनके उपकारों के प्रति कृतज्ञता प्रकाशन है । कुरआन ने अल्लाह तआला के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने का भी आदेश दिया है और मां-बाप के प्रति कृतज्ञता दिखाने की भी हिदायत की है–

"मेरे प्रति कृतज्ञ हो और अपने मां-बाप के प्रति भी । मेरी ही ओर पलटकर आना है ।" (31:14)

वर्तमान सभ्यता ने पारिवारिक व्यवस्था को छिन्न-भिन्न करके रख दिया है । इसके साथ वे उच्चतम नैतिक मूल्य भी समाप्त होते जा रहे हैं जो इस व्यवस्था से संबद्ध थे, इसका बड़ा बुरा प्रभाव वृद्ध मां-बाप पर पड़ा है । आज यत्नपूर्वक इस बात पर विचार किया जा रहा है कि साठ-सत्तर वर्ष के इन बूढ़ों का क्या किया जाए जो हमारे लिए बेकार हो चुके हैं । जब वे भविष्य के निर्माण में सहयोगी नहीं हैं तो उनका भार कब तक सहन किया जाए ?

हालांकि जिन बूढ़ों के विषय में इस प्रकार सोचा जाता है उन्होंने वर्तमान पीढ़ी को तथा अपनी संतान को उस समय नदी में नहीं फेंक दिया जबकि वह उनके हाथों में विवश और लाचार थी और उनकी दया एवं कृपा के सहारे जी रही थी, बल्कि उन्होंने उसे अपने जिगर का ख़ून पिलाकर पाला-पोसा और जीवन के क्षेत्र में दौड़-धूप के योग्य बनाया । कुरआन ने विशेष रूप से बुढ़ापे में मां-बाप के साथ अच्छा व्यवहार करने की ताकीद की है :

"यदि उनमें से कोई एक या दोनों तुम्हारे सामने बुढ़ापे को पहुंच जाएं तो तुम उन्हें 'उफ़' तक न कहो और न उन्हें झिड़को, बल्कि उनसे भली प्रकार बात करो और दयालुता और नर्मी के साथ उनके सामने झुककर रहो, और दुआ करो : ऐ रब ! जिस तरह इन्होंने बचपन में दया और प्रेम से मेरा पालन-पोषण किया है, तू भी इन पर दया कर ।" (17:23-24)

नातेदारों के साथ अच्छा व्यवहार

कुरआन में कहा गया है–"और नातेदारों के साथ अच्छा व्यवहार करो ।"

कुरआन ने मां-बाप के तुरंत बाद नातेदारों का ज़िक्र यहां भी किया है और अन्य स्थानों पर भी । इसमें इस बात की ओर संकेत है कि मां-बाप के बाद सबसे अधिक हक़ नातेदारों का है । मां-बाप ही से नातेदारों की नातेदारी पैदा होती है । अतः आधार तो वही हैं, फिर जो व्यक्ति उनसे जितना क़रीबी संबंध रखता है उसका हक़ भी उतना ही बढ़ जाता है । नातेदारों के साथ अच्छा व्यवहार 'सिला रहमी' (ख़ून के रिश्तों को जोड़े रखना और प्रेम करना) है । कुरआन ने इसकी बड़ी ताकीद की है । एक स्थान पर अल्लाह के प्रियजनों की विशेषताएं इस प्रकार बयान की गयी हैं :

"(और उनकी नीति यह होती है कि) अल्लाह ने जिन-जिन नातों को जोड़े रखने का आदेश दिया है उन्हें जोड़े रखते हैं, अपने रब से डरते हैं और इस बात से डरते हैं कि कहीं उनसे सख़्त हिसाब न लिया जाए ।" (13:21)

नातेदारों से अच्छा व्यवहार से पूरा सामाजिक जीवन आनन्दमय बन जाता है । जहां यह ख़ूबी न हो वहां सामाजिकता में बिगाड़ आ जाता है । इसी कारण नातेदारों से अच्छे व्यवहार का बड़ा महत्व बताया गया है ।

हज़रत सुलैमान बिन आमिर (रज़ि॰) अल्लाह के रसूल (सल्ल॰) से रिवायत करते हैं कि आपने फ़रमाया :

"किसी ऐसे मुहताज को (जिससे नाता न हो) सदक़ा (दान) देना केवल एक सदक़ा है, लेकिन वही सदक़ा किसी संबंधी को दिया जाए तो यह सदक़ा भी है और सिलारहमी (नातेदारों से अच्छा व्यवहार) भी ।"

(तिरमिज़ी, नसई)

अभिप्राय यह कि नातेदारों पर ख़र्च करना दुगुने सवाब (पुण्य) का कारण है । एक पहलू से यह एक सामान्य सदक़ा है जिस प्रकार अन्य सदक़े हैं । दूसरे पहलू से यह नातेदारों के साथ अच्छा व्यवहार भी है और सिलारहमी भी ।

यह एक वास्तविकता है कि इन्सान अपने नातेदारों से स्वाभाविक रूप से निकटता महसूस करता है । इसी के साथ यह भी एक हक़ीक़त है कि कुछ रिश्तों में बड़ी कोमलता पायी जाती है । साधारण-सी घटनाओं से वैमनस्य पैदा हो जाता है और संबंध बिगड़ने लगते हैं । हदीस में कहा गया है कि इन संबंधों को बिगड़ने न दिया जाए और उन्हें क़ायम रखने का हर संभव प्रयत्न किया जाए । अच्छा व्यवहार इसका एक बेहतर तरीक़ा है ।

हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि॰) की रिवायत है कि अल्लाह के रसूल (सल्ल॰) ने फ़रमाया :

"नाता जोड़ने वाला (सिलारहमी करने वाला) वह नहीं

है जो नातेदारों से उस समय नाता जोड़े जबकि वे भी उसके साथ अच्छा व्यवहार करें, बल्कि वास्तव में नाता जोड़ने वाला तो वह है जो उस समय नातों को जोड़े जबकि वे टूट जाएं।" (बुख़ारी, अबू दाऊद)

हज़रत अबू हुरैरा (रज़ि॰) की रिवायत है कि एक व्यक्ति ने अल्लाह के रसूल (सल्ल॰) से कहा कि "मेरे कुछ नातेदार हैं। मैं तो उनसे नाता जोड़ता हूं, परन्तु वे मुझसे नाता तोड़ते हैं। मैं उनसे अच्छा व्यवहार करता हूं और वे मेरे साथ बुरा व्यवहार करते हैं, मैं उन्हें माफ़ करता हूं परन्तु वे मेरे साथ घटिया व्यवहार करते हैं।" आपने यह सुनकर फ़रमाया : "यदि तुम्हारा व्यवहार ऐसा ही है जैसा कि तुमने बयान किया है तो मानो तुम उनके मुंह में गर्म राख भर रहे हो और जब तक तुम्हारा यह व्यवहार बना रहेगा अल्लाह की ओर से एक मददगार तुम्हारे साथ रहेगा।" (मुस्लिम)

अनाथों (यतीमों) के साथ अच्छा व्यवहार

मां-बाप और नातेदारों का हक़ सबसे ऊपर है। उनके साथ अच्छे व्यवहार का आदेश देने के बाद समाज के अन्य मुहताजों, ज़रूरतमन्दों और कमज़ोरों के साथ सद्व्यवहार का आदेश दिया गया है। इस विषय में सबसे पहले अनाथों और मुहताजों का ज़िक्र किया गया है जो समाज के सबसे कमज़ोर वर्ग होते हैं। क़ुरआन में है–"और अनाथों और मुहताजों के साथ अच्छा व्यवहार करो।" (2:177)

जिस मासूम बच्चे के सिर से उसके बाप की छाया उठ जाए, वह उस ख़ुलूस, प्रेम और ध्यान से वंचित हो जाता है जो उसके पालन-पोषण, शिक्षा-दीक्षा तथा प्राय: आर्थिक विकास और स्थिरता के लिए बुनियादी महत्व रखता है। इसलिए यह समाज की ज़िम्मेदारी है कि उसकी आवश्यकताएं पूरी करे और उसे बाप से वंचित होने का एहसास न होने दे।

समाज द्वारा उपेक्षा और बेपरवाई से इतना ही नहीं कि उसका पालन-पोषण ठीक ढंग से नहीं होगा और वह शारीरिक रूप से दुर्बल होगा, बल्कि उसका उचित मानसिक एवं वैचारिक प्रशिक्षण भी नहीं हो सकेगा। आश्चर्य नहीं कि ऐसे क्रूर एवं निर्दयी समाज के विरुद्ध उसके अन्दर विद्रोह की भावना पनपने लगे और वह एक अच्छा नागरिक बनने के स्थान पर पूरे समाज के लिए हानिकारक सिद्ध हो।

क़ुरआन और हदीस में अनाथों के पालन-पोषण, देखभाल, शिक्षा-दीक्षा, उनकी संपत्ति की रक्षा और उनके अधिकारों की पूर्ति पर बार-बार ज़ोर दिया गया है।

हज़रत अबू हुरैरा (रज़ि॰) बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल (सल्ल॰) ने फ़रमाया :

"अनाथ का भरण-पोषण करने वाला, चाहे वह उसका हो या किसी दूसरे का (नातेदार हो अथवा अपरिचित) वह और मैं जन्नत में इस प्रकार क़रीब होंगे जैसे मेरी ये दो उंगलियां।" (मुस्लिम)

हदीस के उल्लेखकर्ता इमाम मालिक ने तर्जनी (शहादत) और बीच की उंगली को आपस में मिलाकर दिखाया। (मुस्लिम)

अनाथ अपनी कमज़ोरी और नासमझी के कारण अपने वैध अधिकारों की भी रक्षा नहीं कर पाता। उसके अधिकारों को छीनना हर एक के लिए आसान होता है। क़ुरआन ने ऐसे लोगों को कठोर दंड की धमकी दी है :

"निश्चय ही वे लोग जो यतीमों के माल ज़ुल्म से खाते हैं, वे तो अपने पेट आग से भरते हैं, और वे अवश्य जहन्नम की भड़कती हुई आग में डाले जाएंगे।" (4:10)

इस्लाम पूरे समाज पर यह ज़िम्मेदारी डालता है कि वह यतीमों के न केवल पालन-पोषण की व्यवस्था करे, बल्कि उन्हें दयावान, संयमी, सुशील और शरीफ़ इन्सान बनाने में सहायता करे ताकि वे समाज पर बोझ और मुसीबत बनने के बजाए उसके लिए संपत्ति और साधन बन सकें।

मुहताजों के साथ अच्छा व्यवहार

अनाथों के साथ मुहताजों का भी उल्लेख किया गया है। मुहताज से अभिप्राय समाज के उन लोगों से है जो शारीरिक असमर्थता और आर्थिक परेशानियों के कारण अपनी बुनियादी आवश्यकता पूरी करने में असमर्थ हैं। शारीरिक असमर्थता भी आर्थिक दौड़-धूप में बाधक बनती है और धन का अभाव भी। इस्लाम चाहता है कि इस बाधा को दूर किया जाए और जो लोग आर्थिक परेशानियों में घिरे हुए हों उनकी हर संभव सहायता की जाए, ताकि उनकी आवश्यकताएं पूरी हों और उन्हें आर्थिक स्थिरता प्राप्त हो। क़ुरआन और हदीस में दरिद्रों और मुहताजों के साथ अच्छे व्यवहार और उनके नैतिक तथा क़ानूनी अधिकारों का बार-बार उल्लेख किया गया है। एक स्थान पर आदेश है :

"तो नातेदार को उसका हक़ दो, और मुहताज और (ज़रूरतमंद) मुसाफ़िर को (उसका हक़), यह उत्तम है उनके लिए जो अल्लाह की ख़ुशी चाहते हैं और वही

कामयाब होने वाले हैं ।" (30:38)

मुहताज प्राय: भीख मांगने वाले को कहा जाता है । भीख मांगना लाचारी और दरिद्रता का लक्षण नहीं है । जिन लोगों की यह बुरी आदत बन जाती है वे बिना किसी लाचारी के भी भीख मांगते हैं । उन्हें मुहताज नहीं, मुहताजों जैसे रूपवाला कहना चाहिए । इसके विपरीत कुछ लोग अधिक ज़रूरतमंद होते हैं, लेकिन उनका स्वाभिमान और आत्मसम्मान उन्हें इस बात की अनुमति नहीं देता कि वे किसी के सामने हाथ फैलाएं । कुरआन की शिक्षा यह है कि इस प्रकार के वास्तविक ज़रूरतमंदों को देखा जाए । विशेष रूप से उन लोगों को जो दीन (धर्म) की सेवा में लग जाने के कारण आर्थिक दौड़-धूप नहीं कर सकते । उनके विषय में कुरआन में है :

"उनके स्वाभिमान के कारण बेख़बर उन्हें धनवान समझता है । तुम उनके चेहरों से उनको पहचान सकते हो । वे लोगों से चिमट-चिमटकर नहीं मांगते ।" (2:273)

इस आयत की व्याख्या हज़रत अबू हुरैरा की एक रिवायत से होती है । वे कहते हैं कि अल्लाह के रसूल (सल्ल०) ने फ़रमाया :

"मुहताज वह नहीं है जो लोगों के सामने हाथ फैलाये मांगता फिरे, जिसे तुम दो-एक निवाले (या खाने की कोई चीज़) या एक-दो छुहारे दे देते हो, बल्कि मुहताज तो वह है जो बुनियादी आवश्यकताओं की सामग्री न होने के बावजूद इस प्रकार रहता है कि उसकी हालत का पता नहीं चलता कि उसे सदक़ा या दान दिया जाए, और न ही वह खड़ा होकर किसी से मांगता है ।" (बुख़ारी, मुस्लिम)

इस प्रकार समाज के उन शरीफ़ और सम्मानित व्यक्तियों की सहायता की ओर ध्यान दिलाया गया है जिनकी आर्थिक परेशानियों की जानकारी बड़ी मुश्किल से ही होती है और जो सबसे अधिक सहायता के अधिकारी होते हैं ।

पड़ोसियों के साथ अच्छा व्यवहार

कुरआन की सूरा निसा की आयत 36 में पड़ोसियों की सेवा और उनके साथ अच्छा व्यवहार करने की हिदायत इस प्रकार दी गयी है :

"नातेदार पड़ोसियों, अजनबी पड़ोसियों और पास बैठने वालों के साथ अच्छा व्यवहार करो ।" (4:36)

इन्सान जिन लोगों के बीच रहता है और जो उसके पड़ोसी हैं और जिनसे वह अपने सामाजिक और आर्थिक जीवन में अलग-थलग नहीं रह सकता उनके अधिकार, स्पष्ट है कि उन लोगों से अधिक हैं जिनसे उसका इस प्रकार का संबंध नहीं होता । यहां पड़ोसियों के तीन प्रकार बताये गये हैं । एक वह जो पड़ोसी होने के साथ नातेदार भी हैं, दूसरा वह जो केवल पड़ोसी है और तीसरा वह जिसका संयोग से या कभी-कभी साथ हो जाता है जैसे यात्रा में, कार्यालय में, स्कूल और कॉलेज में, कारख़ाना और फैक्ट्री में, व्यापार और कारोबार में । जिन लोगों के साथ इस प्रकार का साथ हो वे भी एक प्रकार के 'पड़ोसी' हैं । पड़ोसियों के साथ अच्छे व्यवहार का महत्व संसार के समस्त धर्मों ने बताया है । परन्तु इस्लाम ने पड़ोसियों के साथ सद्व्यवहार ही की शिक्षा नहीं दी, बल्कि पड़ोसी होने का इतना व्यापक विचार दिया कि संसार में इसका कोई उदाहरण नहीं मिलता । उसने कहा कि इन्सान के साथ किसी भी प्रकार का थोड़ी-बहुत देर के लिए भी साथ हो जाए तो उसका हक़ क़ायम हो जाता है । यदि यह संपर्क स्थायी हो तो उसका हक़ भी बहुत अधिक बढ़ जाता है ।

हज़रत आइशा (रज़ि०) और हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि०) दोनों से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल (सल्ल०) ने फ़रमाया :

"जिबरील (अलैहि०) मुझे पड़ोसी के साथ अच्छे व्यवहार की इतनी ताकीद करते थे कि मैं सोचने लगा कि वे उत्तराधिकार (विरासत) में उसे भागीदार बना देंगे ।"

(बुख़ारी, मुस्लिम)

इस्लाम केवल इतना ही नहीं चाहता कि पड़ोसी को किसी प्रकार का कष्ट न पहुंचे, बल्कि वह यह भी चाहता है कि उसकी आर्थिक, नैतिक, हर प्रकार की सहायता की जाए और उसके साथ अत्यंत शालीनता का व्यवहार अपनाया जाए ताकि समाज का हर व्यक्ति इस विश्वास और इत्मीनान के साथ जीवन बिताये कि वह शुभचिंतक लोगों के बीच रह रहा है, जिनसे उसे कभी कोई कष्ट नहीं पहुंचेगा, वे किसी भी आड़े समय में उसकी सहायता के लिए दौड़ पड़ेंगे और उसके दुख-दर्द में भाइयों की भांति काम आएंगे । इस मामले में इस्लाम की शिक्षाओं की महत्ता का अनुमान निम्नलिखित दो हदीसों से हो सकता है :

अबू सईद खुज़ाई (रज़ि०) कहते हैं कि अल्लाह के रसूल (सल्ल०) ने तीन बार फ़रमाया :

"ख़ुदा की क़सम ! वह व्यक्ति मोमिन नहीं । ख़ुदा की क़सम ! वह व्यक्ति मोमिन नहीं । ख़ुदा की क़सम ! वह व्यक्ति मोमिन नहीं ।" पूछा गया :'कौन ?' आप (सल्ल०) ने फ़रमाया : "वह व्यक्ति जिसके कष्टदायक कामों से उसका पड़ोसी सुरक्षित न हो ।" (बुख़ारी, मुस्लिम)

इस हदीस में पड़ोसी को कष्ट पहुंचाने और दुख देने को ईमान के विरुद्ध ठहराया गया है । एक अन्य हदीस में हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास (रज़ि०) कहते हैं कि मैंने अल्लाह के रसूल (सल्ल०) को फ़रमाते सुना :

"वह व्यक्ति मोमिन नहीं है जो स्वयं तो पेट भरकर खाये और उसका पड़ोसी उसके निकट ही भूखा पड़ा रहे ।" (मिश्कात, बैहक़ी)

इससे पता चलता है कि ईमान की पहचान ही यह है कि आदमी का पड़ोसी उसकी वजह से शांति का अनुभव करे और वह उसके दुख-दर्द और कठिनाइयों में काम आये ।

यात्रियों के साथ अच्छा व्यवहार

इसके बाद इब्नुस्सबील यानी यात्रियों (मुसाफ़िरों) का ज़िक्र है । अपरिचितों और यात्रियों की सेवा को सदा ही पुण्य और सवाब का काम समझा गया है, उनके लिए सराएं बनायी गयीं और उनके खाने-पीने और आराम व राहत का प्रबंध किया गया । अब सेवा की भावना समाप्त हो गयी है और इन चीज़ों का स्थान बड़े-बड़े भव्य होटलों ने ले लिया है । इन होटलों से न तो हर व्यक्ति के लिए फ़ायदा उठाना आसान है और न ही यात्रियों के सारे मसले हल होते हैं । जो व्यक्ति वतन से दूर और यात्रा की स्थिति में हो उसे अनेक कठिनाइयां पेश आ सकती हैं । रुपये-पैसे का न होना, स्वास्थ्य का बिगड़ जाना, निवास एवं भोजन की उचित सुविधा का न होना, कारोबार तथा अन्य आवश्यकताओं के लिए भाग-दौड़ में कष्टों का सामना करना आदि एक सामान्य-सी बात है । यदि यात्रा विदेश की हो तो व्यक्ति अन्तर्राष्ट्रीय नियमों के तहत कुछ अन्य प्रकार की परेशानियों में घिर सकता है ।

इस पहलू से देखा जाए तो आज के युग में यात्रा की समस्याएं पहले से अधिक विस्तृत और जटिल हो गयी हैं । इस्लाम पूरे समाज की यह ज़िम्मेदारी ठहराता है कि वह ऐसे तमाम अवसरों पर यात्री के साथ अच्छे से अच्छा व्यवहार करे, ताकि वह अपने को अपरिचित महसूस न करे और जिस उद्देश्य के लिए उसने घरबार और वतन छोड़ा था वह यात्रा के कष्टों के कारण पूरा होने से न रह जाए ।

ग़ुलामों और आश्रितों के साथ अच्छा व्यवहार

जो लोग सेवा और अच्छे व्यवहार के अधिकारी हैं उनमें ग़ुलामों और अधीन लोगों को विशेष रूप से शामिल किया गया है । अल्लाह का फ़रमान (आदेश) है :

"और उन ग़ुलामों के साथ अच्छा व्यवहार हो ।" (4:36)

क़ुरआन अवतरित होने के शताब्दियों पहले से ग़ुलामी की प्रथा थी । ग़ुलामों के साथ पशुओं से भी बुरा व्यवहार किया जाता था और उनके कोई अधिकार नहीं थे । क़ुरआन ग़ुलामी को समाप्त करना चाहता है, इस विषय में उसने जो प्रयास किये हैं यहां उन पर वार्ता करने का अवसर नहीं है, केवल इतना कहना है कि उसने इस बारे में प्रथम प्रयास यह किया कि ग़ुलामों, आश्रितों और अधीनों के अधिकार निश्चित किये हैं और उनके साथ अच्छे व्यवहार की ताकीद की है । इस विषय से संबंधित बहुत-सी हदीसों में से यहां केवल एक हदीस प्रस्तुत की जा रही है ।

हज़रत अबू ज़र (रज़ि०) की रिवायत है कि अल्लाह के रसूल (सल्ल०) ने फ़रमाया :

"ये ग़ुलाम तुम्हारे भाई हैं, जो ख़ुद खाओ वही इनको खिलाओ और जो ख़ुद पहनो वही इनको पहनाओ । इनकी शक्ति व सामर्थ्य से अधिक इनसे काम न लो । यदि इन पर शक्ति से अधिक बोझ डालो तो उसके उठाने में इनकी सहायता करो ।" (बुख़ारी, मुस्लिम)

ग़ुलामों और आश्रितों के प्रति अच्छे व्यवहार का आदेश देने के बाद अंत में आदेश दिया :

"निस्संदेह अल्लाह किसी ऐसे व्यक्ति को पसन्द नहीं करता जो घमंडी है और डींगें मारता है ।" (4:36)

इस आयत में 'मुख़्ताल' और 'फ़ख़ूर' दो शब्द आये हैं । यद्यपि ये दोनों शब्द समानार्थी हैं, परन्तु फिर भी इनमें थोड़ा-सा अन्तर है । 'मुख़्ताल' वह व्यक्ति है जिसके कामों से घमंड का प्रदर्शन हो । 'फ़ख़ूर' उस व्यक्ति को कहा जाता है जो शेख़ी बघारता और अपनी बड़ाई बयान करता फिरे और डींग मारे । तात्पर्य यह कि अल्लाह तआला उस व्यक्ति को बहुत नापसन्द करता है जिसकी कथनी और करनी से घमंड और अभिमान प्रकट होता हो । घमंड इन्सान

को अल्लाह की इबादत और बन्दों की सेवा, दोनों ही से रोकता है। जबकि इन दोनों विशेषताओं के कारण ही इन्सान की इन्सानियत बाक़ी रहती है, वरना वह पशु से भी नीचा हो सकता है।

नैतिक शिक्षा के साथ क़ानूनी सुरक्षा भी

एक बात नोट करने की यह है कि यहां मां-बाप, नातेदारों, दरिद्रों, मुहताजों और समाज के अन्य कमज़ोर व्यक्तियों तथा वर्गों के साथ अच्छे से अच्छा और उत्तम से उत्तम व्यवहार करने की शिक्षा दी गयी है। यह शिक्षा मक्का से मदीना तक कुरआन उतरने की पूरी अवधि में निरंतर जारी रही। इस प्रकार समाज में एक-दूसरे के साथ सहानुभूति और प्रेम की भावना निरंतर पैदा की गयी और कमज़ोरों, उपेक्षितों और हक़दारों के अधिकार पहचानने और उनके साथ अच्छा व्यवहार करने की लगातार प्रेरणा दी जाती रही, फिर एक विशेष चरण में इस्लाम ने इन सबके अधिकार निर्धारित किये और क़ानूनी सुरक्षा प्रदान की, ताकि कोई व्यक्ति किसी कमज़ोर पर अत्याचार न कर सके और कोई हक़दार अपने अधिकार पाने से वंचित न रहे।

मज़दूरों के अधिकार

हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) ने फ़रमाया इन्सान की वह रोज़ी सबसे ज़्यादा पवित्र (पाकीज़ा) है जो उसने अपने हाथ से मेहनत करके कमायी है। हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) ने फ़रमाया : उससे बेहतर कोई खाना नहीं जो आदमी अपने हाथ से कमा कर खाता है। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम अपने हाथों से रोज़ी कमाते थे।

हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) ने फ़रमाया : इस संसार में जितने भी संदेष्टा आये हैं सबने बकरियां चरायी हैं। सहाबा-ए-किराम ने पूछा : ऐ अल्लाह के रसूल (सल्ल०)! आप भी फ़रमाया : हां। मैं भी कुछ कीरात (मुद्रा का नाम) के बदले मक्का के वासियों की बकरियां चराया करता था। (बुख़ारी)

इस्लाम की इन तालीमात का अर्थ यह है कि जो भी व्यक्ति मेहनत करके रोज़ी कमाता है और मेहनत करके अपना घर बार चलाता है वह समाज का एक सम्मानीय व्यक्ति है, कोई भी मज़दूरी करने वाला इस्लाम की नज़र में सम्माननीय है, अर्थात उसे इज़्ज़त की निगाह से देखता है।

بسم الله الرحمن الرحيم

"जिस आदमी की यह ख़्वाहिश हो कि ख़ुदा उसको क़ियामत के दिन की घुटन और ग़म से बचाए, तो उसे चाहिए कि तंगदस्त क़र्ज़दार को मोहलत दे या क़र्ज़ का बोझ उसके ऊपर से उतार दे।"

(हदीस)

Dr. S. A. Azmi Sb.

Flat No. 203, Gulshan Vihar Apartments,
Alam Ganj, Patna-7

ज्ञानार्जन का महत्व

अल्लाह ने इन्सान को अपनी बन्दगी के लिए पैदा किया है, अतः इबादत करने का बहुत बड़ा सवाब है । लेकिन इल्म सीखना ज़्यादा बड़े सवाब का काम है ।

अल्लाह के रसूल हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) ने फ़रमाया–"इल्म की फ़ज़ीलत, इबादत की फ़ज़ीलत से ज़्यादा है ।" (वज्जार)

थोड़ा-सा इल्म बेहतर है, उस इबादत से जो जहालत के साथ हो । अतः हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) का क़ौल है–"ऐ अबू ज़र (रज़ि०) सुबह होते ही तुम अल्लाह की किताब से एक आयत सीख लो, यह उससे बेहतर है कि तुम एक हज़ार रकअतें अदा करो ।" (इब्ने माजा)

जाहिलों की इबादत की मिसाल ऐसी है जैसे–दो दोस्त हैं, उनमें से एक जाहिल है । वह अपने दोस्त को फ़ायदा पहुंचाना चाहता है और उसकी नीयत भी नेक है, लेकिन अपनी जाहिलियत की वजह से वह अपने दोस्त को नुक़सान पहुंचा बैठता है ।

जबकि जो अह्ले इल्म होते हैं, उनकी रोशन बसीरत उनके लिए राह हमवार करती है और बेहतरीन रहनुमाई करती है, चाहे–उनके आमाल कम हों ।

अल्लाह के रसूल हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) फ़रमाते हैं–"एक आलिम को आबिद पर वही फ़ज़ीलत हासिल है जो मुझे तुममें से एक आम आदमी पर हासिल है ।"

(तिरमिज़ी)

एक रिवायत में है कि आलिम को आबिद पर सत्तर दर्जा फ़ज़ीलत हासिल है । ऐसा इसलिए है कि शैतान लोगों के अन्दर बिदअतें ईजाद करता है, तो आलिम उसे देख लेता है, जबकि जाहिल आबिद उस बिदअत की तरफ़ तवज्जो नहीं दे पाता है, और अपनी इबादत में लगा रहता है ।

इसी प्रकार दीन की दावत देने के लिए इल्म होना आवश्यक है एक आलिम काफ़िर को दीन की दावत देने के लिए तरह-तरह की दलीलें पेश कर सकता है, जबकि जाहिल कितना ही बड़ा आबिद हो, वह काफ़िर को किसी भी प्रकार से समझा नहीं पाएगा कि वह ईमान ले आये ।

इरशाद बारी तआला है–"ये मिसालें हम लोगों को समझाने के लिए देते हैं, मगर इनको वही लोग समझते हैं जो इल्म रखने वाले हैं ।" (कुरआन, 29:43)

"(क्या इस व्यक्ति की नीति अच्छी है या उस व्यक्ति की) जो आज्ञाकारी है, रात की घडियों में खड़ा रहता है और सजदे करता है, आख़िरत से डरता और अपने रब की दयालुता से आस लगाता है ? इनसे पूछो, क्या जानने वाले और न जानने वाले दोनों कभी एक समान हो सकते हैं ? नसीहत तो अक़लमन्द ही क़बूल करते हैं ।"

(कुरआन, 39:9

● अ० अहमद

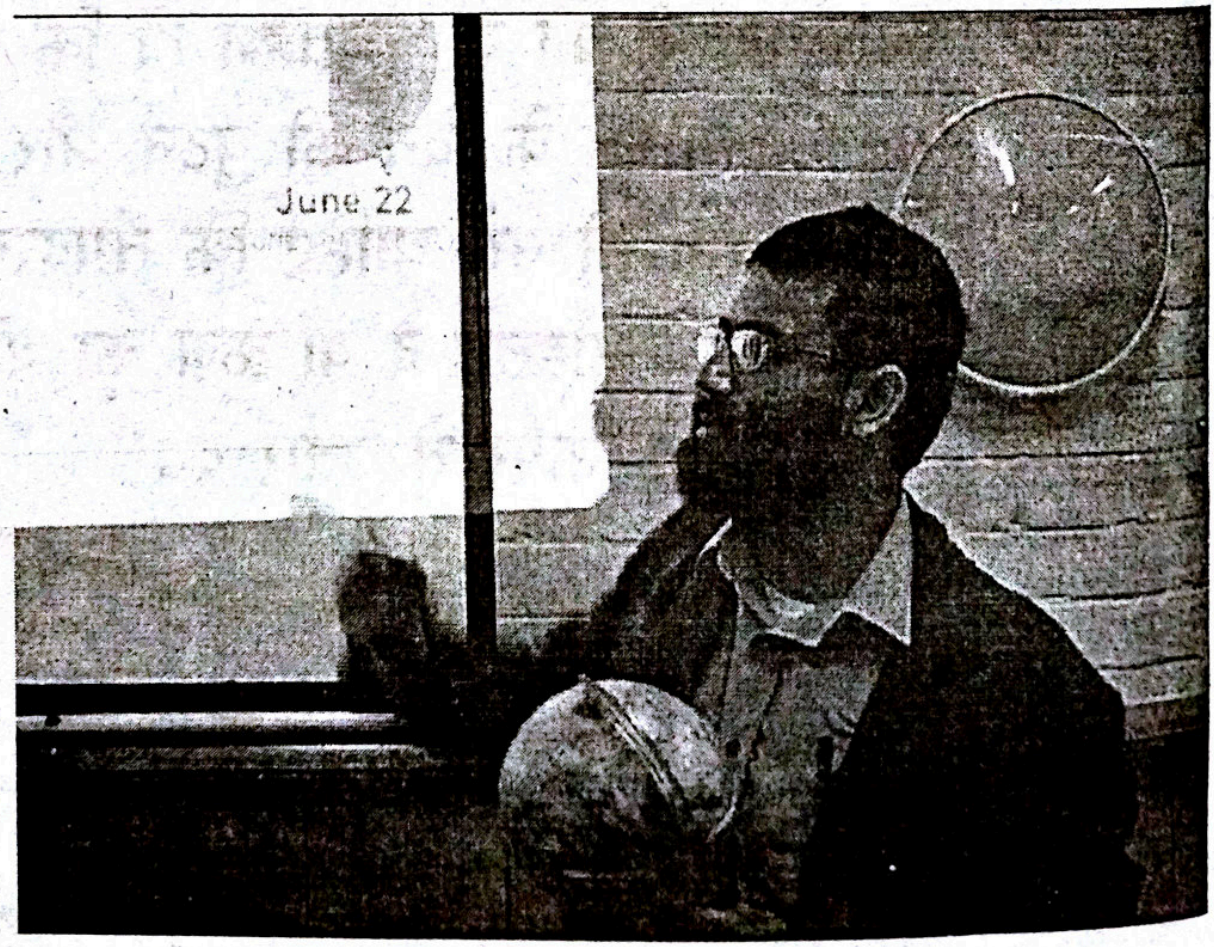

इस्लाम के सुखद अनुभव

■ इन्तिज़ार नईम

परिवर्तन से ही परिस्थिति में सुधार

डॉ॰ अम्बेडकर ने 13 अक्टूबर, 1935 को येवला कांफ्रेंस में अपने भाषण में कहा–"हमने हिन्दू समाज में समानता का दर्जा हासिल करने के लिए हर तरह की कोशिशें कीं और सत्याग्रह किये, परन्तु सब बेकार ! हिन्दू समाज में समानता के लिए कोई स्थान नहीं है । हिन्दू धर्म का त्याग करने से ही हमारी परिस्थिति में सुधार हो सकेगा ।"[1]

"डॉ॰ अम्बेडकर ने कहा–अस्पृश्यों के लिए धर्मपरिवर्तन के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है । धर्मपरिवर्तन से अस्पृश्यों का कल्याण ही होगा ।"[2]

धर्म वह जो व्यक्ति का विकास करे

"बाबा साहब अम्बेडकर का सुविचारित मत था कि सच्चा धर्म वह जो व्यक्ति के विकास में सहायक हो । इसके लिए वह भातृत्व भाव, समानता और स्वतंत्रता को आवश्यक तत्त्व मानते थे । हिन्दू धर्म में न केवल इन बातों का अभाव है अपितु हिन्दू धर्म इसके विरीत पक्षपातपूर्ण व्यवहार का पाठ पढ़ाता है, अस्पृश्यों को अशिक्षित बनाए रखकर उनके स्वतंत्र विकास के अधिकारों का हनन करता है, उन्हें धन और अस्त्र रखने की छूट प्रदान नहीं करता है–इसलिए वह आध्यात्मिक आधार पर भी अस्पृश्यों के लिए हिन्दू धर्म के पक्षधर नहीं थे और उन्होंने 30-31 मई, 1936–बम्बई के इदारा क्षेत्र में एक महासम्मेलन में अपने ऐसे विचारों से जन-जन को अवगत कराया ।"[3]

ये इश्क़ नहीं आसां...

"धर्म परिवर्तन की बात बच्चों का खेल नहीं है । जैसे कोई नौका वाला पहले यात्रियों की संख्या देखकर ही नौका खेता है और फिर अपना शेष साज़-सामान देखता-भालता है, वैसे ही हमें करना पड़ेगा । ...हिन्दू धर्म हमारी दृष्टि में पूर्वजों का धर्म नहीं है, अपितु यह तो उनपर गुलामी की वजह से लादा और थोपा गया था । हमारे पूर्वजों के पास इस गुलामी से लड़ने के साधन नहीं थे, अतः वे विद्रोह नहीं कर सके और हिन्दू धर्म में रहने के लिए बाध्य हुए । ...गंभीर सोच-विचार के बाद हर एक को इसी नतीजे पर आना पड़ेगा कि धर्म परिवर्तन के सिवा अन्य कोई रास्ता नहीं है । जैसे भारत को स्वराज्य आवश्यक है, वैसे ही अछूतों को हिन्दू धर्म छोड़ने की ज़रूरत है ।"[4]

हमको न हिन्दू कहिए, न हमसे कहलाइए

"आज हम उसको हिन्दू कह सकते हैं जो वेदों को ब्राह्मणग्रंथ मानते हैं, जिसकी वेदों के अलावा रामायण, महाभारत, गीता आदि ग्रंथों में श्रद्धा है । इसी प्रकार जो राम, कृष्ण, शंकराचार्य आदि को अपने श्रेष्ठ पुरुष मानते हैं, जो वेद और वेदांत के भक्त हैं, जो ब्राह्मण पंडा-पुरोहितों के हाथों अपने धार्मिक संस्कार, शादी-ब्याह आदि करवाते हैं, जो जातिवाद जातिभेद, वर्णाश्रम व्यवस्था को मानते हैं वही हिन्दू हैं । और जो उक्त तमाम बातों को नहीं मानता वह हिन्दू नहीं है । लेकिन जो लोग हिन्दू को एक राष्ट्रीय अवधारणा मानते हैं, वे पूरी तरह से ग़लत हैं । इसी प्रकार जो भारत को हिन्दू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं और भारतीय समाज के हिन्दूकरण की बात करते हैं, जो लोग हिन्दू को भौगोलिकता से, संस्कृति से जोड़ते हैं उनकी नीयत में बेईमानी है, ऐसा समझना चाहिए ।

बौद्ध, जैन और सिखों को, आदिवासियों को हिन्दू मानना बेबुनियाद है, क्योंकि जो आदमी वेदों को प्रमाण नहीं मानते, जिसकी वेद-वेदांत, रामायण, महाभारत, गीता, राम, कृष्ण, शंकराचार्य आदि पर आस्था नहीं है, जो इनके प्रति पूरी तरह अनास्था रखते हैं वे अपने आपको सपने में भी कभी हिन्दू नहीं मानते, उनको ख़ामख़ाह हिन्दू कहने के लिए मजबूर करना ग़लत है ।"[5]

अछूत हिन्दू नहीं

"अछूत वैसे बाहरी तौर पर हिन्दू धर्म से बांधे हुए हैं, लेकिन उन्हें न तो इस धर्म में किसी प्रकार की स्वतंत्रता है और न सम्मान । यहां तक कि पिछड़ी जाति के साधारण लोग भी इन्हें हिन्दू मानने को तैयार नहीं है । इस आश्य के दो उदाहरण यहां प्रस्तुत किये जा रहे हैं–

(1) यह घटना वर्ष 1965 की है । मैं उस समय हाई स्कूल का छात्र था । देहातों में यह प्रथा थी कि कुआं

खोदने, छत लगवाने तथा भट्ठा लगवाने को लोग धर्म का कार्य मानते थे और पूरे गांव के लोग उसमें सहयोग करते थे। मेरे गांव के प्रधान के यहां छत लग रही थी। हम लोग उसमें मदद करने गए हुए थे। प्रधान जी डबल एम०ए० थे और एक इंटर कॉलेज में लेक्चरर थे। सरिया काटने के लिए गांव का लोहार भी आया था। पानी पीने के लिए काम बन्द हुआ। जब सब लोग पानी पी चुके तो प्रधान जी ने कहा कि कोई हिन्दू हो तो बलकाई (लोहार) को भी पानी पिला दे। मैंने कहा कि यहां तो सभी लोग हिन्दू ही हैं। प्रधान जी बोल पड़े, 'मेरे कहने का मतलब जो व्यक्ति पानी पिलाने लायक़ हो वह पिला दे।'

(2) दूसरी घटना वर्ष 1985 की है। मैं एक चाय की दुकान पर चाय पीने के लिए बैठा था। चाय वाला तेली जाति का था। शाम हो रही थी। चाय वाले ने अपनी औरत से कहा कि इसी भट्ठी पर खाना भी बना लो। इतना सुनते ही उसकी औरत गुस्से में आ गयी और सामने खड़े एक व्यक्ति को सम्बोधित करके कहा–'देखते हो भइया ! कोई हिन्दू भाई होय तो चलाऊं है। यहां तो चमार-चोहरा आकर भट्ठी पर हाथ सेंकते हैं और इसे छू देते हैं। मैं इस भट्ठी पर खाना कभी नहीं बनाऊंगी।' जनसाधारण की अछूतों के प्रति ऐसी ही भावनाएं हैं जो सिद्ध करती हैं कि अछूत हिन्दू नहीं हैं लेकिन ये लोग अपने को हिन्दू साबित करने के लिए एड़ी से चोटी तक का ज़ोर अब भी लगा रहे हैं। यह इनकी अनधिकार चेष्टा ही है।''[6]

हिन्दू धर्म एवं संस्कृति से विद्रोह

''हिन्दू धर्म प्रणीत संस्कृति ने दलितों को कभी अपना नहीं समझा। जिस धर्म एवं संस्कृति ने दलितों को अस्पृश्य कहकर दूर रखा, उसके प्रति उनके मन में सिवाय विद्रोह के और क्या भाव हो सकता है ?''[7]

हमारा अस्तित्व इनसे अलग है

''हमें (1930 की) इस (नासिक) सत्याग्रह से यही प्रमाणित करना है कि हम हिन्दू-ब्रह्मणवाद के अंग नहीं हैं, इसलिए हमारा अस्तित्व इनसे अलग है। हम भी मानव हैं। हम भारत में करोड़ों की संख्या में हैं। हमें अब केवल पशुनुमा इन्सान बनाकर रखा नहीं जा सकता। हमारी अज्ञानता, ग़रीबी, शोषण, अनाचार का आधारभूत कारण हिन्दू धर्म है, स्वयं सारे हिन्दू हैं। इस अमानवीय धर्म के हम किसी प्रकार से अंग नहीं हो सकते।''[8]

दलित हिन्दुओं से भिन्न हैं

''दलित अपने को भारत के मूलवासियों की सन्तान मानते हैं, जो यथार्थ भी है। इसलिए वे अपने को हिन्दुओं से भिन्न मानते हैं, जो हमलावर आर्यों की सन्तान हैं। चूंकि 'हरिजन' शब्द हिन्दू से जोड़ता है और ग़ैर हिन्दुओं का हिन्दूकरण करता है, इसलिए दलित अपने को 'हरिजन' कहलाना पसन्द नहीं करते।''[9]

अलग समुदाय बनाने की सलाह

''13 अक्तूबर, 1935–महाड आन्दोलन का मुक़दमा महाड की अदालत में चल रहा था। इस मुक़दमे की पैरवी के लिए बाबा साहब को महाड जाना पड़ता था। एक बार बरसात के मौसम में बाबा साहब को इस मुक़दमे के लिए महाड जाना पड़ गया। इस मौक़े पर बरसात कुछ इतने ज़ोरों से हुई कि नदी में भी बाढ़ आ गयी और आने-जाने का कोई उपयुक्त साधन न होने के कारण बाबा साहब को दो दिन वहीं रुकना पड़ गया। पास में न कोई अस्पृश्यों की बस्ती थी और न किसी अस्पृश्य का घर। मुसलाधार बारिश में बाबा साहब को बिना भोजन और बिना छत के वहीं खुले आसमान के नीचे बिताने पड़ गये। घर लौटने पर उन्हें अपने प्रति किये गये सवर्णों के अनुपयुक्त व अमानवीय व्यवहार से बहुत दुख हुआ। वह दो दिन तक एक कमरे में ही बन्द रहे और अपने अस्पृश्य होने पर पश्चाताप और दुख के आंसू बहाते रहे। अन्त में उनके मित्रों ने उन्हें बड़ी कठिनाई से शान्त कराया, समझाया। पर, इस घटना से उनके मन में एक बात अवश्य बैठ गयी कि हिन्दू धर्म की धार्मिक मान्यताओं के ही कारण उनके साथ किसी ने मानवीय व्यवहार करना उचित नहीं समझा और उन्हें बेवजह भूखे और भीगते हुए दो दिन गुज़ारने पड़े। महाड सत्याग्रह और मन्दिर प्रवेशों की समस्या से भी वह पूरी तरह अवगत थे। अन्य सामाजिक सुविधाओं के पक्ष में सरकारी निर्णय होने के बावजूद अस्पृश्यों को सामाजिक सुविधाओं का उपलब्ध न होना, गांधी जी का उनकी इच्छाओं के अनुरूप हुए 'पूना समझौते' के प्रति उदासीनता प्रकट करना, सवर्णों और कांग्रेस का गांधी जी के इशारों पर चलना तथा अंग्रेज़ का सबल वर्ग (सवर्णों) को अनैतिक सहयोग प्रदान करना आदि ऐसी बातें थीं जिन्होंने बाबा साहब को यह सोचने पर विवश कर दिया कि हिन्दू धर्म में रहते हुए वह न सुरक्षित हैं और न ही उनका दीन-हीन समाज। हिन्दू धर्म में उनके समाज

के लिए न आत्मसम्मान है और न ही समानता । अत्मसम्मान और समानता का अभाव व्यक्ति में आत्मविश्वास की उत्पत्ति होने में अवरोधक होता है । आत्मविश्वास के बिना प्रगति के पथ पर चलने के विचार मन में आ ही नहीं सकते । अत: उन्होंने अस्पृश्यों के लिए हिन्दू धर्म को क़तई अनुपयुक्त मानते हुए 13 अक्तूबर, 1935 को हिन्दू धर्म त्यागने का निर्णय लिया । इस अवसर पर येवला (नासिक) में आयोजित सभा में बोलते हुए उन्होंने घोषणा की, 'यह मेरे बस की बात नहीं थी कि मैं एक अस्पृश्य हिन्दू के रूप में पैदा हुआ, पर यह मेरे बस की बात है कि मैं नीच और अमानवीय स्थितियों में न रहूं । मैं आपको प्रतिज्ञापूर्वक आश्वस्त करता हूं कि मैं एक हिन्दू की भांति नहीं मरूंगा ।' उन्होंने दस हज़ार से अधिक अनुयायियों से कालाराम मन्दिर प्रवेश के मामले को त्यागने की बात कही, क्योंकि वह मानते थे कि पिछले पांच वर्षों में मन्दिर-प्रवेश के इन मामलों में उनकी शक्ति व सामर्थ्य का काफ़ी अपव्यय हुआ है । इसलिए उन्होंने सबको एक अलग समुदाय के रूप में रहने की सलाह दी, जिससे कि एक स्वतंत्र नागरिक की भांति अपनी इच्छानुसार वह अपना जीवन गुज़ार सकें ।''[10]

डॉ॰ अम्बेडकर ने हिन्दू धर्म क्यों त्यागा ?

''इस प्रश्न का उत्तर सरल है । यह जटिल विषय नहीं है । जैसा कि हम सब जानते हैं डॉ॰ अम्बेडकर एक अछूत परिवार में जन्मे थे । इस तरह उन्हें व्यक्तिगत कडुवे और विकट अनुभव का ज्ञान था कि सवर्ण हिन्दू जातियों द्वारा उनके साथ अछूत जैसा व्यवहार किया जाना कैसा लगा ! उन्होंने यह भी देखा कि उनका अनुभव अपूर्व नहीं था, बल्कि भारत-भर में करोड़ों अन्य लोगों के साथ भी ऐसा ही अमानवीय व्यवहार किया जाता था । बहुत वर्षों तक डॉ॰ अम्बेडकर ने सवर्ण हिन्दुओं को अपना व्यवहार बदलने और इसमें सुधार लाने के लिए समझाने का प्रयास किया, लेकिन उन्हें कोई सफलता नहीं मिली । अन्तत: वे इस नतीजे पर पहुंचे कि कम से कम व्यावहारिक रूप में हिन्दू धर्म और छुआछूत एक दूसरे से अलग होने वाले नहीं हैं, और यदि कोई मनुष्य अपने आपको छुआछूत की दुर्गति से मुक्त करवाना चाहता है, जाति-पांति की लानत से छुटकारा पाना चाहता है तो उसे हिन्दू मत को एकदम तिलांजलि देनी होगी । इसलिए 1935 में उन्होंने एलान किया, 'यद्यपि मैं हिन्दू जन्मा हूं, मैं हिन्दू मरूंगा नहीं ।' संक्षेप में, यही कारण था कि डॉ॰ अम्बेडकर ने हिन्दू धर्म को त्यागा । उन्होंने देखा कि हिन्दू धर्म में अछूत के रूप में पैदा हुए मनुष्य के लिए मानव की तरह सुशीलता और शान से जीवन व्यतीत करना असंभव है ।''[11]

सारे भेदभाव की उपज

''पत्ते-पत्ते तोड़कर पेड़ को मिटा देने का ख़्याल ही ख़ुद को मिटा देना सिद्ध होगा । इसलिए दलितों के सारे सामाजिक संगठन एक ही स्वर में चिल्लाते रहें कि समानता लाओ, भेदभाव समाप्त करो, हरिजनों की मां, बहनों पर बलात्कार बन्द करो, उन्हें मानवीयता के अधिकार दो । उनका इस प्रकार चिल्लाना कड़वे पेड़ के पत्ते-पत्ते को तोड़ने के ही समान है । हिन्दू बने रहते हुए, उन्हीं परम्पराओं, अन्धविश्वासों, रूढ़ियों और फल के सिद्धान्त को मानते हुए जिसके अनुसार दलितों की आज की दरिद्रता, ग़रीबी, असमानता, शूद्र समाज में जन्म किसी पूर्व जन्मों के कारण मिला है और भेदभाव समाप्त करने की साथ-साथ बात भी करना । हमारे हिन्दू बने रहते हुए यह सम्भव नहीं । सारे उपरोक्त भेदभाव हिन्दू धर्म की उपज हैं । इसलिए यदि हम चाहते कि, शूद्र और पिछड़े जो 6500 जाति उपजातियों में विभक्त हैं और शत्रु जातियों के गुट के रूप में हमारे सामने हैं उनमें पारम्परिक समानता, बंधुता और प्रेम पैदा हो तो हमें पत्ते-पत्ते न तोड़कर जड़ों पर ही संघातिक चोट करना अनिवार्य है और वो है हिन्दू धर्म का ही त्याग करना ।''[12]

हिन्दू धर्म में मुक्ति नहीं

''हिन्दू समाज में दलित वह है जो अछूत है । जिसको छूना, देखना, जिनकी छांव का स्पर्श भी सवर्ण हिन्दुओं को अपवित्र, अमंगल बना देता था और आज भी इस प्रकार की स्थिति है । जहां भी दलितों पर अत्याचार होते हैं उनमें ज़्यादा से ज़्यादा अत्याचार सवर्ण हिन्दू अवर्ण अर्थात अछूत हिन्दूओं पर ही करते हैं । जिन्होंने किसी न किसी कारण हिन्दू धर्म को नकार दिया उन पर अन्याय करने का साहस सवर्ण हिन्दुओं में नहीं है । अगर उनपर अन्याय होता भी है तो उसका डटकर मुक़ाबला होता है । हिन्दू समाज में सदियों के पचास साल बीत जाने पर भी हालात वैसे ही हैं । हिन्दू धर्म तथा समाज में हिन्दू दलितों का स्थान किसी गुलाम से कम नहीं है और जब तक जो दलित समाज हिन्दू धर्म में है तब तक उसकी मुक्ति नहीं है ।''[13]

जब तक हिन्दू, तभी तक अछूत

"जो अछूत ईसाई और मुसलमान बन जाते हैं वे चमड़े आदि के काम भी करते रहते हैं और अभक्ष्य भक्षण भी करते हैं, तब भी वह अछूत नहीं रहते। इससे विदित है कि वे अछूत उसी समय तक हैं जब तक कि वे हिन्दू हैं। जब वे हिन्दुत्व को तिलांजलि दे देते हैं तब उनका अछूतपन भी जाता रहता है।"[14]

हिन्दू रहकर नीचता का कलंक नहीं मिटेगा

"हिन्दू अछूत भी विद्रोह कर रहे थे। वे कहते थे कि हिन्दू समाज में रहकर हमारे माथे से नीचता का क़लंक न मिटेगा, हम कितने ही विद्वान, आचारवान क्यों न हो जाएं, हिन्दू हमें यूं ही नीच समझते रहेंगे, हिन्दुओं की आत्मा मर गयी है और उनका स्थान अहंकार ने ले लिया है।"[15]

हिन्दू धर्म की संकीर्णता से इस्लाम की ओर

"इस्लाम के सामने यहां के सभी लोग बराबर थे। जो भी नबी को मान लेता और क़ुरआन पर ईमान लाता उसे यह अपने साथ मिला लेते। हिन्दू धर्म की भेदभाव नीति से बहुत से लोगों ने इस्लाम धर्म ग्रहण कर लिया। बहुत-से ब्राह्मणों, क्षत्रियों और वैश्यों ने भी इस्लाम धर्म को क़बूल कर लिया।"[16]

इस्लाम में धार्मिक श्रेणीकरण नहीं है

"इस्लाम का हर अनुयायी भाई है तथा अल्लाह के आगे बराबर है, चाहे वह किसी भी रंग, प्रजाति और सामाजिक आर्थिक स्थिति का हो।"[17]

"सैद्धांतिक दृष्टि से उनमें किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए।"[18]

"इस्लाम में कोई चर्च न होने के कारण इसमें धार्मिक श्रेणीकरण नहीं है।"[19]

"इस्लाम धर्म किसी प्रकार का भी स्तरण स्वीकार नहीं करता है।"[20]

धर्म-तत्वों की व्यापकता भी

"भारत में इस्लाम के फैलने का कारण ऊंची जाति वाले हिन्दुओं का नीची जातियों पर अत्याचार था। ...इस्लाम ने नये सिद्धान्तों के साथ पदार्पण किया। वहां ऊंच-नीच की क़ैद न थी।"[21]

इस्लाम में न्याय और भ्रातृभाव

"जहां तक हम जानते हैं किसी धर्म ने न्याय को इतनी महानता नहीं दी जितनी इस्लाम ने...किसी धर्म की श्रेष्ठता व्यक्तियों के कृत्यों से न जांचनी चाहिए, यह देखना चाहिए कि धर्म के आचार्य और स्थापक ने क्या उपदेश किया है ? हज़रत मुहम्मद ने धर्मोपदेशकों को इस्लाम का प्रचार करने के लिए देश-देशांतरों में भेजते हुए यह उपदेश दिया था–'जब तुमसे लोग यह पूछें स्वर्ग की कुंजी क्या है तो कहना कि वह ईश्वर की भक्ति और सत्कार्य में है।' अरफ़ात के पहाड़ पर हज़रत के मुख से जिस वचनामृत की वर्षा हुई थी वह अनंत काल तक इस्लामी जीवन के लिए संजीवनी का काम करती रहेगी और उस उपदेश का सार क्या था ? न्याय ! उसके एक-एक शब्द से न्याय की ध्वनि निकल रही है, आपने फ़रमाया–

ऐ मोमिनो ! मेरी बातें सुनो और उन्हें समझो। तुम्हें मालूम हो कि सब मुसलमान आपस में भाई-भाई हैं, तुम्हारा एक ही भ्रतृ-मंडल है। एक भाई की चीज़ दूसरे भाई पर कभी हलाल नहीं हो सकती, जब तक वह ख़ुशी से न दे दी जाए। बेइन्साफ़ी कभी मत करो, इससे हमेशा बचते रहो।'

इस अमर वाणी में इस्लाम की आत्मा छिपी हुई है। इस्लाम की बुनियाद न्याय पर रखी गयी है। वहां राजा और रंक, अमीर और ग़रीब, बादशाह और फ़क़ीर के लिए केवल एक न्याय है। किसी के साथ रियायत नहीं, किसी का पक्षपात नहीं। ऐसी सैकड़ों रिवायतें पेश की जा सकती हैं जहां बेकसों ने बड़े-बड़े बलशाली अधिकारियों के मुक़ाबले में न्याय के बल से विजय पायी है। ऐसी मिसालों की भी कमी नहीं है जहां बादशाहों ने अपने राजकुमार, अपनी बेगम, यहां तक कि स्वयं अपने को न्याय की वेदी पर होम कर दिया है। संसार की किसी भी संभ्य से सभ्य जाति की न्याय-नीति की इस्लामी न्याय-नीति से तुलना कीजिए, आप इस्लाम का पल्ला झुकता हुआ पाएंगे। अधःपतन होने पर सभी जातियों के आदर्श भ्रष्ट हो जाते हैं, लेकिन जिन दिनों इस्लाम का झंडा कटक से लेकर डैन्युष तक और तुर्किस्तान से लेकर स्पेन तक फ़हराता था, मुसलमान बादशाहों की धार्मिक उदारता इतिहास में अपना सानी नहीं रखती थी।...

हिन्दू समाज ने भी शूद्रों की रचना करके अपने सिर कलंक का टीका लगा लिया। पर इस्लाम पर इसका धब्बा तक नहीं। गुलामी की प्रथा तो उस वक़्त समस्त संसार में थी, लेकिन इस्लाम ने गुलामों के साथ जितना अच्छा सुलूक

किया उस पर उसे गर्व हो सकता है । इस्लाम क़बूल करते ही गुलाम आज़ाद हो जाता था । यहां तक कि ऐसे गुलामों की कमी नहीं है जो अपने मालिक के बाद उसकी गद्दी पर बैठे और उसकी लड़की से विवाह किया । और किस समाज ने नीचों के साथ यह उदारता दिखायी है ? कोमल वर्ग के साथ तो इस्लाम ने जो सुलूक किये हैं उनके देखते अन्य समाजों का व्यवहार पाशविक जान पड़ता है । इस्लाम में जनता को आकर्षित करने की जितनी शक्ति है उतनी और किसी संस्था में नहीं है । जब नमाज़ पढ़ते समय मेहतर शहर के बड़े से बड़े रईस के साथ एक ही क़तार में खड़ा हो जाता है तो क्या उसके हृदय में गर्व की तरंगें न उठने लगती होंगी । इसके विरुद्ध हिन्दू समाज ने जिन लोगों को नीच बना दिया है, उनको कुएं की जगत पर भी नहीं चढ़ने देता है, उन्हें मन्दिरों में घुसने नहीं देता–ये अपने में मिलाने के नहीं, अपने से अलग करने के लक्षण हैं । इस्लाम धर्म और सभ्यता को संसार में जो सफलता मिली है वह तलवार के ज़ोर से नहीं, इसी भ्रातृभाव के कारण मिली है ।''[22]

पीड़ितों ने इस्लाम ग्रहण किया

''हालांकि दक्षिण भारत में सातवीं ईसवी में ही इस्लाम का आगमन हो गया था, पर विधिवत आगमन 12वीं सदी में मुग़ल आक्रमणों के बाद हुआ । इस्लाम में बराबरी और भाईचारे का जो संदेश था, उसके प्रति बड़ी संख्या में लोग आकर्षित हुए । हिन्दुओं की वर्ण-व्यवस्था से पीड़ित छोटी जाति के लोगों ने इस्लाम की शरण ली ।''[23]

बराबरी का दर्जा दिया इस्लाम ने

''अनेक दलितों को इस्लाम धर्म ने बराबरी का दर्जा देकर प्रभावित किया था ।''[24]

इस्लाम ने समानता का सूत्रपात किया

''मुसलमान शासकों की प्रमुख देन इस्लाम है । इस्लाम के प्रचार ने भारतीय समाज में समानता का सूत्रपात किया । अत: शूद्र और अतिशूद्र बनाये गये समुदाय इस्लाम धर्म अपनाने लगे ।''[25]

इस्लाम ने शूद्र जातियों को आकर्षित किया

''मुसलमान शासकों के भारत में बसने के बाद इस्लाम धर्म के मूल सिद्धांत मसावात व भाईचारे के बराबरी के व्यवहार ने भारतीयों की और विशेषकर हिन्दू समाज की अछूत व पिछड़ी जातियों को बहुत आकर्षित किया । और देखते ही देखते अछूत व पिछड़ी जातियों के लोगों ने इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया । जो अछूत हिन्दुओं के मन्दिरों में कभी घुस नहीं सकता था, वह इस्लाम धर्म स्वीकार करते ही मुसलमानों की मस्जिदों में सबके बराबर एक साथ खड़े होकर नमाज़ पढ़ने लगा । उसने देखा मस्जिद में नमाज़ की क़तार में बाद में आने वाला बड़े से बड़ा आदमी उसके पीछे की क़तार में खड़ा है । जिस धर्म में ख़ुदा की इबादत में बड़े व छोटे सब एक साथ खड़े होकर नमाज़ पढ़ते थे, वह भारत के अछूतों व शूद्रों के लिए एक अजीब धर्म था । इस्लाम धर्म में तो सिद्धांत है कि–

''एक ही सफ़ में खड़े हो गये महमूदो अयाज़
न कोई बन्दा रहा और न कोई बन्दा नवाज़''

देखते ही देखते भारत के बहुत-से हिन्दू इस्लाम धर्म स्वीकार कर बराबरी के हक़दार बन गये । गांव का चमार, कोरी, पासी हिन्दू होने पर कल तक समाज से दूर बैठता था, उसकी छाया पड़ना पाप था, इस्लाम स्वीकार कर लेने के बाद हिन्दुओं के बराबर एक चारपाई पर बैठने लगा ।...

यहां का उच्च जातीय हिन्दू चाहता था कि वर्ण-व्यवस्था व धर्म के नाम पर हज़ारों साल से नीच दास गुलाम बनाकर रखे गये शूद्रों, पस्त अक़वाम द्वारा इस्लाम धर्म ग्रहण कर लेने के बाद भी उनको मुस्लिम समुदाय सम्मान व बराबरी का दर्जा न दें, उन्हें नीच समझें । लेकिन यह बात यकायक भारत में नये-नये आये हुए मुसलमानों से तुरन्त कहने का साहस हिन्दू नहीं कर सके । और इसी बीच हज़ारों की तादाद में यहां की अछूत व पिछड़ी जातियां सारे देश में प्राय: नित्य ही यदाकदा इस्लाम धर्म स्वीकार करने लगीं और इस तरह देखते ही देखते भारत में लाखों की तादाद में शूद्र हिन्दू धर्म छोड़कर मुसलमान हो गये ।...

हिन्दू वर्ण-व्यवस्था में सदियों से धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक, राजनैतिक, व्यावसायिक आदि बंधनों में बुरी तरह जकड़े रहने के कारण शूद्र जातियां वर्षों से हिन्दू धर्म व समाज में घुटन व कुढ़न महसूस कर रही थीं । इस्लाम धर्म में जाकर उन्होंने खुले वातावरण में राहत की सांस ली । धर्म परिवर्तन कर भारत के शूद्र समुदाय ने धार्मिक समानता, सामाजिक बराबरी और भाईचारे के स्नेह व प्रेम भाव से भरा इन्सानियत का खुला और विस्तृत माहौल व वातावरण पाया, जो उसने उससे पहले हिन्दू धर्म में कभी नहीं देखा था । हिन्दू धर्म में जाति, धर्म व वर्ण के नाम से जन्म से लेकर मरने तक शूद्रों के साथ एक तरफ़ धार्मिक

संकीर्णता, सामाजिक घृणा, असमानता, नफ़रत, तिरस्कार, मार, बेगार, शोषण और दोहन सभी था। दूसरी तरफ़ इस्लाम धर्म क़बूल करते ही उनको इन सबसे छुटकारा मिल गया और धार्मिक व सामाजिक समानता व भाईचारे का सौहार्द्रपूर्ण व्यवहार पाया। उसने इस्लाम धर्म में जाकर एक नया जीवन महसूस किया। इस तरह भारत का असंख्य अछूत और पिछड़ी जातियों का आदमी मसावात के सिद्धान्तों के अलमबरदार इस्लाम धर्म को ग्रहण करके मुसलमान हो गया, और हिन्दू धर्म व समाज के ऊंच-नीच के तर्क तथा हिन्दू धर्म की घृणा, द्वेष, शोषण व तिरस्कार भरे जीवन से सदा के लिए छुटकारा पा गया।''[26]

लोग मुसलमान बनते रहे

''दलित जातियों में से मध्यकालीन इतिहास में निर्गुणी संतों का जन्म लेना इस देश में विदेशी प्रभाव के कारण जन्मी क्रान्ति का हिस्सा है। उस समय इस देश में मुसलमानों की समाज व्यवस्था आ चुकी थी। यदि इस देश में विदेशी लोग न आते तो भारतीय समाज को दूसरे समाजों से तुलना करके देखने का अवसर प्राप्त नहीं होता। इसी कारण यहां के शास्त्रों में विदेशी लोगों के सम्पर्क में आने की मनाही की गयी थी, जिसमें जल यात्राओं को निषिद्ध किया गया था। शास्त्रकारों को यह डर रहता था कि कहीं भारतीय समाज के दलित पीड़ित लोग विदेशी समाजों से अपने समाज की तुलना करने न बैठ जाएं। तुलना करने से यह पता चलता था कि दुनिया में और भी समाज हैं तथा अस्पृश्यता, जाति-व्यवस्था और वर्ण-व्यवस्था से भिन्न संसार में अन्य जातियों की अलग समाज व्यवस्थाएं भी हैं। न चाहते हुए भी राजनैतिक रूप से मुसलमानों का भारत पर प्रभुत्व हो चुका था। परिणामस्वरूप, मुसलमान और हिन्दू समाजों की तुलना दलित जाति के लोग करने लगे थे।

उस समय बहुत-से हिन्दू मुसलमान बनते जा रहे थे। उच्च जातियों के लोग राजनैतिक लाभ की दृष्टि से मुसलमान हो रहे थे, लेकिन ग़रीब क़ौमें सामाजिक लाभ की दृष्टि से मुसलमान बनने की ओर जा रही थीं। उस समय कुछ लोग मुसलमान बन गये थे और कुछ मुसलमान बनने की प्रक्रिया में थे।''[27]

मुसलमानों में भेदभाव नहीं

''मुसलमानों के आगमन से हिन्दू समाज पर एक और प्रभाव पड़ा। पद-दलित शूद्रों की दृष्टि में उन्मेष हो गया। उन्होंने देखा कि मुसलमानों में द्विजों और शूद्रों का भेद नहीं है। सधर्मी होने के कारण वे सब एक हैं, उनके व्यवसाय ने उनमें कोई भेद नहीं डाला है, न उनमें कोई छोटा है और न कोई बड़ा।''[28]

सामाजिक न्याय और प्रगति साथ-साथ

''मुस्लिम समाज के प्रत्येक सदस्य का यह परम कर्तव्य है कि वह समस्त विकास एवं न्याय की प्रक्रियाओं को अल्लाह के नाम से आगे बढ़ाये। विकास तथा न्याय का मुस्लिम दृष्टिकोण में आर्थिक विकास, सामाजिक न्याय एवं प्रगति साथ-साथ चलते हैं। मुस्लिम अर्थव्यवस्था में, 'सामाजिक न्याय, अवसर और सहयोग की समानता' प्रमुख है। चूंकि इस्लाम के अनुसार सारी प्राकृतिक संपदाएं अल्लाह के तोहफ़े हैं, इसलिए उन्हें अल्लाह के बन्दों के बीच वितरण करना चाहिए। अतः इस्लाम 'वितरणात्मक न्याय' पर बल देता है और उसे प्रभावी बनाने के लिए पांच बातों को आवश्यक मानता है–

(क) उन लोगों को सहायता एवं प्रशिक्षण देना जो बेरोज़गार तथा योग्य हैं और अपनी क्षमतानुसार रोज़गार पाने के लिए इच्छुक हैं।

(ख) काम में लगे लोगों को न्यायसंगत तनख़्वाह देना।

(ग) वृद्ध, कमज़ोर एवं विकलांग लोगों के लिए रोज़ी-रोटी का प्रबंध करना।

(घ) उन लोगों का प्रबंध करना जो रोज़गार तथा अन्य कारणों से अपंग तथा अयोग्य हैं।

(ड़) दान इकट्ठा करके उसे इस्लाम की शिक्षाओं को मज़बूत बनाने के लिए वितरण करना।

सामाजिक-आर्थिक न्याय को प्रभावी बनाने के लिए इस्लाम केवल क़ानून तथा राज-सत्ता पर पूर्णतः निर्भर नहीं करता। अल्लाह में अटूट विश्वास, नमाज़, क़ुरआन की शिक्षा, ज़कात, नैतिक प्रशिक्षण आदि द्वारा इन्सान के हृदय को न्यायसंगत बनाने में इस्लाम अधिक विश्वास रखता है।''[29]

इस्लाम की गोद में दलितों को राहत

''(भारत में) मुस्लिम राज्य स्थापित होने पर शोषित-दलित जनता धड़ल्ले से इस्लाम की गोद में जाकर राहत महसूस करने लगी। अब हिन्दू धर्माध्यक्षों के पैरों तले से धरती खिसकने लगी।''[30]

मुसलमानों के ज़माने में शूद्रों की तरक़्क़ी

"भारत की 1,000 सालों की गुलामी भारत के शूद्रों के सामाजिक उत्थान में हितकर साबित हुई है। इतिहास के स्वर्णिम युग, जिन पर भारतीय इतिहासकार गर्व करते हैं, शूद्रों के लिए बहुत ही अपमान और दुख के समय रहे हैं। गुप्तकाल, जो अपने समय का बहुत ही समृद्धिशाली युग कहलाता है, शूद्रों के लिए अंग्रेज़ों और मुसलमानों की गुलामी के समय से अच्छा नहीं था। मुसलमानों और अंग्रेज़ों के आगमन के पश्चात ही करनी में समता थोड़ी-बहुत आयी। भारत में समता का वर्णन गीता, उपनिषदों और वेदों में अवश्य रहा है, लेकिन उच्च वर्ग ने कभी हृदय से, न तो आर्थिक ही न सामाजिक ही, समता क़ायम करने की कोशिश की। मनु के अनुसार, अगर शूद्र के पास एक घड़ा भर भी दाना इकट्ठा हो जाए तो भी छीन लेना चाहिए, क्योंकि शूद्रों का अपना कुछ नहीं है।

इतना तो आपको मानना ही पड़ेगा कि गुलामवंशी मुसलमानों ने सामाज़िक एकता के जो आदर्श क़ायम किये वह अभूतपूर्व थे। हर बादशाह पहले गुलाम था, बाद में अपनी योग्यता के प्रदर्शन और अपनी वीरता के कारण राजा हो गया। क्या कभी यह सब इसके पहले भारतीय इतिहास में संभव हो सका था ? मुसलमानों के ज़माने में विचारों की उदारता तथा शूद्रों को कुछ तरक़्क़ी करने का मौक़ा मिला, भले ही धर्म परिवर्तन के कारण ही क्यों न हो। मुसलमानों के धर्म संपर्क ने कम से कम शूद्रों के अन्दर सामाजिक समानता और ऊंच-नीच के ख़िलाफ़ विद्रोह तो पैदा किया।"[31]

"जब इस्लाम आया, उसे देश में फैलने में देर नहीं लगी। तलवार के भय अथवा पद के लोभ से तो बहुत थोड़े ही लोग मुसलमान हुए, ज़्यादा तो ऐसे ही थे जिन्होंने इस्लाम का वरण स्वेच्छा से किया। बंगाल, कश्मीर और पंजाब में गांव के गांव एक साथ मुसलमान बनाने के लिए किसी ख़ास आयोजन की आवश्यकता नहीं हुई। ये अछूत शहरों के भीतर नहीं बस सकते थे, जहां ऊंची जातियों का प्राधान्य था और ये ऊंची जातियां अछूतों को पशु से भी हीन समझती थीं। सच पूछिये तो मुसलमानों के आगमन के पूर्व ही इस देश में बहुत से हिन्दू वर्णाश्रम धर्म छोड़ एक ऐसी जगह पर जा खड़े थे, जहां वर्णाश्रम का कोई अभाव नहीं था। वे जात-पात को नहीं मानते थे। तीर्थ-व्रत और प्रतिमा-पूजन में उनका विश्वास नहीं था। वे शून्य, अलख निरंजन या निराकार की उपासना करते थे। ऐसे विश्वास वालों का जब इस्लाम से सामना हुआ होगा, तब अजब नहीं कि उन्हें हिन्दुत्व की अपेक्षा इस्लाम ही अधिक अनुकूल दिखायी पड़ा हो।"[32]

इस्लाम सरल और सुलभ धर्म

"मुहम्मद साहब (सल्ल०) ने जिस धर्म का उपदेश दिया, वह अत्यंत सरल और सबके लिए सुलभ धर्म था। अतएव, जनता उसकी ओर उत्साह से बढ़ी। ख़ास करके आरंभ से ही उन्होंने इस बात पर काफ़ी ज़ोर दिया कि इस्लाम में दीक्षित है जाने के बाद आदमी-आदमी के बीच कोई भेद नहीं रह जाता है। इस बराबरी वाले सिद्धांत के कारण इस्लाम की लोकप्रियता बहुत बढ़ गयी और जिस समाज में भी निम्न स्तर के लोग उच्च स्तर वालों के धार्मिक या सामाजिक अत्याचार से पीड़ित थे, उस समय के निम्न स्तर के लोगों के बीच यह धर्म आसानी से फैल गया।"[33]

गिरते लोगों को ऊंचा उठाया

"जिस इस्लाम का प्रवर्तन हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) ने किया था जिसका रूप अबू बक्र (रज़ि०), उमर (रज़ि०), उस्मान (रज़ि०) और अली (रज़ि०) जैसे ख़लीफ़ाओं ने संवारा था, वह धर्म सचमुच स्वच्छ धर्म था और उसके अनुयायी सच्चरित्र, दयालु, उदार और ईमानदार थे। उन्होंने मानवता को एक नया संदेश दिया, गिरते हुए लोगों को ऊंचा उठाया और पहले-पहल दुनिया में यह दृष्टांत उपस्थित किया कि धर्म के अन्दर रहने वाले सभी आपस में समान हैं। उन दिनों इस्लाम ने जो लड़ाइयां लड़ीं, उनका विवरण भी मनुष्य के चरित्र को ऊंचा उंठाने वाला है।"[34]

इस्लाम का उदार आलिंगन

"सबसे पहले इस्लाम का प्रचार नगरों में आरंभ हुआ, क्योंकि विजेता, मुख्यतः नगरों में ही रहते थे और उनका आतंक भी, प्रधानतः वहीं था। कुछ यह भी कारण हुआ कि अन्त्यज और निचली जाति के लोगों पर नगरों में सबसे अधिक अत्याचार हुए थे। ये लोग प्रायः नगर के भीतर बसने नहीं दिये जाते थे और बाहर से जब वे नगर में आने लगते, तब उन्हें फटे हुए बांस को पटककर अपने आगमन की सूचना देते हुए चलना पड़ता था, जिससे ऊंची जाति के लोग उनकी छाया से बच सकें। इस्लाम ने जब उदार

आलिंगन के लिए अपनी बांहें इन अन्त्यजों और ब्राह्मण-पीड़ित जातियों की ओर बढ़ायीं, ये जातियां प्रसन्नता से मुसलमान हो गयीं ।

कश्मीर और बंगाल में तो लोग झुंड के झुंड मुसलमान हुए । इन्हें किसी ने लाठी से हांककर इस्लाम के घेरे में नहीं पहुंचाया, प्रत्युत से पहले से ही ब्राह्मण-धर्म से चिढ़े हुए थे...ये लोग हिन्दुत्व की उलझी हुई समस्या के रूप में बहुत दिनों से हिन्दुत्व से, कुछ-कुछ, अप्रसन्न चले आ रहे थे । जब इस्लाम आया और सूफ़ी धर्म से इसका परिचय हुआ, इन्हें लगा जैसे यह इस्लाम ही उसका अपना धर्म हो । अरब और ईरान के मुसलमान तो यहां बहुत कम आये थे । सैकड़े-पच्चानवे तो वे ही लोग हैं, जिनके बाप-दादा हिन्दू थे ।'[35]

प्यार की ललक में मुसलमान बन गये

''अब रहा प्रश्न इस्लाम में दीक्षित करने का तो इसके लिए मुसलमान या इस्लाम दोषी नहीं, स्वयं हिन्दू का धैर्य और उनका पाखंड दोषी है । एक मुसलमान ने अपने लोटे से किसी गांव के कुंए से पानी पी लिया और भूल से हिन्दू भी पानी पीते रहे और बाद में जब पता चला कि धर्म भ्रष्ट हो गया तो पूरा गांव मुसलमान हो गया । यदि राणा सांगा के बेटे काबुल घोड़े लेने चले गये तो हिन्दू बनकर लौट नहीं सके, क्योंकि मुसलमानों के देश में जाकर भ्रष्ट हो चुके थे, हिन्दू नहीं रह सके । यदि किसी तालाब में मुसलमान ने स्नान कर लिया और बाद में धोखे से हिन्दुओं ने भी उसमें स्नान कर लिया तो सारे लोग मुसलमान हो गये ।

हिन्दू धर्म पाखंड और चौका-चूल्हे का धर्म बन गया था । पानी तो एक जादू था जो तुरंत हिन्दू से मुसलमान बना डालता था । इसी प्रकार हिन्दू मुसलमान बने, किसी ज़ोर-ज़बरदस्ती से नहीं । जो स्वेच्छा से मुसलमान बने थे वे ऐसे लोग थे जो हिन्दू धर्म की प्रताड़ना से दुखी थे । वे बेचारे इन्सानियत और प्यार की ललक में हिन्दू धर्म को छोड़कर मुसलमान बने थे । भारत के मुसलमानों में आज 90 प्रतिशत ऐसे ही लोगों की संख्या है ।'[36]

अत्याचारों से बचने के लिए इस्लाम

''जाति-पाति के कारण ही हिन्दुओं की एक बड़ी संख्या ने सामाजिक अत्याचार से बचने के लिए इस्लाम तथा ईसाई धर्म को क़बूल कर लिया तथा कितने ऐसे लोग अपनी इच्छा के विरुद्ध विधर्मी हो गये जो भूल से किसी मुसलमान या ईसाई का छुआ हुआ जल ग्रहण करने के कारण अपनी बिरादरी से ख़ारिज कर दिये गये ।'[37]

इस्लाम लोकप्रिय धर्म

''जिस धर्म को विश्व का हर पांचवां व्यक्ति मानता है उसे बर्बर कैसे कहा जा सकता है । कुछ ख़ासियत तो है ही इस अत्यंत लोकप्रिय धर्म में । एक बड़ी ख़ासियत तो यही है कि इस्लाम हिन्दू धर्म की तरह लोगों को अस्वीकार नहीं करता । जो मुसलमान बनना चाहे, उसे वह सहर्ष स्वीकार करता है । इसके विपरीत पराये धर्म वाला यदि हिन्दू बनना चाहे तो उसे कौन स्वीकार करता है ? और यदि भूले-भटके स्वीकार कर भी लेते हैं तो हिक़ारत की दृष्टि से देखते हैं ।'[38]

शूद्रों ने इस्लाम क़बूल किया

''धर्मान्तर की लहर महाराष्ट्र में दौड़ गयी । ब्राह्मणवाद से तंग आकर शूद्र-अतिशूद्र इस्लाम को क़बूल करने लगे ।'[39]

हिन्दुत्व से इस्लाम श्रेष्ठ

''ऐसा जान पड़ता है कि मुसलमानों के आने से पहले इस देश में एक ऐसी श्रेणी वर्तमान थी जो ब्राह्मणों से असंतुष्ट थी और वर्णाश्रम के नियमों की क़ायल नहीं थी । नाथपंथी योगी ऐसे ही थे । रमाई पंडित के 'शून्यपुराण' से जान पड़ता है कि एक प्रकार के तांत्रिक बौद्ध, मुसलमानों को 'धर्म-ठाकुर' का अवतार समझने लगे थे । उन्हें यह आशा हो चली कि अब पुन: एक बार बौद्धों का उद्धार होगा । शायद, उन्होंने ब्राह्मण विरोधी सभी मतों को बौद्ध ही मान लिया था ।

रमाई पंडित का समय 11वीं सदी बताया जाता है । किन्तु शून्यपुराण में इस्लाम के लिए जो उत्साह दिखायी देता है, उससे यह अनुमान होना चाहिए कि इस ग्रंथ की रचना मुसलमानों के बंगाल-प्रवेश के बाद हुई है । ब्राह्मण धर्म के प्रति निचले स्तर के हिन्दुओं (विशेषत: अस्पृश्य जातियों) का क्या भाव था, इसे समझने के लिए 'शून्यपुराण' बड़े ही महत्व का ग्रंथ है । 'शून्य पुराण' का कवि इस्लाम को धर्म-रक्षक के रूप में देखता है और यह कवि मुसलमान नहीं है । अतएव, निष्कर्ष यही निकलता है कि बौद्धों के प्रभाव में चलने वाली हिन्दू जनता का एक अच्छा-ख़ासा अंश ऐसा भी था जो हिन्दुत्व से इस्लाम को श्रेष्ठ समझता था और जिसे, सचमुच ही, यह आशा हो चली थी कि इतने

दिनों तक ब्राह्मणों और शास्त्रों ने मिलकर जनता पर जो अत्याचार किया है, मुसलमानों के हाथों उस अत्याचार का अंत होने वाला है ।'[140]

करोड़ों दलित मुसलमान हो गये

''हिन्दुओं का शूद्र वर्ग, विशेषतया अतिशूद्र अछूत वर्ग, हिन्दुओं की घृणा के कारण पहले ही परेशान था । और जब उनको मुस्लिम मज़हब में समानता का अधिकार दिया गया तो धर्मान्तर की लहर चल पड़ी । इसके फलस्वरूप अंग्रेज़ी राज्य में 9 करोड़ मुसलमान हो गये ।'[141]

''जून, 1929–बाबा साहब अम्बेडकर ने जिस धर्म के बारे में जलगांव की सभा में आह्वान किया था, उसका असर वहां के लोगों पर तो कुछ विशेष नहीं पड़ा, पर आसपास के अन्य क्षेत्रों में जून के प्रथम सप्ताह में ही 12 महारों ने इस्लाम धर्म ग्रहण कर लिया ।'[142]

इस्लाम ने दलितों को ऊंचा उठाया

''स्वतंत्रता पूर्व ब्रिटिश शासनकाल में पाश्चात्य शिक्षा एवं मूल्यों, विज्ञान के प्रसार, औद्योगिकीकरण, नगरीकरण, राजनीतिक आन्दोलन एवं आधुनिकीकरण आदि के विकसित परिवेश के फलस्वरूप लोगों में दलितों के साथ भेदभाव एवं उत्पीड़न के विरुद्ध एक नवीन चेतना का प्रादुर्भाव हुआ । नर्मदेश्वर प्रसाद लिखते हैं–''ब्राह्मणों की वर्णाश्रम व्यवस्था ने जिन लोगों को समाज से च्युत कर दिया, वे लोग बौद्ध हो गये और आगे चलकर वे सब मुसलमान बन गये, क्योंकि इस्लाम ने उन्हें सामाजिक समता दी और संसार में ऊंचा उठने का अवसर दिया ।'[143]

'भटको तमाम उम्र, कभी राह पर न आओ'

''तमिलनाडु के हरिजनों का धर्म परिवर्तन करके मुसलमान बन जाना सार्वजनिक बहस का मुद्दा बन गया है । जाति-व्यवस्था और हरिजनों पर अत्याचारों के सबसे प्रबल समर्थक कट्टर हिन्दू धर्मावलंबी हरकत में आ गये हैं । खुलेआम या छिपे तौर पर, जाति-व्यवस्था का समर्थन करने वाले ये लोग अब दूसरों के सिर पर दोष मढ़ने की कोशिश कर रहे हैं । पाखंडी हिन्दू पुराणपंथी अब पूछते फिर रहे हैं : 'अरे ! हमारे समाज सुधारक संगठनों को क्या हुआ ? उन्हें तो हरिजनों की भलाई का काम करना था । क्या उन्होंने इतना काम भी नहीं किया कि ये निरीह प्राणी कम से कम इस्लाम के जाल में न फंसते ? हमारे रामकृष्ण मिशन को और इसी तरह के दूसरे मिशनरियों को क्या हो गया ?

लेकिन, इन धर्म परिवर्तनों ने सिर्फ़ कट्टर धर्मावलंबी शासक तबक़ों में ही खलबली पैदा की हो, ऐसा नहीं है । अधिकारीगण जैसे सोते में औचक पकड़ लिए गये । राजनैतिक पार्टियों तथा हलक़ों में भी चिंता की लहर दौड़ गयी है ।

21 जुलाई, 1981 के हिन्दुस्तान टाइम्स के अपने लेख में संसद सदस्य सैयद शहाबुद्दीन ने लिखा, 'तमिलनाडु सरकार को हरिजन कल्याण निर्देशक तथा इलाक़े के डी॰आई॰जी॰ के लेन-देन का संकेत नहीं मिला । इसके बावजूद अब न्यायिक जांच की मांग की जा रही है । इंदिरा कांग्रेस के महासचिव मोपनार फ़ौरन कांची के शंकराचार्य के पास जा रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि सभी पार्टियां हरिजनों में आत्मविश्वास पैदा करने की कोशिश करें (ताकि उनके धर्म परिवर्तन को रोका जा सके)। आर॰एस॰एस॰ धर्म परिवर्तन पर प्रतिबंध लगाने की मांग कर रहा है, जिसके लिए संविधान में संशोधन करना होगा...गृह राज्य मंत्री योगेन्द्र मकवाना मीनाक्षीपुरम दौड़े जा रहे हैं और कह रहे हैं कि ऊंची जातियों से हरिजनों की रक्षा के लिए (उनके अधिकार दिलाने के लिए नहीं) पुलिस की ताक़त का इस्तेमाल किया जाए । अटल बिहारी वाजपेयी ने अपने व्यस्त कार्यक्रम में से इतना समय निकाल लिया कि 50 हरिजनों के एक बार फिर धर्म परिवर्तन करके हिन्दू बन जाने की ख़ुशी में हिन्दू यूनिटी सेंटर द्वारा दिये गये बड़े भारी भोज में वह शामिल हो सके और इसके बाद इन घटनाओं में विदेशी पैसे की भूमिका की पूरी-पूरी जांच की वह मांग कर रहे हैं ।

...निष्कर्ष यह है कि धर्म परिवर्तन नहीं होने चाहिए । हरिजनों को अपने ऊपर होने वाली तमाम ज़्यादतियों, तमाम अपमानों को बर्दाश्त करते रहना चाहिए ।'[144]

अत्याचारों से ऊब कर इस्लाम की ओर

''तमिलनाडु में थेवर जगह-जगह दलितों पर अच्छा कपड़ा पहनने पर हमला कर देते हैं । गांवों या क़स्बों के प्रमुख भागों से दलितों की बारातों को वे नहीं निकलने देते हैं तथा प्रार्थनात्मक व्यवहार करने पर भी हमला बोल देते हैं । अनेक जगहों पर अभी भी दलितों को मंदिरों में घुसने नहीं दिया जाता । जब से पंचायती राज क़ायम किया गया है, तब से तमिलनाडु में दलितों की स्थिति और भी ख़राब

होने लगी है । पंचायतों तथा नगरपालिकाओं में आरक्षण की वजह से दलित बड़ी संख्या में अब चुनकर आने लगे हैं । इन चुने हुए पदाधिकारियों को थेवर तथा अन्य पिछड़ी जातियां उन्हें अपने कार्यालय में घुसने नहीं देते हैं । पिछले 29 जून को मदुराई ज़िले में मेलवलयू पंचायत के अध्यक्ष के॰ मुरुगेशन के साथ अन्य 5 दलितों को एक बस से उतार कर थेवरों ने हसियों से काट डाला । इस तरह के हमले जारी हैं ।

ऐसे ही अत्याचारों से ऊबकर लगभग 15 वर्ष पूर्व मीनाक्षीपुरम के एक गांव में सारे दलितों ने इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया था ।'[145]

हिन्दू दुर्व्यवहार से इस्लाम की ओर

''राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक श्री बाला साहब देवरस ने एक विशेष भेंट में बताया कि उन्हें अपने कार्यकर्ताओं से यह सूचना मिली है कि तमिलनाडु में व्यापक धर्म-परिवर्तन का कारण वहां सवर्ण हिन्दुओं द्वारा हरिजनों से दुर्व्यवहार है ।'[146]

''कुछ अधर्मांतरित हरिजनों के साथ गोपनीय जांच ने भी प्रकट किया कि गांव के हरिजनों ने ही पहल की, उसके बाद मुस्लिम नेताओं ने धर्मांतरण के लिए कार्रवाई की ।'[147]

पैग़म्बर मुहम्मद (सल्ल॰) का मानव-प्रेम

''मुहम्मद दास-प्रथा से घृणा करते थे । युद्ध में पराजितों को उन्होंने कभी दास नहीं बनाया । उनके मतानुसार, किसी भी दास को मुक्त करना मुसलमान के लिए सर्वश्रेष्ठ कार्यों में एक है ।'[148]

इस्लाम का अन्तर्राष्ट्रीय स्वरूप

''हिन्दुत्व की तुलना में इस्लाम अन्तर्राष्ट्रीय धर्म है, क्योंकि मुसलमान कुछ-कुछ सारे संसार में फैले हुए हैं और सबके बीच एक प्रकार की धार्मिक एकता का तार अनुस्यूत है ।'[149]

सन्दर्भ

1. डॉ॰ अम्बेडकर–जीवन दर्शन : विजय कुमार, पृ॰ 164
2. डॉ॰ बाबा साहेब अम्बेडकर की धर्मयात्रा एवं सन्देश : डॉ॰ म॰ला॰ शहारे-डॉ॰ नलिनी अनिल, पृ॰ 156
3. युग पुरुष बाबा साहब : हिमांशु राय, पृ॰ 111
4. युग पुरुष अम्बेडकर : राजेन्द्र मोहन भटनागर, पृ॰ 408
5. हिन्दुत्व का उन्माद : डॉ॰ विमलकीर्ति, पृ॰ 64
6. हमारा सुधार कैसे होगा ? : आर॰बी॰ त्रिशरण, पृ॰ 140-141
7. मराठी दलित कविता : विमल थोरात, पृ॰ 108
8. युग पुरुष बाबा साहेब : शंकरानन्द शास्त्री, पृ॰ 109
9. हरिजन कौन और कैसे : एस॰एल॰ सागर, पृ॰ 5
10. युग पुरुष बाबा साहब : हिमांशु राय, पृ॰ 98-99
11. डॉ॰ अम्बेडकर की सच्ची महानता : संघ रक्षित, पृ॰ 32
12. अंगुत्तर त्रयमासिक, अक्टू-दिसं॰ 1997 : मोहन मनीष, पृ॰ 18-19
13. वही, : डॉ॰ विमलकीर्ति, पृ॰ 7
14. वर्ण-व्यवस्था का वैदिक रूप : लाला ज्ञानचन्द आर्य, पृ॰ 91
15. प्रेमचन्द के कथा साहित्य में धर्म निर्पेक्षता की भावना : राधा अग्रवाल, पृ॰ 180
16. हिन्दी काव्य में दलित काव्य धारा : माता-प्रसाद, पृ॰ 22-23
17. भारतीय सामाजिक व्यवस्था : डॉ॰ प्रकाश चन्द्र दीक्षित, पृ॰ 345
18. वही, पृ॰ 351
19. समाज का आधार : प्रो॰ रवि तोमर, पृ॰ 310
20. समाज का आधार : प्रो॰ रवि तोमर, पृ॰ 310
21. प्रेमचन्द के कथा साहित्य में धर्म-निरपेक्षता की भावना : राधा अग्रवाल, पृ॰ 181
22. इस्लामी सभ्यता : प्रेमचन्द, इंडिया टुडे साहित्य वार्षिकी 1995, पृ॰ 24-26
23. हरिजन से दलित : राजकिशोर, पृ॰ 61
24. दलित चुनौती : डॉ॰ एस॰एल॰ दनी भन्वन्तराचार्य, पृ॰ 27
25. भारत के अनादिवासियों का इतिहास : एच॰ लाल, पृ॰ 463
26. भारत की आम जनता शोषण मुक्त व अधिकार मुक्त कैसे हो ? : डॉ॰ छेदीलाल साथी, पृ॰ 32-33
27. गुरु रविदास : डॉ॰ धर्मवीर, पृ॰ 6
28. कबीर ग्रंथावली, नागरी प्रचारिणी सभा, वाराणसी, सतरहवां संस्करण : डॉ॰ श्याम सुन्दर दास, पृ॰ 10
29. सामाजिक न्याय का सिद्धांत : डॉ॰ डी॰आर॰ जाटव, पृ॰ 40
30. हिन्दू समाज के पथभ्रष्टक तुलसीदास : विश्वनाथ, पृ॰ 152
31. जाति प्रथा : राममनोहर लोहिया, पृ॰ 56
32. संस्कृति के चार अध्याय : रामधारी सिंह दिनकर, पृ॰ 262
33. वही, पृ॰ 278
34. वही, पृ॰ 284
35. वही, पृ॰ 326-327
36. हिन्दू विदेशी है : एस॰एल॰ सागर, पृ॰ 30
37. हिन्दू जाति का उत्थान और पतन : रजनीकांत शास्त्री, पृ॰ 270
38. संचेतना, सितम्बर-दिसम्बर 1994 : प्रदीप पंत, पृ॰ 7-8
39. डॉ॰ अम्बेडकर–जीवन और दर्शन : विजय कुमार पुजारी, पृ॰ 68
40. संस्कृति के चार अध्याय : रामधारी सिंह दिनकर, पृ॰ 264
41. डॉ॰ अम्बेडकर–जीवन दर्शन : विजय कुमार पुजारी, पृ॰ 17
42. युग पुरुष बाबा साहब : हिमांशु राय, पृ॰ 34
43. दलित युवाओं के परिवर्ती दृष्टिकोण : डॉ॰ जगदीश सिंह राठौर, पृ॰ 12
44. जाति और वर्ग : बी॰टी॰ रणदिवे, पृ॰ 72-73
45. भारत अश्वघोष, मासिक, जुलाई-अगस्त, 1997
46. नवभारत टाइम्स, नयी दिल्ली 28 अगस्त, 1982
47. धर्मान्तरण ? : सुन्दर राज, पृ॰ 172
48. विश्व प्रसिद्ध धर्म : राजीव कुमार राजीव, पृ॰ 99
49. संस्कृति के चार अध्याय : रामधारी सिंह दिनकर, पृ॰ 662

ख़ूबसूरत विचारों का गुलदस्ता है इस्लाम

इस्लाम धर्म के निहितार्थ हैं कोई भी संदर्भित विषय हो उसमें नैतिकता, ईमानदारी, सद्‌भाव, शांति, सुगमता, मानवीय मूल्यों की सुरक्षा, सहानुभूति, कर्तव्यपरायणता, पवित्रता, सहयोग-सहायता, परोपकार, सेवा स्नेह, संयम-नियम, धैर्य, साफ़-सुथराई, मित्रता, अपनी विशेष रूप से समाज में अपनी प्रासंगिकता बनाएं, ऐसा 'कान्ति' के अध्ययन पश्चात मुझे आभास हुआ है ।

प्रस्तावित विषयों में से आप किसी भी विषय पर इस्लाम की शिक्षाओं को यदि निष्पक्ष रूप से व्यवहार में लाएं तो समाज में जो अंधविश्वास, रूढ़िता, वैचारिक प्रदूषिता, विस्तृत रूप से वर्ग विशेष धर्म के प्रति व्याप्त है उन पर विराम लग कर संपूर्ण विश्व में शांति, स्नेह की धारा जन-जन से उत्सर्जित होने लगेगी, अत्याचार उत्पीड़न, भेदभाव, वैमनस्य, नफ़रत, प्रतिशोध की भावनाएं समाज से तिरोहित हो जाएंगी । ज़रूरत है तो समझदारी की ।

उच्च नैतिकता : उच्च नैतिकता का इस्लाम से उसी प्रकार संबंध है जैसे शरीर और आत्मा का, जैसे आत्मा के बिना शरीर का कोई अस्तित्व नहीं है । वैसे ही नैतिकता बिना इस्लाम निरर्थक है । नैतिकता का अर्थ है हर व्यक्ति से सद्‌व्यवहार करना । कोई क्रोध दिलाये तो उसे क्षमा कर दें । मन-कर्म-वचन से किसी का मन न दुखाएं, किसी से ईर्ष्या, किसी के माल पर लालच, किसी की बुराई, गाली, मार-पीट करके किसी को न सताएं । वादा करके निभाएं, घमंड न करें, न्यायसंगत व्यवहार करें । सत्यता निष्पक्षता पूर्ण व्यवहार करें ।

ईश्वर के प्रति आस्था रखते हुए बुरे कर्मों से डर कर आख़िरत पर ईमान लाएं जो ईश्वर के समीप होगा उसे उससे डर ज़रूर होगा तो बुरे कर्म नहीं करेगा, नैतिकता हमेशा साथ रहेगी ऐसे व्यक्ति के । इसके साथ ही नैतिकता के उच्च प्रारूप कन्या भ्रूण हत्या न करना, ब्याज न लेना-देना, माता-पिता, रिश्तेदारों, पड़ोसियों से अच्छे संबंध, ग़रीबों की सहायता, उपहारों के आदान-प्रदान में सतर्कता, सम्मान-सत्कार की भावनाएं, हर धर्म के व्यक्ति के साथ न्याय, दहेज, शराब-जुआ, मानवा- धिकारों की रक्षा करना इस्लाम धर्म की प्रमुख बातें इस्लाम को वरीयता, उच्च नैतिकता प्रदान करती हैं । निस्संदेह यदि शांत मन से इनको आत्मसात कर लें तो समस्त मानव सुख-शांति से समाज में रहेगा और शांति बाहर से नहीं, आंतरिक विचारों का आईना है जो आचार-विचारों से झलकता है ।

शशिप्रभा शर्मा
1936/3, पन्नापुरी, हापुड़ (पंचशील नगर)
उ०प्र०-245101

पड़ोसी के अधिकार

'कान्ति' पत्रिका की मई व जून 2012 की मासिक प्रतियां मिलीं । इसके लिए आपको धन्यवाद ।

इस्लामी अर्थव्यवस्था वास्तव में अल्लाह की दयालुता की प्रतीक है । यह व्यवस्था ख़यानत, चोरी-डकैती, नापतौल में हेरा-फेरी, व्यभिचार, वेश्यावृति, सूद, शराब और जुए से प्राप्त आपको वर्जित घोषित करती है । व्यक्ति को न कंजूस होना चाहिए और न ही फ़िज़ूलख़र्च ।

'हिन्दू धर्म में एकेश्वरवाद' पढ़ा । इसमें दी गयी जानकारी काफ़ी उम्दा है । ऐसा मालूम होता है कि यह जानकारी काफ़ी गहन अध्ययन के बाद जुटायी गयी है । वास्तव में सभी धर्मों में एकेश्वरवाद पाया जाता है ।

मुंशी प्रेमचंद की कहानी 'घमंड का पुतला' काफ़ी अच्छी लगी । इस्लाम में जो पड़ोसी के अधिकार दिये गये हैं, उसकी मिसाल कहीं नहीं मिलती । दरअस्ल पड़ोसी हमारे पास रहते हैं, अत: मुसीबत के समय अन्य लोगों की अपेक्षा पड़ोसी ज़्यादा काम आते हैं । रिश्तेदारों को तो बाद में भनक लगती है । यह मेरा व्यक्तिगत अनुभव है । ऐसा कई बार हुआ है कि मैं बीमार पड़ा और मुझे पड़ोसियों द्वारा अस्पताल ले जाया गया । इसीलिए पड़ोसियों के अधिकार, अन्य लोगों की अपेक्षा चाहे वह रिश्तेदार ही क्यों न हो, अधिक होने चाहिएं । ऐन वक़्त पर पड़ोसी ही काम आती है । इसलिए पड़ोसी से सद्‌व्यवहार करना हमारा कर्तव्य है ।

अबरार अहमद
रंगपुर रोड, कोटा जंक्शन, राजस्थान

इस्लामी बैंकिंग और भारत

■ डॉ॰ फ़रहत हुसैन
(रामनगर नैनीताल)

सभी बड़े धर्मों में ब्याज वर्जित है । इस्लाम ने कड़े शब्दों में ब्याज को 'अवैध' बताया तथा ब्याज आधारित व्यवस्था पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया । साथ ही यह भी घोषणा कर दी कि व्यापार व्यवसाय जो ब्याज के विष से दूषित नहीं है अनुमन्य ही नहीं बल्कि अभीष्ट हैं ।

"अल्लाह ने व्यवसाय को वैध तथा ब्याज को अवैध ठहराया ।" (कुरआन, 2:275)

हज़रत मुहम्मद (सल्ल॰) ने कुरआन शिक्षाओं के प्रकाश में एक सुव्यवस्थित, संतुलित तथा न्यायोचित आर्थिक प्रणाली व्यवहारत: समाज में लागू की । इस प्रणाली में इन्सान की आर्थिक समस्याओं का पूर्ण समाधान है । ब्याज किसी भी रूप में इस प्रणाली में विद्यमान नहीं है । सही बात यह है कि ब्याज अन्यायपूर्ण है, समाज के एक वर्ग (संपन्न) को अनुचित लाभ पहुंचाता है, सर्वसाधारण के शोषण का माध्यम बनता है, मनुष्य में लोभ, लालच और स्वार्थ भर देता है, इसलिए इसका कोई औचित्य नहीं है । हां, पूंजीपति तथा उनके हितैषी ब्याज के पक्ष में माहौल तथा व्यवस्था बनाए हुए हैं ।

कृषि वैज्ञानिक, हरित क्रांति वे अगुआ प्रोफ़ेसर एम॰एस॰ स्वामीनाथन ने सार्वजनिक रूप से घोषणा की कि "विदर्भ, महाराष्ट्र में जो ग़रीब किसान महाजनों से ऊंची ब्याजदर पर क़र्ज़ लेकर अदा न करने के कारण आत्महत्या कर रहे हैं, उनकी समस्या का वास्तविक समाधान ब्याजमुक्त इस्लामी बैंकिंग ही हो सकता है ।" उल्लेखनीय है कि आत्महत्या करने वाले किसानों में वे भी हैं जो बैंकों से ऋण लिए हुए थे और ब्याजदर सामान्य थी ।

ब्याज की विध्वंसकारिता अब ढकी-छुपी चीज़ नहीं रही है । इसी मानसिकता ने सट्टे और जुए को बढ़ावा दिया है । हालिया वर्षों की विश्व स्तरीय मंदी को इसी व्यवस्था के दुष्परिणाम और दुष्प्रभाव के रूप में देखा जा रहा है । भारत के किसानों की आत्महत्याओं की घटनाएं ब्याज तथा उस पर आधारित व्यवस्था के कड़वे फल हैं ।

इस्लामी विद्वानों ने तार्किक तथा मार्मिक ढंग से ब्याजरहित व्यवस्था की वकालत की । अर्थशास्त्रियों तथा इस्लामी धर्मशास्त्र और हज़रत मुहम्मद (सल्ल॰) द्वारा व्यवहार में लागू की गयी प्रणाली के जानकार आलिमों (विशेषज्ञों) के संयुक्त प्रयासों से इस्लामी बैंकिंग का ऐसा स्वरूप तैयार किया गया जो ब्याजविहीन होने के साथ-साथ आधुनिक युग की समस्त चुनौतियों को संतुष्ट करने में पूर्णरूपेण सक्षम है । इसे इस्लामी बैंकिंग या ब्याजरहित बैंकिंग या नैतिक बैंकिंग या वैकल्पिक बैंकिंग कोई भी नाम दे सकते हैं ।

वैसे तो इस्लामी वित्त हर युग में प्रचलन में रहा परन्तु आधुनिक इस्लामी बैंकिंग की शुरुआत दुबई में 1975 में मुंबई इस्लामिक बैंक की स्थापना से मानी जाती है । इस समय लगभग 715 इस्लामिक बैंक विश्व में अनेक देशों में सफलतापूर्वक कार्यरत हैं । विश्व की वर्तमान मंदी को पृष्ठभूमि में इस्लामी बैंकिंग एक सर्वश्रेष्ठ विकल्प के रूप में माना जा रहा है, क्योंकि इस्लामी बैंक इस मन्दीकाल के दुष्प्रभाव से काफ़ी हद तक बचे रहे ।

प्रासंगिकता

इस्लामी बैंकिंग भारत के लिए प्रासंगिक और सार्थक है अथवा नहीं इसके लिए डॉ॰ रघुराम राजन समिति को गवाही सबसे सशक्त है । भारत सरकार के योजना आयोग ने 2007 में वित्तीय सेक्टर के सुधार हेतु सुप्रसिद्ध अर्थशास्त्री तथा शिकागो विश्वविद्यालय में प्रोफ़ेसर डॉ॰ रघुराम राजन की अध्यक्षता में 12 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति का गठन किया था । समिति ने सन 2008 में अपनी रिपोर्ट में ब्याज मुक्त बैंकिंग को बड़े पैमाने पर लागू करने की सिफ़ारिश की थी ।

"यह समिति सिफ़ारिश करती है कि बैंकिंग प्रणाली

सहित बृहत पैमाने पर ब्याज मुक्त वित्त उपलब्ध कराने संबंधी अनुमति के उपाय किये जाएं ।''

(रघुराम राजन समिति की रिपोर्ट से उद्धरित)

फ़रवरी 2011 में केरल हाईकोर्ट ने एतिहासिक निर्णय दिया, जिसके अनुसार केरल प्रदेश सरकार की अल-बरका फाइनेंशियल सर्विसेज़ में 11 प्रतिशत की हिस्सेदारी को उचित ठहराया । 'टाइम्स ऑफ़ इंडिया' (4 फ़रवरी 2011) के अनुसार इस निर्णय से भारत में इस्लामी बैंकिंग की शुरुआत हो गयी है ।

'भारत में इस्लामी बैंकिंग की संभावनाएं' विषय पर एक महत्वपूर्ण शोध प्रबंध टी॰ए॰ पई मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट में डॉ॰ पवनदीप द्वारा प्रस्तुत किया गया । डॉ॰ दीप ने इस्लामी बैंकिंग के पहलुओं का परीक्षण कर उनकी सराहना की और निष्कर्ष प्रस्तुत किया कि ''भारत में इस्लामी बैंकिंग की अच्छी संभावनाएं हैं । देश के आर्थिक विकास के दृष्टिकोण से भी बहुत हितकर है ।''

(Pawandeep : Islamic Banking,
A Study of Future Potentials)

कृषि वैज्ञानिक, हरित क्रांति वे अगुआ प्रोफ़ेसर एम॰एस॰ स्वामीनाथन ने सार्वजनिक रूप से घोषणा की कि ''विदर्भ, महाराष्ट्र में जो ग़रीब किसान महाजनों से ऊंची ब्याजदर पर क़र्ज़ लेकर अदा न करने के कारण आत्महत्या कर रहे हैं, उनकी समस्या का वास्तविक समाधान ब्याजमुक्त इस्लामी बैंकिंग ही हो सकता है ।'' उल्लेखनीय है कि आत्महत्या करने वाले किसानों में वे भी हैं जो बैंकों से ऋण लिए हुए थे और ब्याजदर सामान्य थी ।

भारतीय रिज़र्व बैंक के 'लीगल न्यूज़ एंड व्यूज़' के अप्रैल-जून 2005 में प्रकाशित लेख के अनुसार–''विश्व भर से मुद्रा अर्जित करने के लिए ब्याजरहित बैंकिंग प्रणाली में बड़ा आकर्षण विद्यमान है, इसलिए इसे भारत में क्रियान्वित करने का यह उपयुक्त समय है ।''

पूर्णिमा एस॰ त्रिपाठी के अनुसार–''अगर मुस्लिम सांसदों और इस्लामी बैंकिंग के अन्य विद्वानों की रायों को देखा जाए तो पता चलता है कि इस्लामी बैंकिंग के लिए वैधानिक ढांचा गठित होने में अब अधिक समय नहीं लगने वाला है । प्रधानमंत्री डॉ॰ मनमोहन सिंह व्यक्तिगत रूप में इस अवधारणा के पक्ष में हैं ।''

('फ्रंटलाइन', 23 अक्तूबर 2009)

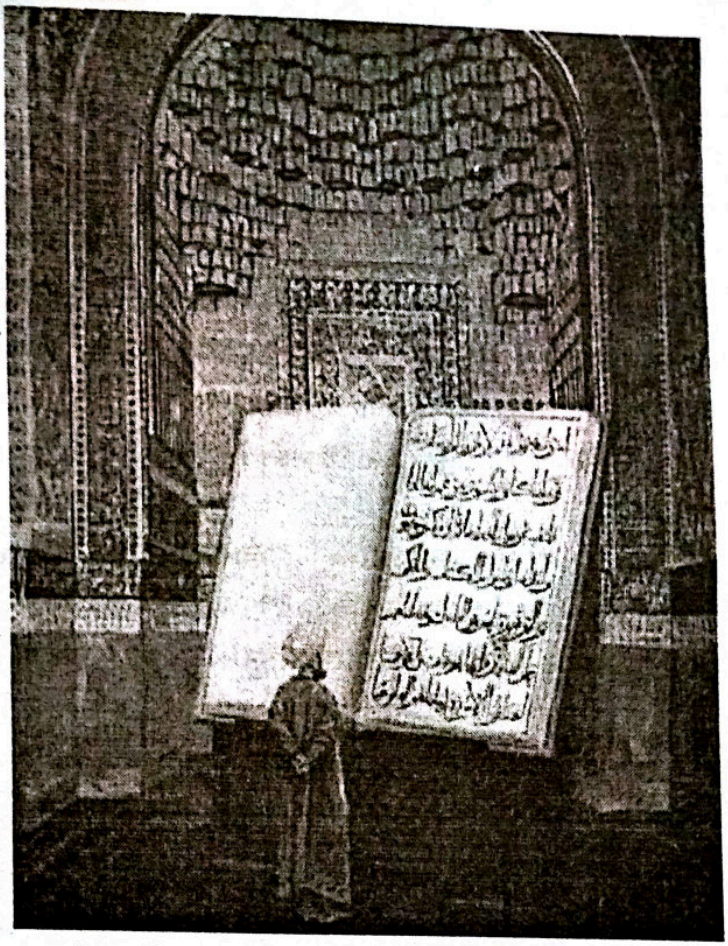

'द संडे इंडियन' के संपादक पी॰एस॰ मजूमदार के अनुसार–वास्तविकता यह कि इस्लामी वित्त भारत जैसे देश में चौकाने वाले परिणाम दे सकता है क्योंकि इस्लामी शरीअत का क़ानून भारतीय संस्कृति से बहुत अलग नहीं है । ...यह बात भी ध्यान देने की है कि अगर ब्रिटेन, जापान, सिंगापुर और हांगकांग जैसे विकसित देश इस्लामी वित्त तथा बैंकिंग को गले लगा सकते हैं तो हम किस समय की प्रतीक्षा में हैं ।''

('द संडे इंडियन' (साप्ताहिक), 10 जनवरी 2010)

आर॰ सीतारमन दोहा बैंक में चीफ़ एक्जीक्यूटिव हैं । इस्लामी बैंकिंग में असाधारण सेवाओं के लिए कई अवार्ड दिये जा चुके हैं । बैंकर अवार्ड 2007, बैंकर ऑफ़ द एयर 2006, अरब एशियन एक्सीलेंस एवार्ड से सम्मानित हैं । भारतीय मूल के ब्राह्मण परिवार से संबंध रखने वाले सीतारमन इस्लामी वित्त के बड़े समर्थक हैं । उनके विचार में भारत में इस्लामी बैंकिंग के लिए परिस्थितियां बहुत अनुकूल हैं । इससे ग़रीबी उन्मूलन में बहुत मदद मिल सकती है । ('द संडे इंडियन', 19 अप्रैल 2009)

भारतीय वित्त जगत की सक्रियता

व्यापारी और व्यावसायी वर्ग की दूर दृष्टि जगज़ाहिर

है । यह वर्ग तेज़ी से इस्लामी वित्त की ओर आकर्षित हो रहा है । विश्व स्तर पर 38 देशों में 715 वित्तीय संस्थाएं तथा बैंक बारह ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक का व्यवसाय कर रहे हैं ।

भारत में यद्यपि अभी सरकार ने इस्लामी बैंकिंग को बड़े स्तर पर कार्य करने की पूर्ण अनुमति नहीं दी है, तथापि कई नामी वित्तीय संस्थाएं इस क्षेत्र में पदार्पण कर चुकी हैं जैसे–HSBC Bank, Bench mark, Bajaj Allianz, Tata Select, UTI, Kotak Mahindra, Tauras Finance, Reliance Mutual Fund आदि ।

उपरोक्त वित्तीय संस्थाओं की इस्लामी वित्तीय उत्पादों में दिलचस्पी इस बात का सबूत है कि यह प्रणाली भारत के लिए उपयुक्त एवं लाभकारी है । इनमें से कई कंपनियों ने अपने उत्पादों के इस्लामी शरीअत होने के प्रमाण हेतु 'तक़वा एडवाइज़री एंड शरीआ इन्वेस्टमेंट सोल्यूशंस (TASIS) प्रा॰लि॰ मुंबई की सेवाएं ले रखी हैं । इसी उद्देश्य से एक अन्य संस्था इस्लामिक इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस बोर्ड (IIFB) भी कार्यरत है । इन संस्थाओं के पास इस्लामी शरीअत (इस्लामी धर्मशास्त्र) तथा आधुनिक बैंकिंग दोनों के विशेषज्ञ मौजूद हैं जो किसी उत्पाद या वित्तीय क्रिया/लेन-देन के इस्लामी दृष्टिकोण से वैध होने का जायज़ा लेकर रिपोर्ट देते हैं ।

भारत हमारा प्रिय वतन है । वित्तीय संकटों और आर्थिक अंधेड़ों से इसे बचाने का एक मात्र मार्ग हमारी नज़र में ब्याजरहित व्यवस्था को लागू करना है, जिससे हर धर्म और जाति के लोग फ़ायदा उठा सकें जैसा कि मलेशिया के 70 प्रतिशत तथा इंग्लैंड के 20 प्रतिशत ग़ैर-मुस्लिम उपयोग कर रहे हैं ।

इस व्यवस्था को ईश्वर में आस्था और परलोक की जवाबदेही की इस्लामी अवधारणा के साथ मिलाएं जिससे न्याय, निष्पक्षता और भाईचारे का माहौल बने । लूट-खसोट, बेईमानी, रिश्वत, भ्रष्टाचार पर नैतिक रूप से अंकुश लगे । विश्वास है कि इस प्रोग्राम से हम धरती पर स्वर्ग की कल्पना साकार होने की दिशा में आगे बढ़ सकेंगे और मरने के बाद के जीवन में भी ईश्वर हमें अपना आशीष प्रदान करेगा ।

"हज़रत इब्न उमर (रज़ि॰) से रिवायत है कि नबी (सल्ल॰) ने कहा : सबसे बड़ी नेकी यह है कि आदमी अपने बाप के दोस्तों के साथ अच्छा सलूक करे ।"

(मुस्लिम)

एक हमदर्द

जयपुर

ब्याज से त्राण

■ प्रो॰ डॉ॰ मुहम्मद ज़ियाउर्रहमान आज़मी

यह एक सामाजिक रोग है, जो कैंसर के रोग की तरह फैलता है । यह रोग जिस समाज में फैल जाता है, उसके जीवित रहने की क्षमता घटती चली जाती है । इसीलिए प्राचीनकाल में कुछ जातियां अपने शत्रुओं के लिए इसका प्रयोग करती थीं, जबकि स्वयं अपने ऊपर इसे वर्जित किये हुए थीं । बाइबल में भी इसको अपने लोगों के लिए वर्जित किया गया है ।

"यदि तू मेरी प्रजा में से किसी ग़रीब को, जो तेरे पास रहता हो रुपये का ऋण दे तो उससे महाजन के समान ब्याज न लेना ।" (निर्गमन, 22:25)

"जो कोई अपना रुपया ब्याज पर नहीं देता और भोले-भाले निर्दोष लोगों को हानि पहुंचाने के लिए घूस नहीं लेता । जो कोई ऐसी चाल चलता है, वह कभी न डगमगाएगा ।" (भजन संहिता 15:5)

नहेम्याह ने यहूदियों को फटकारा जो अपने भाइयों से ब्याज लेते थे । (नहेम्याह, 5: 6-12)

जहां बाइबल ने यहूदियों को आपस में ब्याज के लेने से रोका है, वहीं ग़ैर-यहूदियों से ब्याज लेना उचित और वैध बताया है ।

"अपने किसी भाई को ब्याज पर ऋण न देना, चाहे रुपया हो, चाहे खाद्य-सामग्री हो, चाहे कोई और वस्तु, जो ब्याज पर दी जाती है उसे ब्याज पर न देना । तू परदेसी को ब्याज पर ऋण तो दे, परन्तु अपने किसी भाई से ऐसा न करना ।" (व्यवस्था विवरण 23:19-20)

सत्य तो यह है कि यहूदियों को भी ब्याज खाने से रोका गया था । परन्तु उन्होंने ऐसा न किया बल्कि ब्याज खाते रहे । पहले ग़ैर-यहूदियों से ब्याज खाया और आपस में भी खाने लगे जिसके क़ारण अल्लाह ने बहुत सारी हलाल चीज़ें भी उन पर हराम कर दी ।

(देखिए सूरा : 4 निसा आयत : 160-161)

रहा इस्लाम तो उसने ब्याज का खाना सदैव के लिए वर्जित कर दिया, चाहे वह मुसलमान के बीच हो, चाहे मुसलमान और ग़ैर-मुस्लिम के बीच । क्योंकि इस्लाम एक ऐसे समाज की स्थापना करना चाहता है जिसमें आपस में सहानुभूति तथा सहायता का बरताव किया जाए, जबकि ब्याज का प्रचार समाज में घृणा और शत्रुता का कारण बनता है । ब्याज देने वाला व्यक्ति ब्याज लेने वाले लोगों की विवशता से लाभ उठाता है और उनकी दुर्दशा को अपनी कमाई का साधन बनाता है, बल्कि एक बार निर्धन को ब्याज देकर उसको सदैव के लिए अपनी कमायी का साधन बनाता है, बल्कि एक बार किसी निर्धन को ब्याज देकर उसको सदैव के लिये अपना अधीन बना लेता है । क्योंकि ब्याज दर एक ऐसी व्यवस्था है जिसके चंगुल में एक बार कोई निर्धन फंस जाए तो फिर वह कभी नहीं निकल सकता । भला ऐसे समाज में सहानुभूति तथा प्रेम भाव कैसे पैदा हो सकता है । इसलिए क़ुरआन ने ब्याज लेने की कड़ी निन्दा की है ।

जो लेग ब्याज खाते हैं वे इस प्रकार उठेंगे जैसे वह आदमी उठता है जिसको शैतान ने छू कर बावला कर दिया हो । यह इसलिए होगा कि उन्होंने कहा, व्यापार भी तो ब्याज के समान है जबकि अल्लाह ने व्यापार को हलाल किया और ब्याज को हराम (सूरा-2, अल-बक़रा, आयत : 275)

अर्थात ब्याज खाने वाले क़ियामत में बावलों की तरह उठेंगे, और दुनिया ही में हराम की इस कमायी में वे किसी बावले से कम नहीं होंगे, जो हर समय निर्धनों का रक्त चूसने के लिए सोच-विचार में पड़े रहते हैं । इसलिए क़ुरआन मोमिनों को संबोधित करते हुए साफ़ घोषणा करता है :

"ऐ ईमान वालो, अल्लाह से डरो, और जो ब्याज शेष रह गया है उसे छोड़ दो । यदि तुम सचमुच ईमान वाले हो । अगर तुमने ऐसा न किया तो अल्लाह और उसके रसूल से युद्ध के लिए तैयार हो जाओ, और यदि क्षमा मांग लो तो अपना मूलधन लेने का तुम्हें अधिकार है, ताकि न तुम किसी पर अत्याचार करो, और न तुम पर अत्याचार किया जाए ।" (सूरा 2, अल-बक़रा, आयतें : 278, 279)

अर्थात ऋण देने वाले के लिए जायज़ है कि जितना ऋण दिया है वह वापस ले ले, और उस पर ब्याज लेने से तौबा कर ले । अगर ऐसा कर लेता है तो न उस पर अत्याचार होगा और न ऋण लेने वाले पर । परन्तु अगर वह ऐसा नहीं करता है बल्कि ब्याज लेने पर अड़ा रहता है तो फिर वह

अल्लाह और उसके रसूल से युद्ध करता है और अल्लाह तथा रसूल से युद्ध करने वाला संसार तथा परलोक में कभी सफल नहीं हो सकता । संसार में वह बावलों की तरह जीवन व्यतीत करेगा, जिसको शैतान ने छू लिया हो । और यह भी हो सकता है कि उसका धन एक झटके में समाप्त हो जाए । कोई ऐसी आपदा आ जाए जिससे सारा धन जाता रहे, जैसा कि ब्याज खाने वालों को देखा गया है । प्रलय में उनके साथ जो होने वाला है वह इसके अतिरिक्त है ।

इसके विपरीत सदक़ा (दान) है, जिसके विषय में कुरआन में आया है ।

अल्लाह ब्याज को घटाता और मिटाता है, और सदक़ों (दान) को बढ़ाता है । (सूरा-2, अल-बक़रा, आयत 276)

कुरआन की दृष्टि में ब्याज प्रत्येक दशा में हानिकारक है । इसके द्वारा किसी भलाई की आशा नहीं की जा सकती, जिसका समर्थन अब पश्चिम के अर्थशास्त्री भी करने लगे हैं, और उनकी बहुत बड़ी संख्या इस्लामी अर्थव्यवस्था का अध्ययन करने की ओर आकर्षित हो गयी है ।

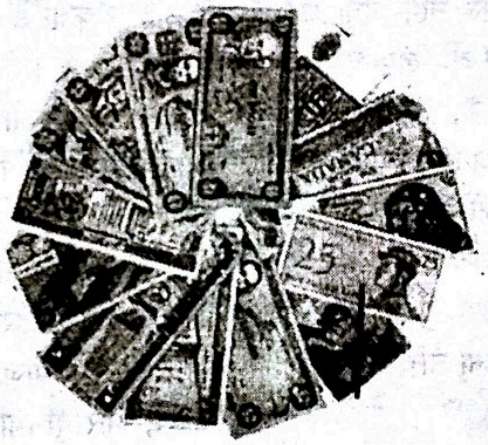

कुरआन में एक-दूसरे स्थान पर आया है ।

"जो ब्याज तुम देते हो, ताकि लोगों के धनों में सम्मिलित होकर बढ़ जाए तो वह अल्लाह के यहां नहीं बढ़ता, और जो ज़कात तुम अल्लाह की प्रसन्नता प्राप्त करने के लिए देते हो तो ऐसे ही लोग हैं अपना माल बढ़ाने वाले ।" (सूरा-30, अर-रूम, आयत : 39)

अर्थात ब्याज से माल बढ़ता नहीं बल्कि जिस धन में ब्याज मिल जाए उससे उसकी बरकत उठ जाती है । इसके विपरीत ज़कात है जिसके देने से धन में कमी नहीं आती, बल्कि अल्लाह की ओर से बरकत होती है और ज़कात देने वाले का धन बढ़ता ही रहता है । यह तो संसार की बात है और परलोक में उसके बदले क्या कुछ मिलने वाला है हम उसको सोच भी नहीं सकते ।

ब्याज दो प्रकार के होते हैं-

1. प्रथम जिसे रिबा नसीया या चक्रवर्ती ब्याज कहते हैं, जैसे एक हज़ार रुपये ऋण देकर एक माह बाद एक हज़ार एक सौ रुपये लिया जाए । मौजूदा समय में अधिकतर ब्याज रिबा नसीया है, क्योंकि इस ब्याज में समय का बहुत महत्व होता है अर्थात जितना अधिक समय बीतेगा उसी हिसाब से ब्याज बढ़ता जाएगा । कभी ब्याज के ऊपर भी ब्याज लग जाता है, जिसकी ओर कुरआन संकेत करते हुए कहता है ।

ऐ ईमान वालो ! बढ़ा-चढ़ाकर ब्याज न खाओ, और अल्लाह से डरो, ताकि तुम्हें सफलता प्राप्त हो ।

(सूरा-3, आले-इमरान, आयत : 130)

ब्याज के लेने-देने में होता यह है कि ऋण लेने वाला अगर समय पर ऋण वापस नहीं कर पाता है तो साहूकार उसे कुछ और समय दे देता है, परन्तु इसके बदले ब्याज की दर बढ़ा देता है, फिर जितना समय बीतता जाता है ब्याज की दर बढ़ती जाती है, यहां तक कि छोटा-सा मूलधन बढ़कर कहीं से कहीं पहुंच जाता है, जिसको वापस करना असंभव हो जाता है । फिर उसका घर-बार सब कुछ बिक जाता है, और वह फ़क़ीर होकर रह जाता है । उसके पास न रहने के लिए घर होता है, न खाने के लिए भोजन, न पहनने के लिए वस्त्र, क्योंकि यह सब साहूकार का हो जाता है । इस दशा को कुरआन ने अजआफ़म मुजाअफ़ा कहा है जिसका अर्थ बढ़ा-चढ़ाकर लेना है, क्योंकि रिबा नसीया में सबसे अधिक महत्व समय का है जिसके कारण ब्याज बढ़ते-बढ़ते कहीं से कहीं पहुंच जाता है । ऐसे साहूकारों को चेतावनी दी गयी है कि अल्लाह से डरो । उसके बाद की आयत में बताया गया है-

"उस आग से डरो जो कुफ़्र करने वालों के लिए तैयार की गयी है ।" (सूरा-3, आले इमरान, आयत : 131)

अर्थात ऐ ईमान वालो, अगर तुम ब्याज से नहीं रुकते तो तुम्हारा यह कुकर्म तुमको कुफ़्र तक पहुंचा सकता है, क्योंकि ऐसा करना वास्तव में अल्लाह तथा रसूल से युद्ध करने के समान है । निष्कर्ष यह कि रिबा नसीया में समय की प्रधानता एवं महत्ता होती है और समय के हिसाब से ब्याज बढ़ता है । इसलिए किसी ऋण से यदि समय तथा ब्याज की दर निकाल दी जाए तो वह केवल ऋण रह जाएगा । और ऋण को वापस करते समय अगर लेने वाले ने अपनी ओर से स्वयं कुछ बढ़ा कर दे दिया तो वह ब्याज नहीं होगा । बल्कि ऐसे व्यक्ति की तो प्रशंसा की गयी है ।

2. द्वितीय प्रकार के ब्याज को रिबा फ़ज़्ल कहते हैं

SZ AHMAD HOSPITAL

Run, By Rabia Anjum Health & Education Welfair Socity, Regd. No-1131 (2007/08)

At-Karge (Charima) Nair, Nagjua Railway Station, P.O-Sero, P.S-Narkopi, Ranchi (JH) 835325



एसजेड अहमद हॉस्पिटल करगे जो रांची शहर से 60 किमी॰ एवं लोहरदगा से 25 किमी॰ की दूरी पर है जहां 20 किमी॰ की परिधि में कोई अस्पताल नहीं है ।

उद्देश्य

ग्रामीण एवं भ्रमित जनता, जो सदियों से बीमारी को भू-प्रेत जादू-टोना मानकर इलाज के अभाव में काल के गाल में समा जाते हैं या इलाज के लिए तैयार भी हुए तो अप्रशिक्षित चिकित्साभ्यार्थि (Quack) के चक्कर में पड़ कर अपनी मोटी रक़म बर्बाद करने के बाद भी उचित चिकित्सा लाभ नहीं प्राप्त कर पाते हैं ऐसी परिस्थिति में लोगों को भ्रम से निकाल कर साफ़-सुथरा एवं विश्वसनीय चिकित्सा उपलब्ध कराने की कोशिश ।

वर्तमान में उपलब्ध सुविधाएं

- **चिकित्सक** : शिक्षित एवं अनुभवी चिकित्सकों की एक टीम ।
- **मेडिकल स्टोर** : यूनानी, आयुर्वेदिक, एलोपैथिक दवाओं का पर्याप्त भंडार ।
- **पैथोलोजी** : ख़ून, पेशाब, विर्य एवं आवश्यक चिकित्सकीय जांच की सुविधा उपलब्ध।
- **बैतुलमाल** : ग़रीब-लाचार व्यक्तियों की मदद एवं मुफ़्त इलाज ।
- **आउटडोर/इंडोर** : रोगी को एडमिट होकर भी चिकित्सकीय लाभ प्राप्त करने की सुविधा उपलब्ध ।
- **O.T.** : Operation theatre









Sham Bepari
Ph. : 2254132

DILKHUSH
Chicken Center



Halal Live Chicken

Stall No.360,1st floor,(Above Mutton Stall No.1),
Mapusa Muncipal Market, Mapusa- GOA.

DILKHUSH
Mutton Stall



Halal Fresh Mutton
& Chicken Parts

Stall No.1
Mapusa Muncipal Market, Mapusa- GOA.

OXFAME

Makes you fluent

Spoken and Written

ENGLISH

Foundation & Advance

by :
Yaqub
Ashrafi

Improve Your

Personality

Pronunciation

Poise

THE
FAST AND EASY
WAY TO LEARN
SPOKEN
ENGLISH

H. O. Deep Ganga Complex, Ist Floor,
Ashok RajPath, Patna-4,
Ph. : 0612-6456891
E-mail : ashrafi.yaqub@gmail.com

अल्लाह के
रसूल (सल्ल०) ने बताया :
अल्लाह तआला क़ियामत के दिन
एक आदमी से कहेगा, ऐ आदम के बेटे,
मैं बीमार पड़ा था, तू मेरी इयादत को नहीं आया ।
वह कहेगा, ऐ मेरे रब, कैसे तेरी इयादत को आता
और तू तो रब्बुल आलमीन है । अल्लाह कहेगा
क्या तुझे मालूम नहीं, मेरा फ़लां बन्दा बीमार
पड़ा था पर तू उसकी इयादत को नहीं गया ।
क्या तुझे मालूम न था अगर तू उसकी इयादत
को जाता तो मुझे उसके पास पाता ।
(हदीस)

with Best Compliment From.

Zenith Engg. Co.
Road No. 1, Azad Nagar,
Mango, Jamshedpur-12

अल्लाह ने
गवाही दी कि उसके सिवा
कोई पूज्य नहीं और फ़रिश्तों ने
और उन लोगों ने भी जो न्याय और
संतुलन स्थापित करने वाली एक सत्ता
को जानते हैं, उस प्रभुत्वशाली,
तत्वदर्शी के सिवा कोई
पूज्य नहीं ।
–क़ुरआन

Bharat Electronics

Tourist Complex, Main Road Ranchi
(JHARKHAND)

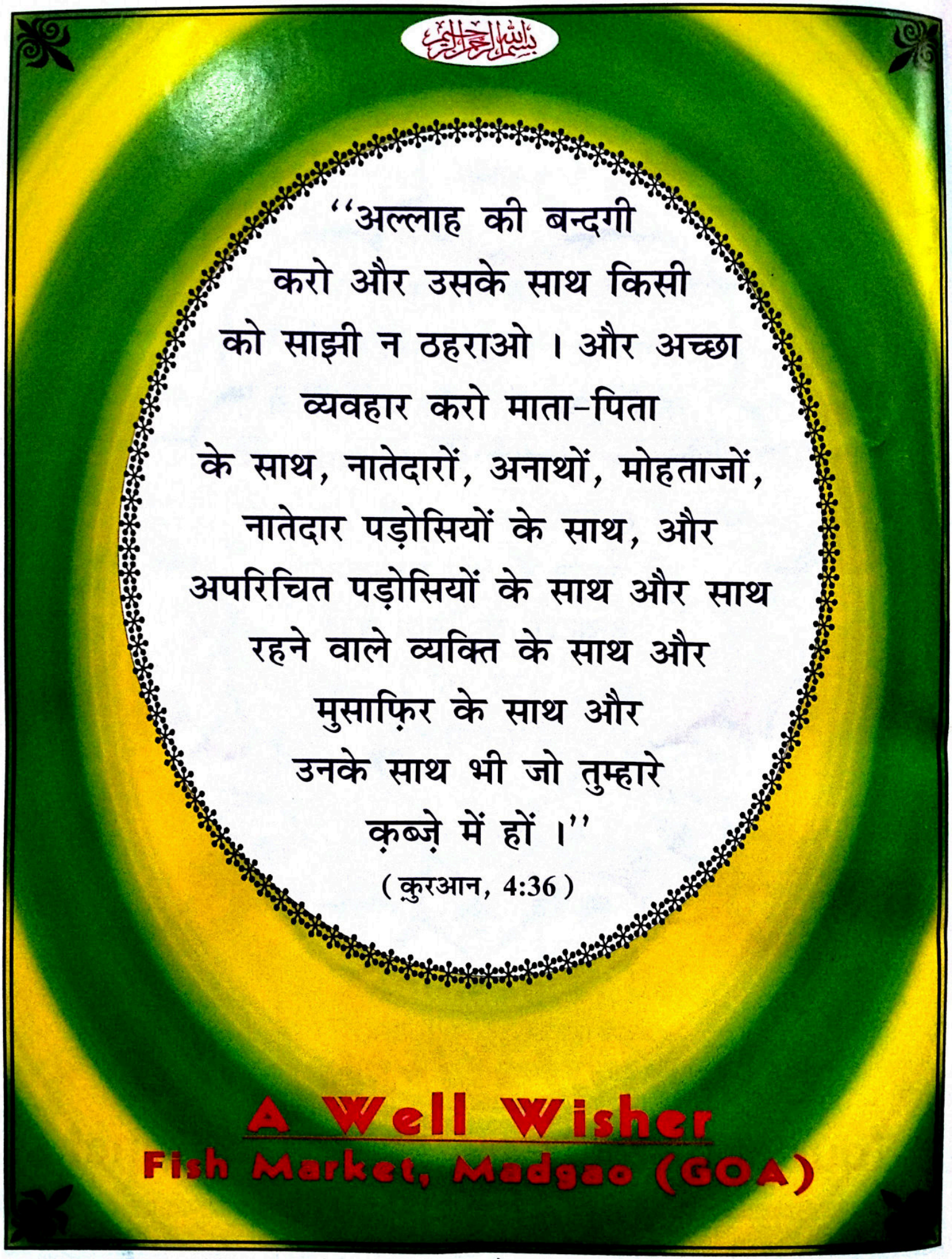
بسم الله الرحمن الرحيم
"अल्लाह की बन्दगी
करो और उसके साथ किसी
को साझी न ठहराओ । और अच्छा
व्यवहार करो माता-पिता
के साथ, नातेदारों, अनाथों, मोहताजों,
नातेदार पड़ोसियों के साथ, और
अपरिचित पड़ोसियों के साथ और साथ
रहने वाले व्यक्ति के साथ और
मुसाफ़िर के साथ और
उनके साथ भी जो तुम्हारे
क़ब्ज़े में हों ।"
(क़ुरआन, 4:36)
A Well Wisher
Fish Market, Madgao (GOA)

Deals in : Home Electrical Appliance, Sale & Service

Specialist :

Spare Parts of Home Electrical appliance,
Water Filter, R.O., Washing Machine, Fan Mixie,
Pump, Geyser & Other Electrical Accessories

Shop No. O-1, Tank Road, Sakchi, Jamshedpur-831001
Phone : 0657-2439882, 0657-6548732

AL-HIRA PUBLIC SCHOOL

الحراء پبلک اسکول

Contemporary Education in Islamic Atmosphere

Sharif Colony, Patna-6
Phone : 0612-2660644, 6531127

BRANCHES :

Ansar Nagar, Nawada, Phone : 923416352, 9835421787
Mahnar, Vaishali, Phone : 9234137775, 7631839407
Bahadurganj, Kishanganj, Phone : 9472369425/26

"علم اوربغیر علم والے یکساں نہیں ہوسکتے۔" (قرآن)



الحراء پبلک اسکول وہاسٹل، شاہ گنج، پٹنہ

AL-HIRA PUBLIC SCHOOL & HOSTEL

Muhammadpur, Shahganj, Patna.

- ★ CBSE Curriculum
- ★ English Medium
- ★ Quality Education
- ★ Co-curricular Activities
- ★ Seprate Hostel For Boys & Girls
- ★ Class Monitoring with CCTV
- ★ Regular Weekly Test.

☎ 0612-2685287, 09431087443

E-mail: alhirashahpat@sify.com

website: www.alhirapatna.com

MILLENNIUM GIRLS SCHOOL

(Run by Almen Educational Foundation)

AZAD COLONY, PABRA ROAD
HAZARI BAGH (JHARKHAND)

Contact No. : 9234131237, 9835293957, 9204493451



VISION :

Modern education for girls with moral and spirituall orientation, to educate them to shoulder the responsibilities entailed on them by the society. A practical, purpossive, meaningful & enjoyable environment to help the mind of educand for absolute realization of moral and intellectual values.

EXISTING FACILITIES :

- **Bus for day schoolars.**
- **Warden, maintained hostel for inmates.**
- **Spacious, maintained hostel for inmates.**
- **Wazoogaah, Separate Washing Place.**
- **Healthy Kitchen and Dining Area.**
- **Library & Computer Section.**

FUTURE PLANS :

Plans	Estimated Cost
Upgrading Library & Computer Section	2,50,000
Audio Visual Lab	1,00,000
Modern Well Equiped Kitchen & Eating Place	2,00,000
Playing & Drill Materials & Equipment	5,0000
Auditorium	5,00,000
One More Bus+One Van	10,00,00,000

Dr. A. A. Farooqui
Secretary

Dr. Hassan Raza
Chairman

Matloob Ahmad
Administrator

Cardiac Services by

Fortis Escorts

HEART INSTITUE

In association with

Alam Hospital and Research Centre Pvt. Ltd.

An ISO 9001-2008, Certified Hospital

NBE (Ministry of Health & Family Welfare, New Delhi) Accredited Hospital for DNB (Gen Surgery)

Regd. No. U85110 JH 2003 PTC 01 0286

Booty Road, Bariatu, Ranchi-834009 (Jharkhand) Phone : 0651-2547233, 6450575, Fax : 91-0651-2546567

Alam Hospitals and Research Centre, a reputed Centre for Surgery, was founded by Dr. Majeed Alam in 1985. Started as a small nursing home, AHRC has emerged as a multispeciality, state of art, 150 bedded teaching hospital in the capital city. AHRC is successfully running DNB (General Surgery) course for last two years.

The team of doctors, nurses, technicians and administrator aided by the state of art equipments provides best health care at an affordable cost.

It has wide range of investigative, preventive and therapeutic facilities aiming to provide comprehensive health care services under one roof.

The hospital aims at providing highest quality treatment to each and every patients thereby producing high level of patient satisfaction which is our core policy.

"CARE & CURE"



MUNAM PUBLIC SCHOOL

(An English Medium, C.B.S.E. Affiliated, Residencial School)

Maharaj Gunj, P.O. Dadpur, Distt. Hazaribagh-825406, Jharkhand

Contact : Mob. : +919431530878, E-mail : Munam_school2000edu@yahoo.com

Bond to Educate on Islamic Principle

THE ENDEAVOUR

OUR MISSION is to impart modern and scientific education to poor, forgotten and depressed Muslim students.

OUR VISION is to overcome the stalemate of illiteracy among Muslims.

OUR ACHIEVEMENTS :

1. The sprawling campus spread over 12.2 acres.
2. Primary, Junior & Senior school buildings.
3. Separate Boys and Girls Hostels.
4. Vocational training centre.
5. Own school mosque.
6. 95% result over the last 5 years.
7. Only minority school in Jharkhand affiliated to CBSE.

OUR OBSTACLES : LACK OF

1. School building and related facilities for senior secondary classes.
2. Auditorium, Gymnasium and staff quarters.

OUR APPEAL : We do seek your fullest cooperation in our endeavor, and brotherly hand for over coming the obstacles and accomplishing the goals.

(Matinul Hassan)
Secretary



Result of Class Xth CBSE Board 2010

Total Students	Passed Students	Above 90%	Above 80%	Above 70%	Above 60%	Above 50%	Above 40%
250	248	17	35	40	69	47	40

بسم الله الرحمن الرحيم

- इन्सानियत सूद की ज़ंजीरों में जकड़ी हुई परेशानहाल है।

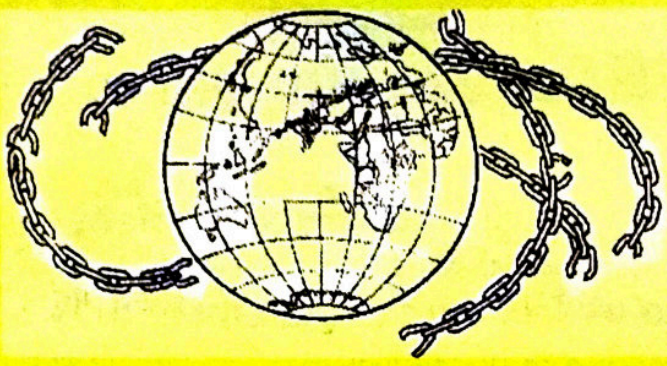

- इस्लाम की आर्थिक व्यवस्था ही इन ज़ंजीरों को तोड़ने में कामयाब हो सकती है।

इस्लामिक वेल्फ़ेयर सोसायटी, भटकल

इसी जिद्दोजेहद में मसरूफ़े अमल है

**Interest is unhuman, unkind, unjust & disastrous.
Islamic System of Interest free Banking can help to establish
Peace and Economic Prosperity for the whole mankind.
Islamic Welfare Societystruggles to achieve this noble task.**

Patel Kadir Meeran
(Secretary)

Syed Abdullah Lanka
(President)

ISLAMIC WELFARE SOCIETY

**211, Main Road, BHATKAL - 581320
(Karnataka) Tel.: 08385 - 226601**

इसका अर्थ है किसी वस्तु को बदलने की दशा में अधिक देना । फ़ज़्ल का अर्थ है अधिक । एक सहीह हदीस में आया है–

सोने को सोने के बदले बेचो और चांदी को चांदी के बदले और गेहूं को गेहूं के बदले और जौ को जौ के बदले और खजूर को खजूर के बदले और नमक को नमक के बदले और जो एक दूसरे के बराबर हों और हाथ के हाथ हों । ये चीज़ें अगर बदलकर बेचनी हों तो जैसे चाहो वैसे, बेचो, परन्तु हाथ के हाथ होनी चाहिए ।

(सहीह मुस्लिम : 1587)

अर्थात उधार नहीं ।

इसी प्रकार की और भी बहुत-सी सहीह हदीसें हैं जिनसे निम्नलिखित बातों का ज्ञान होता है ।

1. ये चीज़ें तीन प्रकार की हैं–एक सोना, चांदी । दूसरी अनाज । तीसरी मसाला ।

ये तीन प्रकार की वे चीज़ें हैं जिनसे मनुष्य की विशेष आवश्यकताएं पूरी हो जाती हैं । इस्लाम ने इनको बेचने के लिए इस बात को ध्यान में रखा कि कहीं इनमें भी ब्याज का कोई पहलू पैदा न होने पाये इसलिए इनको बेचने के लिए दो शर्तें लगायीं । एक यह कि इनको बराबर की दशा में बेचा जाए । अर्थात एक अनाज या नमक को एक ही किलोग्राम अनाज या नमक से बेचा जाए । इसमें अच्छे और ख़राब सब बराबर हैं । यह प्रतिबंध इसलिए लगाया कि कहीं किसी निर्धन को ब्याज के दलदल में न फंसना पड़ जाए ।

दूसरी शर्त यह लगायी गयी कि हाथ के हाथ हो । अर्थात उधार न हो जैसे कोई एक किलोग्राम सोना के बदले बेचना चाहे परन्तु उधार पर, तो यह सही नहीं होगा बल्कि ब्याज बन जाएगा । क्योंकि पहले बताया जा चुका है कि समय ब्याज का विशेष कारण है । इसलिए आवश्यक है कि ये चीज़ें बराबर के साथ हाथ के हाथ बेची जाएं ।

2. जब इनको बदल कर बेचना हो तो जैसे चाहे बेच सकते हैं परन्तु शर्त यह है कि हाथ के हाथ बेची जाएं । जैसे सोने को चांदी के बदले या गेहूं को जौ के बदले बेचना हो तो बराबर का होना आवश्यक नहीं । जिस प्रकार और जितने में चाहें बेच सकते हैं, परन्तु हाथ के हाथ होना आवश्यक है ।

3. जब इन चीज़ों के बदले किसी और चीज़ को बेचना हो तो फिर कोई शर्त नहीं, जैसे चाहे बेचा जाए । हाथ के

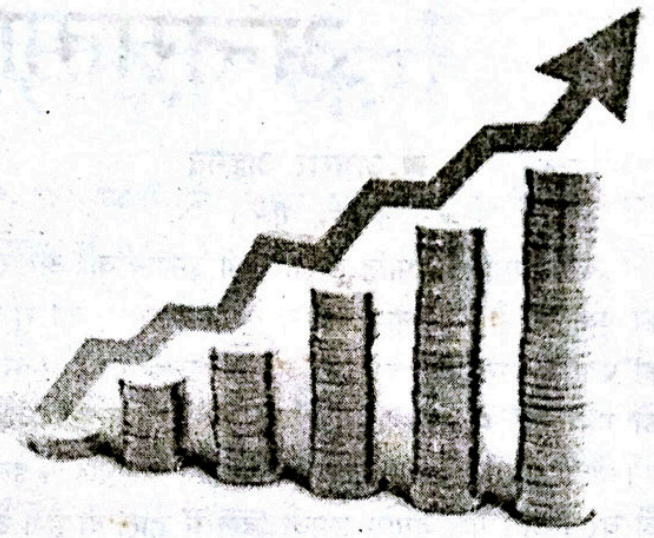

हाथ होना भी आवश्यक नहीं । जैसे एक ग्राम सोने के बदले सौ किलोग्राम गेहूं । इसी प्रकार सौ किलोग्राम खजूर के बदले पांच सौ किलोग्राम अनाज । ऐसी दशा में बराबर होना अनिवार्य नहीं है, बल्कि जिस प्रकार आपस में तय हो जाए बेचा जा सकता है । अब एक व्यक्ति सौ किलो ग्राम उत्तम चावल को उससे कम अच्छे चावल के बदले बेचना चाहता है ताकि अधिक मिल जाए तो उसको चाहिए कि पहले सौ किलोग्राम उत्तम चावल को रुपयों में बेच दे, और फिर उस रुपये से कम अच्छा चावल जितना मिलता हो ख़रीद ले । ऐसी दशा में उस पर कोई प्रतिबंध नहीं है । यह है इस्लाम की आर्थिक व्यवस्था, जिसके द्वारा वह निर्धन के अधिकार की रक्षा करता है, ताकि वह ब्याज के रोग में जकड़कर सदैव के लिए नष्ट न हो जाए ।

अब चूंकि व्यापार में लेन-देन नोटों के द्वारा होता है इसलिए एक हज़ार एक सौ रुपये ले या दे तो यह ब्याज कहलाएगा, चाहे हाथ के हाथ हों या क़र्ज़ की दशा में, चाहे बैंक के द्वारा हों या व्यक्ति द्वारा । इसलिए बैंक के ब्याज से बचने के लिए विद्वानों ने इस्लामिक बैंक का विचार पेश किया । जो शरीअत के विभिन्न आधारों पर निर्धारित है विशेषकर मुजारबत और "सलम" । मुज़ारबत यह है कि कुछ लोग मिलकर पूंजी इकट्ठा करते हैं और कुछ लोग उससे व्यापार करते हैं और सभी लोग लाभ और हानि में किसी सिद्धांत के द्वारा सम्मिलित होते हैं ।

सलम का प्रयोग व्यापार में किया जाता है जो बैंक से क़र्ज़ लेकर सलम के सिद्धांत पर वापस किया जाता है । अधिक जानकारी के लिए किसी इस्लामी बैंककारी की पुस्तक का अध्ययन किया जा सकता है ।

अन्तरात्मा की आवाज़

■ अबरार अहमद
(कोटा, राज॰)

अन्य धर्मों की भाँति इस्लाम भी इन्सान की अन्तरात्मा को पुकारता है । इस्लाम इन्सान की अन्तरात्मा को सुधारने का प्रयास करता है । इस्लामी तालीम इन्सान की अन्तरात्मा की गहराइयों में उतर आये, यही इस्लाम का प्रथम लक्ष्य है । यहां इस्लाम का अर्थ अमन से है । अल्लाह ने इन्सान की बुराई और परहेज़गारी उसके दिल में डाल दी है । अत: इन्सान को चाहिए कि पहले तो वह अपनी अन्तरात्मा को विशुद्ध करे, फिर अपनी अन्तरात्मा की ही आवाज़ सुने ।

"और मानवीय आत्मा की और उस सत्ता की क़सम जिसने उसे ठीक-ठाक किया फिर उसकी बुराई और परहेज़गारी उसके दिल में डाल दी । यक़ीनन सफलता पा गया वह जिसने आत्मा को विशुद्ध एवं विकसित किया और असफल हुआ वह जिसने उसको दबा दिया ।"

(कुरआन, : 91: 7-10)

जब इन्सान पर कोई मुसीबत आती है तो वह केवल अल्लाह को पुकारता है क्योंकि उसकी अन्तरात्मा उसे आवाज़ देती है कि अल्लाह के सिवा कोई उस मुसीबत को टालने वाला नहीं है । परन्तु जब अल्लाह उस मुसीबत से इन्सान को निकाल देता है, तो वह अपनी अन्तरात्मा की आवाज़ को दबा लेता है और अल्लाह के साथ शिर्क करने लगता है । जब कोई क़ौम अपनी अन्तरात्मा की आवाज़ को अनसुनी कर देती है, तो अल्लाह की ओर से उस पर शामत आ जाती है और जब अल्लाह किसी क़ौम की शामत लाने का फ़ैसला करे तो फिर कोई उसे टालने वाला नहीं ।

सत्य यह है कि अल्लाह अपने बन्दों पर बड़ा मेहरबान है, लेकिन इन्सान वास्तव में बड़ा कृतघ्न है । इन्सान की कृतघ्नता का बवाल उसी पर आता है तथा वह दोज़ख़ में जाने वालों में शामिल हो जाता है ।

अल्लाह इन्सान को जल और थल की सैर कराता है । अल्लाह ही समुद्र में नौका चलाता है ताकि इन्सान अपनी रोज़ी तलाश कर सके । अत: जब मुसाफ़िर नौका पर सवार होकर अनुकूल हवा पर प्रसन्नता के साथ सफ़र कर रहे होते हैं, तभी अचानक प्रतिकूल हवा आती है और मुसाफ़िर तूफ़ान में घिर जाते हैं तो उनकी अन्तरात्मा सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह ही को पुकारती है । उस समय उसके अलावा जिन-जिन को पुकारते थे, वे सब गुम हो जाते हैं । फिर वे कहते हैं कि अगर अल्लाह ने यह बला टाल दी तो हम उसके शुक्रगुज़ार बन्दे बनेंगे । उस समय वे अपने दीन-धर्म को अल्लाह के लिए ख़ालिस करके अल्लाह से दुआएं मांगते हैं । मगर जब अल्लाह उन्हें बचा लेता है तो फिर वे अपनी अन्तरात्मा की आवाज़ को दबा देते हैं और ज़मीन में विद्रोह करने लगते हैं । उनका यह विद्रोह उन्हीं के ऊपर पड़ता है । क्योंकि दुनिया की ज़िन्दगी थोड़े दिनों की है, फिर लौटना अल्लाह ही की ओर है ।

"इन्सान पर जब कोई विपत्ति आती है, तो वह अपने रब की ओर रुजू करके उसे पुकारता है । फिर जब उसका रब उसे अपनी नेमत प्रदान कर देता है, तो वह उस मुसीबत को भूल जाता है, जिस पर वह पहले पुकार रहा था और दूसरों को अल्लाह का समकक्ष ठहराता है ताकि उसकी राह से भटका दे । (ऐ नबी) उससे कहो कि थोड़े दिन अपने इन्कार से आनन्द ले ले, यक़ीनन तू दोज़ख़ में जाने वाला है ।"

(कुरआन, 39:8)

अल्लाह किसी क़ौम के हालात उस वक़्त तक नहीं बदलता जब तक कि वह क़ौम स्वयं अपने गुणों को नहीं बदल लेती । और जब अल्लाह किसी क़ौम की शामत लाने का फ़ैसला कर ले तो उस वक़्त न अल्लाह के मुक़ाबले कोई उस क़ौम का समर्थक होता है, न ही सहायक ।

"यह मामला उनके साथ उसी तरह पेश आया जिस तरह फ़िरऔन के लोगों और उनके पहले के दूसरे लोगों के साथ पेश आता रहा है कि उन्होंने अल्लाह की आयतों को मानने से इन्कार किया और अल्लाह ने उनके गुनाहों पर उन्हें पकड़ लिया । अल्लाह शक्तिवान और कठोर सज़ा देने वाला है ।"

(कुरआन, 8:52)

"यह अल्लाह के इस नियम के अनुसार हुआ कि वह किसी नेमत को जो उसने किसी क़ौम को प्रदान की हो, उस समय तक नहीं बदलता जब तक कि वह क़ौम अपनी नीति को नहीं बदल देती । अल्लाह सब कुछ सुनने और जानने वाला है ।"

(कुरआन, 8:53)

इंसान और उसका कर्म

■ संकलित

इंसान एक सामाजिक प्राणी है और समाज में रहकर अपना जीवन व्यतीत करता है । मौलाना फ़ारूक़ ख़ान लिखते हैं कि समाज में कितने लोग ऐसे मिलेंगे, जो नेकी व भलाई के कामों में लगे रहते हैं । उनका त्याग व उत्सर्ग महान होता है । किन्तु उनके भाग में दुख, कलेष और अनादर के अतिरिक्त कुछ नहीं आ पाता । उन्हीं में कई ईमानदार व मेहनती आदमी ऐसे भी मिलेंगे, जिन्हें परिश्रम करने के बाद भी दो वक़्त की रुखी-सूखी रोटी भी प्राप्त नहीं होती ।

इसके विपरीत कई बुरे कर्म करने वाले दुनिया में इस हद तक भोग-विलास, ऐशोआराम करते रहते हैं कि ऐशोआराम की अधिकता उन्हें और अधिक दुराचारी बनाती चली जाती है । वे जीवन भर अपनी दुष्टता से समाज के लोगों को सताते और उनकी आहें बटोरते रहते हैं । उनके इस व्यवहार के कारण मानव-जगत में भयंकर बिगाड़ पैदा होता है । वे बुराई का ऐसा बीजारोपण कर जाते हैं कि लोगों को शताब्दियों तक उनके विषैले फल चखने पड़ते हैं कि लोगों को उनके अत्याचार और अनाचार से जनता त्राहि-त्राहि करने लगती है । और उनकी हृदयविदारक चीख़ बहुत ज़माने तक सुनायी देती रहती है ।

सुप्रसिद्ध लेखक बिन्तुल इस्लाम लिखते हैं कि अल्लाह तआला ने दुनिया में नेक काम करने और बुरे काम को करने से रोकने के लिए क़ुरआन में मुसलमानों को स्पष्ट रूप से यह आदेश दिया गया है कि वे दुनिया में भलाइयों को फैलाने और बुराइयों को रोकने का प्रबंध करें । और उनमें स्थायी रूप से एक ऐसा समुदाय व गिरोह होना चाहिए जो इस अनिवार्य काम को करता रहे ।

(मरने के बाद क्या होगा, पृष्ठ-7)

अल्लाह तआला क़ुरआन में फ़रमाता है–"तुममें कुछ लोग तो ऐसे ज़रूर ही होने चाहिएं जो नेकी की ओर बुलाएं, भलाई का आदेश दें और बुराइयों से रोकते रहें । जो लोग यह काम करेंगे, वही सफलता पाएंगे ।" (3:104)

"और जिन लोगों ने अच्छा कर्म किया वे अपने ही लिए सफलता का मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं, ताकि अल्लाह ईमान लाने वालों और अच्छे कर्म करने वालों को अपनी मेहरबानी से बदला दे ।" (30 : 44, 45)

इंसान अपने जीवन में जो भी कर्म करता है, चाहे वह सत्कर्म हो या दुष्कर्म । उसके सारे कर्मों का रिकार्ड साफ़-साफ़ तैयार हो जाता है । हश्र (महाप्रलय) के दिन यह रिकार्ड इन्सान के सुपुर्द कर दिया जाएगा, ताकि वह स्वयं देख ले वह संसार में क्या-क्या कर्म करके आया है । इस रिकार्ड को कर्म-पत्र कहा जाता है ।

"और क़ियामत (महाप्रलय) के दिन हम एक लिखित लेख उसके लिए निकालेंगे, जिसे वह खुली किताब की तरह पाएगा । पढ़ अपना आमालनामा (कर्म-पत्र) आज अपना हिसाब लगाने के लिए तू ख़ुद ही काफ़ी है ।" (17:13,14)

क़ुरआन मजीद में अनेक जगहों पर इस बात को स्पष्ट किया गया है कि परलोक में बदी (बुरे-कर्म) का बदला उतना ही दिया जाएगा, जितनी किसी ने बदी की होगी और नेकी (सत्कर्म) का बदला अल्लाह तआला इन्सान के अमल (कर्म) से बहुत ज़्यादा प्रदान करेगा ।

"जो आदमी भलाई लेकर आएगा, उसे उससे ज़्यादा बेहतर बदला मिलेगा, और ऐसे लोग उस दिन के हौल से बचे हुए होंगे । और जो बुराई लिए हुए आएगा, ऐसे सब लोग औंधे मुंह आग में फेंके जाएंगे । क्या तुम लोग इसके सिवा कोई और बदला पा सकते हो कि जैसा करो वैसा भरो ।" (27: 89,90)

"जो बुराई करेगा, उसको उतना ही बदला मिलेगा जितनी उसने बुराई की होगी और जो नेक काम करेगा, चाहे वह मर्द हो या औरत, शर्त यह है कि हो वह ईमान वाला, ऐसे सब लोग जन्नत में प्रवेश करेंगे जहां उनको बेहिसाब रोज़ी दी जाएगी ।" (40:40)

क़ियामत (महाप्रलय) के दिन हश्र के मैदान का ऐसा हौल (भय) और अल्लाह की अदालत का ऐसा रोब छा जाएगा कि बड़े-बड़े हेकड़ लोगों की अकड़ भी समाप्त हो जाएगी और विनम्रतापूर्वक सब घुटनों के बल गिरे होंगे ।

"उस समय हम हर गिरोह को घुटनों के बल गिरा देखोगे । हर गिरोह को पुकारा जाएगा कि आये और अपना

आमालनामा (कर्म-पत्र) देखे । उनसे कहा जाएगा, "आज तुम लोगों को उन कर्मों का बदला दिया जाएगा जो तुम करते रहे थे । यह हमारा तैयार कराया हुआ आमालनामा है जो तुम्हारे ऊपर ठीक-ठीक गवाही दे रहा है । जो कुछ भी तुम करते थे, उसे हम लिखवाते जा रहे थे । फिर जो लोग ईमान लाए थे और अच्छे कर्म करते रहे थे, उन्हें उनका रब अपनी दयालुता में दाख़िल करेगा, और यही स्पष्ट सफलता है । और जिन लोगों ने इन्कार किया था (उनसे कहा जाएगा), "क्या मेरी आयतें तुम को नहीं सुनायी जाती थी ? मगर तुमने घमंड किया और अपराधी बनकर रहे ।"

(45:28-31)

इस सिलसिले में कुरआन में एक-दूसरी जगह अल्लाह तआला फ़रमाता है–"उस दिन लोग विभिन्न दशा में पलटेंगे, ताकि उनके कर्म उनको दिखाये जाएं । फिर जिसने कण भर भी नेकी की होगी, वह उसको देख लेगा और जिसने कण भर भी बुराई की होगी, वह उसको देख लेगा ।" (99:6-8)

मौलाना मौदूदी (रह०) कुरआन की आयत की व्याख्या करते हुए लिखते हैं कि–ताकि उनके कर्म उनको दिखाये जाएं, से अभिप्राय यह कि उनको उनके कर्म दिखाएं जाएं, अर्थात हर एक को बताया जाए कि वह दुनिया में क्या करके आया है । दूसरे यह कि उनको उनके कर्म का बदला दिखाया जाए । कुरआन मजीद में अनेक स्थानों पर इसे स्पष्ट किया गया है कि आस्थावान और आस्थाहीन, सदाचारी और दुराचारी सबको उनके कर्म-पत्र ज़रूर दिखाएं जाएंगे । उदाहरण के रूप में देखिये सूरा-69:19-25, सूरा : 84:7-10)। जिसने कण भर भी नेकी की होमी, इस कथन का सीधा-सादा अर्थ तो यह है कि आदमी की कोई कण-भर भी नेकी या बदी ऐसी नहीं होगी जो उसके कर्म-पत्र में अंकित होने से रह गयी हो । उसे वह बहरहाल देख लेगा । इस संबंध में कुरआन मजीद सैद्धांतिक दृष्टि से कुछ बातें स्पष्ट रूप से सामने रख देता है ।

● पहला यह कि सत्य का इन्कारी और मुशरिक और मुनाफ़िक़ (वे इन्सान जिन लोगों ने अल्लाह, अल्लाह के रसूल हज़रत मुहम्मद (सल्ल०), अल्लाह की किताबों, आख़िरत (परलोक), सारे नबियों, फ़रिश्तों का इन्कार किया अर्थात ईमान न लाये) के कर्म अर्थात वे कर्म जिनको नेकी समझा जाता है, नष्ट कर दिये गये । परलोक में वे उन कर्मों का कोई इनाम (पुरस्कार) नहीं पा सकेंगे । उनका अगर कोई इनाम है भी तो वह दुनिया ही में उनको मिल जाएगा ।

"फिर जब ये इन्कारी आग के सामने ला खड़ा किये जाएंगे, तो उनसे कहा जाएगा, "तुम अपने हिस्से की नेमतें अपनी दुनिया की ज़िन्दगी में समाप्त कर चुके और उसका आनन्द तुमने उठा लिया, अब जो घमंड तुम ज़मीन में किसी अधिकार के बिना करते रहे और जो नाफ़रमानियां तुमने कीं, उनके बदले में आज तुमको अपमान का अज़ाब दिया जाएगा ।" (46:20)

"ये वे लोग हैं जिन्होंने अपने रब की आयतों को मानने से इन्कार किया और उसके हुज़ूर पेशी का यक़ीन न किया । इसलिए उनके सारे कर्म व्यर्थ गये, क़ियामत (महाप्रलय) के दिन हम उन्हें कोई वज़न न देंगे । उनका बदला जहन्नम है उस 'कुफ़्र' के बदले जो उन्होंने किया और उस उपहास के बदले में जो वे मेरी आयतों और मेरे रसूलों के साथ करते रहे ।". (18:105,106)

● दूसरे यह कि बदी (बुरे कर्म) की सज़ा उतनी ही दी जाएगी जितनी बदी है, मगर नेकियों का इनाम मूल कर्म से अधिक दिया जाएगा । (देखिये सूरा 6:160)

● तीसरे यह कि मोमिन (ईमान वाले) अगर बड़े-बड़े गुनाहों से परहेज़ करेंगे, तो उनके छोटे-छोटे गुनाह माफ़ कर दिये जाएंगे । (देखिये सूरा 4:31)

● चौथे यह कि सदाचारी ईमान वाले से हल्का हिसाब लिया जाएगा, उसकी बुराइयों को माफ़ कर दिया जाएगा और उसके अच्छे और उत्कृष्ट कर्मों की दृष्टि से उसको ईनाम दिया जाएगा । (देखिये सूरा 29:7, 46:16)

उदाहरण के रूप में हज़रत अबू अय्यूब अंसारी (रज़ि०) से अल्लाह के रसूल (सल्ल०) ने इस आयत के बारे में फ़रमाया था–"तुममें से जो व्यक्ति नेकी करेगा उसका बदला आख़िरत में है और जो किसी प्रकार की बुराई करेगा वह इसी दुनिया में उसकी सज़ा मुसीबतों व बीमारियों के रूप में भुगत लेगा ।" (इब्ने मर्दूया)

इसी तरह सत्य के इन्कारी के बारे में आप (सल्ल०) का कथन है कि "दुनिया में उसकी भलाइयों का बदला चुका दिया जाता है, फिर जब क़ियामत (महाप्रलय) होगी तो उसके हिसाब में कोई नेकी न होगी ।"

(इब्ने जरीर)

(तलख़ीस तफ़हीमुल कुरआन, भाग-2, पृ० 983-984)

अहिंसा और इस्लाम

■ डॉ॰ मुहम्मद अहमद

वामन शिवराम आप्टे ने 'संस्कृत-हिन्दी-कोश' में 'अहिंसा का अर्थ इस प्रकार किया है–अनिष्टकारिता का अभाव, किसी प्राणी को न मारना, मन-वचन-कर्म से किसी को पीड़ा न देना (पृष्ठ 134)। मनुस्मृति (10-63, 5-44, 6-75) और भागवत पुराण (10-5) में यही अर्थापन किया गया है । 'अहिंसा परमो धर्म:' का वाक्य इसी से संबंधित है । प्रसिद्ध जैन विद्वान श्री वल्लभ सूरी ने अपनी पुस्तक 'जैनिज़्म' (Jainism) में 'अहिंसा' की व्याख्या इन शब्दों में की है–

"जैन धर्म के संतों ने अहिंसा को सदाचार के एक सिद्धांत के रूप में ज़ोर देकर प्रतिपादित किया है । 'अहिंसा' की संक्षिप्त परिभाषा यह है कि जीवन सम्मानीय है चाहे वह किसी भी रूप में मौजूद हो । अत: किसी भी जीव को हानि न पहुंचाओ और इसे सदाचरण का श्रेष्ठतम नियम बन जाने दो । सज्जन पुरुष वह है जो हिंसा की ओर तनिक भी प्रवृत्त न हो । प्रत्येक धर्म मानव-जीवन के सम्मान को स्वीकार करता है । जैन-धर्म इन्हीं अनुभूतियों और भावनाओं को जीवन के दूसरे रूपों तक विस्तृत करना चाहता है...पर एक व्यक्ति कह सकता है कि जीवन के सभी रूपों को हानि पहुंचाने से पूर्णत: बचते हुए संसार में जीवित रहना लगभग असंभव है, इसलिए जैन धर्म विभिन्न प्रकार की हिंसाओं में हिंसा करने वाले की मानसिक प्रवृत्ति के अनुसार अन्तर करता है...यह बात मानी हुई है कि प्रतिदिन के कार्य, चलने-फिरने, खाना पकाने और कपड़े धोने एवं इस प्रकार के दूसरे कार्यों से बहुत कुछ हिंसा होती है । कृषि और उद्योग-धंधे के विभिन्न कार्य भी हिंसा का कारण बनते हैं । इसी प्रकार स्वयं की अथवा धन-संपत्ति की प्रतिरक्षा के सिलसिले में भी हमलावर से जीवन को हानि पहुंच सकती है या वह नष्ट हो सकता है । अत: जैन धर्म इस सामान्य और समग्र सैद्धांतिकता के बावजूद, जो इसके सभी सिद्धांतों की एक विशेषता है, एक गृहस्थ की हिंसा के इन तीन प्रकार को करने से नहीं रोकता है, जिन्हें सांयोगिक, व्यावसायिक और प्रतिरक्षात्मक कह सकते हैं । गृहस्थ को ऐसी हिंसा से बचने का परामर्श दिया गया है जो हिंसा के लिए हो, जो मात्र रस, प्रसन्नता और मनोविहार के रूप में हो या कोई उद्देश्य प्राप्त करना अभीष्ट हो ।" (पृष्ठ 8-10)

इस्लाम व्यावहारिक मानव-जीवन के प्रत्येक अंग के लिए एक प्रणाली है । यह वह प्रणाली है जो आस्था-संबंधी उस कल्पना को भी अपने में समाहित किये हुए हैं, जो जगत की प्रकृति की व्याख्या करती और जगत में मानव का स्थान निश्चित करती है, जिस प्रकार वह मानव अस्तित्व के मौलिक उद्देश्य को निश्चित करने का कार्य करती है । इसमें सिद्धांत और व्यावहारिक व्यवस्थाएं भी शामिल हैं, जो इस आस्थात्मक कल्पना से निकलती एवं इसी पर निर्भर करती हैं और इसे वह व्यावहारिक रूप प्रदान करती मानव-जीवन में चित्रित होता है ।

'इस्लाम' अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है–

"शांति में प्रवेश करना । यह संधि, कुशलता, आत्मसमर्पण, आज्ञापालन और विनम्रता के संदर्भ में भी प्रस्तुत होता है । इस्लाम अर्थात् वह धर्म जिसके द्वारा मनुष्य शांति-प्राप्ति के लिए अल्लाह की शरण लेता है और क़ुरआन एवं हदीस (हज़रत मुहम्मद सल्ल॰ के वचन एवं कर्म) द्वारा निर्दिष्ट सिद्धांतों के आधार पर अन्य मनुष्यों के प्रति प्रेम और अहिंसा का व्यवहार करता है ।"

(शॉरटर इन्साइक्लोपीडिया ऑफ़ इस्लाम, पृष्ठ 176)

इस्लाम मनुष्य को शांति और सहिष्णुता का मार्ग दिखाता है । यह सत्य, अहिंसा, कुशलता का समर्थक है । इसका संदेश वास्तव में शांति का संदेश है। इसका लक्ष्य शांति, सुधार और निर्माण है । वह न तो उपद्रव और बिगाड़ को पसन्द करता है और न ही जुल्म-ज़्यादती, क्रूरता, अन्याय, अनाचार, अत्याचार, असहिष्णुता, पक्षपात और संकीर्णता आदि विकारों व बुराइयों का समर्थक है । ईशदूत हज़रत मुहम्मद (सल्ल॰) ने कहा कि जो व्यक्ति भी इस्लाम में आया, सलामत रहा ।

इतिहास में झांकें तो यह तथ्य स्पष्टतया सामने आता है कि हज़रत मुहम्मद (सल्ल॰) से पूर्व अरबवासी सभ्यता और मानवोचित आचार-व्यवहार से कोसों दूर थे, इसीलिए इस

युग को 'ज़माना-ए-जाहिलीयत' (अज्ञानकाल) कहा जाता है (द्रष्टव्य-लिटरेरी हिस्ट्री ऑफ़ अरब्स-आर०ए० निकल्सन, कैम्ब्रिज यूनीवर्सिटी, पृष्ठ 25)। उस युग में चारों ओर अज्ञान, अनाचार, अशांति, अमानवीय कृत्यों और वर्गगत विषमताओं का साम्राज्य था । अरबों में अधिकतर बद्दू थे, जो प्राय: असभ्य होने के साथ-साथ अत्यंत पाषाणहृदय भी थे । इनके बारे में कुरआन में कहा गया है–"ये बद्दू इन्कार और कपटाचार में बहुत ही बढ़े हुए हैं ।"

इस्लाम ने उन सभ्य आचार-विचार से रहित बद्दुओं को सन्मार्ग दिखाया और उन्हें पशुत्व से ऊपर उठाकर मानवता के श्रेष्ठ मूल्यों से परिचित कराया, बल्कि उन्हें दूसरों के पथ-प्रदर्शक एवं अल्लाह के धर्म का आवाहक बना दिया । हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) ने लोगों को सदाचार और नैतिकता की शिक्षा दी । उन्हें प्रशिक्षित कर आत्मशुद्धि का मार्ग दिखाया और समाज को तथ्यहीन रीति-रिवाजों से मुक्त कर उच्च कोटि के नैतिक व्यवहार, संस्कृति, सामाजिकता और अर्थ के नये नियमों पर व्यवस्थित कर सुसंगठित किया । कुरआन में हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) के बारे में अल्लाह ने कहा है–"हमने तुम्हें सारे संसार के लिए बस सर्वथा दयालुता बनाकर भेजा है ।" (21:107)। स्पष्ट है, जो सारे संसार के लिए दयालुता का आगार हो, उसकी शिक्षा हिंसात्मक कदापि नहीं हो सकती । हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) ने कहा है–"अल्लाह ने मुझे नैतिक विशेषताओं और अच्छे कार्यों की पूर्ति के लिए भेजा है ।" (शरहुस्सुन्नह)। कुरआन में है–"निस्सन्देह तुम (हज़रत मुहम्मद सल्ल०) एक महान नैतिकता के शिखर पर हो ।" (69:4)

इस्लाम के विरोधी लोग और ऐसे कुछ लोग भी जो इस्लाम की शिक्षाओं से अनभिज्ञ हैं, यह दुष्प्रचार करते हैं कि यह हिंसा और आतंकवाद का समर्थक है । ये शब्द इस्लामी शिक्षाओं के विपरीतार्थक शब्द हैं, जिनका इस्लाम से दूर-दूर का भी कोई संबंध नहीं है । यदि कहीं कुछ मुसलमान अपने व्यक्तिगत हित के लिए हिंसा और आतंकवाद का मार्ग अपनाएं और इन्हें बढ़ावा दें, तो भी किसी प्रकार इनका संबंध इस्लाम से नहीं जुड़ सकता, बल्कि यह धर्म-विरुद्ध कार्य होगा और इसे धर्म के बदतरीन शोषण की संज्ञा दी जाएगी । इस्लाम दया, करुणा, अहिंसा, क्षमा और परोपकार का धर्म है । इसके कुछ सुदृढ़ प्रमाणों पर यहां चर्चा की जाएगी ।

कुरआन का आरंभ 'बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम' से होता है । कुरआन की सभी सूरतों (अध्यायों) का प्रारंभ इन्हीं शब्दों से होता है और इन्हीं शब्दों के साथ मुसलमान अपना प्रत्येक कार्य प्रारंभ करते हैं । इनका हिन्दी अनुवाद इस प्रकार है–'अल्लाह के नाम से जो अत्यंत करुणामय और दयावान है ।' ('याल्लाह नाम जापं योल्लाहो दयी हितैष्यपि'–संस्कृत अनुवाद)। इस वाक्य में अल्लाह की दो सबसे बड़ी विशेषताओं का उल्लेख किया गया है । वह अत्यंत करुणामय है और वह अत्यंत दयावान है । उसके बन्दों और भक्तों में भी ये उत्कृष्ट विशेषताएं अभीष्ट हैं । उसके बन्दों की प्रत्येक गतिविधि उसकी कृपा और अनुग्रह की प्राप्ति के लिए होती है । कुरआन में है–'अल्लाह का रंग ग्रहण करो और रंग प्रदान करने में अल्लाह से अच्छा कौन हो सकता है ?' (कुरआन, 2:138)

अल्लाह की कृपाशीलता और उसकी दयालुता का बखान अल्लाह का बन्दा प्रत्येक नमाज़ में बार-बार करता है और अपनी परायणता व विनयशीलता की अभिव्यक्ति बार-बार करता है । यह उसकी सहिष्णुता का द्योतक भी है । पवित्र कुरआन के प्रथम अध्याय का पाठ अल्लाह का बन्दा प्रत्येक नमाज़ में अनिवार्यत: करता है, क्योंकि यह नमाज़ का महत्वपूर्ण भाग है, जिसके अभाव में नमाज़ का आयोजन पूर्ण नहीं हो सकता । यहां इस अध्याय का हिन्दी अनुवाद किया जा रहा है, ताकि सन्दर्भित विषय भली-भांति स्पष्ट हो सके–

"प्रशंसा अल्लाह की के लिए है जो सारे संसार का प्रभु है, बड़ा कृपाशील और दया करने वाला है, बदला दिये जाने के दिन का मालिक है । हम तेरी ही बन्दगी करते हैं और तुझ ही से मदद मांगते हैं । हमें सीधा मार्ग दिखा, उन लोगों का मार्ग, जो तेरे कृपापात्र हुए, जो प्रकोप के भागी नहीं हुए, जो भटके हुए नहीं हैं ।" (कुरआन, 1:1-7)

इस्लाम की शांति, सहिष्णुता, सद्भावना की शिक्षाएं समझने के लिए पवित्र कुरआन की कुछ आयातों के अनुवाद यहां प्रस्तुत हैं–

"जब कभी उनसे कहा गया कि धरती पर फ़साद (अशांति, बिगाड़) न पैदा करो, तो उन्होंने यही कहा कि 'हम तो सुधार करने वाले हैं ।' सावधान, वास्तव में यही लोग फ़साद पैदा करते हैं, किन्तु ये जान नहीं पा रहे हैं ।" (कुरआन, 2:11,12)

"अल्लाह का दिया हुआ खाओ-पियो और धरती में बिगाड़ न फैलाते फिरो।" (कुरआन, 2:60)

"जब उसे सत्ता मिल जाती है तो धरती में उसकी सारी दौड़-धूप इसलिए होती है कि अशांति फैलाए, खेतों को नष्ट और मानव-संतति को तबाह करे—हालांकि अल्लाह बिगाड़ कदापि नहीं चाहता—और जब उससे कहते हैं कि अल्लाह से डर, तो अपनी प्रतिष्ठा का ध्यान उसको गुनाह पर जमा देता है। ऐसे व्यक्ति के लिए तो बस नरक ही पर्याप्त है और वह बहुत बुरा ठिकाना है।" (कुरआन, 2:205-206)

"वे लोग जो खुशहाली और तंगी की प्रत्येक अवस्था में ख़र्च करते रहते हैं और क्रोध को रोकते हैं और लोगों को क्षमा करते हैं—और अल्लाह को भी ऐसे लोग प्रिय हैं, जो अच्छे से अच्छा कर्म करते हैं।" (कुरआन, 3:134)

"ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, आपस में एक-दूसरे के माल ग़लत ढंग से न खाओ, लेन-देन होना चाहिए आपस की रज़ामंदी और अपने प्राणों (अर्थात, आत्महत्या और दूसरों के प्राणों) की हत्या न करो।" (कुरआन, 4:29)

"अपने प्रभु को गिड़गिड़ाकर और चुपके-चुपके पुकारो। निश्चय ही वह हद से आगे बढ़ने वालों को पसन्द नहीं करता। और धरती में उसके सुधार के पश्चात् बिगाड़ न पैदा करो। भय और आशा के साथ उसे पुकारो। निश्चय ही, अल्लाह की दयालुता सत्कर्मी लोगों के निकट है।" (कुरआन, 7:55,56)

"नर्मी और क्षमा से काम लो, भले काम का हुक्म दो और अज्ञानी लोगों से न उलझो।" (कुरआन, 7:199)

"और वे क्रोध को रोकने वाले हैं और लोगों को क्षमा करने वाले हैं। और अल्लाह को ऐसे लोग प्रिय हैं जो अच्छे से अच्छा कर्म करते हैं।" (कुरआन, 3:134)

"निश्चय ही अल्लाह न्याय का और भलाई का एवं नातेदारों को (उनके हक़) देने का आदेश देता है और अश्लीलता, बुराई एवं सरकशी से रोकता है। वह तुम्हें नसीहत करता है, ताकि तुम ध्यान दो।"(कुरआन, 16:90)

कुरआन की इन आयतों से इस्लाम की शांति, कुशलता और सदाचरण की शिक्षाएं स्पष्ट तथा परिलक्षित होती हैं और लोगों को सफल जीवन के लिए आमंत्रित करती हैं। वास्तव में शांति, प्रेम, अहिंसा और सदाचरण इस्लाम की महत्वपूर्ण शिक्षाएं हैं, लेकिन इस्लाम अहिंसा को इस अर्थ में नहीं लेता कि मानव-उपभोग की वे चीज़ें बहिष्कृत कर दी जाएं, जिनमें जीव-तत्व हो। इस आधार पर ही कोई व्यक्ति फल, सब्ज़ियां और दही, अनाज आदि का सेवन नहीं कर सकता, क्योंकि विज्ञान ने इनमें जीव-तत्व सिद्ध कर दिया है और न ही कोई व्यक्ति इस आधार पर एंटी बायोटिक औषधि का सेवन कर सकेगा, क्योंकि इससे जीवाणु मर जाएंगे। इस्लाम की शिक्षाएं मानव-जीवन के लिए पूर्णतः व्यावहारिक हैं। इस्लाम को यह भी अभीष्ट है कि जहां सत्य-असत्य के बीच संघर्ष हो, वहां सत्य का साथ दिया जाए और उसके लिए जी तोड़ प्रयत्न किया जाए। यह अहिंसा के विरुद्ध नहीं है। इस्लाम ने असत्य के विरुद्ध युद्ध का आदेश तो दिया है, लेकिन विभिन्न प्रकार के प्रतिबंधों के साथ ताकि आदेश कहीं 'हिंसा' की परिभाषा में न आ जाए। इस संबंध में कुरआन की कुछ आयतें दृष्टव्य हैं—

"जिसने किसी व्यक्ति को किसी के ख़ून का बदला लेने या धरती में फ़साद (हिंसा और उपद्रव) फैलाने के अतिरिक्त किसी और कारण से मार डाला तो मानो उसने सारे ही इन्सानों की हत्या कर डाली। और जिसने उसे जीवन प्रदान किया, उसने मानो सारे इन्सानों को जीवन-दान दिया।" (कुरआन, 5:32)

"और अल्लाह के मार्ग में उन लोगों से लड़ो जो तुमसे लड़ें, किन्तु ज़्यादती न करो। निस्सन्देह, अल्लाह ज़्यादती करने वालों को पसन्द नहीं करता।" (कुरआन, 2:190)

"इस्लाम ने युद्ध के दौरान वृद्धजनों, स्त्रियों, बच्चों और उन लोगों पर जो इबादतगाहों में शरण लिए हों (चाहे वे किसी भी धर्म के अनुयायी हों), हाथ उठाने से मना किया है और अकारण फ़लदार व हरे-भरे वृक्षों को काटने से रोका है।"

"किसी जीव की हत्या न करो, जिसे (मारना) अल्लाह ने हराम ठहराया है। यह और बात है कि हक़ (न्याय) का तक़ाज़ा यही हो।" (कुरआन, 17:33)

"तुम्हें क्या हुआ है कि अल्लाह के मार्ग में और उन कमज़ोर पुरुषों, औरतों और बच्चों के लिए युद्ध न करो, जो प्रार्थनाएं करते हैं कि हमारे रब! तू हमें इस बस्ती से निकाल, जिसके लोग अत्याचारी हैं और हमारे लिए अपनी ओर से तू कोई समर्थक नियुक्त कर और हमारे लिए अपनी ओर से तू कोई सहायक नियुक्त कर।" (कुरआन, 4:75)

"इन्साफ़ की निगरानी करने वाले बनो और ऐसा न हो कि किसी गिरोह की शत्रुता तुम्हें इस बात पर उभार दे कि

तुम इन्साफ़ करना छोड़ दो ।" (कुरआन, 5:8)

यदि किसी के व्यवहार से किसी के मर्म (दिल) को पीड़ा पहुंचती है, तो यह भी हिंसा है । आइए, हम हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) के कुछ पवित्र वचनों का अध्ययन करते हैं, जिनसे लोगों के साथ अच्छे व्यवहार, शील-स्वभाव और सदाचरण की शिक्षा मिलती है ।

हज़रत अबू हुरैरा (रज़ि०) से रिवायत (उल्लिखित व वर्णित) है कि अल्लाह के रसूल (सल्ल०) ने कहा–'किसी सिद्दीक़ (अत्यंत सत्यवान व्यक्ति) के लिए उचित नहीं कि वह लानत करे ।' एक अन्य हदीस में है–'लानत करने वाले क़ियामत (प्रलय) के दिन न तो सिफ़ारिश कर सकेंगे और न गवाही देने वाले होंगे ।' (मुस्लिम)

हज़रत अबू हुरैरा (रज़ि०) से रिवायत है कि नबी (सल्ल०) ने कहा–"आदमी को झूठे होने के लिए यही पर्याप्त है कि वह जो बात सुन पाये उसको बयान करता फिरे।" (मुस्लिम)

हज़रत अबू हुरैरा (रज़ि०) से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल (सल्ल०) ने कहा–"मोमिनों में ईमान की दृष्टि से सबसे पूर्ण वह व्यक्ति है, जो उनमें शील-स्वभाव की दृष्टि से सबसे अच्छा हो । और तुममें अच्छे वे हैं जो अपनी स्त्रियों के प्रति अच्छे हों ।" (तिरमिज़ी)

एक अन्य हदीस में है–"पड़ोसियों में सबसे अच्छा पड़ोसी अल्लाह की दृष्टि में वह है जो अपने पड़ोसियों के लिए अच्छा हो ।" एक-दूसरी हदीस में है–"सारी मख़्लूक़ (संसार के लोग) अल्लाह का परिवार है । तो अल्लाह को सबसे अधिक प्रिय वह है, जो उसके परिवार के साथ अच्छा व्यवहार करे ।"

हज़रत आइशा (रज़ि०) से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल (सल्ल०) ने कहा–"निस्सन्देह अल्लाह नर्म है । वह हर एक मामले में नर्मी को पसन्द करता है ।" (बुख़ारी, मुस्लिम)

हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) ने इन्सानों के प्रति उदारता, क्षमाशीलता और दयालुता का व्यवहार किया और इनकी शिक्षा दी । साथ ही, पशु-पक्षियों पर भी दया करने की शिक्षा दी । आप (सल्ल०) सारे जीवधारियों के लिए रहमत बनाकर भेजे गए थे । पशु-पक्षी भी इससे अलग न थे । आप अत्यंत बहादुर थे और अत्यंत नर्मदिल भी । आपने जानवरों के साथ नर्मी करने, उनको खिलाने-पिलाने का हुक्म दिया और सताने से रोका । इस्लाम के आगमन से पूर्व अरबवासी निशानेबाज़ी का शौक़ इस तरह किया करते थे कि किसी जानवर को बांध देते और उस पर निशाना लगाते । आप (सल्ल०) ने इसको सख़्ती से मना किया । एक बार आपकी नज़र एक घोड़े पर पड़ी, जिसका चेहरा दाग़ा गया था । आप (सल्ल०) ने कहा–"जिसने इसका चेहरा दाग़ा है, उस पर अल्लाह की लानत हो ।" (तिरमिज़ी)

आपने जानवरों को लड़ाने से भी मना फ़रमाया है । आपके दयाभाव की एक मिसाल देखिए । एक सफ़र में आप (सल्ल०) के साथियों ने एक पक्षी के दो बच्चे पकड़ लिए, तो पक्षी अपने बच्चों के लिए व्याकुल हुआ । आपने देखा, तो कहा–"इसको किसने व्याकुल किया ?" सहाबा ने कहा–"हमने इसके बच्चे पकड़ लिए ।" आपने उन्हें छोड़ने का हुक्म दिया । (अबू दाऊद)

इसी से मिलती-जुलती एक घटना यह है कि आप (सल्ल०) के पास एक व्यक्ति आया और उसने कहा कि एक झाड़ी में चिड़िया के ये बच्चे थे, मैंने निकाल लिये । उनकी मां मेरे ऊपर मंडराने लगी । आपने कहा–"जाओ और जहां से इन बच्चों को उठाया है, वहीं रख आओ ।" (अबू दाऊद)

एक रिवायत में है कि एक ऊंट भूख से बेहाल था । आप (सल्ल०) को देखकर वह बिलबिला उठा । आप (सल्ल०) ने उसके मालिक को, जो एक अंसारी थे, बुलाकर चेतावनी दी–"क्या तुम इन जानवरों के मामले में अल्लाह से नहीं डरते ?" (अबू दाऊद)

हज़रत इब्न उमर (रज़ि०) से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल (सल्ल०) ने कहा–"एक स्त्री को एक बिल्ली के कारण यातना दी गयी, जिसको उसने बन्द रखा यहां तक कि वह मर गयी, तो वह स्त्री नरक में प्रविष्ट हो गयी । उसने जब उस बिल्ली को बन्द कर रखा था तो उसे न तो खिलाया और न उसे छोड़ा कि धरती के कीड़े-मकोड़े आदि ही खा लेती ।" (बुख़ारी, मुस्लिम)

हज़रत अनस (रज़ि०) से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल (सल्ल०) ने इससे रोका है कि जानवरों को मारने के लिए बांधा जाए । (बुख़ारी, मुस्लिम)

जानवरों के साथ बेरहमी और निर्दयतापूर्वक व्यवहार करने के अनेक मामले इस्लाम के पूर्व अरब में पाये जाते थे । हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) ने उनके साथ की जा रही ज़्यादतियों का पूर्णतः निषेध कर दिया ।

इस्लाम : कमज़ोरों के अधिकारों का रक्षक

■ मुहम्मद रज़ीउल इस्लाम नदवी

प्रत्येक वर्ष 10 दिसम्बर का दिन 'मानवाधिकार दिवस' के रूप में मनाया जाता है । आज से लगभग 56 साल पहले 1948 में 10 दिसम्बर को ही संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों ने इस मशहूर प्रस्ताव को मंज़ूरी दी थी जो 'मानवाधिकार की सार्वभौमिक उद्घोषणा' (Universal Declaration of Human Rights) के नाम से जानी जाती है । इस उद्घोषणा में धाराओं की शक्ल में मानवाधिकार की व्याख्या की गयी है और सदस्य देशों से कहा गया है कि वे इन अधिकारों की प्राप्ति को यक़ीनी बनाने की कोशिश करें और ऐसे क़ानून बनाएं जो इनकी रक्षा की ज़मानत देते हों और इनके उल्लंघन की स्थिति में इन क़ानूनों का सहारा लिया जा सकता हो ।

मानवाधिकार संबंधी यह घोषणा पत्र उन कोशिशों, और खींचतान का नतीजा है । ये ब्रिटेन के औपनिवेशिक क्षेत्रों के रहने वाले उनसे वंचित थे । अमेरिका में कालों को गोरे नागरिकों के समान अधिकार हासिल नहीं है । अमेरिका ने अफ़ग़ानिस्तान के जिन मासूम लोगों को आतंकवाद का आरोप लगाकर ग्वांतानामो बे में क़ैद कर रखा है उन्हें वे अधिकार नहीं दिये गये हैं जो अमेरिकी जेलों में क़ैद अपराधियों को हासिल है । टी०वी० पर कुछ अमेरिकी सैनिक क़ैदियों की तस्वीरें पश्चिमी ऐवानों में ज़लज़ला पैदा कर देती हैं लेकिन हज़ारों इराक़ी क़ैदियों की टेलीविज़न पर बार-बार नुमाइश, उनके बुनियादी अधिकारों के हनन और उन पर दिल दहला देने वाले अत्याचारों से किसी के कानों पर जूं तक नहीं रेंगती ।

मानवाधिकार के सिलसिले में इस्लाम को अनेक पहलुओं से वरीयता हासिल है । जो अधिकार आज लोगों को लंबे संघर्ष और जिद्दोजहद के बाद हासिल हुए हैं, इस्लाम आज से 1400 साल पहले ही ऐलान कर चुका था और रियासत को उसकी अदायगी का पाबन्द बना दिया था ।

"इमाम जो लोगों पर हुक्मरानी कर रहा है वह उनका निगरां है और उससे उनके बारे में पूछा जाएगा ।"

(सहीह बुख़ारी)

इस्लाम के द्वारा दिये गये अधिकार न कभी रद्द हो सकते हैं, न उन्हें किसी हाल में टाला जा सकता है । यहां तक कि दुश्मनों और जंगी क़ैदियों को भी उनसे वंचित नहीं किया जा सकता ।

"कोई नहीं जो अल्लाह की बातों को बदल सके ।"

(कुरआन, 6:34)

इस्लाम के नज़दीक समस्त मानव जाति उनसे लाभांवित होगी चाहे उसका ताल्लुक़ किसी भी नस्ल से हो, कोई भी ज़बान बोलता हो और किसी भी क्षेत्र का रहने वाला हो ।

"न अरबी को अजमी पर वरीयता है, न अजमी को अरबी पर, न गोरे को काले पर, न काले को गोरे पर, सिवाय तक़वा के ।" (मुस्नद अहमद)

कमज़ोर वर्ग ही मानवाधिकार से वंचित रहते हैं, चाहे वह कमज़ोर सरकारें हों या कमज़ोर क़ौमें । समाज के कमज़ोर समुदाय हों या कमज़ोर लोग । शक्तिशालियों ने अपनी शक्ति के नशा में हमेशा उन्हें दबाया और कुचला है । 'इक़बाल ने सही कहा है :

है जुर्मे ज़ईफ़ी की सज़ा मर्गे मफ़ाजात

इस्लाम कमज़ोरों के अधिकारों का रक्षक बनकर सामने आता है । वह विस्तारपूर्वक उनके अधिकारों को बयान करता और उन्हें अदा करने की ताकीद करता है । वह कहता है कि अधिकार अल्लाह तआला ने दिये हैं इसलिए यदि किसी ने उनकी अदायगी में कोताही की या उन्हें पामाल किया तो अल्लाह तआला उस पर उसकी सख़्त पकड़ करेगा ।

समाज का सबसे कमज़ोर वर्ग औरतों का है । वह हर दौर में अपने बहुत से अधिकारों से वंचित रही हैं और आज भी तमामतर तरक़्क़ियों और रोशनख़यालियों के बावजूद शोषण का शिकार हैं । पहले उन्हें पुरुषों का पूरक समझा जाता था और आज भी उन्हें Better Half कहा जाता है । पहले उन्हें मीरास से वंचित रखा गया था और आज भी उनका यह अधिकार स्वीकार नहीं किया गया है ।

पहले लड़की के जन्म को अशुभ समझा जाता था और उसके आने की सूचना से पूरा परिवार दुख में डूब जाता था । आज भी आधुनिक टेक्नॉलोजी के माध्यम से उनके जन्म को रोकने की कोशिश की जाती है । इस्लाम ने औरत को एक अलग शख़्सियत दी । उसे पुरुषों के समान हैसियत

दी । उसने मर्दों के साथ औरतों का हिस्सा भी सुनिश्चित किया ।

"पुरुषों का उस माल में एक हिस्सा है जो मां-बाप और नातेदारों ने छोड़ा हो और स्त्रियों का भी उस माल में एक हिस्सा है जो माल मां-बाप और नातेदारों ने छोड़ा हो–चाहे वह थोड़ा हो या अधिक हो–यह हिस्सा निर्धारित किया हुआ है ।" (कुरआन, 4:7)

"विधवा या तलाक़शुदा औरत का निकाह नहीं किया जाएगा तब तक कि उसकी राय मालूम न कर ली जाए और कुंवारी लड़कियों का निकाह नहीं किया जाएगा जब तक कि उससे इजाज़त न ले ली जाए ।"

(सहीह बुख़ारी, सहीह मुस्लिम)

इस्लाम ने मेह्र को औरत का हक़ क़रार दिया और मर्द पर उसकी अदायगी को अनिवार्य कर दिया ।

"और औरतों के मेह्र खुशदिली के साथ (फ़र्ज़ जानते हुए) अदा करो ।" (कुरआन, 4:4)

इस्लाम ने औरतों के साथ अच्छा बर्ताव करने का हुक्म दिया : "उनके साथ भले तरीक़े से ज़िन्दगी बसर करो ।" (कुरआन, 4:19)

उसने औरतों के साथ अच्छे सलूक को मर्द की अज़मत और बेहतरी की पहचान क़रार दिया ।

"तुम में से बेहतर लोग वे हैं जो अपनी औरतों के साथ अच्छे अख़्लाक़ से पेश आएं ।" (तिरमिज़ी)

उसने लड़कियों की जन्म को मुबारक कहा और उनकी परवरिश पर जन्नत की शुभ सूचना दी ।

"जिस व्यक्ति ने दो लड़कियों की परवरिश की यहां तक कि वे बालिग़ हो गयीं, क़ियामत के दिन मैं और वह इस तरह होंगे (यह कहकर आप सल्ल० ने अपनी उंगुलियों को मिला लिया)।

दूसरा कमज़ोर वर्ग यतीमों (अनाथों) का है । जिस बच्चे के सिर से बाप का साया उठ गया हो और जिस औरत का पति मर गया हो, दोनों को गिरी हुई नज़रों से देखा जाता है । कोई उनका पूछने वाला भी नहीं होता । दोनों की ज़िन्दगियां बड़ी दयनीय होती हैं । विधवाओं को मंहूस समझा जाता है । उसकी ज़िन्दगी मौत से भी बदतर होती है।

इस्लाम ने यतीमों और विधवाओं के साथ अच्छा सलूक करने, उनकी देखभाल करने और उनके हक़ अदा करने की ताकीद की है और इस मामले में कोताही करने और उनके हक़ मारने वालों को अपराधी क़रार दिया है ।

कुरआन यतीमों का माल हड़प करने से मना करता है । (अल-निसा : 2, अल-अनआम : 152, बनी इसराईल : 34) और ऐसा करने वालों को नरक में भेजने की बात करता है ।

"जो लोग अनाथों के माल अन्याय के साथ खाते हैं वास्तव में वे अपने पेट आग से भरते हैं और वे अवश्य भड़कती हुई आग में पड़ेंगे ।" (कुरआन, 4:10)

उन्हें तुच्छ समझने, धुतकारने और झिड़कने से रोकता है । (अल-फ़ज्र : 17, अल-जुहा : 9, अल-माऊन : 2) अनाथों के साथ अच्छा व्यवहार करने, उन्हें खाना खिलाने और उन पर ख़र्च करने का आदेश देता है । (अल-बक़रा : 83, 177, 215, अल-निसा : 8, 36, अल-दह्र : 8, अल-बलद : 15)

अल्लाह के रसूल (सल्ल०) ने फ़रमाया है : "विधवाओं और मिस्कीनों के लिए दौड़-धूप करने वाला उस व्यक्ति के समान है जो अल्लाह की राह में जिहाद करे और उस व्यक्ति की तरह है जो लगातार नमाज़ें पढ़े और लगातार रोज़े रखे ।" (सहीह बुख़ारी, सहीह मुस्लिम)

"मैं और अनाथों की ज़िम्मेदारी उठाने वाला जन्नत में इस तरह होगा । (यह कहते हुए आप सल्ल० ने अपनी शहादत और बिचली उंगलियों से इशारा फ़रमाया)।

(सहीह बुख़ारी)

एक अवसर पर आप (सल्ल०) ने फ़रमाया : "ऐ अल्लाह, जो व्यक्ति इन दो कमज़ोरों-अनाथ और महिला–का हक़ ज़ाया करे, मैं उसे ख़ताकार और अपराधी ठहराता हूं ।"

(इब्न माजा, अहमद, नसई)

अरब के समाज में गुलाम तमाम मानवीय अधिकारों से वंचित थे । उनसे जानवरों की समान काम लिया जाता था । वे बेज़ुबान जीव के भांति जीवन व्यतीत करते थे । समाज में उनका कोई स्थान न था । वही हाल आज हमारे देश में बंधुआ मज़दूरों का है । इस्लाम ने गुलामों को मानवीय आधार पर भाई क़रार दिया है और मालिकों को आदेश दिया है कि उनका पूरा ख़याल रखें और उनकी ताक़त से बढ़कर काम न लें । अल्लाह के रसूल (सल्ल०) ने फ़रमाया है : "तुम्हारे गुलाम तुम्हारे भाई हैं, अल्लाह ने उन्हें तुम्हारे अधीन कर दिया है । अत: जिसका भाई उसके अधीन हो, वह उसे भी वही खिलाये जो खुद खाये और वही

पहनाये जो खुद पहने । तुम उनसे ऐसे काम न लो जो उनकी ताक़त से बाहर हों । यदि उनसे ऐसे काम लो तो उनकी मदद करो ।" (सहीह बुख़ारी, सहीह मुस्लिम)

मज़दूरी करने वाले लोग समाज के कमज़ोर लोगों में से समझे जाते हैं । दो वक़्त की रोटी हासिल करने और अपने बाल-बच्चों का पेट पालने के लिए जिद्दोजेहद करते हैं । बोझ ढोते और परिश्रम करते हैं । एक दिन की मज़दूरी न मिले तो उनके घर फ़ाक़ा हो जाए । आमतौर पर धनी और मालदार लोगों को उनके इस दर्द का एहसास नहीं होता । वे उनसे बेगार लेते हैं, पूरी मज़दूरी नहीं देते या उसे देने में टाल-मटोल करते हैं । अल्लाह के रसूल (सल्ल०) ने इस सिलसिले में सख़्त चेतावनी देते हुए कहा है : "तीन आदमी ऐसे हैं जिनका मैं क़ियामत के दिन दुश्मन और मद्देमुक़ाबिल होगा । एक वह व्यक्ति जिसने किसी को मज़दूर रखा, उससे पूरा काम लिया लेकिन उसकी मज़दूरी नहीं दी ।"

(सहीह बुख़ारी)

एक दूसरी हदीस में है : "मज़दूरों को उसका पसीना सूखने से पहले उसकी मज़दूरी दे दो ।"

समाज के कमज़ोर वर्गों में अल्पसंख्यकों को संवैधानिक दृष्टि से भले ही समान अधिकार प्राप्त हो लेकिन व्यवहार में वे अक्सर बहुसंख्यक समुदाय के जुल्मो-सितम के शिकार रहते हैं । आये दिन उनकी जान, माल, इज़्ज़त व आबरू पर हमले होते हैं और वे अपनी रक्षा का सामर्थ्य नहीं रखते । यदि बहुसंख्यक समुदाय को सरकार व प्रशासन का भी सहयोग मिल जाए तो न्यायपालिका भी अल्पसंख्यक समुदायों के अधिकारों की रक्षा नहीं कर पाती ।

इस्लाम अपनी रियासत में रहने वाले अल्पसंख्यकों के अधिकारों का रक्षक बनकर खड़ा होता है । वह मुसलमानों को चेतावनी देता है कि दूसरे धर्मों के मानने वालों के साथ अदलो-इन्साफ़ से पेश आएं । उन पर अत्याचार न करें । उनकी इज़्ज़तो-आबरू से न खेले और उनका माल न छीनें अन्यथा क़ियामत के दिन वे सख़्त सज़ा से दोचार होंगे । अल्लाह के रसूल (सल्ल०) ने फ़रमाया : "ख़बरदार, जिसने ज़िम्मी पर (ऐसा ग़ैर-मुस्लिम जो इस्लामी रियासत में रह रहा हो) जुल्म किया, उसकी तौहीन की, उसके सामर्थ्य से अधिक उससे काम लिया या बिना किसी मर्ज़ी के उसकी कोई चीज़ ले ली तो मैं क़ियामत के दिन उस मज़लूम की तरफ़ से उसका मुक़दमा पेश करूंगा ।"

(सुनन, अबू दाऊद)

इस्लाम ऐसा वातावरण बनाना चाहता है कि यदि समाज में कोई व्यक्ति किसी पर जुल्म कर रहा हो, तो दूसरे लोग उठ खड़े हों । वे ज़ालिम का हाथ पकड़ लें और उसे जुल्म करने से रोक दें । एक हदीस क़ुदसी में है : "ऐ मेरे बन्दो ! मैंने अपने ऊपर जुल्म को हराम कर लिया है और तुम्हारे बीच भी उसे हराम कर दिया है । इसलिए आपस में एक-दूसरे पर जुल्म न करो ।" (सहीह मुस्लिम)

एक अवसर पर अल्लाह के रसूल (सल्ल०) ने सहाबियों को इस मामले में ग़फ़लत न बरतने की ताकीद करते हुए उनसे कहा : "लोग यदि किसी को जुल्म करता हुआ देखें, लेकिन उसका हाथ न पकड़ें तो आशंका है कि अल्लाह सभी को सज़ा देगा ।"

एक हदीस में है कि आप (सल्ल०) ने सहाबियों को संबोधित करते हुए कहा : "अपने भाई की मदद करो चाहे वह ज़ालिम हो या मज़लूम । सहाबियों को आश्चर्य हुआ । उन्होंने आप (सल्ल०) से पूछा : "ऐ अल्लाह के रसूल (सल्ल०)! मज़लूम की मदद करना तो समझ में आता है । ज़ालिम की मदद करने का क्या मतलब ? फ़रमाया : उसका हाथ पकड़ लो, यही उसकी मदद है ।"

(सहीह बुख़ारी)

इससे अच्छी तरह अनुमान लगाया जा सकता है कि यदि कोई समाज मानवाधिकार के सिलसिले में इतना जागृत हो जाए कि वह ज़ालिमों को जुल्म न करने दे और मज़लूमों की रक्षा के लिए उठ खड़ा हो तो वह कितना बेहतरीन और उच्च नैतिक मूल्यों वाला समाज बन जाएगा ।

कमज़ोर वर्गों के जिन अधिकारों का उल्लेख यहां किया गया है उनकी हैसियत केवल अच्छे और बेहतरीन उसूलों और नज़रियों की नहीं है । बल्कि उन पर सदियों तक अमल होता रहा है और ये वर्ग उन उसूलों से लाभांवित होते रहे हैं । कभी उनके अधिकारों का हनन हुआ तो उनकी रक्षा करने और उनमें जागृति लाने की कोशिशें भी की जाती रही ।

आवश्यकता इस बात की है कि इस्लामी शिक्षाओं को आम किया जाए और तमाम इन्सानों को बना दिया जाए कि इस्लाम बुनियादी मानवीय अधिकारों का रक्षक और झंडावाहक है और विशेष रूप से कमज़ोर समुदायों के अधिकारों की रक्षा में उसे वरीयता हासिल है ।

अनाथ लड़कियों की पुकार

VOICE OF ORPHAN GIRLS

मुस्लिम लड़कियों का यतीमख़ाना (गया)

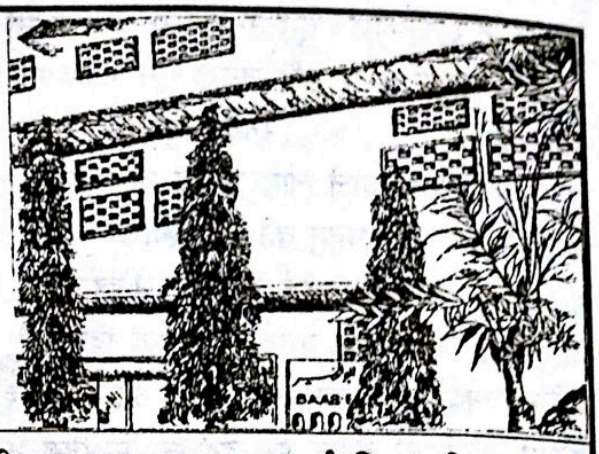

संक्षिप्त परिचय

लड़कियों के लिए आधुनिक और इस्लामी तालीम से लैस राष्ट्रीय स्तर का एक आदर्श रिहाइशी इदारा

संस्था ने अपनी उम्र के 25 वर्ष दिसम्बर 2011 में पूरे कर लिए मगर अब तक माली दुश्वारियों के सबब अपना सिल्वर (Silver Jubilee) भी नहीं मना सका ।

● 25 वर्षीय सेवाएं ● 19 विभाग ● शिक्षा : प्राथमिक से मैट्रिक तक ● पत्राचार शिक्षा I,A,BA एवं Library Science ● 6 छात्राओं ने हिफ़्ज़ के साथ मैट्रिक पास किया ● प्रौढ़ शिक्षा ● वोकेशनल सेन्टर ● कटिंग और सिलाई : 6 बैच 70 छात्राएं ● ज़री वर्क्स : 3 बैच 40 छात्राएं ● 1993 ई० से 2011 ई० तक 66 अनाथ बच्चियों और 41 मां-बाप वाली बच्चियों ने मैट्रिक पास किया ● वार्षिक ख़र्च : 22 लाख रुपये से अधिक ● आमदनी का स्रोत : मुस्लिम अवाम के चन्दे ● इदारा 120 अनाथ बच्चियों का सारा ख़र्च पूरा करता है ● किफ़ाला स्कीम के तहत एक यतीम बच्ची का वार्षिक ख़र्च 12,000/- रुपये है—आप भी एक अनाथ बच्ची का ख़र्च उठा कर सवाब में शरीक हों ।

सहायता के विभिन्न रूप : ● ज़कात ● सदक़े ● अतिया ● पैदावार की ज़कात ● दीनी किताबें ● ज़मीन की ख़रीदारी और क़र्ज़ की अदायगी ● स्टाफ़ की मासिक आय के लिए 1,00,000/- रुपये से अधिक ● मां-बाप या रिश्तेदारों के नाम कमरा या हॉल बनवाना और निर्माण कार्यों के लिए ईंटें, सीमेंट, सरिया और अन्य सामग्री या उसका मूल्य देना ● यहां प्रतिवर्ष हिसाब चेक किये जाते हैं और ऑडिट होता है । ● इदारा में ख़ुद आकर बराबरी का नमूना देखें कि अनाथ बच्चियां और वे बच्चियां जिनके मां-बाप हैं किस तरह मिलकर रहा करती हैं ।

यह इदारा आप से उदार सहायता की अपील करता है ।

विदेशी चन्दा देने वाले : भारत सरकार से "मुस्लिम लड़कियों का यतीमख़ाना (गया) को विदेशों से चन्दा लेने का इजाज़तनामा प्राप्त हो गया है ।

Foreign Donors विदेशी चन्दा देने वाले

विदेशों में रहने वाले अब BANK A/c No. 300402010009042

BANK CODE NO. UBININBBJAM में अपनी रक़म भेज सकते हैं ।

चेक या ड्राफ्ट पर केवल यह लिखें—"THE GAYA MUSLIM GIRLS ORPHANAGE"

Address for correspondence : रक़म भेजने और संपर्क करने का पता

GENERAL SECRETARY, THE GAYA MUSLIM GIRLS' ORPHANAGE

At : KOLOWNA, P.O.: CHERKI-824237, Distt.: GAYA (BIHAR) INDIA, ☎ 0631-2734437 ● Mobile : 9934480190

E-mail : thegayamuslimgirlsorphanage@gmail.com, Website : www.gmgo.org

LOCAL DONORS मक़ामी चन्दा देने वाले

BANK CODE-UBI No. 530042 UNION BANK OF INDIA (MAIN BRANCH, GAYA)

CORE BANKING A/C NO.: 300402010007752

नोट : कोर बैंकिंग वाले हज़रात E-mail या डाक से अपना मुकम्मल पता भेज दिया करें ताकि उसी पते पर रक़म की रसीद रवाना की जा सके ।

संस्थापक महासचिव : इक़बाल अहमद ख़ां

इस्लाम में अमन व शांति का संदेश

■ संकलित

प्रसिद्ध लेखक लाला काशीराम चावला लिखते हैं कि इस्लाम शब्द अरबी के 'सलाम' शब्द से निकला है, जिसका अर्थ है–सलामती, अमन व शांति । इस्लाम अल्लाह, ईश्वर की पूर्ण प्रसन्नता-प्राप्ति का दूसरा नाम है । इस प्रकार इस्लाम का आधार है, अमन, शांति और अल्लाह, ईश्वर की प्रसन्नता की प्राप्ति । मौलाना मौदूदी (रह०) लिखते हैं कि मनुष्य को वास्तविक शांति उसी समय मिलती है, जबकि वह अपने आपको अल्लाह (ईश्वर) को अर्पण कर दे और उसी के आदेशानुसार अपना जीवन व्यतीत करने लगे । ऐसे ही जीवन से हृदय और आत्मा को शांति पहुंचती है और समाज में भी इसी से वास्तविक शांति की स्थापना होती है । (इस्लाम धर्म, पृ० 7) इस्लाम धर्म को मानने वाले को मुस्लिम (आज्ञाकारी) कहा जाता है । इससे विदित हुआ कि मुसलमान का वास्तविक उद्देश्य संसार में ईश प्रसन्नता को प्राप्त करते हुए समाज में अमन व शांति स्थापित रखना है । पवित्र कुरआन में अल्लाह को 'अमन' शांति का स्रोत लिखा गया है ।

"वह अल्लाह ही है, जिसके सिवा कोई उपास्य नहीं, वह बादशाह है बड़ा ही पवित्र, सर्वथा सलामती, अमन देने वाला और संरक्षक है ।" (कुरआन, 59:23)

मौलाना मौदूदी (रह०) कुरआन की आयत की व्याख्या करते हुए लिखते हैं कि उपर्युक्त कुरआन की आयत में अल्लाह को 'अस-सलाम' कहने का अर्थ यह कि वह साक्षात 'सलामती' है । उसकी ज़ात इससे उच्च है कि कोई आफ़त या कमज़ोरी या कमी उसमें आ सके या कभी उसके कमाल को क्षति या हानि पहुंच सके । इस आयत के मूल में अरबी शब्द 'अल-मोमिन' प्रयुक्त हुआ है जिसकी धातु 'अमन' है । अमन का अर्थ है, भय से सुरक्षित होना और मोमिन वह है, जो दूसरों को अमन व शांति दे । अल्लाह को इस अर्थ में मोमिन कहा गया है कि वह अपनी सृष्टि को अमन देने वाला है । उसकी सृष्टि इस भय से बिल्कुल सुरक्षित है कि वह कभी उस पर अत्याचार करेगा या उसका हक़ व अधिकार मारेगा या उसका अज्र (बदला) नष्ट करेगा या उसके साथ अपने किये हुए वादों के विरुद्ध जाएगा । फिर चूंकि इस कर्ता का कोई कर्म बयान नहीं किया गया है कि वह किसको 'अमन' देने वाला है, बल्कि केवल 'मोमिन' कहा गया है, इसलिए इससे यह अर्थ आपसे आप निकलता है कि उसका अमन संपूर्ण सृष्टि और उसकी हर चीज़ के लिए है ।

मौलाना मौदूदी (रह०) लिखते हैं कि आज यह प्रश्न आप में से हर व्यक्ति के लिए और विश्व के सभी इन्सानों के लिए एक चिंताजनक गुत्थी बना हुआ है कि आख़िर हम मनुष्यों के जीवन से शांति और चैन क्यों विदा हो गया है ? क्यों प्रतिदिन हम पर मुसीबत और परेशानियां आ रही हैं । मनुष्य, मनुष्य के लिए दानव और खूंख़ार भेड़िया बन गया है । लाखों मनुष्य दंगों और लड़ाई-संघर्ष में मारे जा रहे हैं । बस्तियां की बस्तियां उजड़ रही हैं । शक्तिशाली लोग निर्धनों और कमज़ोरों को जाए जा रहे हैं, धनवान ग़रीबों और निर्धनों का ख़ून चूस रहे हैं । इन्सान का इन्सान पर से विश्वास उठ गया है, धर्म की आड़ में अधर्म हो रहा है । हर तरफ़ अराजकता ही अराजकता फैल रही है । आख़िर इन सारी बुराइयों का कारण क्या है ? ख़ुदा की ख़ुदाई में और जिस ओर हम देखते हैं शांति ही शांति दिखायी देती है, नक्षत्रों में शांति है, पानी में शांति है, पेड़ों और जीव-जंतुओं में शांति है, पूरे जगत का प्रबंध शांति के साथ चल रहा है । कहीं अव्यवस्था या अशांति का चिन्ह नहीं पाया जाता है, मगर एक इन्सान की ही ज़िन्दगी क्यों इस ईश्वरीय देन से वंचित हो गयी है । (शांति मार्ग, पृष्ठ :10)

इस अशांति का सबसे बड़ा कारण इन्सान का अपने पैदा करने वाले मालिक, ख़ालिक़, ईश्वर, अल्लाह को छोड़कर झूठे खुदाओं को अपना आराध्य बना लेना सत्य और धर्म अहिंसा को छोड़कर असत्य, अधर्म और हिंसा का मार्ग अपना लिया है । ईश्वर अल्लाह और उसके ईशदूतों व रसूलों की शिक्षाओं को छोड़कर शैतान के बताये हुए मार्ग का अंधाधुंध अनुसरण कर रहा है । इसी वजह से हर तरफ़ अशांति व अराजकता का वातावरण व्याप्त है । आज का नवजवान वर्ग अपनी भारतीय संस्कृत व सभ्यता को छोड़कर

पश्चिमी सभ्यता में रच-बस गया है । ईश्वर ने जो शक्तियां मनुष्य को मानव-कल्याण और भलाई के लिए दी है, मनुष्य उन शक्तियों का प्रयोग मानव हित के बजाय, उनका दुरुपयोग कर रहा है । मनुष्य ने अपने जीवन को वास्तविकता व सत्यता के एकदम विरुद्ध बना लिया है, इसीलिए वह दुख व परेशानी उठा रहा है तथा अशांति व आतंक के वातावरण में अपना जीवन व्यतीत कर रहा है ।

स्वामी लक्ष्मी शंकराचार्य समाज में व्याप्त अशांति व आतंक के कारणों पर प्रकाश डालते हुए लिखते हैं कि भारत में लगभग 75 करोड़ हिन्दू और लगभग 25 करोड़ मुसलमान साथ-साथ रहते हैं ।

यदि हम एक-दूसरे के धर्म को, एक-दूसरे के विचारों को नहीं जानेंगे तो इन्सानियत विरोधी तत्व, समाज विरोधी तत्व, आसानी के साथ हम लोगों के बीच भ्रम, संदेह और अविश्वास पैदा कर देंगे, जैसा कि आजकल हो रहा है । इस देश व समाज के लिए यह एक बहुत बड़ी समस्या है ।

अत: यह आवश्यक है कि मुसलमान भाइयों के धर्म इस्लाम को हिन्दू भाई जानें और सनातन वैदिक धर्म अर्थात वेद, उपनिषद और गीता को मुसलमान भाई जाने, ताकि धर्म के नाम पर कोई भी हमारे बीच भ्रम व ग़लतफ़हमी पैदा न कर सके । यह एक हिकमत (तत्वपूर्ण बात) है । इस हिकमत से सत्य सामने आएगा । भ्रम और संदेह दूर होगा हिन्दुओं और मुसलमानों में एक-दूसरे के प्रति विश्वास बढ़ेगा । सत्य के प्रति भी विश्वास बढ़ेगा और यही विश्वास भविष्य में लोगों के लिए एक नया रास्ता खोलेगा । यह ईश्वरीय ग्रंथ क़ुरआन मजीद की भी हिकमत (तत्वपूर्ण शिक्षा) है कि–

(ऐ नबी !) कहो, "ऐ किताब वालो ! आओ एक ऐसी बात की ओर जो हमारे और तुम्हारे बीच समान है, यह कि हम अल्लाह के सिवा किसी की बन्दगी न करें, उसके साथ किसी को साझी न ठहराएं और हम में से कोई अल्लाह के सिवा किसी को अपना रब न बना ले ।"

(क़ुरआन, 3:64)

इस हिकमत के अनुसार हम देखेंगे कि सनातन वैदिक धर्म और इस्लाम में क्या समानताएं हैं । इस्लाम की बुनियाद शिर्क का विरोध अर्थात 'ला इलाह इल्लल्लाह' अर्थात अल्लाह के अतिरिक्त कोई उपासना के योग्य नहीं है । संसार के सबसे पुराने ग्रंथ ऋग्वेद में एक ईश्वर की उपासना के बारे में आया है–

"इन्द्रं वो विश्वतस्परि हवामहे जनेभ्य: ।
अस्माकमस्तु केवल: ।।

(ऋग्वेद: मण्डल-1, सूक्त-7, मंत्र-10)

भावार्थ : हे मनुष्यो ! तुमको अत्यंत उचित है कि मुझको छोड़कर उपासना करने योग्य किसी दूसरे देव को कभी मत मानो, क्योंकि एक मुझको छोड़कर कोई दूसरा ईश्वर नहीं है । (हिन्दी भाष्य महर्षि दयानन्द)

स्वामी जी अमन व शांति और इन्सानों के भय मुक्त के बारे में आगे लिखते हैं कि परमेश्वर की शरण में गया ऐसा समर्पणकारी निष्काम उपासके आध्यात्मिक शांति और मोक्ष पाने का अधिकारी है । गीता में है–

"शांति निर्वाणपरमां मत्संस्थामधिगच्छति ।।

(गीता, अध्याय-6, श्लोक-15)

(ऐसा समर्पणकारी उपासक) मुझ में रहने वाली परम आनन्द की सर्वोच्च शांति को प्राप्त होता है । इसी तरह क़ुरआन मजीद में अल्लाह तआला फ़रमाता है–"जिसने भी अपने आपको अल्लाह के प्रति समर्पित कर दिया और उसका कर्म भी अच्छे से अच्छा हो तो उसका प्रतिदान उसके रब के पास है और ऐसे लोगों के लिए न तो कोई भय होगा और न वे शोकाकुल होंगे । (2:112)

सनातन वैदिक धर्म और गीता से यह सिद्ध होता है कि दैहिक, दैविक और भौतिक तीनों प्रकार की शांति पाने का और मोक्ष प्राप्त करने का सीधा व सरल रास्ता "ला इलाह इल्लल्लाह" अर्थात 'अल्लाह के सिवा कोई पूज्य नहीं' अर्थात इस्लाम धर्म है ।"

(इस्लाम : आतंक या आदर्श, पृष्ठ-76,77,85)

प्रसिद्ध लेखक लाला काशीराम चावला लिखते हैं कि–अल्लाह के रसूल हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) व्यक्ति गत रूप से शांतिप्रिय थे । आपकी शांतिप्रियता का प्रमाण आपके उन आदेशों से मिलता है, जो आप अपनी सेना को दिया करते थे–

"ईश्वर से डरो, अपनी इच्छाओं का दमन करो, ईश्वर का नाम लेकर जीयो, ईश्वर के आज्ञानुसार जीवन-यापन करो, उसी से सहायता मांगो और उसी की सेना बनकर युद्ध करो, किसी को किसी प्रकार का धोखा न दो, विरोधी के माल की चोरी न करो । मृतक की लाश को नष्ट न

करो । बूढ़ों-बच्चों और स्त्रियों पर हाथ न उठाओ । वृक्षों को अनावश्यक न काटो पूजा-स्थलों को न गिराओ । तुम्हारा सरदार जिस स्थान पर तुम्हें नियुक्त कर दे, वहां स्थिर रहो । जो शरण मांगे उसे शरण दो । आक्रमण करते हुए ईश्वर को याद रखो । आग न लगाओ । खजूर के और दूसरे फलदार वृक्षों को न काटो । फ़सलों को हानि न पहुंचाओ, न उन्हें जलाओ । बिना ज़रूरत मवेशियों को न मारो और न उन्हें ज़ख़्मी करो ।''

उपर्युक्त बातों से यह समझा जा सकता है कि जब इस्लाम में युद्ध के नियम इतने मानवतापूर्ण, न्यायजनक और शांतिदायक हैं, तो उसके साधारण नियम कितने शांतिपूर्ण होंगे ।

(इस्लाम मानवतापूर्ण ईश्वरीय धर्म, पृ॰ 19)

अल्लाह ने पैग़म्बर हज़रत मुहम्मद (सल्ल॰) को सारी दुनिया के लिए कृपा (रहमत) बनाकर भेजा है । पवित्र कुरआन में है–

''ऐ नबी, हमने तो तुमको दुनिया वालों के लिए रहमत बनाकर भेजा है ।''

(कुरआन, 21:107)

एक व्यक्ति ने पैग़म्बर मुहम्मद (सल्ल॰) से कहा, ''क़ाफ़िरों के विरुद्ध अल्लाह से दुआ कीजिये, उन्हें लानत भेजिये ।'' इस पर आप (सल्ल॰) ने कहा, ''मुझे दुनिया में दया के लिए भेजा गया है, लानत करने के लिए नहीं ।'' (मुस्लिम)

ईशदूत हज़रत मुहम्मद (सल्ल॰) की करनी और कथनी (अर्थात हदीस) से आपकी जीवनी से तथा कुरआन मजीद में अल्लाह की आयतों के विस्तृत अध्ययन से पाठक स्वयं देख व समझ सकते हैं कि इस्लाम ने शांति, दया व मानवता के उच्च व्यावहारिक आदर्शों को स्थापित किया है ।

सेहतमन्द और रचनात्मक पत्रकारिता का प्रतीक

कान्ति

स्वस्थ चेतना का वाहक हिन्दी साप्ताहिक अख़बार

मीडिया आज का सबसे शक्तिशाली माध्यम है । इसी से जनमत बनाये और बिगाड़े जा सकते हैं । एक छोटी-सी अफ़वाह शांति से रह रहे लोगों के बीच दंगे का कारण बन जाती है और सच्ची जानकारी अशांतिपूर्ण माहौल को शांतिपूर्ण बना देती है ।

आज की बेमक़सद पत्रकारिता ने मीडिया की भूमिका को बिगाड़ कर रख दिया है । हिंसा, अपराध, कुकृत्य और अनैतिक कारनामों एवं महत्वहीन चीज़ों की सनसनीख़ेज़ प्रस्तुति ही पत्रकारिता समझी जाने लगी है । घोटालों, अनियमितताओं, राजनीतिक उठापटक की गाथाओं और नेताओं के काले कारनामों की एकांगी और प्रायोजित रिपोर्टिंग आदि से लोग तंग आ चुके हैं ।

इस विषमता भरे माहौल में 'कान्ति' (साप्ताहिक) एक ऐसा अख़बार है, जो नकारात्मक मुद्दों से हटकर सही दिशा में लोगों की रहनुमाई करता है । समाज में फैली बुराइयों एवं कुरीतियों का पर्दाफ़ाश करता और सार्वजनिक दोषों को निष्पक्षता एवं निर्भीकतापूर्वक सामने लाता है । आपकी समस्याओं को समझता और उनका हल पेश करता है । यह आपके मन को ही नहीं, आपकी आत्मा को भी संतुष्ट करता है । इसमें हर इन्सान के अंतःकरण की स्वाभाविक ज़रूरत को पूरा करने के लिए आध्यात्म और रूहानियत पर सारगर्भित आलेख, दस्तावेज़ी और ज्ञानवर्द्धक रिपोर्टें और अन्य सामग्रियां प्रकाशित की जाती हैं ।

'कान्ति' (साप्ताहिक) आज से लगभग 54 वर्ष पूर्व प्रकाशित ऐसा अख़बार है जो इन्सानों को नेकी और भलाई के लिए उभारता है । अच्छे समाज के निर्माण और इन्सानों की ज़िन्दगियों को कामयाब बनाने के लिए रहनुमाई करता है । इस्लाम और मुसलमानों के बारे में फैली और फैलाई जा रही ग़लतफ़हमियों को सही तथ्य पेश कर दूर करने की कोशिश करता है । साथ ही देश और दुनिया की हलचल से बाख़बर रखता है और ख़बरों व घटनाओं पर संतुलित एवं शिक्षाप्रद टिप्पणी तथा विश्लेषण करता है ।

'कान्ति' पढ़िए और पढ़ाइए

इसे जन-जन तक पहुंचाने में आपका सहयोग अपेक्षित है।

प्रति कॉपी- ₹ 5 • वार्षिक- ₹ 250

डी-314, दावत नगर, अबुल फ़ज़्ल इन्कलेव,
जामिया नगर, नयी दिल्ली-110025
फ़ोन : 011-26949430

जीवन के प्रति सही दृष्टिकोण : इस्लाम की एक अनुपम देन

■ गुलज़ार सहराई

संसार के समस्त प्राणियों में इन्सान ही एक ऐसा प्राणी है जिसे ईश्वर की ओर से वैचारिक एवं व्यावहारिक स्वतंत्रता प्रदान की गयी है । यह अधिकार जहां इन्सान के लिए ईश्वर का अनमोल उपहार है, वहीं यह उसके लिए एक बड़ी परीक्षा भी है । बुद्धि एवं विवेक के इसी स्वतंत्र उपयोग के द्वारा जहां इन्सान ने भौतिक सफलता के कीर्तिमान स्थापित किये हैं, वहीं नैतिक एवं आध्यात्मिक स्तर पर उसने बुरी तरह ठोकरें भी खायी हैं । नैतिक मूल्यों का सही निर्धारण तथा आध्यात्मिक जीवन की वास्तविकता को ईश्वरीय मार्गदर्शन के बिना समझ पाना बुद्धि के वश की बात कभी नहीं रही । ईश्वरीय आदेशों की समुचित जानकारी के बिना जो लोग धर्म गुरु या आध्यात्मिक गुरु होने का दावा करते हैं, वे किस प्रकार आम जनता को मूर्ख बनाते हैं, यह बात किसी से छिपी नहीं है । इसके उदाहरण जब-तब हमारे सामने आते रहते हैं ।

दूसरी ओर जो लोग बुद्धि को ही सब कुछ समझते हैं, वे इस गुत्थी को सुलझा पाने में असमर्थ हैं कि आख़िर ज्ञान-विज्ञान से परिपूर्ण आधुनिक शिक्षा प्राप्त इन्सान इन कथित धर्म गुरुओं के जाल में क्यों फंस जाते हैं ? और क्यों बुद्धि को ताक़ पर रखकर निरे अंधविश्वासी बन जाते हैं ? इस प्रकार के लोग अस्ल में इस सत्य से अनभिज्ञ होते हैं कि दिव्य शक्ति से डरना इन्सान का एक नैसर्गिक गुण है । यही वजह है कि बौद्धिकता के तमाम दावों के बावजूद इन्सान अपने इस गुण से पीछा नहीं छुड़ा सका है ।

जब बुद्धि का ज़ोर होता है तो इन्सान, अदृश्य होने के कारण, ईश्वर तक का इन्कार कर बैठता है और जब अदृश्य शक्ति से डरने की भावना प्रबल रूप से उस पर हावी होती है, तो वह हवा, पानी, बिजली और आग ही नहीं, पेड़-पौधों यहां तक कि पत्थरों के आगे भी नतमस्तक हो जाता है । मानव प्रकृति की इस विचित्र एवं विरोधाभासी स्थिति का एहसास तो बहुत लोगों को है परन्तु इसका मूल कारण न जान पाने की वजह से वे कुछ नहीं कर पाते ।

इस विचित्र स्थिति से निकलने के लिए इन्सान क्या करे ? क्या वह मात्र बुद्धि को सर्वोपरि मानते हुए उसी का अनुसरण करे और हर उस बात को अंधविश्वास ठहराये जो उसकी बुद्धि से परे हो ? या फिर वह आस्था के नाम पर हर उस बात को स्वीकार कर ले, जो कथित धर्म गुरुओं द्वारा बतायी जाए, चाहे बुद्धि उसे स्वीकार करे या न करे ? निश्चय ही ये दोनों विचारधाराएं ऐसी हैं जिनके बीच किसी प्रकार समन्वय नहीं हो सकता । दोनों के बीच सदैव संघर्ष की स्थिति बनी रहती है ।

इस्लाम ने इन दोनों अतिवादी दृष्टिकोणों से हटकर एक तीसरा वैचारिक दृष्टिकोण पेश किया है जो एक ओर बुद्धिसंगत एवं तर्कसंगत भी है, दूसरी ओर वह इन्सान की अदृश्य शक्ति से डरने की नैसर्गिक भावना को भी सही दिशा प्रदान करता है ।

एकेश्वरवाद की अवधारणा : इस्लाम ने एक ओर तो बुद्धि को ही सब कुछ समझने वाले भौतिकवादियों की इस धारणा का खंडन किया कि यह ब्रह्माण्ड केवल एक आकस्मिक घटना के कारण स्वत: ही अस्तित्व में आ गया है और इसका कोई रचयिता नहीं है, क्योंकि इस दृष्टिकोण को स्वीकार करते ही मानव-जीवन पूरी तरह निरुद्देश्य हो जाता है तथा नैतिक-अनैतिक, अच्छाई-बुराई का निर्धारण करने वाले सारे मूल्य निरर्थक हो जाते हैं ।

दूसरी ओर इस्लाम ने इस विचारधारा का भी खंडन किया कि इस ब्रह्माण्ड को अनेक अदृश्य शक्तियों ने मिल कर बनाया है या ईश्वर के साथ उसके अनेक सहयोगी भी हैं । यह धारणा भी तर्कसंगत नहीं है, क्योंकि यदि ऐसा होता तो उन अदृश्य शक्तियों में स्वयं वर्चस्व के लिए जंग छिड़ जाती । फिर यह भी संभव न था कि किसी भी मामले में उनमें मतभेद न होता । दोनों स्थितियों में इस सृष्टि की

व्यवस्था का बिगड़ना अपरिहार्य था, जबकि सृष्टि की सुव्यवस्था स्वयं यह गवाही दे रही है कि इसके पीछे कोई एक ही सत्ता कार्यरत है ।

इस्लाम ने इन्सान को बताया कि इस पूरी सृष्टि को एक सर्वशक्तिमान ईश्वर ने बनाया है और वही इसकी पूरी व्यवस्था को चला भी रहा है । इस कार्य में उसका कोई समकक्ष अथवा साझीदार नहीं है । कुछ अदृश्य प्राणी (फ़रिश्ते) है, जिनसे वह काम लेता है परन्तु उनकी हैसियत मात्र आज्ञाकारी दास की है ।

इस्लाम ने इन्सान को इस सच्चाई से भी अवगत किया कि इस धरती पर उसका जन्म यूं ही निरुद्देश्य नहीं हुआ कि वह बस मन चाहे ढंग से जीवन गुज़ारे और फिर मरकर सदैव के लिए अस्तित्वहीन हो जाए । बल्कि इन्सान को मात्र परीक्षा हेतु इस भौतिक संसार में भेजा गया है । यहां यदि वह अपने स्रष्टा, पालनहार ईश्वर के आदेशों पर चलेगा और उसके द्वारा निषिद्ध ठहराये कार्यों से बचेगा तो मरने के बाद परलोक में उसे इस आज्ञाकारिता का पुरस्कार जन्नत (स्वर्ग) के शाश्वत सुखों के रूप में मिलेगा । इसके विपरीत यदि वह ईश्वरीय आदेशों की अवहेलना करते हुए मात्र अपनी इच्छा का दास बनकर जिएगा । या फिर आस्था के नाम पर हर कहीं नतमस्तक होता फिरेगा (दूसरे शब्दों में बुद्धि को ताक़ पर रख देगा)। दोनों स्थितियों में उसे सत्यमार्ग से भटकने के अपराध में, मरने के बाद पारलौकिक जीवन में जहन्नम (नरक) की कठोरतम यातना का दंड भोगना होगा, जो स्वर्ग के सुखों की भांति ही अन्तहीन होगा ।

ईशदूतत्व की अवधारणा : इन्सान की बुद्धि परोक्ष संबंधी मामलों में उसका उचित मार्गदर्शन करने में असमर्थ है, इसलिए प्राय: वह बुद्धि को परे रखकर उसी भयभावना के वशीभूत होकर या तो स्वयं कुछ काल्पनिक उपास्य गढ़ लेता है या उन कथित धर्म गुरुओं पर आंखें मूंद कर विश्वास करता है, जो परोक्ष ज्ञानी होने का दावा करते हैं । दोनों स्थितियों में वह केवल अंधेरे में भटकता और भ्रम में जीता है ।

इस्लाम हमें बताता है कि इन्सान न तो केवल बुद्धि के द्वारा ईश्वरीय आदेशों और उसकी पसन्द-नापसन्द को जान सकता है और न उसके लिए यह संभव है कि वह ध्यान-योग के द्वारा ईश्वर से साक्षात्कार कर उसकी मर्ज़ी को जान ले । यदि ऐसा होता तो फिर उस परीक्षा का कोई अर्थ न रह जाता जिसके लिए इन्सान को धरती पर पैदा किया गया है । इसलिए ईश्वर का उसकी दृष्टि से ओझल रहना अनिवार्य था । साथ ही यह भी ज़रूरी था कि प्रत्येक मनुष्य स्वयं अपने प्रयास से उसकी मर्ज़ी को न जान सके । बल्कि इस मामले में इन्सान के मार्गदर्शन के लिए ईश्वर ने इन्सानों में से ही कुछ विशिष्ट विभूतियों का चयन किया और फ़रिश्तों द्वारा उन पर अपने आदेश अवतरित किये । ईश्वर के ये सन्देष्टा विभिन्न कालों, विभिन्न भू-भागों में हुए जिन्होंने मानवता को सत्य मार्ग से अवगत किया । इस्लाम के अनुसार अंतिम सन्देष्टा हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) हैं, जिन पर अवतरित क़ुरआन अंतिम ईश ग्रंथ है जो आज भी अपने विशुद्ध मूल रूप में मौजूद है और अन्य बहुत से ग्रंथों की तरह इसमें एक अक्षर का भी फेरबदल नहीं हुआ है । इस्लाम के अनुसार हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) को ईश्वर का अंतिम सन्देष्टा मानते हुए उनके लाए हुए ईश ग्रंथ क़ुरआन तथा स्वयं हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) का अनुसरण करना अनिवार्य है । साथ ही उन सभी विभूतियों को ईशदूत के रूप में मानना भी अनिवार्य है जिनका उल्लेख क़ुरआन में 'नबी' या 'रसूल' के शब्दों से किया गया है ।

ईशदूत की यह अवधारणा मानवजाति के लिए कितना बड़ा वरदान है, इसका अनुमान उन लोगों की स्थिति को देखकर सहज ही लगाया जा सकता है जो मन की शांति पाने के लिए विभिन्न आध्यात्मिक गुरुओं या धर्म गुरुओं के चक्कर लगाते हैं, उनके परस्पर विरोधी एवं जटिल प्रवचनों को सुनते हैं और कभी इस उलझन से नहीं निकल पाते कि उनमें से किसे झूठा समझें और किसे सच्चा मानें ? इसलिए कि उनके पास सच और झूठ का अन्तर स्पष्ट करने वाली कोई कसौटी ही नहीं होती ।

इस्लाम ने इस बात को पूरी तरह स्पष्ट कर दिया कि ईश्वरीय मार्गदर्शन पाने का एकमात्र माध्यम ईशदूत का अनुकरण है । किसी दार्शनिक या उपदेशक की बात भी तभी सही मानी जाएगी जब वह उसकी पुष्टि के लिए ईशदूत की शिक्षाओं और उस पर अवतरित ईशग्रंथ से प्रमाण प्रस्तुत करे । यह सिद्धांत देकर इस्लाम ने उन स्वयं-भू धर्म गुरुओं का रास्ता सदैव के लिए बन्द कर दिया जो अपनी मनगढ़ंत बातों को बिना किसी प्रमाण के धर्म और आध्यात्मिकता का नाम देकर जनसाधारण को मूर्ख बनाते हैं और स्वयं भी अंधेरों में भटकते हैं तथा दूसरों को भी भटकाते हैं ।

परलोक की अवधारणा : यह एक सर्वविदित सत्य है कि इन्सान के प्रत्येक कर्म के पीछे कोई न कोई उद्देश्य छिपा होता है । दूसरे शब्दों में हम यह भी कह सकते हैं कि इन्सान परिणाम की आशा के बिना कोई काम नहीं करता । जिस कार्य के सुखद परिणाम पर उसे जितना अधिक विश्वास होगा, उसके प्रति वह उतना ही सक्रिय नज़र आएगा । इसी प्रकार यदि किसी कार्य के दुष्परिणाम की उसे समुचित जानकारी हो जाए तो वह उससे यथासंभव बचने का प्रयास करेगा ।

इसके विपरीत यदि इन्सान दूसरों को देखकर और स्वयं अपने अनुभवों से यह जान ले कि न तो अच्छाई का सुखद परिणाम मिलना अनिवार्य है और न यह निश्चित है कि बुरे काम का अंजाम बुरा ही मिले, तो ऐसी स्थिति में मानव को अच्छाई की प्रेरणा देने और बुराई से रोकने के सारे प्रयास विफल हो जाते हैं । जैसा कि हम वर्तमान समय में देख भी रहे हैं । समाज में कितनी ही नैतिक बुराइयां फैली हैं जिनके उन्मूलन के लिए लोग प्रयासरत भी हैं, इनमें भ्रष्टाचार का मामला तो सबसे ऊपर है । परन्तु क्या समाज से भ्रष्टाचार ख़त्म हो सका ? उत्तर है कि नहीं । कारण स्पष्ट है कि हर कोई देख रहा है कि भ्रष्टाचार में लिप्त बड़े-बड़े लीडरों को उनके जुर्म की कोई सज़ा नहीं मिलती और यदि मिलती भी है तो वह ऐसी नहीं होती जो उन्हें आगे ऐसा करने से रोक सके तथा दूसरों के लिए भी शिक्षाप्रद सिद्ध हो ।

यही हाल सच्चाई के रास्ते पर चलने वालों का भी है । ऐसे लोगों की इस बिगड़ी व्यवस्था में कोई क़द्र नहीं है, बल्कि कुछ भौतिकवादी तो ईमानदारी को 'मूर्खता' का पर्याय बताने से भी नहीं हिचकते । उनका मानना है कि इस युग में ईमानदार वही हो सकता है जो मूर्ख होगा । यानी बेईमानी, धोखा, छल, कपट को इन्सान के स्वाभाविक गुणों के रूप में स्वीकार कर लिया गया है ।

ऐसी भी नहीं है कि इस समाज में केवल नास्तिक रहते हैं और सभी का इस पर मतैक्य हो चुका हो कि ईश्वर नाम की किसी सर्वोच्च सत्ता का कोई अस्तित्व नहीं है, और यह कि मरने के बाद हर व्यक्ति को सदैव के लिए अस्तित्वहीन हो जाना है । बल्कि सच तो यह है कि समाज़ के अधिकांश लोग किसी न किसी धर्म से जुड़े होने के कारण न केवल ईश्वर में आस्था रखते हैं बल्कि मृत्योपरांत मिलने वाले दंड और प्रतिदान को भी किसी न किसी रूप में मानते हैं । परन्तु व्यावहारिक रूप में इन कथित धार्मिकों और घोर भौतिकवादी नास्तिकों में कोई अन्तर दिखायी नहीं देता । इसका कारण यह है कि एक तो उन्हें ईश्वर के गुणों एवं उसके अधिकारों का पूरी तरह बोध नहीं है, दूसरे यह कि उनके धर्म में मरने के बाद के प्रतिफल की अवधारणा बुरी तरह विकृत हो चुकी है । उदाहरणार्थ पुनर्जन्म की अवधारणा को ही

Jamaat-e-Islami Social Service Society (Regd), Gaya

The Society is in service in the field of education, health and Islamic understanding for the last 34 years. Our resources are limited, our task is tremendous. We seek your co-operation in the following activities:-

1. **IQRA PUBLIC SCHOOL :** Besides 800 paying students, about 150 poor or orphan girls & boys are provided free education upto Matriculation with Islamic Carriculam.
2. **MILLAT HOSPITAL :** Every year about 15000 poor & needy patients are provided with free medical treatment & medicine besides other services.
3. **INTEREST-FREE SOCIETY :** Provides short-term loan without interest to needy people.
4. **ISLAMIC INFORMATION CENTRE :** Established at Bodh-Gaya, where lakhs of foreigners visit every year during Nov - March. The Centre provides reading materials on Islam, distributes Islamic literature and invites interested visitors for discussion besides inter-faith dialogue on regular basis.

Kindly send your cheque/draft in favour of the society

(Q. Hoda)
Chairman

(Prof. M. B. Zaman)
Secretary

JISSS, Millat Campus, Leitch Road, Gaya-823001

लीजिए । कहने को इस धारणा में विश्वास रखने वाले बहुत मिल जाएंगे परन्तु ऐसा व्यक्ति ढूंढ़े से भी न मिलेगा जो इस अवधारणा से न केवल पूरी तरह संतुष्ट हो बल्कि दूसरों को भी तार्किक रूप से संतुष्ट करने की क्षमता रखता हो । स्पष्ट है कि जो धारणा इन्सान की समझ ही में न आये वह उसके जीवन पर प्रभाव कैसे डाल सकती है ?

इस्लाम हमें बताता है कि सर्वशक्तिमान ईश्वर ने हमें पैदा करके यूं ही आज़ाद नहीं छोड़ दिया है कि हम जो चाहें करते फिरें, कोई कुछ पूछने वाला नहीं । वह न केवल हमारी हर गतिविधि को देख रहा है, बल्कि हमारी नीयतों और इरादों तक को वह जान रहा है । यदि हम अपनी चतुराई से अपराधों की सज़ा पाने से बच जाते हैं तो इसका अर्थ यह कदापि नहीं कि यह कोई अंधेर नगरी है, बल्कि ऐसा मात्र हमारी परीक्षा के कारण है और हमारे मरने के बाद एक समय ऐसा अवश्य आएगा जब हमें अपने हर अच्छे-बुरे कर्म का हिसाब देना होगा और उसी के हिसाब से पारलौकिक जीवन में हमें पुरस्कार या दंड दिया जाएगा ।

परलोक की यह अवधारणा पूरी तरह तर्कसंगत भी है और न्यायसंगत भी । ऐसा कौन न्यायप्रिय व्यक्ति होगा जो यह न चाहेगा कि अपराधियों को उनके किये की भरपूर सज़ा मिले और पीड़ितों के साथ न्याय हो । परन्तु वर्तमान जगत में क्या ऐसा हो पा रहा है ? न्याय व्यवस्था का क्या हाल है सभी जानते हैं, बल्कि सच पूछिए तो कुछ हालात में न्याय व्यवस्था उचित न्याय करने में असमर्थ भी सिद्ध होती है । उदाहरणार्थ एक व्यक्ति हज़ारों आदमियों को मौत के घाट उतार देता है । न्याय की मांग है कि उसे भी हज़ारों बार ही मौत दी जाए, परंतु उसे उस व्यक्ति के बराबर एक ही बार मृत्युदंड दिया जा सकता है जिसने केवल एक व्यक्ति की हत्या की थी । परन्तु सर्वशक्तिमान ईश्वर इसकी पूरी सामर्थ्य रखता है कि वह हर व्यक्ति को उसके अपराधों के अनुकूल दंड दे और इसी प्रकार उसके सत्कर्मों के अनुरूप पुरस्कार भी ।

इस्लाम द्वारा प्रदत्त उपर्युक्त तीनों अवधारणाएं जीवन के प्रति इन्सान के सही दृष्टिकोण को निर्धारित करती हैं । यह तो सर्वविदित ही है कि वैचारिक दृष्टिकोण ही जीवनशैली को निर्धारित करता है ।

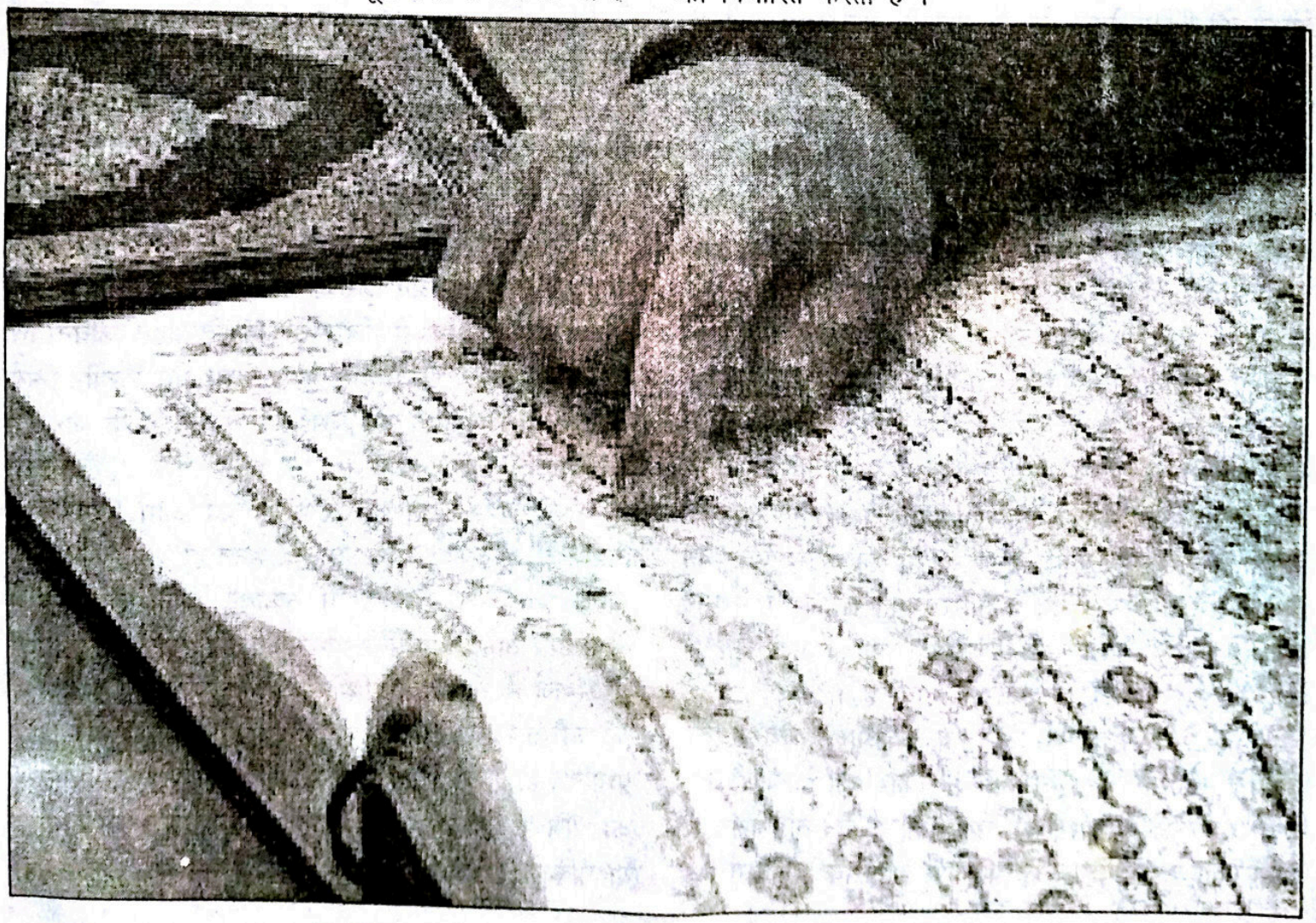

महिलाओं के साथ सद्व्यवहार और इस्लामी शिक्षाएं

■ ज़हीर ललितपुरी

इस्लाम धर्म ने औरत के साथ हमेशा सद्व्यवहार करने की शिक्षा दी है किन्तु इस दौर में कन्या भ्रूण हत्या, दहेज प्रथा, चरित्र हनन, बलात्कार आदि गंभीर अपराधों के साथ-साथ, उनके साथ दुर्व्यवहार, क्रूरता, हिंसा, अत्याचार, अन्याय और असमानता की घटनाओं में भी अभूतपूर्व वृद्धि हुई है । महिलाओं के प्रति दुर्व्यवहार की घटनाएं इस बात की प्रतीक है कि औरतों का समाज में सम्मान घटा है तथा इसी वजह से उनकी संख्या में कमी होने से मानव समाज को उसके घातक परिणाम भुगतने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है । जबकि इस्लाम धर्म महिलाओं के प्रति सद्व्यवहार करने की शिक्षा देकर उनकी आज़ादी, जान-माल व इज़्ज़त व आबरू की हिफ़ाज़त करता है और मर्तबे व अहमियत को बढ़ाता है ।

इतिहास इस बात का साक्षी है कि जब-जब दुनिया में ईश्वरवादी सत्ता स्थापित होती है, नैतिक वातावरण, उच्चतम मानव मूल्य, उत्कृष्ट सिद्धांत एवं मानदंड समाज का आधार बनते हैं तो औरतों की स्थिति में भी सुधार होता है और जब-जब ईश्वरीय सत्ता, नैतिक वातावरण, उच्चतम मानव मूल्यों, सिद्धांतों एवं मानदंडों में कमी आती है, औरतों की स्थिति भी दयनीय हो जाती है । इसीलिए मानवता के इस्लामी दौर में, जब एक ईश्वर की सत्ता पर विश्वास, उसका डर और उसकी प्रसन्नता प्राप्त करने की सद्इच्छा रखने वाले इन्सान अधिक संख्या में रहे हैं, औरतों की स्थिति हमेशा अच्छी रही है और उनका समाज में सम्मान बढ़ा है किन्तु वर्तमान अनीश्वरवादी भौतिकवादी युग में उनकी स्थिति पहले से बदतर हो गयी है ।

औरतों के ख़िलाफ़ हिंसा, क्रूरता और दुर्व्यवहार का अर्थ है, औरतों के बुनियादी अधिकार एवं आज़ादी का हनन । वास्तव में औरतों से, महज औरत होने की वजह से असामनता का व्यवहार, शारीरिक व मानसिक प्रताड़ना एवं प्रदूषित यौनाचार, जिससे उसे मानसिक और शारीरिक वेदना मिले या जिनसे उसे किसी प्रकार की शारीरिक, मानसिक, मनोवैज्ञानिक हानि होने की आशंका हो ऐसे सारे काम, औरत के प्रति दुर्व्यवहार, हिंसा और ज़ुल्म-ज़्यादती के काम हैं । प्राचीनकाल से ही औरतों और मर्दों के बीच असमानता और औरतों की कमज़ोरी की वजह से औरतों पर मर्द अत्याचार करते आये हैं और आज भी उनके साथ दुर्व्यवहार का कारण यही हैं । औरत होने की वजह से औरत के ख़िलाफ़ हिंसा भी एक प्रकार से उनके साथ असमानता का व्यवहार है और औरत होने की वजह से उसके ख़िलाफ़ असमानता का व्यवहार भी हिंसा है ।

औरतों के ख़िलाफ़ क्रूरता, हिंसा व लिंगभेद के आधार पर अन्याय और असमानता का व्यवहार विश्वव्यापी समस्या है । विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार भी औरतों के ख़िलाफ़ हिंसा, क्रूरता और दुर्व्यवहार एक गंभीर समस्या है और यह उनके मानवाधिकारों का हनन है । शिक्षा की कमी और सामाजिक असमानता के कारण, औरतों के साथ, अजनबी व्यक्तियों और क़रीबी रिश्तेदारों, परिवार के सदस्यों के अलावा अंतरंग साझीदार अर्थात विवाहित जीवनसाथी द्वारा भी अमानवीय व्यवहार, घरेलू हिंसा और मारपीट किया जाना आम बात है । यह बुराई मानव समाज के माथे पर कलंक और अभिशाप है ।

लिंगभेद के आधार पर हिंसा का आम होना सिर्फ़ औरतों के बुनियादी अधिकारों का हनन ही नहीं बल्कि सारे मानव समाज के विकास में रुकावट, मानव संसाधन में कमी और अनेक आर्थिक समस्याओं का कारण है । परिवार या समाज में औरतों के साथ सद्व्यवहार की कमी से, बच्चों की उचित परवरिश, देखभाल और शिक्षा दीक्षा का काम प्रभावित होता है, फलस्वरूप उनका और आने वाली पीढ़ियों का भविष्य अंधकारमय हो जाता है । ऐसे बच्चों के अयोग्य या नाकारा हो जाने से उनका समाज को कोई लाभ नहीं

मिलता, या वे अपराधी बनकर और आपराधिक जगत में सम्मिलित होकर मानव समाज के लिये ख़तरा बन जाते हैं ।

आज दुनिया पुनः उन कारणों को खोजने के लिये विवश है जिनके कारण औरतों के साथ पशुओं जैसा व्यवहार किया जाता है और एक ऐसी जीवन व्यवस्था की तलाश जारी है जिसमें अन्य मानवीय समस्याओं के साथ-साथ औरतों के ख़िलाफ़ हिंसा और दुर्व्यवहार का कोई स्थान न हो । हालांकि, आज भी जहां-जहां इस्लामी शिक्षाओं की बुनियाद पर जीवन व्यवस्था, संस्कृति और समाज क़ायम हैं वहां औरतों की स्थिति बेहतर है । क्योंकि इस्लाम ऐसा मज़हब है जिसमें औरतों को सर्वाधिक संरक्षण प्रदान किया गया है तथा औरतों के साथ दुर्व्यवहार न करने एवं सद्व्यवहार करने के लिये बहुत सारे हुक्म, हिदायतें, नसीहतें और शिक्षाएं दी गयीं हैं । पवित्र कुरआन में स्पष्ट रूप में फ़रमाया गया है कि–"औरतों के साथ नेकी का बर्ताव करो" और "आपसी संबंधों में सहृदयता को न भूलो ।"

ईश्वरीयवाणी पवित्र कुरआन और इस्लामी पैग़म्बर हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) की शिक्षाओं के द्वारा समाज में औरतों को बहुत ही सम्मानजनक स्थिति प्रदान की गयी है । आप (सल्ल०) ने विभिन्न हदीसों के माध्यम से मां, बहन, बेटी और बीवी आदि सभी रिश्तों को बहुत पवित्र और महान बताते हुये उनके साथ सद्व्यवहार की शिक्षा दी है । हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) के अनुसार ख़ुदा और रसूल के बाद सबसे अधिक सम्मान, बड़ाई और बुलन्दी का स्थान मां का है, दुनिया की बेहतरीन नेमतों में से कोई चीज़ नेक बीबी से बेहतर नहीं है और जिसके यहां लड़कियां पैदा हों और वह अच्छी तरह उनकी परवरिश करे तो यही लड़कियां उसके लिये दोज़ख़ से आड़ बन जाती हैं । वस्तुतः इस्लामी जीवन व्यवस्था में हर रूप में औरतों को सम्मान देने और सद्व्यवहार करने की शिक्षा दी गयी है ।

एक बार एक शख़्स ने जब हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) से पूछा कि मुझ पर सबसे अधिक सद्व्यवहार का अधिकार किसका है ? तो आपने मां के स्थान को स्पष्ट करते हुये फ़रमाया कि–"तेरी मां का" उसने पूछा फिर कौन ?, फ़रमाया– "तेरी मां" उसने फिर पूछा कौन ? फ़रमाया "तेरी मां" उसने फिर पूछा कौन ? फ़रमाया "तेरा बाप"। इसी तरह बीवी के रूप में और अन्य रिश्तों में एक औरत के साथ अच्छा व्यवहार करने की हिदायत आपने इस प्रकार दी है कि–"तुम में से अच्छे लोग वो हैं जो अपनी बीवियों के साथ अच्छे हैं और अपने परिवार के सदस्यों के साथ मुहब्बत और मेहरबानी का व्यवहार करते हैं । एक जगह आपने फ़रमाया कि दुनिया की चीज़ों में मुझे सबसे अधिक प्रिय, औरत और ख़ूशबू है और मेरी आंखों की ठंडक नमाज़ है ।

एक बार हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) ने फ़रमाया कि औरत पसली की तरह है । अगर तू उसे सीधा करना चाहे तो तोड़ बैठे और अगर इससे फ़ायदा उठाएगा तो उसकी टेढ़ के बावजूद उससे फ़ायदा उठायेगा । आपके इस कथन से यह शिक्षा मिलती है कि औरत की प्रकृति ऐसी है कि उसके साथ नरमी बरतकर अच्छे व्यवहार से उसका फ़ायदा उठाया जा सकता है । यदि उसके साथ दुर्व्यवहार किया जायेगा तो उसके परिणाम ख़राब ही निकलेंगे । इस प्रकार इस्लाम ही वह पहली और आख़िरी जीवन व्यवस्था है जिसने औरत के बारे में न सिर्फ़ मर्दों की मानसिकता को बदला है, बल्कि औरतों की मानसिकता को ख़ुद के बारे में बदला है । इस्लामी शिक्षाओं में बीवियों पर हाथ उठाने को मना किया गया है, माओं की नाफ़रमानी करना, हक़दारों के हक़ न देना और बेटियों को ज़िन्दा दफ़न करना हराम कहा गया है तथा सदैव अच्छा व्यवहार करने का हुक्म दिया गया है ।

आख़िरी हज के मौक़े पर आप (सल्ल०) ने अल्लाह की प्रशंसा व याददहानी के बाद, नसीहत करते हुये फ़रमाया कि सुनो औरतों के सम्बन्ध में भलाई करने की नसीहत क़ुबूल करो । वो तुम्हारे मातहत, तुम्हारी क़ैदी हैं, तुम्हें उन पर किसी क़िस्म की सत्ता का, ताक़त का प्रयोग करने का अधिकार नहीं सिवाय इसके कि वे खुली फिरें और बेहयाई करें । हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) ने सिर्फ़ मां, बहन, बेटी और बीवी या परिवार की दूसरी औरतों के साथ ही सद्व्यवहार करने की शिक्षा नहीं दी बल्कि दासियों, सेविकाओं, नौकरानियों और लौंडियों तक के साथ बेहतरीन व्यवहार करने की शिक्षा दी है, उन्होंने फ़रमाया कि–जिस किसी शख़्स के पास लौंडी (दासी) हो, और अगर उसने उसे शिक्षा दी और ख़ूब अच्छी शिक्षा दी और उसे अच्छी सभ्यता और संस्कार सिखाए और फिर उसे आज़ाद करके उससे शादी कर ली तो दोगुना पुण्य प्राप्त होगा । जब अल्लाह के

रसूल (सल्ल०) की मृत्यु हुई तो आख़िरी वक़्त उनकी ज़बान पर "लौंडी, गुलाम और नमाज़" शब्द थे अर्थात आख़िरी सांस तक आप (सल्ल०) लौंडियों और गुलामों के साथ अच्छा व्यवहार करने की नसीहत करते रहे ।

अत: स्पष्ट है कि इस्लामी शिक्षाओं में क़दम-क़दम पर औरतों के साथ अच्छा व्यवहार करने की शिक्षा है । इसी नैतिक और वैधानिक सुधार का नतीजा है कि इस्लामी सोसायटी में औरत को वो बुलन्द हैसियत मिली है जिसकी मिसाल दुनिया की सोसायटी में नहीं मिलती । आज भी इन्सान की सोच और फ़िक्र की तरक़्क़ी उस बुलन्दी तक नहीं हुई है जहां तक इस्लामी सोच और फ़िक्र पहुंची है । पश्चिम ने औरत को जो कुछ दिया है, औरत की हैसियत से नहीं दिया है, बल्कि मर्द बनाकर दिया है । औरत दरहक़ीक़त अब भी उसकी निगाह में वैसी ही ज़लील है जैसी पुराने पिछड़े हुए दौर में थी । घर की मालकिन, पति की पत्नी, बच्चों की मां, किसी की बहिन और बेटी, एक प्राकृतिक, स्वाभाविक और वास्तविक औरत के लिये आज भी कोई इज़्ज़त नहीं है । इज़्ज़त है तो उस मर्द रूपी औरत की जो शारीरिक बनावट के तौर पर औरत है मगर मानसिक और बौद्धिक रूप में मर्दों के समान है, जो समाज, सभ्यता और संस्कृति के विकास के लिये मर्दों की तरह काम करती है, मेहनत करती है । ज़ाहिर है उसके औरतपन की इज़्ज़त नहीं है बल्कि मर्दानगी की इज़्ज़त है । अफ़सोसनाक बात है कि आज की औरत भी ख़ुद को मर्द की तरह ज़िन्दा रखने में अपनी बेहतरी समझती है ।

इस मानसिक दिवालियेपन का सबूत यह है कि पश्चिमी सोच की औरत मार्दाना लिबास गर्व के साथ पहनती है, जबकि कोई मर्द ज़नाना लिबास पहनकर, सरेआम, गर्व के साथ आने का ख़्याल भी नहीं कर सकता । किसी मर्द की बीवी बनकर ज़िन्दगी गुज़ारने में वर्तमान औरतें बेइज़्ज़ती महसूस करती हैं, जबकि शौहर बनना किसी भी मर्द के लिए स्वभिमान का विषय है । औरतें तो मर्दों के काम करने में इज़्ज़त महसूस करती हैं जबकि कोई मर्द घरेलू काम करने, बच्चों की देखभाल करने और रसोई आदि जैसे ख़ालिस औरतों का काम करना अपने लिये सम्मान का विषय नहीं समझता ।

अत: स्पष्ट है कि पश्चिमी विचारधारा और वर्तमान विकसित समाज में औरतों को सामान्य औरत मां, बहन, बेटी और पत्नी होने की हैसियत से इज़्ज़त नहीं मिली है । मेडम, महोदया और माननीया जैसे आधुनिक सम्मान सूचक शब्द उसके लिये नहीं बल्कि एक मर्दनुमा औरत के लिये हैं । एक सामान्य औरत के लिये तो आज भी अबला, पतिता, कुलटा, सेविका और दासी जैसे शब्दों से सम्बोधित किया जाता है ।

वास्तव में यह काम सिर्फ़ इस्लामी शिक्षाओं, आस्थाओं, मान्यताओं, मानव मूल्यों और मानदंडों की देन हैं कि औरत को सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से, उसके स्वाभाविक रूप में स्वीकार करते हुये सम्मानजनक स्थान मिला हुआ है और सच्चे अर्थों में उसे बुलन्द मर्तबे पर रखा गया है । इस्लामी जीवन व्यवस्था में, औरत को औरत और मर्द को मर्द के प्राकृतिक, स्वाभाविक और वास्तविक रूप में रखते हुये, दोनों से अलग-अलग उनसे वही काम लेने की शिक्षा ली गयी है जिसे कुदरत ने उनके लिये निर्धारित किया है और जिनके लिये उनको पैदा किया गया है । दोनों को, उनके स्वाभाविक रूप में क़ायम रखते हुये, सम्मान, विकास और सफलता के समान अवसर प्रदान किये गये हैं । औरतपन और मर्दानगी दोनों इन्सानियत के लिये ज़रूरी हैं । समाज के निर्माण और विकास के लिये दोनों का समान महत्व है । दोनों अपने-अपने दायरे में रहते हुये जिन ज़िम्मेदारियों का निर्वाह करते हैं उनका समान महत्व है और मानवता के हित में है ।

वस्तुत: मुसलमान औरत दीन और दुनिया, दोनों में, भौतिक, आध्यात्मिक और वैज्ञानिक दृष्टि से उन्नति के उन उच्चतम शिखरों तक पहुंच सकती है जहां तक एक मर्द पहुंच सकता है और औरत होना किसी तरह से उसकी तरक़्क़ी की राह में रोड़ा नहीं बन सकता । ऐसा भी नहीं है कि अन्य जीवन व्यवस्थाओं में औरतों के साथ अच्छा व्यवहार करने की शिक्षाएं नहीं दी जाती हैं । विभिन्न प्राचीन जीवन व्यवस्थाओं में, धार्मिक आन्दोलनों एवं सामाजिक सुधारों के लिये औरतों की स्थिति बेहतर बनाने के प्रयास किये गये हैं ।

वर्तमान काल में भी उनकी स्थिति में सुधार के लिये विशेष प्रयास किये जा रहे हैं । लेकिन उन्नति के इस नये दौर में आज भी, अन्य मामलों की तरह औरतों के साथ सद्व्यवहार के मामले में भी, दुनिया इस्लाम से बहुत पीछे है ।

दहेज कुप्रथा के अंत का आह्वान

■ संकलित

दहेज नामक कुप्रथा को न तो कोई संबंध इस्लाम की सामाजिक व पारिवारिक शिक्षाओं से है और न ही यह मुस्लिम समाज के द्वारा पैदा की गयी है । भारतीय समाज का अध्ययन करने से यह पता चलता है कि यह कुप्रथा भारत में प्राचीनकाल से मौजूद थी । भारतीय समाज में इस तरह की कई प्रथाएं पायी जाती थीं, जिनमें से अधिकांश परम्पराओं का आरंभ किसी अच्छे उद्देश्य की पूर्ति के लिए किया गया था, लेकिन समय बीतने के साथ-साथ इन परम्पराओं एवं प्रथाओं की उपयोगिता पर प्रश्न चिन्ह लगता गया, जिसके परिणाम स्वरूप सामाजिक एवं पारिवारिक रूप से ऐसी अनेक प्रथाएं व मान्यताएं आज अपनी उपयुक्तता खो चुकी हैं । वहीं दूसरी तरफ़ कुछ रस्म, रीति-रिवाज़, चलन, प्रथाएं व परंपराएं ऐसी हैं, जो बदलते समय के साथ-साथ अधिक कुप्रथाएं एवं ग़लत परम्पराएं बनकर विकराल रूप धारण करती जा रही हैं ।

इतिहास का अध्ययन करने से यह विदित होता है कि अरबवासियों में इस रस्म का अस्तित्व नहीं था । स्वयं अल्लाह के रसूल हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) की पवित्र जीवनी से कहीं मालूम नहीं होता कि आप (सल्ल०) को शादी व विवाह में कोई चीज़ दहेज के नाम पर दी गयी हो ।

दहेज प्रथा ऐसी ही एक कुप्रथा है, जो न जाने कितने परिवारों को अपने काल का ग्रास बना चुकी है । अगर हम इतिहास का अवलोकन करें, तो यह बात हमारे सामने आती है कि उत्तर वैदिक काल में शुरू हुई यह परंपरा आज अपने वीभत्स और घिनौने रूप ध ारण कर चुकी है । ऋग्वैदिक काल में इस प्रथा को कोई मान्यता प्राप्त नहीं थी । अथर्ववेद के अनुसार उत्तरवैदिक काल में इस प्रथा की शुरुआत हुई जिसमें कन्या पक्ष के लोग (कन्या का पिता) विवाह के उपरांत कन्या को विदा करते समय उपहारस्वरूप अपनी इच्छा से वर पक्ष को कुछ धन व सामग्री देता था, जिसे वरपक्ष सहर्ष स्वीकार कर लेता था । जिसे दहेज नहीं, बल्कि 'वहतु' के नाम से जाना जाता था । इस 'वहतु' पर पति या ससुराल वालों का कोई अधिकार नहीं होता था । इस पर केवल स्त्री का अधिकार होता था । उत्तर वैदिककाल में जो भी ग्रंथ लिखे गये उन ग्रंथों में कहीं भी दहेज प्रथा का कोई भी प्रसंग नहीं मिलता।

मध्यकाल में इस प्रथा में थोड़ा-सा बदलाव आया । उत्तर वैदिककाल में 'वहतु' नाम से जो प्रथा प्रचलित थी, मध्यकाल में उस प्रथा को 'स्त्री धन' के रूप में पहचान मिलने लगी । इसका स्वरूप 'वहतु' के ही समान था । इस प्रथा में कन्या का पिता स्वेच्छा से जो धन या उपहार देकर अपनी बेटी को विदा करता था, इसके पीछे मुख्य कारण यह था कि किसी घोर संकट या विपत्ति के अवसर पर कन्या पक्ष द्वारा दिया गया उपहारस्वरूप धन कन्या या उसके ससुराल वालों के काम आएगा । बाद में इस प्रथा के स्वरूप में थोड़ा-सा बदलाव भी आ गया । इस काल में विदाई के समय धन-दौलत को महत्व दिया जाने लगा । विशेष रूप से राजस्थान में इस कुप्रथा के महत्व को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया गया । राजस्थान के उच्च व धन-दौलत से संपन्न राजपूतों ने समाज में अपनी ऊंची शान, मान-मर्यादा व प्रतिष्ठा स्थापित करने के लिए उपहार के रूप में अधिक से अधिक धन का व्यय करने लगे, जिसमें 'स्त्री धन' शब्द पूरी तरह विलुप्त हो गया और उसकी जगह यहीं से 'दहेज' शब्द की उत्पत्ति हुई । आधुनिक काल में यह प्रथा इतना विकराल एवं वीभत्स रूप धारण करके उभरी कि समाज के हर वर्ग को अपनी चपेट में ले लिया । धन का लालच इतना बढ़ा है कि लड़के वालों ने लड़कों को व्यापार का सामान बना दिया और शादी के अवसर पर दहेज के नाम पर मुंह मांगी क़ीमत वसूलने लगे ।

इतिहास का अध्ययन करने से यह विदित होता है कि अरबवासियों में इस रस्म का अस्तित्व नहीं था । स्वयं अल्लाह के रसूल हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) की पवित्र जीवनी से कहीं मालूम नहीं होता कि आप (सल्ल०) को शादी व विवाह में कोई चीज़ दहेज के नाम पर दी गयी हो । यहां तक हज़रत अबू बक्र सिद्दीक़ (रज़ि०) ने भी हज़रत आइशा (रज़ि०) की शादी के शुभ अवसर पर आप (सल्ल०) को कोई चीज़ दहेज के रूप में नहीं दी । स्वयं

अल्लाह के रसूल (सल्ल॰) ने अपनी चार बेटियों की शादी में दहेज के नाम पर कोई चीज़ भी नहीं दी है ।

अल्लाह के रसूल (सल्ल॰) ने जब हज़रत फ़ातिमा (रज़ि॰) की शादी हज़रत अली (रज़ि॰) से की तो उन्हें विदा करते समय कुछ सामान भी दिया था, जिसे दहेज कहा जाता है । यह सामान क्या था, इसका विवरण अल्लामा सुलैमान नदवी, सीरतुन्नबी, भाग 2 में लिखते हैं–"दहेज में एक पलंग और बिस्तर दिया ।

सहाबा के वृत्तांत के बारे में एक प्रसिद्ध अरबी पुस्तक 'असाबा' में लिखा है कि आप (सल्ल॰) ने एक चादर दो चक्कियां और एक मश्क भी दी थी और विचित्र संयोग है कि यही दोनों चीज़ें जीवन भर उनके साथ रहीं ।"

(सीरतुन्नबी भाग-2, पृ॰ 428)

इस व्याख्या से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि दहेज की यह रस्म न तो इस्लाम से पहले अरबों में प्रचलित थी और न इस्लाम आने के बाद अल्लाह के रसूल (सल्ल॰) ने इसे जारी किया । यहां पर इस बात का उल्लेख कर देना आवश्यक है कि हज़रत अली (रज़ि॰) का पालन-पोषण पांच वर्ष की आयु से ही आप (सल्ल॰) के घर पर हो रहा था । इसलिए न उनके पास अपना कोई घर था और न कोई आधाभूत सामग्री । उनके पास न अलग से कोई पूंजी थी और न ही कोई जीविकोपार्जन का साधन । इस सिलसिले में मौलाना इस्माईल पानीपती लिखते हैं–

"हिजरत के लगभग डेढ़ साल बाद आप (सल्ल॰) ने अपनी छोटी बेटी हज़रत फ़ातिमा (रज़ि॰) का निकाह हज़रत अली (रज़ि॰) से कर दिया । हज़रत अली (रज़ि॰) के पास कुछ भी न था । न रहने को मकान न खाने को रोटी । ज़िरह (कवच) बेचकर शादी और वलीमे (प्रीतभोज) का प्रबंध किया । यह ज़िरह सवा सौ रुपये में बेची गयी । एक अंसारी हारिस बिन नोमान (रज़ि॰) ने अपने मकानों में से एक मकान दिया, जिसमें आप (रज़ि॰) ने दुल्हन को उतारा और इस प्रकार अपना दाम्पत्य जीवन प्रारंभ किया ।

इससे मालूम होता है कि शादी के समय तक हज़रत अली (रज़ि॰) आप (सल्ल॰) के पास रहते थे । शादी के बाद जब ये दोनों हज़रत हारिस बिन नोमान (रज़ि॰) के दिये हुए मकान में जाने लगे तो अल्लाह के रसूल (सल्ल॰) ने अपने घर से कुछ ज़रूरत की चीज़ें भी उन्हें दे दीं । इन चीज़ों के देने से किसी रस्म पर अमल करना अभीष्ट न था । ऐसी सूरत और हालात में दिये गये इस सामान को आजकल के दहेज की बुनियाद बनाना बहुत अनीति और हठधर्मी की बात है । इस विषय पर आधुनिक युग के एक इस्लामी विद्वान मौलाना सैयद उरूज़ क़ादरी साहब लिखते हैं–

"हज़रत फ़ातिमा (रज़ि॰) को आप (सल्ल॰) ने जो सामान दिया था उनकी ज़रूरतों को देखते हुए था । मगर वह दहेज की कोई रस्म न थी । लेकिन आलिमों ने उसे दहेज ही कहा है और शादी के समय लड़की को कुछ सामान देने की दलील बनाया है ।"

(ज़िन्दगी मासिक, मोहर्रमुल हराम 1403 हिजरी)

इसके बाद वे कहते हैं, "अगर ये चीज़ें शर्त और ज़बरदस्ती के तौर पर न हों और न संतुलन की सीमा से बढ़ी हुई हों, तो नाजायज़ नहीं है...मसला कोई भी हो मध्य मार्ग और संतुलन को हाथ से न जाने देना चाहिए ।"

(ज़िन्दगी मासिक, मुहर्रमुल हराम, 1403 हिजरी)

भारतीय समाज में प्रचलित दहेज प्रथा को जड़ से नष्ट करने के लिए हमें सोच-विचार करके ऐसे उपाय अपनाने चाहिए जिसके द्वारा हिन्दू समाज व मुस्लिम समाज से इस बुरी रस्म को उखाड़ फेंका जा सके । ऐसी सूरत में मुस्लिम समाज के आदरणीय विद्वानों, आलिमों और मुफ़्तियों को चाहिए कि वे लोगों को इस तरह के निकाह के शरई दोषों से परिचित कराएं और अपने प्रभाव क्षेत्र में इस बुरी रस्म (परम्परा) का मिटाने का हर संभव प्रयास करें । हिन्दू समाज के आदरणीय धर्मगुरुओं से भी अनुरोध है कि हिन्दू समाज में फैली दहेज रूपी इस प्रथा को समाप्त करने के लिए यथासंभव प्रयास करें, ताकि समाज में विद्यमान इस प्रथा को जड़ से ख़त्म किया जा सके और कोई भी महिला दहेज हत्या की शिकार न होने पाये ।

इसके अतिरिक्त औरतों के समाचार पत्रों और पत्रिकाओं को भी इस विषय पर विशेष ध्यान देना चाहिए और मुसलमान लड़कियों में मान-सम्मान के भावों को इस प्रकार जागृत किया जाए कि वे ऐसे नवजवानों से विवाह करने के मुक़ाबले में वैसे नेक नवजवानों से शादी करें जो दहेज लोभी न हों । इसके साथ-साथ मुस्लिम नवजवानों में ज़िम्मेदारी का एहसास और स्वाभिमान की ऐसी भावना पैदा की जाए कि वे जब भी शादी करें वह शादी, दहेज मुक्त व इस्लामी शरीअत के अनुसार हो ।

अन्तर्राष्ट्रीय संबंध और इस्लाम की शिक्षाएं

■ मुशर्रफ़ अली

इस्लाम मानव एकता का समर्थक और आवाहक है । इस्लाम के अनुसार राष्ट्रीयता, रंग, धर्म, भाषा आदि किसी भी आधार पर मनुष्य-मनुष्य में अन्तर नहीं किया जा सकता । मनुष्यों का सांसारिक विभाजन मात्र पहचान के लिए है । वास्तविकता यह है कि धरती के सारे मनुष्य एक ही जोड़े के वंशज हैं । यह एक ही परिवार है जो आदम और हव्वा की संतान से बढ़कर समस्त धरती पर फैल गया है । मनुष्य तो समस्त विश्व का निवासी है, देशों का विभाजन तो प्रशासनिक आवश्यकताओं के लिए किया गया है ।

संख्या की अधिकता के कारण मानव एकता गुम हो गयी है । वास्तव में सभी मनुष्य भाई-भाई हैं । रंग, रूप, भाषा और पहनावे का अन्तर तो भौगोलिक और ऐतिहासिक कारणों से है । वास्तव में मनुष्य सभी बराबर हैं, सभी को समान मानवाधिकार प्राप्त हैं, विकास के अवसर भी सब के लिए समान हैं । कुरआन और अल्लाह के रसूल हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) की हदीसों के अनुसार मनुष्य धरती पर अल्लाह का प्रतिनिधि है और अत्यधिक प्रतिष्ठित है । स्पष्ट है कि प्रतिनिधि स्वयंभू नहीं होता, बल्कि वह अपने नियुक्त करने वाले स्वामी के सामने जवाबदेह होता है । उसका स्वामी उससे उसके हर काम के बारे में पूछ सकता है । प्रतिनिधि का प्रथम दायित्व यह है कि वह जिसका प्रतिनिधि है, उसकी सत्ता को स्वीकार करे और उसके आदेशों के अनुसार ही सारे काम करे । अल्लाह का प्रतिनिधि होने की हैसियत से वह श्रेष्ठतम सृष्टि है । वह संसार की प्रत्येक वस्तु से उत्तम है और संसार की सभी वस्तुएं उसके अधीन और सेवार्थ हैं ।

मानव एकता और धरती पर अल्लाह का प्रतिनिधि होने की इस्लामी धारणा को समझने के बाद अन्तर्राष्ट्रीय संबंधों की इस्लामी धारणा को समझा जा सकता है । अन्तर्राष्ट्रीय संबंधों के इस्लामी सिद्धांत जो इस्लामी राज्य के अन्य राज्यों से संबंधों को निर्देशित करते हैं इस प्रकार हैं–

(1) शांति और सुरक्षा का विकास : इस्लाम शब्द का अर्थ है 'शांति' और 'सुरक्षा' । इसका अर्थ अल्लाह के प्रति पूर्ण समर्पण भी है । इस प्रकार इस्लाम शांति का धर्म है और इस्लामी राज्य का अन्य राज्यों के साथ संबंध के बारे में मूल सिद्धांत है– "शांति सबके साथ और युद्ध किसी के साथ नहीं ।" दूसरे शब्दों में "मित्रता सबके लिए और द्वेष किसी के लिए नहीं ।" कुरआन किसी भी हाल में आक्रामक युद्ध की अनुमति नहीं देता, वह अपने मानने वालों को केवल तभी हथियार उठाने की अनुमति देता है, जब उसके सिवा कोई और चारा न रह गया हो–"तुम अल्लाह के मार्ग में उन लोगों से लड़ो, जो तुम से लड़ते हैं, लेकिन ज़्यादती न करो कि अल्लाह ज़्यादती करने वालों को पसन्द नहीं करता ।" (कुरआन, 2:190)

इस्लाम का इतिहास साक्षी है कि अल्लाह के रसूल हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) और आपके सहाबा (रज़ि०) ने केवल तब तलवार उठायी, जब इस्लाम के दुश्मनों ने उन्हें हद से ज़्यादा परेशान कर दिया यहां तक कि उन्हें उनके घरों से निकाल दिया । ऐसी ही हालत की ओर कुरआन की यह आयत संकेत करती है–"(युद्ध की) अनुमति दी गयी उन लोगों को, जिनके विरुद्ध युद्ध किया जा रहा है, क्योंकि वे उत्पीड़ित हैं और अल्लाह को यक़ीनन उनकी सहायता की सामर्थ्य प्राप्त है । (कुरआन, 22:39)

इस्लाम अपने मानने वालों से अपेक्षा करता है कि वे इस्लाम के पैग़ाम को जन-जन तक पहुंचाएं, लेकिन इसके लिए भी वह ज़ोर-ज़बरदस्ती की अनुमति नहीं देता । कुरआन कहता है–"दीन के मामले में कोई ज़ोर-ज़बरदस्ती नहीं है ।" (कुरआन, 2:256)

दूसरी जगह कुरआन अल्लाह के रसूल (सल्ल०) से कहता है कि वे इन्कार करने वालों से कह दे–"तुम्हारे लिए तुम्हारा धर्म है और मेरे लिए मेरा धर्म ।"(कुरआन, 109:6)

(2) बंधुत्व का विकास : इस्लाम मानवजाति की भाईचारगी में विश्वास रखता है और कुरआन सभी मनुष्य के एक ही माता-पिता की संतान होने पर ज़ोर देता है । इस बात से किसी को इन्कार नहीं है कि समस्त मानवजाति एक ही माता-पिता आदम और हव्वा की संतान है ।

"लोगो, अपने रब से डरो, जिसने तुमको एक जान से पैदा किया और उसी जान से उसका जोड़ा बनाया और उन दोनों से बहुत से मर्द और औरत दुनिया में फैला दिये ।"

(कुरआन, 4:1)

चूंकि समस्त मानवता एक माता-पिता की संतान है, इसलिए सभी मनुष्य आपस में भाई-भाई हैं । जिस प्रकार एक माता-पिता की संतानें आपस में समान होती हैं, हरेक के अधिकार और दायित्व दूसरे के प्रति समान होते हैं, उसी प्रकार इस्लाम वैश्विक भाईचारे की बात करता है । यह भाईचारा केवल व्यक्तियों के बीच ही नहीं है, बल्कि इस्लाम राज्यों और राष्ट्रों के बीच भी भाईचारे को बढ़ावा देता है । इसलिए इस्लाम की विदेश नीति का दूसरा सिद्धांत विश्व के देशों के बीच बंधुत्व का विकास है ।

एक ही माता-पिता की संतान होने से यह तथ्य भी स्पष्ट होता है कि सभी मनुष्य समान हैं कोई बड़ा या छोटा, ऊंच या नीच नहीं । अल्लाह के रसूल (सल्ल०) ने अपने अंतिम हज के अवसर पर लाखों लोगों को संबोधित करते हुए कहा था कि, "ऐ इन्सानो, तुम्हारा प्रभु भी एक है और तुम्हारा पिता भी एक है ।...किसी अरबी को किसी अजमी (ग़ैर-अरबी) पर कोई प्राथमिकता व श्रेष्ठता नहीं, न किसी अजमी को किसी अरबी पर, न गोरे को काले पर, न काले को गोरे पर, प्रमुखता अगर किसी की है, तो सिर्फ़ तक़वा और परहेज़गारी से है ।"

अर्थात, रंग, जाति, नस्ल, देश, क्षेत्र आदि किसी की श्रेष्ठता, प्रमुखता और प्राथमिकता के आधार नहीं हैं । बड़ाई का आधार अगर कोई है, तो ईमान एवं चरित्र है । इसलिए इस्लामी राज्यों की विदेश नीति का अनिवार्य सिद्धांत समानता है ।

(3) न्याय और निष्पक्षता का विकास : इस्लाम मानवजाति के बीच न्याय और निष्पक्षता को बढ़ावा देता है । न्याय की स्थापना इस्लाम का मौलिक लक्ष्य है । किसी का पक्ष लिए या किसी से डरे बिना समस्त मानवजाति के साथ न्याय का मामला होना चाहिए । कुरआन इस सिद्धांत पर ज़ोर देते हुए कहता है–"ऐ लोगो जो ईमान लाये हो ! इन्साफ़ के ध्वजावाहक और अल्लाह के लिए गवाह बनो यद्यपि तुम्हारा इन्साफ़ और तुम्हारी गवाही खुद तुम्हारे अपने या तुम्हारे मां-बाप और नातेदारों के विरुद्ध ही क्यों न पड़ती हो । मामले से संबंध रखने वाला चाहे मालदार हो या ग़रीब, अल्लाह तुमसे अधिक उसका हितैषी है । अत: अपनी इच्छा के अनुपालन में न्याय से न हटो । और अगर तुमने लगी-लिपटी बात कही या सच्चाई से पहलू बचाया तो जान रखो कि जो कुछ तुम करते हो अल्लाह को उसकी ख़बर है ।"

(कुरआन, 4:135)

न्याय और निष्पक्ष मामलों का यह नियम एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के संबंध को ही नियंत्रित नहीं करता है, बल्कि यह नियम राष्ट्रों-राज्यों के परस्पर संबंध पर भी लागू होता है । इसे स्पष्ट करते हुए कुरआन दूसरी जगह कहता है–"ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, अल्लाह के लिए औचित्य पर क़ायम रहने वाले और इन्साफ़ की गवाही देने वाले बनो । किसी समुदाय की दुश्मनी तुमको इतना उत्तेजित न कर दे कि इन्साफ़ से फिर जाओ । इन्साफ़ करो, यह ईश-भक्ति और विनम्रता के अधिक अनुकूल है ।"

(कुरआन, 5:8)

अत: इस्लाम के अनुसार अन्तर्राष्ट्रीय संबंधों में न्याय का पालन अनिवार्य है । नफ़रत या दुश्मनी के कारण दूसरे राष्ट्र/राज्य के लोगों के साथ अन्याय की इस्लाम में कोई गुंजाइश नहीं है । बदक़िस्मती से आज की दुनिया की यह सबसे बड़ी समस्या है । प्रत्येक देश ने मित्र राष्ट्र और शत्रु राष्ट्र की दो श्रेणियों में दुनिया के देशों को बांट लिया है और शत्रु राष्ट्र और वहां के लोगों के लिए न्याय की कोई कल्पना ही मौजूद नहीं है । स्थिति यहां तक है कि यदि किसी नागरिक ने किसी शत्रु राष्ट्र के किसी अच्छे काम की प्रशंसा कर दी, तो उसे देशद्रोही ठहरा दिया जाता है ।

(4) अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग का विकास : इस्लामी राज्यों का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है भलाई, न्याय और शांति के कामों में सहयोग और बुराई, अन्याय और अशांति के कामों में असहयोग । कुरआन का स्पष्ट निर्देश है–"जो काम नेकी और ईशभक्ति के हैं उनमें सबको सहयोग दो और जो गुनाह और ज़्यादती के काम हैं उनमें किसी को सहयोग न दो ।"

(कुरआन, 5:2)

कुरआन के इस आदेश का पालन करते हुए इस्लामी

राज्य उन देशों के साथ सहयोग की नीति अपनाते हैं जो अन्तर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा के लिए काम कर रहे हों, बुराइयों, बीमारियों और ग़रीबी के विरुद्ध अभियान चला रहे हों, जो मानवता के कल्याण के लिए प्रयासरत हों । साथ ही वे उन देशों के साथ असहयोग की नीति अपनाते हैं जो शांति और सुरक्षा को बिगाड़ रहे हों, जो आक्रामक हों और जो मानवाधिकारों का हनन कर रहे हों ।

एक इस्लामी राज्य के अन्य राज्यों के साथ संबंध को तीन वर्गों में विभाजित किया जा सकता है–

1. मुस्लिम देशों के साथ संबंध : सारे मुसलमान चाहे वे कहीं भी रहते हों एक समाज हैं और आपस में भाई-भाई हैं । इस्लाम दुनिया के सारे मुसलमानों के बीच एक ऐसा भाईचारा स्थापित करता है जो किसी भौगोलिक सीमा या अन्तर्राष्ट्रीय सीमाओं द्वारा तोड़ा नहीं जा सकता । इस्लाम वंश, रंग, भाषा, राष्ट्रीयता, क्षेत्रीयता आदि के आधार पर बनाये गये भेदभावों से ऊपर उठकर बहुत मज़बूत भाईचारे का निर्माण करता है और सारे भेदभावों से ऊपर उठकर सभी मुस्लिम महिलाओं और पुरुषों को एक परिवार बनाता है । कुरआन और हदीस में इसकी शिक्षाएं मौजूद हैं ।

कुरआन व हदीस की ये शिक्षाएं व्यक्तिगत रूप से ही लोगों को भाईचारे के बंधन में नहीं बांधतीं, बल्कि अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर मुस्लिम देशों के बीच भी भाईचारे का निर्माण करती हैं । एक मुस्लिम देश के लिए ज़रूरी है कि वह दूसरे मुस्लिम देश को अपना भाई समझे और हर तरह से उसकी मदद करे, चाहे मामला सुरक्षा का हो, विकास का, शिक्षा का या आर्थिक और सामाजिक मामले हों । मुस्लिम राज्यों को चाहिए कि वे शांतिपूर्ण ढंग से रहें और अपने विवादों को भी शांतिपूर्वक सुलझाएं । अगर किसी कारण से दो मुस्लिम देशों के बीच विवाद बढ़ जाता है या युद्ध की स्थिति पैदा हो जाती है तो अन्य मुस्लिम देशों का दायित्व है कि वे इन दोनों के बीच शांति स्थापित करने की कोशिश करें ।

2. संधि वाले ग़ैर-मुस्लिम राज्यों के साथ संबंध : एक इस्लामी राज्य का अगर किसी ग़ैर-मुस्लिम राज्य के साथ समझौता है, तो उसके संबंध उस समझौते की धाराओं के अनुसार ही चलेंगे । इस्लामी राज्य हर हाल में और हर क़ीमत पर समझौते की शर्तों का पालन करेंगे । अगर दूसरा पक्ष समझौते की शर्तों का पालन नहीं करता है और उनका खुला उल्लंघन करता है, तो इस्लामी राज्य को आज़ादी है कि वह दूसरे पक्ष को चेतावनी देकर समझौते को निरस्त कर दे । इस्लामी राज्य के लिए अपनी ओर से किसी भी हाल में समझौते की शर्तों के उल्लंघन की अनुमति नहीं है, क्योंकि यह वचन है और वचन को तोड़ना बहुत बड़ा गुनाह है और इसके लिए कड़ी सज़ाएं निर्धारित हैं ।

3. सामान्य ग़ैर-मुस्लिम राज्यों के साथ संबंध : इस्लाम शांति का धर्म है और भाईचारे का आवाहक है, इसलिए एक इस्लामी राज्य का दूसरे ग़ैर-मुस्लिम राज्यों के साथ संबंध का सामान्य सिद्धांत यह है कि "सबके लिए दोस्ती और दुश्मनी किसी के लिए नहीं, सबके साथ शांति और युद्ध किसी के साथ नहीं ।" ऐसे ग़ैर-मुस्लिम राज्य जिनका मुस्लिम राज्य के साथ कोई समझौता नहीं है, उनके लिए भी डरने की कोई बात नहीं है क्योंकि इस्लामी राज्यों की विदेश नीति आक्रामक नहीं होती है, बल्कि इस्लामी राज्य की विदेश नीति साझा मामलों में दोस्ती और सहयोग की होती है । ये उन राज्यों के साथ सहयोग करते हैं जो शांति, न्याय और मानव कल्याण के लिए काम करते हैं । कुरआन की शिक्षा है–"जो काम नेकी और ईश-भक्ति के हैं उनमें सबको सहयोग दो और जो गुनाह और ज़्यादती के काम हैं उनमें किसी को सहयोग न दो ।"(कुरआन, 5:2)

लेकिन अगर दूसरा देश नफ़रत और आक्रमण की नीति अपनाये, तो इस्लामी राज्यों को भी वैसा ही जवाब देने का अधिकार है । इस विषय पर कुरआन का दृष्टिकोण बिल्कुल स्पष्ट है–"अत: जो तुम पर हाथ उठाये तुम भी उसी तरह उस पर हाथ उठाओ । अलबत्ता अल्लाह से डरते रहो और यह जान रखो कि अल्लाह उन्हीं लोगों के साथ है जो उसकी सीमाओं को तोड़ने से बचते हैं ।"

(कुरआन, 2:194)

वर्तमान समय के लोगों की समस्याएं इस्लाम की शिक्षाओं का पालन करके ही हल हो सकती हैं । यह काम मुसलमानों का था कि वे इन शिक्षाओं का पालन करके दुनिया के सामने एक अनुसरणीय नमूना प्रस्तुत करते, लेकिन मुसलमानों ने इन शिक्षाओं को त्याग दिया और नेतृत्व का पद गंवा दिया और इसका नुक़सान सारी दुनिया को उठाना पड़ रहा है । मुसलमानों की वास्तविक शक्ति पवित्र कुरआन व हदीस के पालन में ही है । उसी के माध्यम से वे नेतृत्व का अपना खोया हुआ पद प्राप्त कर सकते हैं और तभी संसार का कल्याण हो सकता है ।

Anjuman College for Women, Bhatkal

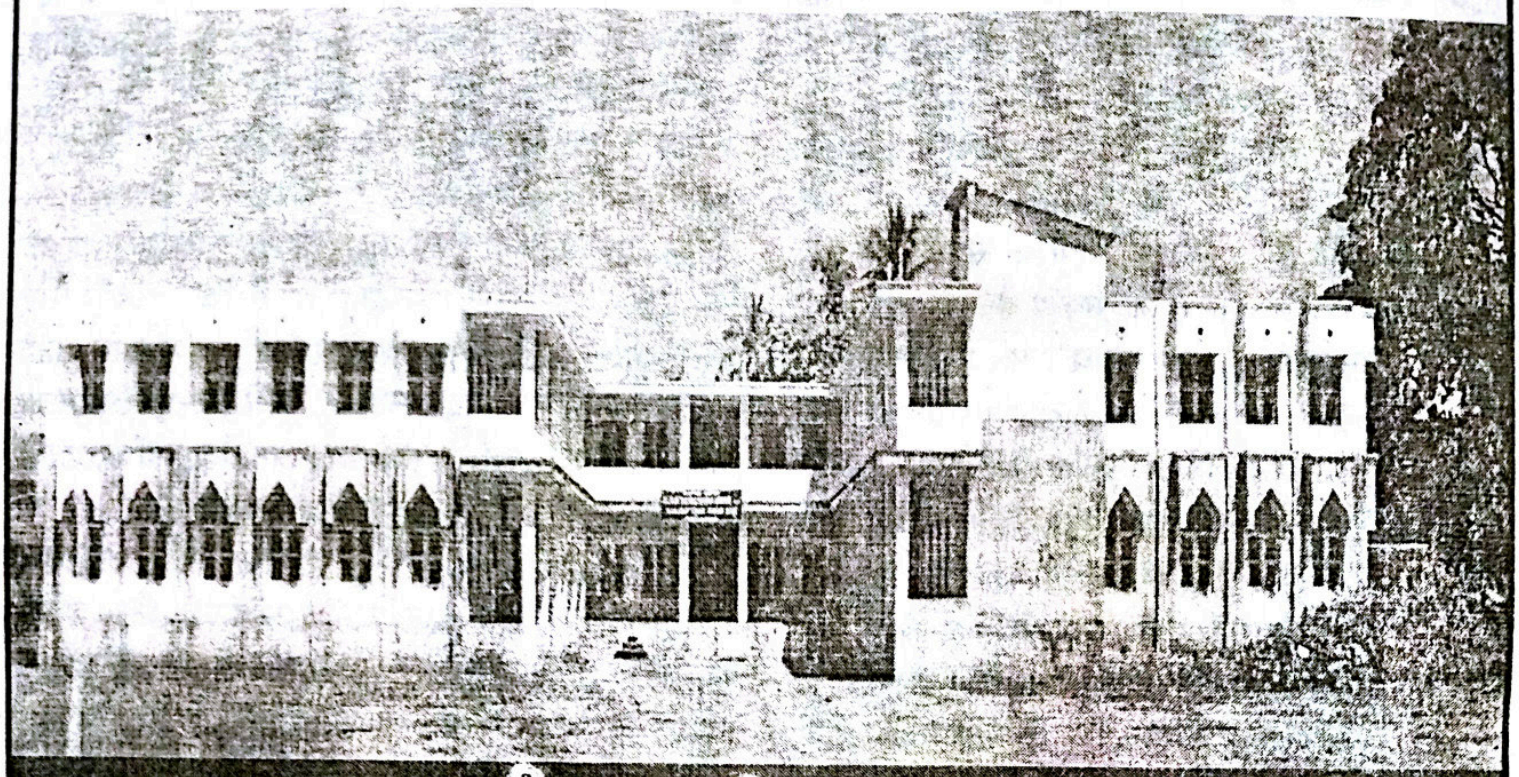

Marrellous Result of B. Sc (6th Sem) May/June 2012 Examination

Total No. of students appeared	: 36
Total No. of Students Passed	: 36
Distinction	: 35
(Above 70% –17 Students & Above 80%–18 Students)	
1st Class	: 01
Total Percentage	: 100%

Highest Scorer :

Nafeesa Huda D/o Mohammed Ansar Damda Abu 4333/4800 90.2%

Principal

(Mrs. Raisa Shaikh)

मानव सेवा का इस्लामी दृष्टिकोण

■ संकलित

इस जगत में कुछ लोगों को हर प्रकार की सुख-सुविधाएं प्राप्त हैं और कुछ लोग उनसे वंचित हैं । कुरआन मजीद उन सुख-सुविधा प्राप्त लोगों से मांग करता है वे सुविधा से वंचित लोगों की सेवा करें । उन्हें हर प्रकार की सुख-सुविधाएं उपलब्ध कराएं और उनके जीवन को सुखमय बनाने में उनकी यथासंभव सहायता प्रदान करें । अल्लाह ने जिस व्यक्ति को देखने के लिए आंख, सुनने के लिए कान, बोलने के लिए ज़बान, दौड़-धूप तथा परिश्रम करने के लिए दो शक्तिशाली हाथ-पैर, सोचने-समझने के लिए हृदय एवं मस्तिष्क और जीवन व्यतीत करने के लिए समस्त सुख-सामग्री प्रदान की है, उस व्यक्ति का यह परम कर्तव्य बनता है कि जो व्यक्ति लाचार व असहाय है, जिसको जीवन-साधन प्राप्त न हों और जो जीवन की दौड़-धूप में भाग लेने योग्य न हो, उसे असहाय न छोड़ दें कि वह दर-दर भटकता हुआ भिक्षा मांगे या आत्महत्या करने के लिए विवश हो जाए, बल्कि उसके जीविकोपार्जन हेतु उपयुक्त साधन और उसके सुख-चैन की सामग्री उपलब्ध कराए ।

मानवता उपकारक महाईशदूत हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) ने जनसेवा, मानवसेवा, दयाभाव, समानता, भाईचारा, सौहार्द, मुहब्बत और प्यार की ऐसी शिक्षा दी, जो अंयत्र नहीं मिलती ।

चूंकि इन्सान को जो कुछ मिलता है, वह अल्लाह की ओर से मिलता है, अत: इन्सान को उसी अल्लाह का आभारी होना चाहिए । उसका आभार प्रकट करने का एक तरीक़ा यह है कि उसके बन्दों के साथ सद्व्यवहार किया जाए और जो सेवा के पात्र हैं, उनकी यथासंभव सेवा की जाए । अल्लाह तआला कुरआन में फ़रमाता है–

"क्या हमने उसे दो आंखें और एक ज़बान और दो होंठ नहीं दिये और उसको (सत्य और असत्य के) दोनों मार्ग नहीं दिखाये ? लेकिन वह घाटी पर नहीं चढ़ा । तुम जानते हो यह घाटी क्या है ? गर्दन का छुड़ाना (गुलाम आज़ाद कराना) या भूख के दिन खाना खिलाना, किसी निकटवर्ती अनाथ को या दुर्दशाग्रस्त मुहताज को । फिर वह उन लोगों में सम्मिलित हुआ जो ईमान लाए, जिन्होंने एक-दूसरे को सब्र की ताकीद की और (इन्सानों के साथ) दया करने की ताकीद की । यही लोग हैं जो (प्रलय के दिन अल्लाह के) दायीं ओर होंगे । और जिन्होंने हमारी "आयतों" का इन्कार किया वे बायीं ओर वाले हैं । वे चारों ओर से (नरक) की आग में बन्द कर दिये जाएंगे ।" (90:8-20)

इस्लाम ने सृष्टि की सेवा को स्रष्टा की सेवा बताया है । अल्लाह के बन्दों की सहायता करना वास्तव में अल्लाह की सहायता करना है । इस्लाम अपने अनुयायियों को उम्मत (समुदाय) का शुभ चिंतक बनाने के साथ-साथ संपूर्ण मानवजाति का भी हमदर्द बनाता है । पक्षपात या तरफ़दारी, आदमी को द्वेष, ईर्ष्या और दुश्मनी सिखाता है । जो व्यक्ति क़ौमी पक्षपात में ग्रस्त हो वह अपनी क़ौम के अतिरिक्त किसी अन्य क़ौम के साथ हमदर्दी और प्रेम का पक्षधर नहीं हो सकता, इस्लाम इसके विरुद्ध है । कुरआन मजीद ने दीन-दुखियों, अनाथों, मुहताजों, संसाधनों से असमर्थ व धन-दौलत से वंचित इन्सानों की सेवा, खान-पान तथा उनके साथ सद्व्यवहार करने का आदेश दिया है । कुरआन में अल्लाह तआला फ़रमाता है–

"और अल्लाह के प्रेम में मुहताज और अनाथ और क़ैदी को खाना खिलाते हैं, (और उनसे कहते हैं कि) हम तुम्हें सिर्फ़ अल्लाह के लिए खिला रहे हैं, हम तुम से न कोई बदला चाहते हैं, न शुक्रिया ।" (76:8,9)

मानवता उपकारक महाईशदूत हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) ने जनसेवा, मानवसेवा, दयाभाव, समानता, भाईचारा, सौहार्द, मुहब्बत और प्यार की ऐसी शिक्षा दी, जो अंयत्र नहीं मिलती ।

हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि०) अल्लाह के रसूल (सल्ल०) से रिवायत करते हैं कि "दया करने वालों पर दयावान (रहमान) दया करता है, अत: धरती वालों पर दया

करो, आकाश वाला तुम पर दया करेगा ।'' (तिरमिज़ी)

एक-दूसरी जगह आप (सल्ल०) ने इरशाद फ़रमाया–हज़रत जरीर बिन अब्दुल्लाह की रिवायत है कि अल्लाह के रसूल (सल्ल०) ने फ़रमाया, ''अल्लाह उस व्यक्ति पर दया नहीं करता, जो इन्सानों पर दया न करे ।'' (बुख़ारी, मुस्लिम)

''जनसेवा और इस्लाम''

(सैयद जलालुद्दीन उमरी, मर्कज़ी मक्तबा इस्लामी पब्लिशर्स, नयी दिल्ली-25)

इस्लाम सारे मनुष्यों को एक अल्लाह का बनाया हुआ, एक मां-बाप की संतान, एक परिवार व कुटुम्ब बतलाता है । सबकी जान-माल, मान-सम्मान और प्रतिष्ठा को प्रतिष्ठित ठहराता है । सबको न्याय पाने का बराबर का अधिकारी बतलाता है । सबकी सेवा और सबके साथ सद्व्यवहार व परोपकार करने का आदेश देता है । हर इन्सान आदम (अलैहि०) की संतान होने के कारण हमारा भाई है और भाई के साथ हमारा जो व्यवहार होना चाहिए, वही व्यवहार व बर्ताव हमें समस्त मानवजाति से करना चाहिए । उन पर हम दया करें, दिल से उनका भला चाहें, उन्हें अच्छी से अच्छी सलाह दें, कठिनाइयों और परेशानियों में उनकी सहायता करें और उनका जो हम सेवा सत्कार कर सकते हैं, उससे पीछे न हटें ।

जो व्यक्ति जितना अधिक बेसहारा, कमज़ोर ग़रीब और परेशान है, उतना ही वह हमारी हमदर्दी, ध्यान और सहायता का पात्र है । हमारा परम कर्तव्य है कि हम उसे सहारा दें । इस सिलसिले में ईशदूत हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) ने फ़रमाया–

''अबू हुरैरा (रज़ि०) से उल्लिखित है कि अल्लाह के रसूल (सल्ल०) ने इरशाद फ़रमाया, विधवाओं और ग़रीबों के लिए भाग-दौड़ करने वाला अल्लाह की राह में भाग-दौड़ करने वाले की तरह है और मेरा ख़याल है, आप (सल्ल०) ने यह भी कहा, वह रात को जागकर इबादत करने वाले की तरह है, जो कभी नहीं थकता और उस व्यक्ति की तरह है जो सदैव रोज़े रखता है ।''

(बुख़ारी, मुस्लिम)

आप (सल्ल०) की शिक्षाओं से प्रेरणा लेकर आपके सहाबा (रज़ि०) ने जनसेवा व मानवसेवा का जो उदाहरण दुनिया के सामने पेश किया वह अद्वितीय है । ऐसे ही कुछ अनुपम उदाहरण आपके सम्मुख प्रस्तुत हैं ।

जनता के सच्चे सेवक और इस्लामी जगत के प्रथम ख़लीफ़ा हज़रत अबूबक्र सिद्दीक़ (रज़ि०) थे । ख़िलाफ़त आपके जीवन की सादगी और व्यक्तिगत स्तर पर जनसेवा को प्रभावित न कर सकी । जो सेवाभाव ख़लीफ़ा बनने से पहले था, वह सेवाभाव ख़लीफ़ा बनने के बाद भी बना रहा । ख़लीफ़ा होने से पहले आप एक पड़ोसी की बकरियां दूहा करते थे । ख़लीफ़ा बनने के बाद उस लड़की ने कहा कि हज़रत अबूबक्र सिद्दीक़ (रज़ि०) तो ख़लीफ़ा हो गये, अब हमारी बकरियां क्यों दुहेंगे ? आपने सुना तो कहा कि हम अब भी तुम्हारी बकरियां दुहा करेंगे, ख़िलाफ़त बकरियां दूहने में रुकावट नहीं बन सकती । यह है सच्ची मानव व जनसेवा जो हज़रत अबूबक्र सिद्दीक़ (रज़ि०) में कूट-कूटकर भरी थी ।

जनसेवा की ललक आपके अन्दर ऐसी समा गयी थी कि मदीना में एक अंधी व बेसहारा बुढ़िया रहती थी । उसके घर का कामकाज करने वाला कोई नहीं था । यह बात जब हज़रत अबूबक्र सिद्दीक़ (रज़ि०) को मालूम हुई तो आप रात के अंतिम पहर में उस अंधी बुढ़िया के घर जाते और फ़ज्र की नमाज़ से पहले उसके घर का सारा काम, यहां तक कि घर में झाड़ू लगाकर चले आते और उस अंधी बुढ़िया को यह भी पता न चलता कि कौन है वह जनता का सच्चा हितैषी, जो निस्स्वार्थ भाव से घर का सारा काम करके चला जाता है और किसी को पता भी न चलता ।

यह था हज़रत अबूबक्र सिद्दीक़ (रज़ि०) को ईशभय, के अतिरिक्त परलोक का डर, जनता की निस्वार्थ सेवाभाव त्याग, न्यायशीलता के कुछ अनुपम उदाहरण ।

ईशदूत हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) के दूसरे साथी और इस्लामी जगत के दूसरे ख़लीफ़ा हज़रत उमर (रज़ि०) थे । आपका जीवन अत्यंत साफ़-सुथरा, निर्मल और निखरा हुआ था । आप बहुत ही सदाचारी और मानवता के प्रतीक थे । जनता की सेवा तथा उसकी भलाई व कल्याण के लिए आप हरदम तत्पर रहते थे । ईशभय व परलोक के भय से रोते-रोते आपकी दाढ़ी भीग जाती थी । कभी-कभी रोते समय आपको हिचकी भी बंध जाती थी । ख़लीफ़ा बनने के बाद आप रात को नगर तथा नगर के बाहर गश्त किया करते थे, ताकि राज्य की जनता आराम से सो सके और उन्हें कोई कष्ट न हो ।

एक रात हज़रत उमर (रज़ि०) गश्त पर निकले तो

आपने देखा कि एक ख़ेमा है, उसके दरवाज़े पर एक व्यक्ति चिंतित बैठा है और ख़ेमे में से एक औरत के रोने की आवाज़ आ रही है । आप उस ख़ेमे के पास गये और उस व्यक्ति से उस औरत के रोने का कारण पूछा । उसने झिड़क कर कहा कि तुम से क्या मतलब, अपना रास्ता देखो । आपने दोबारा कहा कि भाई मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि हो सके तो मैं तुम्हारी कोई सहायता कर सकूं । उसने कहा कि मेरी बीवी को बच्चा पैदा होने वाला है, उसी तकलीफ़ से रो रही है ।

यह सुनकर आप घर गये और अपनी पत्नी को साथ ले आये और उस व्यक्ति से कहा कि मित्र यह मेरी पत्नी है, आज्ञा हो तो वह ख़ेमे के अन्दर जाए । उसने अनुमति दी, तो वे ख़ेमे के अन्दर चली गयीं । थोड़ी देर के बाद अन्दर से आवाज़ आयी, "अमीरुल मोमिनीन ! अपने मित्र को बधाई दीजिए, बेटा पैदा हुआ है ।" उस व्यक्ति को जैसे ही मालूम हुआ कि आप ख़लीफ़ा हैं तो वह बहुत घबराया । अपने किये गये व्यवहार पर लगा क्षमा मांगने । परन्तु आपने कहा कि कोई बात नहीं, जनता की सेवा तो हमारा कर्तव्य है । इतना कहकर आप अपनी पत्नी को लेकर घर चले आये ।

इस्लाम जगत के इतने बड़े शासक होने के बावजूद यह आश्चर्य होता है कि आपका जीवन कितना सरल व साधारण था । सरकारी कोष से केवल दो जोड़ी कपड़े लेते । एक जाड़े के मौसम में और दूसरा गर्मी के मौसम में । बाल-बच्चों के गुज़ारे के लिए औसत दर्जे का वज़ीफ़ा लेते थे । आपका खाना इतना सादा होता था कि कुछ लोग आपके साथ खाना पसन्द न करते थे । आपके शरीर पर जो कपड़ा था उसमें 14 पैबन्द लगे थे, जिनमें कुछ चमड़े के थे ।

एक रात की घटना है कि इस्लामी जगत के सच्चे सेवक, जनता के हितकारी हज़रत उमर (रज़ि०) रात के समय गश्त पर निकले । रात बहुत अंधेरी थी । आपके साथ आपका सेवक असलम भी था । रात में दूर से जलती हुई आग दिखायी दी । आप अपने दास के साथ वहां पहुंचे, तो क्या देखते हैं कि एक औरत है, उसके कई बच्चे हैं, जो रो रहे हैं और हांडी आग पर चढ़ी है । हज़रत उमर (रज़ि०) निकट जाकर पूछते हैं कि यह बच्चे क्यों रो रहे हैं ? उस औरत ने कहा कि हमारा क़ाफ़िला आगे बढ़ गया है इसलिए मैं यहीं पर रात काट रही हूं । ये बच्चे भूख से रो रहे हैं ।

हज़रत उमर (रज़ि०) ने फिर पूछा कि इस हांडी में क्या पका रही हो ? उस औरत ने कहा कि इस हांडी में केवल पानी है, ताकि हांडी को देखकर बच्चे चुप हो जाएं और सो जाएं । यह सुनते ही जनता के सच्चे सेवक हज़रत उमर (रज़ि०) और असलम दोनों बैतुलमाल की ओर तेज़ी से चल पड़े । अनाज के गोदाम में पहुंचकर एक बोरी आटा और खाने-पीने का कुछ दूसरा सामान लिया और अपने दास असलम से कहा कि मेरी पीठ पर लाद दो । असलम ने कहा कि नहीं ! मैं यह सामान उठाकर ले चलूंगा । हज़रत उमर (रज़ि०) ने कहा कि अरे असलम ! क़ियामत के दिन भी मेरे गुनाहों को लादेगा ? इसलिए यह सामान मेरी पीठ पर उठा दे । हज़रत उमर (रज़ि०) अपनी पीठ पर आटे की बोरी लादे हुए अपने सेवक असलम के साथ उस औरत और उसके बच्चे के पास पहुंच गये ।

वहां पहुंचकर आटे की बोरी सामने रख दी और सालन को हांडी में डाल दिया । आपने फ़रमाया कि ऐ अल्लाह की बन्दी, तुम हट जाओ, मैं पका देता हूं । यह कहकर आप आग फूंकने लगे और आटा गूंथकर रोटी पकाने लगे । असलम कहते हैं कि मैं अपनी आंखों से देख रहा था कि धुंआ आपकी दाढ़ी से निकल रहा था । पकाने के बाद आपने कहा कि बच्चों को खिलाओ, जब बच्चे अच्छी तरह खा चुके तो आप अपने सेवक के साथ वहां से चल दिये । औरत दुआएं देने लगी, अल्लाह आपका भला करे । आप ही को अमीरुल मोमिनीन होना चाहिए । आपने कहा कि कोई बात नहीं, जब तुम सुबह अमीरुल मोमिनीन के पास आओगी, तो वहां मुझे पाओगी । यह था दो शक्तिशाली राज्यों का विजय करने वाला और संपूर्ण इस्लामी साम्राज्य का सम्राट ।

क्या आपके जीवन-चरित्र की एक-एक घटना हमारी समस्याओं का समाधान करने के लिए काफ़ी नहीं है ? हां बिल्कुल है । मगर स्वार्थपरायणता और ख़ुदगर्ज़ी ने हमारे दिल पर अधिकार जमा लिया है । अपने सुख के अतिरिक्त किसी के सुख की हमें कोई चिंता नहीं । हमारे अन्दर जनसेवा, मानवसेवा और परोपकार की भावना ख़त्म हो चुकी है । इन्सान अवसरवादी बन चुका है, इसीलिए हमारा समात पतन के रास्ते पर अग्रसर है ।

بسم اللہ الرحمن الرحیم

"नेकी यह है कि
अल्लाह की मुहब्बत में
अपना दिलपसन्द माल
रिश्तेदारों और यतीमों पर,
मिस्कीनों और मुसाफ़िरों पर,
मदद के लिए हाथ फैलाने
वालों पर और ग़ुलामों की
रिहाई पर ख़र्च करे ।"

(क़ुरआन)

A Well Wisher

PATNA

पर्यावरण संरक्षण और इस्लाम

■ परवेज़ अशरफ़ी

21वीं शताब्दी में मनुष्य सितारों पर पहुंच रहा है । समय की मांग भी यही है । विकास और उन्नति जहां मानवता को अनगिनत सुविधाएं उपलब्ध करा रही है तो दूसरी ओर मनुष्यों, पशु-पक्षियों और पेड़-पौधों के लिए समस्याएं भी उत्पन्न कर रही है, जैसे–पर्यावरण का प्रदूषण, जीव-जन्तुओं का विलुप्त होना । इसके कारण पर्यावरण का संतुलन बिगड़ रहा है और मनुष्य इसके दुष्परिणामों से परेशान है ।

हम अपने आसपास दृष्टि डालें तो बहुत-सी बातें ऐसी मिलेंगी जिससे अनुभव होगा कि हमने अल्लाह की नेमतों का उपयोग कम और दुरुपयोग अधिक किया है । कुरआन में अल्लाह तआला कहता है कि उसने धरती और आकाश की सारी चीज़ें मनुष्य के लिए पैदा की हैं–

''वह अल्लाह ही है जिसने तुम्हारे लिए ज़मीन को वशीभूत कर रखा है, चलो उसकी छाती पर और खाओ अल्लाह की रोज़ी उसी के यहां तुम्हें पुन: जीवित होकर जाना है ।''

(कुरआन, 67:15)



इससे स्पष्ट हो जाता है कि अल्लाह ने जो नेमतें प्रदान की हैं उसका उपयोग सही ढंग से हो, क्योंकि आवश्यकता के अनुसार किसी चीज़ का उपयोग संतुलन को बनाये रखने में सहायक हो सकता है । सूरह आराफ़ में स्पष्ट आदेश है–

''खाओ-पियो और सीमा से आगे न बढ़ो अल्लाह सीमा से बढ़ने वालों को पसन्द नहीं करता ।''

(कुरआन, 7:31)

अत: पानी, वन, खनिज, पशु-पक्षी, ऊर्जा और प्राकृतिक संसाधन, इन सभी चीज़ों का सही उपयोग हो, इनकी बर्बादी न हो । इस तरह पर्यावरण के बिगड़े संतुलन को संभाला जा सकता है । उपर्युक्त कुरआन की आयत में दुरुपयोग से बचने की प्रेरणा दी गयी है ।

आज मीडिया के माध्यम से संदेश संचारित किये जा रहे हैं कि पानी का दुरुपयोग भविष्य में लोगों को बूंद-बूंद के लिए तरसा देगा, इसलिए पानी का दुरुपयोग न किया जाए । कुरआन ने इस विषय में भी स्पष्ट कर दिया कि पानी मनुष्य की मौलिक आवश्यकता ही नहीं, जीवन का आधार है । कुरआन में है–

''हमने सभी जानदार चीज़ें पानी से बनायी हैं ।''

(कुरआन, 21:30)

इसी तरह सूरह नूर में अल्लाह कहता है कि, ''हमने हर जानदार को पानी से पैदा किया है ।'' पानी को उसकी स्वाभाविक स्थिति में बाक़ी रखना, उसके प्रयोग में संयम बरतना मनुष्य का दायित्व है, ताकि पानी से जीवन देने वाला गुण समाप्त न हो । पानी में रहने वाले जीव भी जीवित रह सकें और पानी का प्रयोग करने वाले भी जीवन पा सकें । कुरआन बता रहा है कि पानी को प्रदूषण से बचाना हमारा दायित्व है । अल्लाह के रसूल (सल्ल॰) ने भी पानी को गन्दा करने या उसमें गन्दगी डालने से मना किया है ।

आज जंगली पशुओं की सुरक्षा की बड़ी चर्चा है–शेर, चीता, पांडा इनके अलावा बहुत से पशु-पक्षियों के वंश की सुरक्षा और देखभाल पर सरकारें भी ज़ोर दे रही हैं । इसके लिए वन मंत्रालय भी बना हुआ है, लेकिन सच्चाई यह है कि इस्लाम एकमात्र मज़हब है, जिसने हज़ारों वर्ष पहले ज़ोर देकर कहा है कि जानवर मनुष्यों की आवश्यकता और पर्यावरण का शृंगार हैं । अल्लाह ने उन्हें मनुष्यों के इस्तेमाल के लिए बनाया है । इसलिए उनके वंश का संरक्षण मनुष्य की ज़िम्मेदारी है ।

पर्यावरण असंतुलन के कई कारण हैं, जिसका एक कारण शहरीकरण है । इसके लिए बड़े पैमाने पर जंगलों को काटा जा रहा है । हालांकि वैज्ञानिक अनुसंधान से यह बात स्पष्ट हो चुकी है कि पेड़ों की अंधाधुंध कटाई से पर्यावरण संतुलन बिगड़ रहा है । पेड़-पौधे पर्यावरण को संतुलित और मौसम सही रखने में सहायक होते हैं । लेकिन विज्ञान के इस अनुसंधान से बहुत पहले अल्लाह ने कुरआन में निर्देश

दे दिया है कि ज़मीन पर हरियाली मनुष्य के लिए कितनी उपयोगी है । इसी लिए अल्लाह के रसूल (सल्ल०) ने लोगों से कहा–"बिना ज़रूरत पेड़ों को न काटें क्योंकि हरे-भरे पेड़ मनुष्यों को और पशु-पक्षियों को लाभ पहुंचाते हैं ।

विज्ञान बताता है कि पेड़ वातावरण से ज़हरीली गैसों कार्बन डाईआक्साइड और कार्बन मोनो आक्साइड को सोख कर आक्सीजन छोड़ते हैं जो मनुष्यों और पशु-पक्षियों सबके लिए अत्यंत आवश्यक है । इससे पर्यावरण का प्रदूषण भी दूर होता है । अल्लाह के रसूल (सल्ल०) ने युद्ध में भी दुश्मन के पेड़ों को न काटने का आदेश दिया है । आज देश के कोने-कोने में वृक्षारोपण एक अभियान का रूप ले चुका है, अल्लाह के रसूल (सल्ल०) ने भी वृक्षारोपण की शिक्षा दी है । हज़रत अनस बिन मालिक (रज़ि०) रिवायत करते हैं कि नबी (सल्ल०) ने फ़रमाया कि जो मुसलमान कोई वृक्ष लगाता है या खेती करता है और उस पेड़-पौधे से मनुष्य और पशु-पक्षी फल या पत्ते खाते हैं तो यह पेड़ लगाने वाले के लिए सदक़ा है । वृक्षारोपण पर अल्लाह के रसूल (सल्ल०) ने इतना ज़ोर दिया है कि कहा, अगर क़ियामत का समय आ जाए और तुम में से किसी के हाथ में एक पौधा हो तो वह उसे लगा दे क्योंकि इस पर उसे पुरस्कार मिलेगा ।

पश्चिमी मीडिया, वैज्ञानिक, वनों के विशेषज्ञ और पर्यावरण संरक्षण से जुड़े लोग जो कुछ भी कहें और जितने उपाय भी सुझाएं, यह बात बिल्कुल स्पष्ट है कि आख़िरी नबी (सल्ल०) ने इन सबसे बहुत पहले दुनिया में बसने वाले मनुष्यों में दायित्व बोध पैदा किया है । आप (सल्ल०) ने आकाश और धरती की सारी उपयोगी वस्तुओं को संयम के साथ उपयोग करने की शिक्षा दी है ।

आपकी आशाओं का सुन्दर प्रतिबिम्ब

हिन्दी भाषियों की मासिक पत्रिका

कान्ति

मीडिया जन-चेतना पैदा करने का सशक्त माध्यम है । चाहे वह प्रिंट मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक या इंटरनेट इन सभी के द्वारा जनता में जागरूकता पैदा करने का प्रयास किया जाता है । यह मीडिया की प्रचलित परिभाषा है । 'कान्ति' की पत्रकारिता निश्चित रूप से इस परिभाषा से हट कर इस मायने में है कि यह मौलिक रूप में भले और कल्याण की आवाहक है । वास्तव में यह आपकी आशाओं और अभिलाषाओं का सुन्दर प्रतिबिम्ब और उनकी प्रस्तुति है । मानव की अन्तर्रात्मा की आवाज़ है ।

'कान्ति' वह मासिक पत्रिका है, जो मानव की आध्यात्मिक आवश्यकता की पूर्ति के साथ ही उसमें सकारात्मक सोच और मानसिकता पैदा करती है । यह मानव की लौकिक और पारलौकिक दोनों समस्याओं के आदर्श हल का मार्ग प्रशस्त करती है । साथ ही मानवों को स्वस्थ, रचनात्मक और सफल जीवन जीने का मार्ग सुझाती है । 'कान्ति' उन्हें इस बात के लिए तैयार करती है कि वे जो भी कर्म करें, वे सर्वकल्याणकारी हों । यह एक स्पष्ट सच्चाई है कि वास्तविक धार्मिक शिक्षाओं और नैतिक एवं मानवीय मूल्यों के सही अनुपालन से ही सही सोच और मानसिकता विकसित हो सकती है ।

अत: 'कान्ति' इस्लाम की कल्याणकारी शिक्षाओं को जन-जन तक पहुंचाने के लिए संकल्पबद्ध है । यह पत्रिका इस्लाम और मुसलमानों के बारे में दुष्प्रचारों का उचित एवं बुद्धिसंगत स्तर देकर उनका निवारण करती है । जीवन की वास्तविक समस्याओं का हल भी इस्लाम की शिक्षाओं में निहित है । 'कान्ति' (मासिक) हिन्दी भाषा के माध्यम से पिछले लगभग दो दशकों अर्थात 1991 ई० से मानवता की सेवा का यह कार्य निरंतर अंजाम दे रही है ।

'कान्ति' पढ़िए और पढ़ाइए

इसे जन-जन तक पहुंचाने में आपका सहयोग अपेक्षित है।

प्रति कॉपी- ₹ 15● वार्षिक- ₹160

डी-314, दावत नगर, अबुल फ़ज़्ल इन्कलेव,
जामिया नगर, नयी दिल्ली-110025
फ़ोन : 011-26949430

मानवाधिकार प्रवर्तक–इस्लाम

■ अहमदुल्लाह क़ासिमी

मानवाधिकार का विषय हर व्यक्ति की ज़बान पर है। यही कारण है कि आज राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर मानवाधिकारों के नाम पर बड़ी-बड़ी कांफ्रेंसों का आयोजन करके प्रस्ताव पारित किये जा रहे हैं। 1939 ई० के दूसरे विश्व युद्ध में जब लाखों लोग मौत के घर उतर गये, जंग का जुनून अपने चरम पर पहुंच गया और मानवता चीत्कार कर उठी, तो निष्ठुरता की इस काली रात से मौलिक अधिकारों की मांग करते हुए एक किरण फूटी, अंततः यह मांग पूरी हुई और 10 दिसम्बर 1948 ई० को संयुक्त राष्ट्र की आम सभा ने मानवाधिकारों से संबंधित 30 धाराओं पर आधारित अन्तर्राष्ट्रीय घोषणा पत्र तैयार करने और पारित करने में सफलता प्राप्त की। इस परिप्रेक्ष्य में 10 दिसम्बर को अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है।

17वीं शताब्दी से पूर्व पश्चिमवासियों में मानवाधिकार की कोई अवधारणा पायी न जाती थी। 17वीं शताब्दी के बाद एक समय तक पश्चिमी दार्शनिकों ने अवश्य ही इस अवधारणा को पेश किया परन्तु व्यावहारिक रूप से इस अवधारणा का सुबूत 18वीं शताब्दी के अंत में अमेरिका और फ्रांस के संविधानों में मिलता है। यह एक सर्वमान्य सत्य है कि मानवाधिकारों से दुनिया को सबसे पहले इस्लाम ने परिचित कराया। इस्लाम ने इन्सानों को जो अधिकार दिये हैं वे अल्लाह की ओर से दिये हुए हैं। दुनिया की किसी विधानसभा और हुकूमत को उनमें संशोधन करने या उन्हें समाप्त करने का अधिकार नहीं है। अल्लाह तआला ने क़ुरआन में मानवाधिकारों का उल्लेख किया है और इस्लाम के पैग़म्बर हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) ने अंतिम हज के अवसर पर जो अभिभाषण दिया था वह मानवाधिकारों के अन्तर्राष्ट्रीय घोषणा पत्र की हैसियत रखता है।

इस्लाम ने मौलिक रूप से इन्सानों को जो अधिकार दिये हैं उनमें जान-माल की रक्षा, मान-सम्मान की रक्षा, संतान की रक्षा, रोज़गार की रक्षा, वैचारिक एवं धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा के अलावा क़ैदियों के अधिकार, शिक्षा का अधिकार, अच्छाई की ओर प्रेरित करने तथा बुराई से रोकने का अधिकार, रिश्तेदारों के आपसी अधिकार, मां-बाप के अधिकार, पति-पत्नी के अधिकार, निर्बलों के अधिकार, बड़ो और छोटों के अधिकार आदि प्रमुख हैं।

इस्लाम ने मौलिक रूप से इन्सानों को जो अधिकार दिये हैं उनमें जान-माल की रक्षा, मान-सम्मान की रक्षा, संतान की रक्षा, रोज़गार की रक्षा, वैचारिक एवं धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा के अलावा क़ैदियों के अधिकार, शिक्षा का अधिकार, अच्छाई की ओर प्रेरित करने तथा बुराई से रोकने का अधिकार, रिश्तेदारों के आपसी अधिकार, मां-बाप के अधिकार, पति-पत्नी के अधिकार, निर्बलों के अधिकार, बड़ो और छोटों के अधिकार आदि प्रमुख हैं।

इस्लाम ने युद्ध में मारे जाने वालों के शवों को कुचलने, उनके अंग भंग करने से मना किया। युद्ध की स्थिति में भी वृद्धों, स्त्रियों, बच्चों तथा घायलों को सुरक्षा प्रदान की। फ़सलों को नष्ट करने तथा इमारतों को गिराने से रोका।

प्राण की रक्षा के संबंध में पवित्र क़ुरआन में अल्लाह तआला कहता है : "जिसने किसी एक इन्सान को किसी का क़त्ल करने के बदले भी धरती में बिगाड़ फैलाने के सिवा क़त्ल किया, उसने मानो तमाम इन्सानों को क़त्ल कर दिया।" (5:32)

मान-सम्मान की रक्षा के संबंध में अल्लाह का आदेश है : "और निस्संदेह हमने आदम की संतान को सम्मानित किया और हमने उनको थल और जल में (विभिन्न सवारियों पर) सवार किया और हमने उन्हें साफ़-सुथरी चीज़ों से आजीविका प्रदान की और हमने उन्हें बहुत से प्राणियों पर, जिन्हें हमने पैदा किया, श्रेष्ठता प्रदान की।" (17:70)

अल्लाह के रसूल हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) ने अंतिम

हज के अवसर पर फ़रमाया :

"ऐ लोगो ! जान लो कि तुम्हारा रब एक है और निस्संदेह तुम्हारा बाप (आदम अलैहि०) एक है । किसी अरबी (अरबवासी) को किसी अजमी (ग़ैर-अरबवासी) पर और किसी अजमी को अरब पर कोई श्रेष्ठता प्राप्त नहीं है । और न किसी गोरे को किसी काले पर और किसी काले को किसी गोरे पर कोई श्रेष्ठता प्राप्त है । (अगर श्रेष्ठता का कोई आधार है तो वह) सिवाय ईशपरायणता के (और कुछ नहीं है)।"

इस प्रकार इस्लाम ने हर प्रकार के भेदभाव, जाति-पाति, रंग-नस्ल, लिंग, भाषा, वंश-कुल और धन-दौलत आदि पर आधारित पक्षपातों को जड़ से उखाड़ दिया और इतिहास में पहली बार तमाम इन्सानों को एक-दूसरे के समान ठहराया बड़ाई और श्रेष्ठता का मापदंड केवल तक़वा (ईशपरायणता) को बताया ।

यूं तो दुनिया के अधिकांश देशों में मानवाधिकार से संबंधित क़ानून पाये जाते हैं, परन्तु इस्लाम ने इन्सानों को जो अधिकार दिये हैं उनमें ऐसी विशेषताएं हैं कि इन्सानों के बनाए हुए क़ानूनों से भिन्न हैं ।

इस्लाम में मानवाधिकार की अवधारणा की सबसे बड़ी विशेषता, जो उसे अन्य धारणाओं से अलग करती है, इस सिद्धांत पर आधारित होना है कि सर्वोच्च सत्ता का मालिक केवल अल्लाह तआला है । पवित्र क़ुरआन में कहा गया है : "आदेश तो बस अल्लाह की के लिए है, वही सत्य बातें बयान करता है और वही उत्तम निर्णायक है ।"

(6:57)

इस्लाम में मानवाधिकारों की दूसरी नुमायां ख़ूबी उनका हमेशा क़ायम रहना है । समय की मांग का बहाना लेकर उन्हें बदला नहीं जा सकता । इस्लाम में मानवाधिकारों की बुनियाद 'एहसान' पर रखी गयी है । इस्लाम में मानवाधिकार ऐसे शुद्ध स्रोत से फूटते हैं जहां एक बन्दे को हर समय अल्लाह का भय बना रहता है, जहां हर पल, हर क्षण इन्सान को यह आभास रहता है कि वह अल्लाह को देख रहा है या अल्लाह उसे देख रहा है । ज़ाहिर है कि इस स्थान पर खड़े होकर इन्सान अधिकारों के हनन की कल्पना भी नहीं कर सकता ।

इस्लाम ने जो अधिकार दिये हैं उनके बीच और दीने-फ़ितरत (स्वाभाविक धर्म अर्थात् इस्लाम) के बीच पूरी तरह एकरूपता, समानता और समरसता पायी जाती है । इस्लाम ने अधिकारों को यूं ही आज़ाद नहीं छोड़ दिया (कि चाहे कोई उनका निर्वाह करे या न करे) बल्कि उन्हें शरीअत का क़ानून बनाकर अनिवार्य कर दिया । उनको शिष्टाचार, नैतिकता और दीन (धर्म) का पाबन्द बनाया और फिर उनकी पामाली को मानवाधिकार का हनन ठहराया । यानी इस्लाम ने तमाम अधिकारों को ईश्वरीय आधार दिया और इस आधार को पूर्ण रूप से इस्लाम के स्वभाव के अनुरूप कर दिया ।

इस्लाम ने इन्सानों को जो अधिकार दिये हैं वे किसी वैचारिक संघर्ष, समय के उतार-चढ़ाव और आन्दोलनों के दबाव के नतीजे में नहीं बनाए गये, बल्कि इस्लाम में मानवाधिकारों के तमाम नियम एवं आदेश 1432 वर्ष पूर्व ईश-प्रकाशना के शुद्ध स्रोत से फूटे थे और इससे पहले कोई इन्सान भी इन सिद्धांतों से अवगत नहीं था । अलबत्ता इतिहास साक्षी है कि इस्लाम के अलावा जिन देशों ने मानवाधिकारों की रूप रेखा बनायी, वह विभिन्न आन्दोलनों और समय के उतार-चढ़ाव के दबाव में आकर बनायी ।

उपर्युक्त विशिष्टताओं से परिपूर्ण इस्लाम द्वारा दिये गये मानवाधिकारों को यदि वैश्विक स्तर पर संवैधानिक मान्यता दी जाए, उसको लागू करते हुए व्यवहार में लाया जाए और उसके उल्लंघन को क़ानून का उल्लंघन ठहराया जाए तो निश्चित रूप से यह बात कही जा सकती है कि दुनिया से अत्याचार, शोषण एवं दमन को समाप्त किया जा सकेगा और सुख-शांति के वातावरण में ऐसे फूल खिलेंगे कि उसकी सुगंध से मानव जीवन के समस्त क्षेत्र महक उठेंगे ।

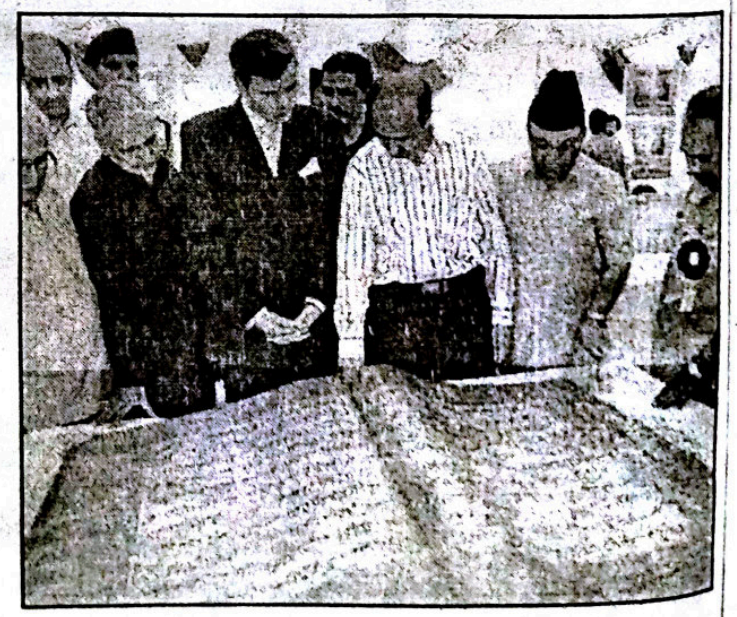

मुसलमानों का योगदान भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में

■ मुहम्मद मुहम्मद तहामी

पश्चिमी वैज्ञानिकों (प्राचीन एवं आधुनिक) का इस बात पर इत्तिफ़ाक़ है कि भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में मुसलमानों को अत्यंत प्रमुख स्थान प्राप्त है और इस क्षेत्र में आधुनिक काल के आश्चर्यजनक करने वाले आविष्कार अरब वैज्ञानिकों के ही ऋणी हैं । अरब वैज्ञानिकों ने अनुसंधान एवं खोज, प्रयोग एवं अवलोकन और इस विशेष विद्या के लिए जो तरीक़े अपनाये उनसे यूनानवासी भी अपरिचित थे । यद्यपि इस इल्म के विभिन्न विषयों से संबंधित कई अहम अरबी किताबें नष्ट हो चुकी हैं और केवल कुछ किताबों तक ही पहुंच संभव हो सकी है । इन चंद किताबों से पश्चिमवासियों ने जितना लाभ उठाया है उस पर नज़र डालने की कोशिश करूंगा ।

विभिन्न प्रकार के शीशों (Magnifying glass, looking glass) ध्वनि तरंगों, चुम्बकीय शक्ति और गुरुत्वाकर्षण शक्ति जैसे अहम क्षेत्रों में अरब विद्वान यूनानी वैज्ञानिकों से काफ़ी आगे निकल चुके थे । उदाहरण के लिए मुस्लिम वैज्ञानिकों ने सबसे पहले यह बात कही कि प्रकाश की गति, ध्वनि की गति से तेज़ है और फिर इसके बौद्धिक एवं शोध परक कारकों पर रोशनी डाली ।

इसी संदर्भ में इस हक़ीक़त से भी परदा उठाया कि बिजली की कड़क की आवाज़ सुनायी देने से पहले उसकी रोशनी क्यों दिखायी देती है ? इसी प्रकार कुतुबुद्दीन शीराज़ी ने अपनी किताब 'निहायतुल अलअदराक' में इंद्रधनुष (Rainbow) के बौद्धिक एवं साइंसी पहलू को उजागर किया । प्रोफ़ेसर दीट्रीट (Dietriet) ने स्पष्ट रूप से ज़ोर देकर यह बात कही है कि न्यूटन से सदियों पहले गुरुत्वाकर्षण से संबंधित दृष्टिकोण मौजूद थे । उदाहरणत: मुहम्मद बिन उमर राज़ी का कथन है : जब कभी हम मिट्टी का कोई ढेला ऊपर की ओर उछालते हैं तो वह नीचे की ओर वापस आ जाता है, इससे मालूम हुआ कि इसके अन्दर कोई ऐसी शक्ति है जो उसे नीचे की ओर खींचती है, अत: जब हम उसे ऊपर की ओर फेंकते हैं तो वही शक्ति उसे नीचे की ओर लौटा देती है । साबित बिन कुरह ने भी इसी से मिलती-जुलती बात कही है कि मिट्टी का वह ढेला ज़मीन की ओर इसलिए वापस आता है क्योंकि दोनों के बीच हर प्रकार से समरूपता पायी जाती है और यह उसूल है कि बड़ी चीज़ अपनी समरूप छोटी चीज़ को अपनी ओर खींच लेती है ।

ख़ाज़िन बसरी का कथन है : गुरुत्वाकर्षण शक्ति हमेशा धरती की ओर आकर्षित होती है । इन कथनों एवं बयानों से इस बात की पूर्णत: पुष्टि होती है कि मुस्लिम विद्वान गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत और उसके प्रभाव से न्यूटन से सदियों पहले पूरी तरह वाक़िफ़ थे और इन्हीं पूर्व मालूमात के आधार पर न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण से संबंधित प्रसिद्ध सिद्धांत एवं नियम उद्घाटित किये ।

विभिन्न प्रकार के शीशों की खोज एवं उनके गुणों के मामले में हसन बिन हशीम (मृत्यु 430 हिजरी) की गिनती प्रसिद्ध मुस्लिम वैज्ञानिकों में होती है । उसने प्रकाश, तारों की चमक, विभिन्न गुणों वाले शीशों और चांद की रोशनी जैसे बौद्धिक विषयों पर विभिन्न शोध-लेख लिखे । परावर्तन से संबंधित ज़रूरी-नियम एवं मालूमात भी उसी ने सबसे पहले अपनी किताब 'अल-मनाज़िर' में पेश किये । उसने साबित किया कि आपतन कोण (Angle of Polarisation) और परावर्तन कोण (Angle of Reflection) दोनों बराबर होते हैं । उसने प्रकाश से संबंधित बतलीमूस स्कंदरी के अपवर्तन (Refraction) के सिद्धांत की ग़लतियों को चिन्हित किया । उसने साबित किया कि अपवर्तन कोण एवं आपतन कोण के बीच संबंध स्थायी नहीं होता जैसा कि बतलीमूस का ख़याल है बल्कि यह संबंध विचलनशील होता है और अपवर्तन

कोण एवं आपतन कोण के बीच संबंध को साबित करने के लिए उसने कई प्रयोग किये । इसी प्रकार उसने कई पदार्थों में अपवर्तन की क्रिया की सीमा निर्धारित करने के उद्देश्य से बारीकी से कई नक़्शे भी बनाए । आंख और उसकी क्रियाओं पर उसने सबसे पहले बौद्धिक रूप से बहस की ।

इसी प्रकार उसने विभिन्न शीशों Glasses और लेंसों के गुणों पर भी क़लम उठाया । प्रकृति के विद्युतीय एवं ध्वनि रहस्यों पर भी साइंसी अंदाज़ से बहस की । उदाहरणत: प्रकाश विभिन्न ग्रहों, तारों से हम तक कैसे पहुंचता है ? उसने चंद्रग्रहण एवं सूर्यग्रहण के वैज्ञानिक कारकों पर भी प्रकाश डाला । आधुनिक पश्चिमी वैज्ञानिकों ने विशेषकर राजरबेकन और कैपलर आदि ने प्रकाश एवं लेंसों से संबंधित ज्ञान में इब्ने हशीम की किताबों से हर संभव लाभ उठाया है ।

भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में मुस्लिम वैज्ञानिक अबू रेहान मुहम्मद बिन अहमद अल-बेरुनी (मृत्यु 439 हि०) को भी प्रमुख स्थान प्राप्त है । उसने अपनी किताब ''अल-जमाहिर फ़िल जवाहिर'' के अन्दर अठारह प्रकार के विशेष क़ीमती जवाहिरों (रत्नों) के धनत्व (Density) से संबंधित अमूल्य मालूमात को संकलित किया और उसने यह सिद्धांत भी प्रतिपादित किया ''किसी वस्तु का निश्चित धनत्व (Specific density) उसके द्वारा हटाये गये पानी के आयतन के समानुपातिक होता है ।'' इसी प्रकार उसने प्राकृतिक जलस्रोतों और कुंओं से पानी निकलने के वैज्ञानिक तथ्यों का भी पता लगाया ।

ख़ाज़िन बसरी (मृत्यु 430 हि०) की गिनती भौतिक विज्ञान के प्रसिद्ध मुस्लिम वैज्ञानिकों में होती है । भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में उसकी किताब ''मीज़ानुल हिकमह'' को प्रमुख स्थान प्राप्त है । उसके अन्दर विभिन्न प्रकार के खनिजों (Minerals), तरल पदार्थों और अन्य ठोस पदार्थों की विशेषताओं और उनके भार (द्रव्यमान) से संबंधित विभिन्न नक़्शे बनाये । आबोहवा के दबाव (Atmospheric Pressure) से संबंधित मूल्यवान साइंसी मालूमात का ज़ख़ीरा भी उसके अन्दर मौजूद है । हवा के दबाव से संबंधित यह नियम प्रतिपादित किया कि ''हवा की क्रिया भी पानी की तरह है, किसी भी वस्तु पर उसकी क्रिया का दबाव नीचे से ऊपर की ओर शुरू होता है ।'' यही वजह है कि अंतरिक्ष में किसी वस्तु का वज़न उसके वास्तविक वज़न से बहुत कम हो जाता है । उसने कोशिका नली (Capillary Tubes) की विशेषताओं और उनसे संबंधित प्राकृतिक एवं वैज्ञानिक कारकों पर विस्तार से बहस की है । उसने अपनी किताब में विभिन्न प्रकार के शीशों और उनकी विशेषताओं एवं प्रभावों से संबंधित अध्याय का इज़ाफ़ा किया है । प्रकाश से संबंधित अधिकतर बौद्धिक एवं शोधपरक विषय पर भी क़लम उठाया है । उसने हवा के भार और उसके घनत्व के बीच संबंध को स्पष्ट करने के लिए विभिन्न साइंसी प्रयोगों से मदद ली और फिर यह सिद्धांत दिया कि ''किसी भी वस्तु का वज़न सघन हवा में विरल हवा से अलग होगा । और ऐसा हवा के दबाव में भिन्नता के कारण होता है ।'' उसने गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत पर भी बहस की है । ख़ाज़िन बसरी की किताबों का लातीनी एवं इतालवी भाषाओं में अनुवाद किया गया । यूरोप के लोगों ने उनसे फ़ायदा उठाया ।

भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में इब्ने सीना के बहुमूल्य योगदान को भुलाया नहीं जा सकता । उसने अपनी किताब ''शिफ़ाउन-नुफ़ूस'' में गणित, भौतिकि और मज़हबी ज्ञानों से संबंधित विभिन्न विषयों पर बेशक़ीमती मालूमात को जमा किया है । इसके अतिरिक्त उसने अर्थशास्त्र, राजनीति और संगीत जैसे विषयों पर भी इस किताब में बहस की है । उसने गति (Motion), ऊर्जा (Energy), खनिज (Minerals), घनत्व (Density), उष्मा (Heat), अंतरिक्ष और प्रकाश से संबंधित विषयों में कतिपय आधुनिक तथ्यों को उजागर किया है ।

ख़्वारज़मी ने अपनी किताब 'अख़्वानुस-सफ़ा' में विभिन्न प्रकार के भार मापने के उपकरण, पृथ्वी के गर्भ में छुपे खनिज और पृथ्वी की गति एवं घुर्णन से संबंधित बेशुमार मालूमात जमा किये हैं और ये मालूमात अपने संबंधित क्षेत्रों में बुनियादी हैसियत रखती हैं । मुस्लिम वैज्ञानिकों ने हवाओं की लहरों से होकर ध्वनि के स्थानांतरित होने की कैफ़ियत, पहाड़, दीवार अथवा उस जैसी किसी ठोस चीज़ से ध्वनि के टकरा कर वापस होने की सूरत में उससे निकलने वाली प्रतिध्वनि के साइंसी कारकों पर पूरी बारीकी से बौद्धिक एवं शोधपरक बहस की है ।

(सा० : आयात, उर्दू, अलीगढ़, जनवरी-अप्रैल 1992)

(अनुवाद : मुनाज़िर हक़)

भूगोल और मुसलमान

■ डॉ॰ एम॰ अकबर

महाकवि इक़बाल ने मुसलमानों के साहसिक कार्यों का उल्लेख करते हुए अपने काव्यमय स्वर में कहा है–

दश्त तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने
बहरे जुल्मात में दौड़ा दिये घोड़े हमने ।

यह सत्य ही है कि इस्लाम ने अपने उदय काल से ही मुसलमानों का महत्वाकांक्षी साहसी और परिश्रमी बना दिया । इस्लाम ने तत्कालीन समाज में व्याप्त विसंगतियों और असत्य के वातावरण को दूर करके सत्य की स्थापना की । फलस्वरूप स्वाभाविक रूप से सत्य के प्रकाश को विश्व के कोने-कोने तक पहुंचाना मुसलमानों का मानवीय और नैतिक कर्तव्य बन गया । निस्संदेह वे सत्य की वाणी को विश्व के जनगण तक पहुंचाने के लिए प्रयत्नशील रहे और हैं, जिसके कारण संसार कई दृष्टियों से लाभांवित हुआ और हो रहा है । व्यापार, वाणिज्य और अन्य क्षेत्रों के शिक्षा के क्षेत्र में अभूतपूर्व और उल्लेखनीय प्रगति हुई । पुरानी विधाओं की श्रीवृद्धि के साथ ही नयी विधाओं के जन्म लेने का अवसर मिला । नयी विधाओं के विकास में भूगोल का पहला स्थान है, जिसके उत्कर्ष का श्रेय मुसलमानों को ही जाता है ।

इस्लाम के पांच आधारभूत स्तम्भ हैं, जिसमें ''हज'' एक प्रमुख स्तम्भ है । प्रत्येक सामर्थ्यवान मुसलमान के लिए यह अनिवार्य कर दिया गया है कि जीवन में एक बार अवश्य 'हज' करे । इसलिए वे एकेश्वर के एकमात्र पवित्र स्थान मक्का की यात्रा पर विश्व के अनेक भागों से आते हैं । स्वाभाविक रूप से इस लम्बी व साहसपूर्ण यात्रा के लिए भूगोल की जानकारी प्राप्त करना आवश्यक हो गया और पर्यटन में उनकी अभिरुचि बढ़ी । इसके अलावा भूगोल का ज्ञान प्राप्त करना इसलिए भी ज़रूरी हो गया, क्योंकि ''नमाज़'' भी मुसलमान ''काबा'' की ओर रुख़ करके पढ़ते हैं, जो दिशाज्ञान के बिना संभव नहीं है । नमाज़ और रोज़े को निश्चित समय पर पूरा करने के लिए भी तारों की स्थिति की जानकारी प्राप्त करना आवश्यक हो गया । इसलिए मुसलमानों ने इस विषय में दक्षता पाने की कोशिश की जिसमें वे पूर्णतः सफल हुए ।

मुसलमानों ने अपनी दृढ़ लगन और संकल्पशीलता के बल पर अपने शासन के आरंभिक काल ही में चीन, रूस और अफ़्रीक़ा जैसे देशों के साथ व्यापारिक संबंध क़ायम कर लिया था । इससे यूरोपवासी अचंभित थे । इस सन्दर्भ में डॉ॰ गुस्तावे लीबान लिखते हैं :

''मुसलमान नौका यात्रा में बड़े साहसी थे । लंबी यात्रा में वे कभी घबराते नहीं थे । इस्लामी शासन के प्रारंभिक काल में ही उन्होंने अपना व्यापार संबंध चीन जैसे दूरवर्ती देश से स्थापित कर लिया था । रूस और अफ़्रीक़ा जैसे सुदूर देशों से भी वे व्यापार करने लगे थे, जबकि तत्कालीन यूरोपवासी इस मामले में उदासीन थे । प्रसिद्ध पर्यटक सुलेमान ने जब अपनी यात्रा वृत्तांत प्रकाशित किया तो यह यूरोप में पहली पुस्तक थी, जिसमें चीन के विषय में पूरी जानकारी दी गयी थी ।''

(मग़रिबी तमद्दुन की एक झलक)

भूगोल का वैज्ञानिक स्वरूप प्रदान करने का श्रेय इस्लामी जगत को ही जाता है । पृथ्वी का क्षेत्रफल और उसका स्वरूप, दिशाओं का ज्ञान, प्राकृतिक संस्थानों और सीमाओं आदि का उल्लेख करके उसे वैज्ञानिक धरातल दिया । लगभग सभी मुस्लिम भू-शास्त्री इस बात पर सहमत थे कि पृथ्वी गोल है । इस तथ्य को सिद्ध करने के लिए अबुल फ़िदा ने कई प्रयोग किये । वे एक स्थान पर पृथ्वी के गोल होने की दलील प्रस्तुत करते हुए कहते हैं :

पूरब से तारे शीघ्र प्रकट होते हैं और दिख जाते हैं । जब कोई व्यक्ति उत्तर की ओर बढ़ता है तो उसे कुतुबतारा एवं अन्य तारे दिखायी पड़ते हैं । इसी प्रकार जब कोई व्यक्ति दक्षिण की ओर बढ़ता है तो दक्षिण कुतुबतारा एवं अन्य तारें दिखायी पड़ने लगते हैं । जितनी लम्बी यात्रा की जाए, उतनी ही अधिक यह बात स्पष्ट हो जाती है । पर्वतों की ऊंचाई और खाईयों की गहराई पृथ्वी के गोल होने में बाधक नहीं सिद्ध होती । पृथ्वी के क्षेत्रफल की तुलना में इनका कोई

अस्तित्व ही नहीं है । (मआरिफ़, पृ॰ 58, 1936)

सभी भू-शास्त्रियों का इस तथ्य पर मतैक्य था कि पृथ्वी ब्रह्मांड की तुलना में केवल एक शून्य है । उनका यह भी मत था कि पृथ्वी चारों ओर समुद्र से घिरी हुई है । और समुद्र एक बड़ी गोल नदी के समान है । वे उसको ''बहरेमुहीत'' कहकर पुकारते थे ।

भूगोल को वैज्ञानिक धरातल पर खड़ा करने का मुख्य श्रेय इस्लामी जगत के महान भूगोलशास्त्री इब्ने मुक़ीम को है । उसने अपनी पुस्तक में इस्लामी देशों के प्राकृतिक उपादानों और मानचित्रों का सर्वप्रथम चित्रण करके भूगोल को वैज्ञानिक स्वरूप देने का बीड़ा उठाया । अपनी इस पुस्तक में ''इब्ने मुक़ीम'' लिखते हैं :

''मैंने अपनी इस पुस्तक में ज़मीन का क्षेत्रफल लिख दिया है । सभी इस्लामी देशों और उनकी सीमाओं का भी उल्लेख कर दिया है । प्रत्येक देश का वर्णन करते समय उसका भौगोलिक मानचित्र भी साथ में दे दिया है, जिससे संबंधित देश के विभिन्न स्थानों का ज्ञान सरलता से हो जाता है । इसमें इन देशों की भौगोलिक समस्याओं का भी उल्लेख किया गया है । गांव, नगर, नदी, नहरें, कृषि, उपज के प्रकार, आय के विभिन्न स्रोत, प्रमुख मार्गों का परिचय, पड़ोसी देशों से जोड़ने वाले रास्ते आदि का वर्णन विस्तारपूर्वक किया गया है । सब मिलाकर यह कहा जा सकता है कि राजा, मंत्री एवं अन्य व्यक्तियों के लिए भूगोल से संबंधित सभी आवश्यक जानकारी इस पुस्तक में दे दी गयी है ।''

(तमद्दुने इस्लाम व अरब)

मुसलमानों द्वारा भूगोल के उन्नयन पर संतोष व्यक्त करते हुए एक अन्य स्थान पर कहते हैं–''मुसलमानों ने भूगोल विद्या में सर्वाधिक प्रगति कर ली है । उनकी विदेश यात्रा में अभिरुचि इस विद्या के विकास में सहायक सिद्ध हो रही है इसी पुस्तक में अबू रैहान, ''बैरूनी'', इब्ने बतूता और अबुल हसन आदि के भूगोल संबंधी क्रियाकलापों व खोजों का भी वर्णन किया गया है ।

(तमद्दुने इस्लाम व अरब)

''किताबे क़ानून'' एक प्रामाणिक पुस्तक

भूगोल की सबसे प्रामाणिक पुस्तक ''किताबे क़ानून'' है जिसे सामान्यत: सभी भू-वैज्ञानिक स्वीकार करते हैं । इस पुस्तक के लेखक इस्लामी संसार के प्रसिद्ध भूगोलवेत्ता अल-बैरूनी हैं । इसका विश्व की कई भाषाओं में अनुवाद



किया जा चुका है । इसमें अल-बैरूनी ने भूगोल संबंधी कई तत्कालीन सिद्धांतों की गवेषणा और अनुशीलन करके अपने सिद्धांतों को प्रतिपादित किया है, जिससे भूगोल की वैज्ञानिकता को ठोस आधार मिला । ''किताबे क़ानून'' में विभिन्न बड़े नगरों एवं मार्गों का मानचित्र भी दिया गया है ।

इस पुस्तक को अल-बैरूनी ने काफ़ी अनुसंधान करने के उपरांत लिखा । दूसरी प्रामाणिकता के बारे में स्वयं इस विद्वान का कथन है–''मैंने विभिन्न स्थानों के अक्षांस और लब्धांश को बड़े परिश्रम से अपनी खोज के आधार पर जांच करके लिखा है । इसमें मात्र पुरानी पुस्तकों का अनुकरण नहीं किया गया है, बल्कि उन सभी स्थानों की दूरी का पता लगाकर पूरी तरह खोज-बीन करने के बाद लिखा गया है । प्राचीन पुस्तकों में काफ़ी अशुद्धियां और त्रुटियां पायी जाती हैं, जिसकी जांच करना ज़रूरी था ।

इस पुस्तक से विश्व ने काफ़ी लाभ उठाया । तत्कालीन राजा-महाराजाओं और बादशाहों के लिए यह पुस्तक वरदान साबित हुई ही, साथ ही इससे भूगोल के उत्थान में काफ़ी बल मिला । वास्तव में भूगोल के विकास में मुसलमानों का काफ़ी योगदान रहा है, वहीं यह भी कहने में कोई संकोच नहीं करना चाहिए कि यदि मुसलमानों ने इस दिशा में कोई रुचि नहीं दिखायी होती तो भूगोल का जन्म ही असंभव था । डॉ॰ लीबान के मत में–

''भूगोल विद्या की प्रगति में मुसलमानों का काफ़ी योगदान रहा । इस सत्य को अब यूरोप और एशिया के विद्वान स्वीकार करने लगे हैं ।''

रसायन विज्ञान के क्षेत्र में मुसलमान

■ मुहम्मद मुहम्मद तहामी

शुरुआती दौर में रसायन विज्ञान मुस्लिम वैज्ञानिकों के यहां चंद ख़ुराफ़ात एवं अंधविश्वास से गड्मड् था, मिसाल के लिए वे किसी ऐसी संजीवनी की तलाश में थे जो तमाम प्रकार के रोगों से मुक्ति दिला दे । इसी प्रकार शुरू में उनका यह ख़याल था कि सभी खनिज एक ही प्रकार के तत्वों से बनते हैं और फिर विभिन्न प्रक्रियाओं से गुज़र कर कुछ तो सोना और चांदी का रूप ले लेते हैं और शेष अन्य लोहा एवं ताम्बे के रूप में बाक़ी रहते हैं । शुरूआती दौर में उन्होंने इस तरह की कुछ ग़लतियां ज़रूर कीं लेकिन जल्द ही उन्होंने खोज एवं अनुसंधान के मैदान में अपनी निरंतर कोशिशों के ज़रिया न केवल इस तरह की ग़लतियों की क्षतिपूर्ति की बल्कि इस मैदान में कुछ ऐसे अहम बौद्धिक एवं वैज्ञानिक सत्यों का उद्घाटन किया जहां तक यूनानवासियों की पहुंच संभव न हो सकी थी । रसायन विज्ञान के क्षेत्र में उनकी बौद्धिक एवं अनुसंधानपरक ऊंचाइयों के लिए यह काफ़ी है कि उन्होंने कुछ हैरतअंगेज़ रासायनिक तत्वों (Chemical Substances) से संबंधित मालूमात उपलब्ध करायीं । उन्होंने विभिन्न प्रकार के क्षार (Alkalies) और अम्ल (Acid) के बीच अन्तर स्पष्ट किया । इसी प्रकार विभिन्न रासायनिक प्रतिक्रियाओं और विभिन्न तत्वों के गुण धर्मों की बौद्धिक एवं वैज्ञानिक व्याख्या पेश की । शायद यही वजह है कि आधुनिक पश्चिमी वैज्ञानिकों में से एक ने तो यहां तक कह दिया कि मुसलमानों ही रसायन विज्ञान को एक पृथक विज्ञान के रूप में दुनिया के सामने पेश किया और मुस्लिम वैज्ञानिकों ही ने सबसे पहले बौद्धिक एवं अनुसंधानपरक नतीजे तक पहुंचने के लिए विभिन्न प्रयोगों, सूक्ष्म अध्ययनों और यथासंभव सावधानी बरतने को ज़रूरी क़रार दिया । जबकि यूनानवासियों ने अस्पष्ट कथनों और बनावटी प्रयोगों तक ख़ुद को सीमित रखा ।

जाबिर बिन हय्यान (मृत्यु 200 हिजरी/815 ई०) की गिनती रसायन विज्ञान के चोटी के वैज्ञानिकों में होती है । अरबों के यहां शुरू में मशहूर था कि रसायन विज्ञान सोना बनाने का विज्ञान है । जाबिर ने रसायन विज्ञान को इस प्रकार के अंधविश्वास एवं ख़ुराफ़ात से निकाल कर बौद्धिक हक़ीक़तों और वैज्ञानिक प्रयोगों की कसौटी पर परखने का अमल शुरू किया । उसने विशेष प्रकार की प्रयोगशालाएं स्थापित कीं जहां पानी, अम्ल, शराब, सिरका, तेल, ख़ून, सब्ज़ियों एवं फलों के अर्क़, जानवरों के सूप जैसे विभिन्न प्रकार के तरल पदार्थों को साफ़ करने की व्यवस्था की । इन प्रयोगशालाओं में Fractional Distillation यानी किसी तरल को कई बार साफ़ करने का अमल ईजाद हुआ । सिरका के Fractional Distillation से Acetic Acid का पता चला । उसने शीशा उद्योग के लिए मैगज़ीन ऑक्साइड भी ईजाद की, जिससे शीशे के अन्दर मौजूद पीले और हरे धब्बों को दूर करने में भी मदद ली जाती थी । उसने संखिया (Arsenic), अंजन (सुरमा/Antimony), गंधक, कार्बन और सीसा आदि के रासायनिक समीकरण पर भी रोशनी डाली । पृथ्वी के गर्भ से निकलने वाले खनिजों को विभिन्न अशुद्धियों से अलग करने के तरीक़े की ओर मार्गदर्शन किया । जानवरों के गोबर पर अपने बौद्धिक अवलोकनों के दौरान लवणीय नौशादर (Salt Ammonias) की ओर भी इशारा किया ।

जाबिर बिन हय्यान ने रसायन विज्ञान पर विभिन्न किताबें भी लिखी हैं जो अपने मैदान में साइंसी इंसाइक्लोपीडिया की हैसियत रखती हैं । उसकी अधिकतर किताबों का लातीनी भाषा में अनुवाद हो चुका है । ये किताबें उस समय तक रसायन विज्ञान के मैदान में होने वाली तरक़्क़ी एवं ईजादों पर आधारित हैं । उसने कुछ ऐसे रासायनिक यौगिक की विशेषता भी बयान की है जो उससे पहले परिभाषित नहीं थीं । जैसे शोरा का अम्ल (Nitrous Acids), गंधक का अम्ल, फिटकिरी, चांदी का पानी, सोने का पानी, कार्बन, नौशादर, पोटाश आदि की ईजाद में जाबिर बिन हय्यान का बड़ा हाथ है ।

अबू बकर मुहम्मद बिन ज़करिया राज़ी (मृत्यु 320 हि०/925 ई०) ने भी रसायन विज्ञान पर विभिन्न किताबें लिखी हैं जिसमें 'किताबुल असरार' और 'किताब सिररुल-असरार' आदि अहम हैं । किताबुल असरार के अन्दर उसने Sulphuric Acid, Alcohol आदि के प्रभाव एवं उनकी प्रतिक्रिया पर बहस की है । फिर उसने रासायनिक

तत्वों को खनिजों, वनस्पति एवं जैव पदार्थों में विभाजित किया है । राज़ी ने प्रयोगशालाओं में कांम आने वाले उपकरणों और पात्रों का भी ज़िक्र किया है । मिसाल के लिए वह धौंकनी (Bellows), भट्टी (Furnace), बोतक़ा (वह बर्तन जिसमें चांदी आदि पिघलाई जाती है), Alembic, प्याले और शीशे की बोतलों का ज़िक्र विस्तार से करता है । दूसरी किताब 'सिररुल-असरार' में भी उसने अपने अधिकतर वैज्ञानिक प्रयोगों का ज़िक्र किया है । उसने विभिन्न प्रकार के अम्ल तैयार किये जिनमें Sulphuric Acid, स्प्रिट, Hydrogen Sulphide, अल्कोहल के विभिन्न प्रकार आदि अहम हैं । उसने नौशादर से विभिन्न प्रकार के विषैले तरल भी तैयार किये ।

इस प्रकार हम अबू बकर राज़ी को उसके बौद्धिक खोजों, वैज्ञानिक प्रयोगों एवं प्रयोगशालाओं में इस्तेमाल होने वाले विभिन्न उपकरणों एवं पात्रों की ईजाद को देखते हुए रसायन विज्ञान के महान वैज्ञानिकों की कोटि में रख सकते हैं । उसने अपनी प्रयोगशालाओं में जिन रासायनिक वस्तुओं के Analysis और Compounds का काम अंजाम दिया, वे बहुत अहम हैं । वह ऐसा पहला व्यक्ति है जिसने बौद्धिक एवं अनुसंधानपरक अंदाज़ पर रासायनिक सिद्धांतों को बुद्धि एवं वास्तविकता की कसौटी पर रखने की शुरुआत की और इस विज्ञान को पूर्वजों के अंधविश्वासों एवं ख़ुराफ़ात तथा ग़लत विचारों एवं दृष्टिकोणों के दोषों से मुक्त किया कि यह खनिजों को सोने में बदले का कोई विज्ञान नहीं है । उसने अपने बौद्धिक एवं खोजपरक अनुभवों की रोशनी में रसायन विज्ञान के बुनियादी सिद्धांत एवं नियम प्रतिपादित किये ।

मुस्लिम वैज्ञानिकों ने बारूद विस्फोट से उत्पन्न होने वाली शक्ति के इस्तेमाल का राज़ भी पा लिया था, अतः वे जंगों में पत्थरों को फेंकने के लिए उसका इस्तेमाल करते थे । यद्यपि बारूदी यौगिकों का सुराग़ मुसलमानों से पहले भी मिलता है जैसा कि यह बात सर्वविदित है कि चीनियों ने सबसे पहले बारूद (Potassium Nitrate) को ईजाद किया था और औद्योगिक भट्टियों में उसका इस्तेमाल करते थे । वे बारूद के द्वारा केवल आग जलाने का काम करते थे । उनके बारूद में न धमाका होता, न कोई ऐसी शक्ति पैदा होती थी जो बारूदी कणों को दूर तक फेंक सके । अतः प्रबल संभावना यही है कि अरबों ने पहली बार बारूद की प्रतिरक्षा एवं सैन्य शक्ति को पहचाना और अग्न्यास्त्रों में



उसका इस्तेमाल किया । इसकी अहमियत केवल जंगी एवं सैन्य उद्देश्यों तक ही सीमित नहीं थी बल्कि इसने सभ्यता एवं संस्कृति के क्षेत्र में अहम रोल अदा किया । मिसाल के तौर पर सुरंगों को तैयार करने, पहाड़ों के मध्य सड़कें बनाने और चट्टानों के टुकड़े करने जैसे विभिन्न निर्माण कार्यों में इसकी उपयोगिता सर्वमान्य है ।

रसायन विज्ञान के अन्य मुस्लिम वैज्ञानिकों में स्पेन के मुस्लिमा बिन अहमद मजरीती (मृत्यु 398 हि०) का नाम भी आता है । उसने रसायन विज्ञान पर एक किताब 'ग़ायतुल हकीम' लिखी । इब्ने वहबी (मृत्यु 456 हि०), इब्ने मलह (मृत्यु 426 हि०), इब्ने सफ़ार आदि ने रसायन विज्ञान से संबंधित इब्ने मजरीती के अनुभवों से लाभ उठाया । सातवीं सदी हिजरी के अबुल क़ासिम इराक़ी की गणना भी रसायन विज्ञान के मशहूर वैज्ञानिकों में होती है । रसायन विज्ञान के क्षितिज पर शायद अंतिम उल्लेखनीय नाम अज़ीज़ुद्दीन एदमर बिन अली अलज्लदाकी (मृत्यु 743 हि०) का है जिसने क़ाहिरा में अपना जीवन व्यतीत किया । उसकी अधिकतर रचनाएं व्याख्या एवं भाष्य की की हैसियत रखती है, लेकिन आठवीं सदी हिजरी तक अरबों के निकट रसायन विज्ञान की शिक्षा के मैदान में ये अहम स्रोत समझी जाती थीं । रसायन विज्ञान से संबंधित पश्चिमी वैज्ञानिकों पर अरबों के प्रभाव की शायद सबसे बेहतरीन दलील यह है कि अधिकतर अरबी शब्द लातीनी भाषा में दाख़िल हो गये । मिसाल के तौर पर अलकीमिया (Chemistry), अलकहल (Alcohol), अलक़लवीयात (Alkalies), अलअंबीक (Alembic) आदि वास्तव में अरबी शब्द हैं ।

(सा० आयात, उर्दू, जनवरी-अप्रैल 1992)

(अनुवाद : मुनाज़िर हक़)

शरीआ इंडेक्स के बेहतर नतीजे

■ डॉ॰ मुहम्मद अहमद

भारत में इस्लामी वित्त व्यवस्था को सीमित क्षेत्र में अपनाये जाने के उत्साहवर्धक नतीजे सामने आये हैं । बाम्बे स्टॉक एक्सचेंज द्वारा 27 दिसम्बर 2010 को शुरू किये गये तासीस शरीआ 50 इंडेक्स के प्रति लोगों का बढ़ता रुझान यह साबित करता है कि इसकी उपयोगिता को लेकर अब कोई संदेह बाक़ी नहीं रह गया है ।

कुछ अर्थशास्त्री इसके बारे में संशय की स्थिति में थे, लेकिन अब उनका भी मानना है कि यह इन्सानों के लिए हर दृष्टि से लाभकारी है । बाम्बे स्टॉक एक्सचेंज के मैनेजिंग डायरेक्टर और मुख्य कार्यकारी मधु कन्नन के अनुसार इस प्रोडक्ट के बेहतरीन परफार्मेंस को देखते हुए आगामी एक वर्ष के भीतर इस्लामी शरीअत के अनुकूल कुछ म्यूचुअल फंड्स लांच किये जाएंगे । साथ ही विनिमय-व्यापार फंड्स (ETF's Exchange-Traded Funds) भी मार्केट में लाये जाएंगे । श्री कन्नन ने मीडिया को बताया कि इन प्रोडक्ट्स की सफलता को लेकर एक्सचेंज बहुत आशान्वित है ।

तक़वा एडवाइजरी एंड शरीआ इन्वेस्टमेंट साल्यूशंस (तालीस) की भागीदारी के साथ जो इंडेक्स (BSE TASIS Shariah 50 Index) शुरू किया गया है, उसमें भारत की 50 कंपनियां शामिल हैं । ये वे कंपनियां हैं, जिन्होंने तासीस को लिखित पत्र दिया है कि वे इस्लामी वित्तीय तौर-तरीक़ों को अपनाएंगी और निवेशित धन को ब्याजरहित बनाये रखेंगी । अलबत्ता तासीस ने उन्हें जो रियायत (मात्र तीन प्रतिशत की अशुद्धता) दी है, उसे बढ़ने देने का कंपनियां अपनी ओर से पूरा प्रयास करेंगी । दूसरी तरफ़ तासीस हर महीने इस्लामी प्रावधानों की समीक्षा करेगा और जो कंपनियां मार्ग से हटती पायी जाएंगी, उन्हें इंडेक्स से बाहर कर देगा ।

तासीस के शरीआ बोर्ड में भारत, उत्तरी अमेरिका और यूरोप के इस्लामी विद्वान शामिल हैं । कुछ अन्य इस्लामी अर्थशास्त्री भी इसके सक्रिय सदस्य हैं । तासीस के बारे में यह कहा जाता है कि इसके सदस्य विशुद्ध इस्लामी तौर-तरीक़ों को अपनाने में काफ़ी अग्रसर हैं । तासीस उक्त कारोबार में अशुद्धता को मात्र तीन प्रतिशत तक सहन करने को तैयार है, जबकि बहरैन स्थित ए॰ए॰ओ॰आई॰एफ॰आई॰ (Auditing Organization for Islamic Financial Institutions) अशुद्धता को पांच प्रतिशत तक सहन करने की बात करता है ।

बी॰एस॰ई॰ के शरीआ 50 इंडेक्स में जो कंपनियां लिस्टेड हैं, उनमें उल्लेखनीय हैं—आर॰आई॰एल॰, टी॰सी॰एस॰, मारुति सुजुकी, भारती एयरटेल, एल॰ एंड टी॰, एम॰ एंड एस॰, इंफोसिस टेक, सिपला, आई॰टी॰सी॰, एच॰यू॰एल॰, ओ॰एन॰जी॰सी॰, एन॰टी॰पी॰सी॰ और जिंदल स्टील एंड पॉवर । इन कंपनियों में आई॰टी॰सी॰ सिगरेट बनाने वाली कंपनी है । इसे यदि लिस्ट में शामिल न किया जाता तो बेहतर था । इसी तरह एल॰ एंड टी॰ यद्यपि भारी इंजीनियरिंग का कारोबार करती है, लेकिन इसका शराब का भी कारोबार है । वह शराब के कारोबार को अलग से करती होगी, तो भी एक ही कंपनी के इस तरह के काम को नहीं गवारा किया जा सकता है । बहरहाल, भारत में इस्लामी वित्त व्यवस्था के तहत शेयर बाज़ार का यह कारोबार तेज़ी से आगे बढ़ रहा है । इसे और व्यापक बनाने की आवश्यकता है । यही वह व्यवस्था है, जो आर्थिक मंदी से दुनिया को सुरक्षित रख सकती है और इन्सानों के धन का उत्तम उपयोग करने के साथ उत्तम रिटर्न दे सकती है । दुनिया के 75 देश इसे अपनाये हुए हैं और इसका कारोबार 1200 अरब डॉलर तक जा पहुंचा है । भारत में भी इसे बड़े पैमाने पर अपनाये जाने की सख़्त ज़रूरत है ।

बहरहाल यह सुखद ख़बर है कि केरल हाईकोर्ट ने राज्य में इस्लामी बैंक खोलने की अनुमति दे दी है । इस्लामी वित्तीय संस्था खोलने के ख़िलाफ़ दायर दो याचिकाओं को पिछले दिनों रद्द करते हुए कोर्ट ने कहा कि याचिका दाख़िल करने वाले यह साबित नहीं कर सके कि राज्य सरकार यदि बैंक खोलती है, तो इससे एक ख़ास समुदाय (मुसलमानों) को कैसे बढ़ावा मिलेगा ।

राज्य सरकार के फ़ैसले के अनुसार, इस्लामी बैंक केरल स्टेट इंडस्टियल डेवलपमेंट कारपोरेशन (ICSIDC) की मदद से खोला जाना है ।

अन्य धर्मों के प्रति इस्लाम

■ अबरार अहमद
(लाखेरीवाले)

जिस प्रकार इन्सान की आंख का काम है–देखना, जब तक कि उसमें कोई ख़राबी न आ जाए, कान का काम है–सुनना, जब तक कि वह बहरेपन का शिकार न हो जाए । इसी प्रकार इन्सान की प्रकृति का काम है–सीधे मार्ग की ओर चलना और उसकी तरफ़ उतनी ही तेज़ी से लपकना, जितनी तेज़ी से पानी नीचें गिरता है, जब तक कि वह किसी फ़साद का शिकार न हो जाए, जो उसकी लगाम अपने हाथ में ले ले और उसे ख़ैर की राह से मोड़ दे । इस्लाम एक प्राकृतिक धर्म है–

"अत: (ऐ नबी और नबी के अनुयायियों) एकाग्र होकर अपना रुख़ इस धर्म की दिशा में जमा दो, क़ायम हो जाओ उस प्रकृति पर जिस पर अल्लाह तआला ने इन्सानों को पैदा किया है, अल्लाह की बनायी हुई संरचना बदली नहीं जा सकती, यही बिल्कुल सीधा और ठीक धर्म है, मगर ज़्यादातर लोग नहीं जानते ।" (क़ुरआन, 30:30)

प्रकृति को बिगाड़ने वाली चीज़ें हैं–गिरे-पड़े माहौल की आदतें रस्मो-रिवाज तथा लोगों का अपनी मनपसन्द चीज़ों की ओर झुकाव ।

ये चीज़ें इन्सान की प्रकृति के लिए बड़ा ख़तरा है तथा ये चीज़ें इन्सानी प्रकृति में बीमारियां पैदा कर देती हैं । वास्तव में लोगों की जो मनपसन्द चीज़ें हैं, वे दुनिया के कुछ दिनों के जीवन की सामग्री हैं ।

"लोगों के लिए मनपसन्द चीज़ें–स्त्रियां, संतान, सोने-चांदी के ढेर, चुने घोड़े, चौपाये और खेती की ज़मीनें-बड़ी लुभावनी बना दी गयी हैं, किंतु ये सब दुनिया के कुछ दिनों के जीवन की सामग्री है । वास्तव में जो अच्छा ठिकाना है वह तो अल्लाह के पास है ।" (क़ुरआन, 3:14)

अत: एक जमाअत ऐसी अवश्य होनी चाहिए जो इन मनपसंद चीज़ों, बंधनों और रस्मों का ज़ोर तोड़ दे । वह इनके ख़तरों से इन्सानी प्रकृति को निजात दिलाने की कोशिश करे ताकि इन्सानी प्रकृति में पवित्रता आ जाए और प्रकृति अपनी अस्ली ज़िम्मेदारी निभा सके ।

"(क़ायम हो जाओ इस बात पर) अल्लाह की ओर रुजू करते हुए और डरो उससे और नमाज़ क़ायम करो और न हो जाओ उन मुश्रिकों में से जिन्होंने अपना-अपना धर्म अलग बना लिया है और गिरोहों में बंट गये हैं । हर एक गिरोह के पास जो कुछ है, उसी में वे मगन हैं ।"
(क़ुरआन, 30:31-32)

उपरोक्त आयतों से स्पष्ट है कि एक जमाअत ऐसी हो, जो अल्लाह की ओर रुजू करे, उससे डरे और उसके लिए नमाज़ क़ायम करे । ईमान लाना, तक़्वा धारण करना और नमाज़ क़ायम करना यह बताते हैं कि इन्सान अपनी सही प्रकृति पर चल रहा है तथा जो ऐसा न करें वे गुमराही में पड़े हुए हैं । अल्लाह ने इन्सान को यद्यपि कमज़ोर पैदा किया है, लेकिन साथी ही उसे अपनी सर्वोत्तम संरचना बनाया है ।

इन्सान बेहतरीन संरचना क्यों है ? क्योंकि वह हक़ का दामन थाम लेता है और उसे क़ायम करने के लिए जिद्दोजहद करता है ? लेकिन ज़्यादातर लोग अपनी ख़्वाहिशों की पैरवी में लगे रहते हैं और ज़मीन ही से चिमटे रहते हैं । हालांकि अल्लाह ने बता दिया है कि उन्हें किस-किस चीज़ से बचना चाहिए ।

"अल्लाह का यह तरीक़ा नहीं है कि लोगों को मार्ग पर लाने के बा फिर गुमराही में डाल दे जब तक कि उन्हें साफ़-साफ़ बता न दे कि उन्हें किन चीज़ों से बचना चाहिए । वास्तव में अल्लाह को हर चीज़ का ज्ञान है ।"
(क़ुरआन, 9:115)

"हां, अल्लाह तो तुम्हारी ओर दयालुता के साथ पलटना चाहता है, मगर जो लोग ख़ुद अपनी वासनाओं के पीछे चल रहे हैं, वे चाहते हैं कि तुम सीधे रास्ते से हटकर दूर निकल जाओ ।"
(क़ुरआन, 4:27)

"मैं अपनी निशानियों से उन लोगों की निगाहें फेर दूंगा जो नाहक़ ज़मीन में बड़े बनते हैं, वे चाहे कोई निशानी देख लें, कभी उस पर ईमान नहीं लाएंगे । अगर सीधा मार्ग उनके सामने आये तो उसे अपनाएंगे नहीं और अगर टेढ़ा मार्ग दिखायी दे, तो उस पर चल पड़ेंगे, इसलिए कि उन्होंने हमारी निशानियों को झुठलाया और उनसे बेपरवाह करते रहे ।"
(क़ुरआन, 7:146)

इस प्रकार जो लोग ईमान नहीं लाते हैं, वे गुमराह हो जाते हैं। यद्यपि इन्सान अल्लाह तआला की सर्वोत्तम संरचना है, किंतु जो लोग ईमान नहीं लाते, वे सारे चीज़ों से नीचे हो जाते हैं। वे कौन है जो सर्वोत्तम संरचना पर क़ायम रहता है ? यह इन आयतों से स्पष्ट है–"हमने इन्सान को सर्वोत्तम संरचना के साथ पैदा किया, फिर उसे उलटा फेरकर सब नीचों से नीचा कर दिया सिवाय उनके जो ईमान लाए और अच्छे कर्म करते रहे कि उनके लिए कभी न समाप्त होने वाला बदला है।" (कुरआन, 95:4-6)

इस्लाम को दुनिया का सबसे असहिष्णु धर्म के रूप में प्रचारित किया गया है। यह भी प्रचारित किया गया कि इस्लाम तलवार के बल पर फैला। इस्लाम पर एक आक्षेप यह भी लगाया जाता है कि इस्लाम अलगाववाद की शिक्षा देता है। वह अपने अनुयायियों को दूसरे धर्म के लोगों से अलग-थलग रखना चाहता है। हालांकि यह सत्य नहीं है। इस्लाम का अर्थ ही है–सलामती। अत: जो इस्लाम में दाख़िल हो गया, समझो वह सलामती की ओर आ गया। इस्लाम धर्म दूसरे धर्मों के प्रति कितना सहिष्णु है, इसका पता कुरआन की इस आयत से चलता है–

"दीन के मामले में कोई ज़ोर-ज़बरदस्ती नहीं है।"
(कुरआन, 2:256)

यहां एक महत्वपूर्ण घटना का उल्लेख आवश्यक है : जब हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) ने मक्का को फ़तह कर लिया और विजेता के रूप में मक्का में दाख़िल हुए तो प्यारे नबी (सल्ल०) चाहते तो विरोधियों को उनकी करतूतों की सज़ाएं दे सकते थे, लेकिन उन्होंने आम माफ़ी का ऐलान कर दिया। यहां तक कि उस हब्शी को भी माफ़ कर दिया, जिसने आप (सल्ल०) के चचा हज़रत हम्ज़ा (रज़ि०) को उहुद की जंग में शहीद कर दिया था और अपने सबसे बड़े दुश्मन अबू सुफ़ियान और उनकी बीवी हिन्दा को भी माफ़ कर दिया। हिन्दा ही वह औरत थी जिसने हज़रत हम्ज़ा का कलेजा अपने दांतों से चबाया था।

इतिहास ने इससे पहले किसी ऐसे विजेता को नहीं देखा था जो दुश्मनों पर विजय हासिल करने के बाद उन्हें इस प्रकार माफ़ कर दे और उनके किये हुए ज़ुल्म व सितम की सज़ा न दे।

आप (सल्ल०) के इस सद्व्यवहार का नतीजा यह हुआ कि कुरैश के सरदार अबू सुफ़ियान (रज़ि०) और उनकी बीवी (रज़ि०) ने इस्लाम क़बूल कर लिया।

इस्लाम दूसरे धर्मों का सम्मान करने का हुक्म देता है। किसी को सिर्फ़ इस बात पर भला-बुरा नहीं कहा जा सकता कि वह हमारे धर्म का नहीं है, साथ ही उनके माबूदों को भी भला-बुरा नहीं कहा जा सकता।

"और (ऐ मुसलमानों) ये लोग अल्लाह के सिवा जिनको पुकारते हैं, उन्हें अपशब्द न कहो।"
(कुरआन, 6:106)

प्रत्येक मनुष्य इस बात के लिए स्वतंत्र है कि वह किस धर्म को मानता है। किसी भी इन्सान को ईमान लाने पर मजबूर नहीं किया जा सकता है।

"अगर तेरे रब की इच्छा यह होती (कि ज़मीन में सब ईमान वाले और आज्ञाकारी ही हों) तो ज़मीन के सारे वासी ईमान ले आये होते। फिर क्या तू लोगों को मजबूर करेगा कि वे ईमान वाले हो जाएं।" (कुरआन, 10:99)

यद्यपि अल्लाह ने उन लोगों से लड़ने का ईमान वालों को आदेश दिया है, जो ईमान वालों से लड़ें, उन्हें उनके घरों से निकाल दें और धरती पर उपद्रव फैलाएं, परंतु साथ ही अल्लाह ने ज़्यादती से मना फ़रमाया है।

"तुम उनसे लड़ते रहो यहां तक कि उपद्रव बाक़ी न रहे और दीन अल्लाह के लिए हो जाए। फिर अगर वे बाज़ आ जाएं तो समझ लो कि अत्याचारियों के अलावा और किसी पर हाथ नहीं उठाया जा सकता।"
(कुरआन, 2:193)

"और तुम अल्लाह के मार्ग में उन लोगों से लड़ो, जो तुम से लड़ते हैं, लेकिन ज़्यादती न करो कि अल्लाह ज़्यादती करने वालों को पसन्द नहीं करता।"
(कुरआन, 2:190)

यदि लोग बाज़ आ जाएं और तौबा कर लें, तो उन्हें अवश्य ही माफ़ कर देना चाहिए।

"फिर अगर वे बाज़ आ जाएं तो जान लो, अल्लाह क्षमा करने वाला और दयावान है।" (कुरआन, 2:192)

"मगर जो लोग पलट आएं इससे पहले कि तुम उन पर काबू पाओ–तुम्हें मालूम होना चाहिए कि अल्लाह माफ़ करने वाला और दयावान है।" (कुरआन, 5:34)

"अत: अगर ये तौबा कर लें और नमाज़ क़ायम करें और ज़कात दें तो तुम्हारे धर्म संबंधी भाई हैं।"
(कुरआन, 9:11)

यदि कुछ लोग ईमान वालों को भला-बुरा कहते हैं, तो उनकी बात पर ध्यान न देकर धैर्य से काम लेना चाहिए तथा ऐसे लोगों से दूर हो जाना चाहिए ।

"और जो बातें लोग बना रहे हैं, उन पर धैर्य से काम लो और सज्जनता के साथ उनसे अलग हो जाओ ।"

(कुरआन, 73:10)

"ऐ नबी, जो बातें ये लोग बना रहे हैं, उन्हें हम ख़ूब जानते हैं और तुम्हारा काम उनसे बलपूर्वक बात मनवाना नहीं है । बस तुम इस कुरआन के द्वारा हर उस व्यक्ति को नसीहत करो जो मेरी चेतावनी से डरें ।"

(कुरआन, 50:45)

कुरआन अल्लाह की तरफ़ से एक नसीहत है, जिसकी मर्ज़ी हो वह उसे माने और जो न माने तो वह ऐसा करने के लिए स्वतंत्र है ।

"यह एक नसीहत है अब जिसका चाहे अपने रब की ओर जाने का मार्ग अपना ले ।" (कुरआन, 76:29)

यदि किसी ईमान वाले का पड़ोसी कोई ग़ैर-मुस्लिम है, तो उसके साथ सद्व्यवहार करने का अल्लाह ने आदेश दिया है । क्योंकि पड़ोसी घर के पास रहता है इसलिए वह दूसरे लोगों के मुक़ाबले में बेहतर तौर पर सुख-दुख का साथी बन सकता है । अत: पड़ोसी चाहे यहूदी ही हो, उसके साथ बर्ताव करना आवश्यक है बल्कि यूं कहें कि अनिवार्य है ।

"और अल्लाह ने नातेदार पड़ोसियों और अंजान पड़ोसियों के साथ नेकी करने का हुक्म दिया है ।"

(कुरआन, 4:36)

ग़ैर-मुस्लिम से विवाद से बचना चाहिए और यदि इसकी नौबत आ जाए तो उत्तम ढंग से विवाद करना चाहिए तथा उन्हें ऐसी बात की तरफ़ बुलाना चाहिए जो हम में और उनमें एक-सी हो ।

"ऐ नबी अपने रब के मार्ग की ओर बुलाओ तत्वदर्शिता और सदुपदेश के साथ, और उन लोगों से विवाद करो ऐसे ढंग से जो उत्तम हो ।" (कुरआन, 16:125)

"ऐ नबी कहो, ऐ किताब वालों आओ एक ऐसी बात की ओर जो हमारे और तुम्हारे बीच समान है ।"

(कुरआन, 3:64)

अल्लाह ने अपने प्यारे नबी (सल्ल०) को लोगों के प्रति नरमी से पेश आने का हुक्म दिया क्योंकि लोगों को रास्ते पर लाने का काम अल्लाह का है, नबी का नहीं ।

"ऐ नबी नर्मी और माफ़ करने की नीति अपनाओ, भलाई के लिए कहते जाओ और जाहिलों से न उलझो ।"

(कुरआन, 7:199)

"ऐ नबी, लोगों को रास्ते पर ला देने की ज़िम्मेदारी तुम पर नहीं है । रास्ते पर तो अल्लाह ही जिसे चाहता है, चलाता है ।" (कुरआन, 2:272)

धरती की व्यवस्था को बिगाड़ने से बचाने के लिए अल्लाह एक गिरोह को दूसरे गिरोह से हटाता रहता है, ताकि उपद्रव न फैले ।

"अगर अल्लाह लोगों को एक-दूसरे के द्वारा हटाता न रहें तो खानकाहें और गिरजा और उपासना गृह और मस्जिदें जिनमें अल्लाह का अधिकता से नाम लिया जाता है, सब ढ़ा दी जाएं ।" (कुरआन, 22:40)

इस आयत से सिद्ध होता है कि इस्लाम धर्म कितना सहिष्णु है । इस आयत में केवल मस्जिद ही नहीं बल्कि गिरजा आदि को गिराने से भी रोके जाने का उल्लेख है । देखा अन्य धर्मों के प्रति इस्लाम का रवैया कितना नरम है ।

अल्लाह ने युद्ध का आदेश सिर्फ़ उन लोगों के लिए दिया है, जो धरती में फ़साद फैलाते फिरते हैं, उपद्रव मचाते हैं, लोगों को उनके घरों से निकाल देते हैं । अन्य लोगों के प्रति चाहे वे किसी भी धर्म के हों, नेकी का बर्ताव करने का अल्लाह का हुक्म है ।

"अल्लाह तुम्हें इस बात से नहीं रोकता कि तुम उन लोगों के साथ नेकी और इन्साफ़ का बर्ताव करो, जिन्होंने धर्म के मामले में तुम से युद्ध नहीं किया है और तुम्हें तुम्हारे घरों से नहीं निकाला है ।" (कुरआन, 60:8)

अत: इस्लाम दूसरे धर्मों के प्रति नरम रवैया रखता है, यह एक पूर्ण सहिष्णु धर्म है । इसके फैलने का प्रमुख कारण है कि अल्लाह ने कुरआन में जो आदेश दिये हैं, उन पर ठीक-ठीक अमल किया गया । किसको इस्लाम क़बूल करने के लिए बाध्य नहीं किया गया । लोगों ने इस्लाम के अनुयायियों के सद्व्यवहार को देखकर इस्लाम धर्म क़बूल किया । इस्लाम धर्म प्यार से फैला, नफ़रत से नहीं । यदि किसी को मजबूरी में धर्म क़बूल करवा लिया जाए तो वह फिर से अपने पुराने धर्म की ओर लौट आता परंतु इस्लाम में ऐसा नहीं हुआ । इस्लाम के अनुयायियों ने नर्मी का व्यवहार करके इस्लाम धर्म को फ़ैलाया ।

न्याय की जीती-जागती मिसालें

● संकलित

समाज की सुरक्षा व हित के लिए न्याय का बर्ताव व व्यवहार नितान्त आवश्यक है । न्याय व इंसाफ़ से वंचित समाज प्रगति व उन्नति के मार्ग पर न अग्रसर हो सकता है, और न कभी फल-फूल ही सकता है । न्याय मानव जाति का वह अधिकार है, जिसको न धन-दौलत से ख़रीदा जा सकता है और न बलपूर्वक छीना जा सकता है । आप देख लीजिए कि जिस समाज ने धन, शक्ति और वैभव के बल पर न्याय को दबाना चाहा है, उसको इतिहास ने माफ़ नहीं किया और न भविष्य में ही क्षमा करेगा । एक दिन ऐसा अवश्य आएगा, जब न्याय व इंसाफ़ का गला घोंटने वालों का गला घोटा जाएगा दुखी मानवता को शक्ति से दबाने वालों को स्वयं ही दुखों की चक्की में पिसना पड़ेगा ।

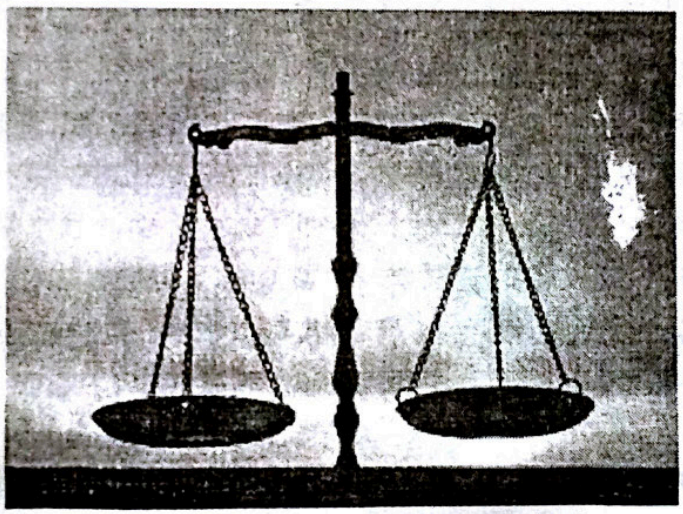

इस संसार का यह अटल नियम है, जिसको कोई व्यक्ति अपनी मूर्खता से बदल नहीं सकता । वे लोग बहुत शीघ्र अपने आपको भुल देते हैं, जो न्याय की कुर्सियों पर बैठते हैं कि वे कितनी बड़ी परीक्षा दे रहे हैं, जिनके एक-एक क्षण और एक-एक अक्षर का मानवता के न्यायग्रह में हिसाब किया जाएगा । अगर इससे बच कर निकल गये, तो इतिहास के पन्नों को हिसाब देना होगा । अगर इससे भी बचकर निकल गये, तो अल्लाह और ईश्वर की अदालत से किसी भी प्रकार से बचकर नहीं निकल सकेंगे ।

इस सिलसिले में इस्लामी शिक्षाओं ने किसी का पक्ष नहीं लिया है, बल्कि साफ़-साफ़ उन लोगों को होशियार रहने का आदेश दे दिया है, जो न्यायाधीश की कुर्सियों पर विराजमान हैं । अन्याय करने वालों को कठोर से कठोर दंड की चेतावनी दी गयी है, इसीलिए इस्लामी न्याय इतिहास के पन्नों में उदाहरण बन गया । न्याय के सिलसिले में अल्लाह तआला कुरआन में फ़रमाता है–

''ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, न्याय व इंसाफ़ के ध्वजावाहक और अल्लाह के लिए गवाह बनो, यद्यपि तुम्हारा इंसाफ़ और तुम्हारी गवाही स्वयं तुम्हारे अपने या तुम्हारे मां-बाप और नातेदारों के विरुद्ध ही क्यों न पड़ती हो । मामले से सम्बन्ध रखने वाला पक्ष चाहे धनवान हो या निर्धन, अल्लाह तुमसे अधिक उनका हितैषी है । अतः अपनी इच्छा के अनुपालन में न्याय से न हटो । और अगर तुमने लगी-लिपटी बात कही या सच्चाई से पहलू बचाया तो जान रखो कि जासे कुछ तुम करते हो अल्लाह को उसकी ख़बर है ।'' (कुरआन, 4:135)

एक इन्सान के लिए न्याय का मार्ग अपनाना कुछ मुश्किल नहीं है मगर उसकी आज़माइश उस समय हो जाती है, जब कोई समस्या या परेशानी स्वयं उसके या उसके परिवार के सामने आ जाती है । ऐसी दशा में देखा गया है कि लोगों के पांव डगमगा जोते हैं । यही वह अवसर होता है जब उसके न्याय व इंसाफ़ की पोल खुल जाती है । ऐसी स्थिति में कुरआन में अल्लाह फ़रमाता है–

''ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, अल्लाह के लिए औचित्य पर क़ायम रहने वाले और इंसाफ़ की गवाही देने वाले बनो । किसी गिरोह की दुश्मनी तुमको इतना उत्तेजित न कर दे कि इंसाफ़ (न्याय) से फिर जाओ । इंसाफ़ करो, यह ईशभक्ति और विनम्रता से अधिक अनुकूल है । अल्लाह से डरकर काम करते रहो, जो कुछ तुम करते हो अल्लाह उसे पूरी तरह जानता है ।'' (कुरआन, 5:8)

एक अवसर पर ईशदूत हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) ने कहा कि क़सम है उस ईश्वर की, जिसके हाथ में मेरी जान है, अगर मुहम्मद की चहेती बेटी फ़ातिमा भी चोरी करती तो मैं उसको भी दंड देता ।

घटना इस तरह है कि मक्का में एक औरत रहती थी, जिसका संबंध मख़ज़ूम क़बीले के एक प्रतिष्ठित व कुलीन परिवार से था । एक बार उसने चोरी की और पकड़ी

गयी । परिणामस्वरूप उसे उसका हाथ काटने की सज़ा मिली । उस औरत का नाम फ़ातिमा था । ईशदूत हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) की चहेती बेटी का नाम भी फ़ातिमा था । चोरी की यह घटना मक्का में घटित हुई थी । इस्लाम से पूर्व अरब में प्रतिष्ठित व कुलीन लोगों के लिए जो क़ानून था, उससे भिन्न क़ानून उन लोगों के लिए था, जो निर्धन व कमज़ोर वर्ग के थे । उनमें से एक ऊंचे घराने की अपराधी औरत को अन्ततः सज़ा मिलकर रहेगी, इस बात से बनी मख़ज़ूम क़बीले के लोग खुश न थे । (यह चोरी की घटना उस समय की है, जब अरब के लोग क़बीले के क़बीले इस्लाम धर्म स्वीकार कर रहे थे । और बहुत से लोग इस्लाम क़बूल कर चुके थे) वे आपस में कहने लगे, "यह कैसे हो सकता है ? क्या उस औरत को बचाने के लिए कोई राह नहीं निकल सकती ।" चिंता व परेशानी बढ़ती गयी । प्रश्न यह था कि ईशदूत हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) को इस बात पर कैसे सहमत किया जाए कि फ़ातिमा (अपराधी औरत) को दंड से बचाया जा सके । वे भली-भांति जानते थे कि अल्लाह की निर्धारित की हुई सज़ा में नर्मी बरतने के लिए आप (सल्ल०) से कहना व्यर्थ होगा ।

अतः क़बीला बनी मख़ज़ूम के लोग इस निर्णय पर पहुंचे कि इस कार्य में उसामह बिन ज़ैद (रज़ि०) की सहायता ली जाए । उसामह बिन ज़ैद (रज़ि०) ईशदूत हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) के मुंहबोले बेटे ज़ैद बिन हारिसा (रज़ि०) के बेटे थे । आप (सल्ल०) उसामह (रज़ि०) से बहुत प्यार करते थे । बनी मख़ज़ूम के लोग उसामह बिन ज़ैद (रज़ि०) के पास गये और उस अपराधी औरत (फ़ातिमा) के बारे में पूरी बात बतायी । उन लोगों की पूरी बात सुन लेने के बाद उसामह बिन ज़ैद (रज़ि०) ने कहा कि मैं अल्लाह के रसूल हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) को इस बात पर राज़ी करने की पूरी कोशिश करूंगा कि आप (सल्ल०) फ़ातिमा के दंड के मामले में नर्मी बरतें ।

उसामह बिन ज़ैद (रज़ि०) अवसर की प्रतिज्ञा करने लगे, यहां तक कि उन्होंने अल्लाह के रसूल (सल्ल०) को अकेले में पा लिया और अपनी बात कहनी शुरू की । उसामह जितनी शीघ्रता से बात कर सकते थे, कह रहे थे । तभी नबी (सल्ल०) ने उनकी तरफ़ से मुंह फेर लिया और उसामह बिन ज़ैद (रज़ि०) समझ गये कि अल्लाह के रसूल (सल्ल०) उनकी बातों से अप्रसन्न हो गये हैं ।

शाम को नमाज़ के बाद उस रात ईशदूत हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) लोगों को संबोधित करने के लिए खड़े हुए और फ़रमाया, "अल्लाह महान है । तुमसे पहले की कई क़ौमों का पतन हुआ और वे कमज़ोर हुईं और अन्ततः विनष्ट होकर रहीं, केवल इसलिए कि उनमें जब उच्च वर्ग का कोई प्रतिष्ठित व कुलीन व्यक्ति अपराध करता तो वे उसे छोड़ देते, और जब कमज़ोर वर्ग का कोई निर्धन व्यक्ति वही अपराध करता तो उसे दंड देते । मैं क़सम खाता हूं उसकी, जिसके हाथ में मेरी जान है कि यदि मेरी चहेती बेटी फ़ातिमा भी चोरी करती, तो मैं उसका भी हाथ काटने का आदेश देता ।"

अगर आप इस्लामी इतिहास पर एक उचटती हुई नज़र भी डाल दें, तो आपका सिर गर्व से ऊंचा उठ जाएगा । विश्व में सम्भवतः कोई ऐसा राज्य न होगा, जिसके संविधान में न्याय और इंसाफ़ के संबंध में विशेष धाराएं मौजूद न हों । किन्तु विश्व के किसी राज्य के पास ऐसा संविधान मौजूद नहीं है, जिसकी पीठ पर ईश्वर के समक्ष उत्तरदायित्व का विश्वास मौजूद हो । यह विशेषता केवल इस्लामी संविधान को प्राप्त है । यही कारण है कि आज विश्व के हर राज्य में न्याय और इंसाफ़ की दुर्दशा हो रही है और सबसे अधिक न्याय की दुर्दशा शासक वर्ग के हाथों हो रही है । जो न्याय को स्थापित करने का उत्तरदायी है, वही न्याय के नियमों को अपने लाभ और उद्देश्यों के अनुसार उपभोग कर रहा है और न्याय के नाम पर अपने विरोधियों पर खुल्लम-खुल्ला अत्याचार कर रहा है । शासक वर्ग ने ऐसे नियम बना रखे हैं, जिनके द्वारा जिसको चाहते हैं न्यायालय में मुक़दमा चलाये बिना जेल में डाल देते हैं और उसे स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित कर देते हैं, जो अन्याय है । आमतौर पर इस तरह की ख़बरें मीडिया के ज़रिये सुनने में आती रहती हैं ।

इस्लामी शासन में सबसे सरल काम न्याय प्राप्त करना था । वह भी किसी ख़र्च के बिना लोग सच्चा न्याय प्राप्त कर लेते थे । इसका कारण यह था कि इस्लामी शासन का नियम मुनष्यों का बनाया हुआ न था, ईश्वरीय नियम था । इसलिए शासक व प्रजा दोनों के दिलों में उसका सच्चा सम्मान था । उसकी अवज्ञा को शासक व प्रजा दोनों लोक-परलोक के विनाश-तुल्य समझते थे । इस विधान की पीठ पर ईश्वर और ईश-संदेश की ताड़नाएं और चेतावनियां

भी मौजूद थीं, जिन पर उनका सच्चा विश्वास था और वे उनकी अवहेलना का साहस नहीं कर सकते थे । अल्लाह के रसूल हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) ने इरशाद फ़रमाया–

''क़ियामत (प्रलय) के दिन न्याय करने वाले न्यायिक (क़ाज़ी) के समक्ष भी ऐसा ईश्वर का भय होगा कि वह चाहेगा कि काश ! उसने एक खजूर के संबंध में भी दो व्यक्तियों के बीच निर्णय न किया होता ।

हज़रत अबबक्र सिद्दीक़ (रज़ि०) जब इस्लामी शासन के पहले शासनाध्यक्ष हुए तो न्याय व इन्साफ़ संबंधी एवं महाईशदूत हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) की शिक्षा और आदेश आपके सामने थे । इसलिए आपने मुसलमानों के समूह में जो प्रथम भाषण दिया, उसमें अपने शासन की नीति बयान करते हुए घोषणा की–''तुम्हारे बीच जो निर्बल है, वह मेरे निकट बलवान है, यहां तक कि उसका छीना हुआ अधिकार उसको पुनः वापस दिला दूं और तुम्हारे बीच जो बलवान है, वह मेरे निकट निर्बल है, यहां तक कि मैं उससे उस अधिकार को प्राप्त कर लूं, जो उसने हनन कर रखा है ।''

इसी प्रकार इस्लामी राज्य के दूसरे शासनाध्यक्ष हज़रत उमर फ़ारूक़ (रज़ि०) हुए, तो आपने अपने संबोधन में फ़रमाया, ''मैं किसी व्यक्ति को इसका अवसर न दूंगा कि वह किसी का अधिकार छीने या किसी पर कोई अत्याचार करे । जो व्यक्ति ऐसा करेगा उसका एक गाल मैं धरती पर रखूंगा और उसके दूसरे गाल पर अपना पांव रखूंगा, यहां तक कि वह सत्य के सामने झुक जाए ।''

हज़रत उमर फ़ारूक़ (रज़ि०) ने ऐसे नियम बना दिये थे कि ग़रीब से ग़रीब आदमी को न्याय प्राप्त करने में कोई कठिनाई न हो । न्यायालय में मुक़दमा पेश करने से लेकर फ़ैसला पाने तक किसी प्रकार का व्यय नहीं करना पड़ता था । निर्धन से निर्धन व्यक्ति क़ाज़ी (न्यायाधीश) के पास पहुंच कर मुक़दमा दाख़िल कर देता और उसे आसानी से न्याय मिल जाता । न्यायाधीशों को आदेश था कि कोई निर्धन व असहाय व्यक्तिवादी बनकर आये तो उसके साथ नम्रता व सहिष्णुता का व्यवहार किया जाए, ताकि वह अपना वाद उपस्थित करने में किसी प्रकार का दबाव न अनुभव करे ।

न्याय व इन्साफ़ से संबंधित एक दूसरा उदाहरण है कि एक बार इस्लामी राज्य के शासकाध्यक्ष हज़रत उमर फ़ारूक़ (रज़ि०) के पुत्र हज़रत अब्दुर्रहमान ने मिस्र में शराब पी । होश आया तो स्वयं ही मिस्र के शासक हज़रत अम्र बिन आस (रज़ि०) की सेवा में उपस्थित हुए और अपने अभियोग को स्वीकार करके प्रार्थना की कि उन्हें शराब पीने की सज़ा दी जाए । हज़रत अम्र बिन आस (रज़ि०) ने डांट-डपटकर टाल देना चाहा, किंतु अब्दुर्रहमान जानते थे कि मिस्र के शासक ने उनको क्षमा भी कर दिया तो क्या हुआ, क़ियामत (प्रलय) के दिन अल्लाह, ईश्वर क्षमा न करेगा और वे परलोक के अपमान से बच न सकेंगे । इसलिए उन्होंने आग्रहपूर्वक कहा कि उनको सज़ा दी जाए, वरना वे मदीना जाकर इस्लामी राज्य के शासकाध्यक्ष हज़रत उमर (रज़ि०) से शिकार्यत करेंगे । उनके इस आग्रह पर मिस्र के शासक ने अपने आवास के प्रांगण में उनको सज़ा दी ।

इस घटना की सूचना जब हज़रत उमर (रज़ि०) को मिली तो आपने मिस्र के शासक को ताड़नापूर्वक यह पत्र लिखा–

''ऐ इब्ने आस ! मुझको तुम्हारी धृष्टता और प्रतिज्ञा-भंग पर आश्चर्य है । मेरे निकट तुम मिस्र की गवर्नरी के पद से हटा दिये जाने योग्य हो । तुमने अब्दुर्रहमान को अपने आवास के प्रांगण में सज़ा दी और मकान के अन्दर ही उसका सिर मूंडा । यद्यपि तुम्हें भली-भांति मालूम है कि इस प्रकार का पक्षपात मेरे नियम के विरुद्ध है । अब्दुर्रहमान तुम्हारी प्रजा में से एक था । तुम्हें चाहिए था कि जिस प्रकार तुम दूसरों के साथ व्यवहार करते हो, उसी प्रकार उसके साथ भी करते । किंतु तुमने उसके साथ जो व्यवहार किया है, इस विचार से कि वह इस्लामी राज्य के शासकाध्यक्ष का बेटा है । यद्यपि तुम जानते हो कि मैं न्याय के संबंध में किसी के साथ पक्षपात से काम नहीं लेता । इसलिए तुमको आदेश देता हूं कि मेरा पत्र पाते ही अब्दुर्रहमान को मेरे पास भेज दो, ताकि मैं उसको उसके किये का मज़ा चखाऊं । एक कथन के अनुसार हज़रत उमर फ़ारूक़ (रज़ि०) ने अपने पुत्र अब्दुर्रहमान को जनता के समूह के समक्ष पुनः सज़ा दी ।

क्या इस्लामी राज्य और इस्लामी समाज के अतिरिक्त भी सत्यप्रियता और न्यायशीलता के ऐसे विचित्र चित्र देखे जा सकते हैं ? दोषी दोष छिपाता है और अपने आपको बचाने की भरपूर चेष्टा करता है, किंतु वास्तविक इस्लामी समाज का एक दोषी स्वयं अपने को सज़ा प्राप्त करने के लिए उपस्थित करता है और उसके साथ नरमी की जाती है, तो वह शासक को धमकी देता है कि मुझे सज़ा दो

अन्यथा तुम्हारी शिकायत इस्लामी राज्य के शासकाध्यक्ष से करूंगा ।

भारतवर्ष में मुसलमानों ने अपना साम्राज्य स्थापित किया तो उनका उद्देश्य अंग्रेज़ों की तरह भारत को अपना उपनिवेश बनाकर इसे लूटना फिर यहां कि धन-दौलत से अपने देश को भरना कदापि नहीं था । वे यहां आये तो भारत को ही सदैव के लिए अपना देश बना लिया और यहां कि दौलत यहां से कहीं और नहीं जाने दी । उन्होंने भारत को खुशहाली और अमन-चैन, शांति का देश बनाने के लिए हर संभव उपाय किये और न्याय एवं इन्साफ़ की बुनियादों पर हुकूमत क़ायम करने और चलाने की भरपूर कोशिश की । भारत को एक महान देश बनाने के लिए उन्होंने उत्तरोत्तर संघर्ष किया और इसे अखंड राष्ट्र का व्यावहारिक रूप देकर छोटे-छोटे राज्यों को एक लड़ी में गूंथकर भारत को एक महान एवं शक्तिशाली देश बना दिया ।

इन्साफ़ और न्यायप्रियता मुस्लिम बादशाहों का विशिष्ट गुण रहा है । जनकल्याण और न्यायशीलता की इस्लामी शिक्षाएं उनका लक्ष्य थीं । हज़रत बख़्तियार काकी (रह०) की पुस्तक वाणी संग्रह के ''फ़वायदुस्सलिकीन'' में है कि ''अलतमिश'' की ओर से आम अनुमति थी कि जो लोग क़ाक़ा (भूखे रहा) करते हों उसके पास लाए जाएं । जब वे लाये जाते तो वह उनमें से प्रत्येक को कुछ न कुछ देता और उन्हें क़स्में देकर नसीहत करता कि जब उनके पास खाने-पीने को कुछ न रहे या उन पर कोई अत्याचार करे तो वे यहां आकर न्याय की ज़ंजीर, जो बाहर लटकी हुई है, हिलाएं ताकि वह उनके साथ न्याय कर सके, नहीं तो प्रलय के दिन उनकी फ़रियाद का बोझ वह सहन नहीं कर सकेगा ।

ग़यासुद्दीन बलबन के बारे में मौलाना ज़ियाउद्दीन बर्नी ने लिखा है कि वह दान, अनुदान, पुरस्कार एवं न्याय करने में भाइयों, लड़कों और रिश्तेदारों का बिल्कुल ख़याल नहीं करता था और जब तक मज़लूम (पीड़ित) के साथ न्याय न कर लेता, उसके दिल को आराम व शांति नहीं पहुंचती । उसके न्याय व इन्साफ़ के क़िस्से बहुत प्रसिद्ध हैं । उस काल के हिन्दुओं ने भी खुले दिल से उसकी हुकूमत की, प्रशंसा की है । 1337 विक्रमी तदनुसार सन 1280 ई० का एक संस्कृत शिलालेख पालम में मिला है, जिसमें लिखा है कि बलवन के राज्य में खुशहाली है । उसकी बड़ी और अच्छी हुकूमत में ग़ौर से ग़ज़ना और द्रविड़ से रामेश्वरम् तक हर जगह ज़मीन पर बहार ही बहार की मोहकता फैली है । उसकी सेना ने ऐसा अमन व शांति स्थापित किया है, जो हर व्यक्ति को प्राप्त है । सुल्तान अपनी प्रजा की देखभाल इतने अच्छे तरीक़े से करता है कि ख़ुद विष्णु दुनिया की चिंता से मुक्त होकर दुग्ध-सागर में जाकर सो रहे हैं ।

मुग़लकाल से पूर्व के दिल्ली के मुस्लिम बादशाहों ने न्याय व इन्साफ़ की जो परंपरा स्थापित की, उसे मुग़ल बादशाहों ने और भी शानदार तरीक़े पर बरक़रार रखा । बाबर ने अपनी ''तुजुक'' (शाही रोज़नामचा) में स्वयं लिखा है कि उसकी सेना भीरह से गुज़र रही थी, तो उसे मालूम हुआ कि सिपाहियों ने भीरहवासियों को सताया है और उन पर हाथ डाला है, तो तुरंत उन सिपाहियों को गिरफ़्तार करके कुछ भी नाकें कटवाकर और कुछ को मृत्यु की सज़ा देकर सबको उनकी करतूतों के बारे में बताया ।

('इस्लाम, मुसलमान और ग़ैर-मुस्लिम', अबू मसऊद अज़हर नदवी, पृष्ठ 32,33,34, मधुर संदेश संगम, नयी दिल्ली-25)

मानव समाज की भलाई, सफलता और कामयाबी के लिए ईश्वरीय ग्रंथ क़ुरआन द्वारा प्रस्तुत न्याय और उसके सिद्धांत को त्याग देने के कारण आज मानवता सिसक रही है, क्योंकि न्याय और इन्साफ़ के दरवाज़े निर्धनों तथा निर्बलों के लिए बन्द हो चुके हैं । अब जब तक उनको फिर से नहीं खोला जाएगा, उस समय तक समाज को सिसकना पड़ेगा । हो सकता है कि एक दिन यह सिसकी भी बन्द हो जाए और मानवता सदा के लिए दम तोड़ दे ।

संदर्भ

(1) 'क़ुरआन की शीतल छाया', डॉ० मुहम्मद ज़ियाउर्रहमान आज़मी, मधुर संदेश संगम, नयी दिल्ली-25

(2) 'आदर्श इस्लामी शासन', अबू मुहम्मद इमामुद्दीन रामनगरी, मधुर संदेश संगम, नयी दिल्ली



नशाख़ोरी के विरुद्ध है इस्लामी शिक्षाएं

■ मौलाना अबुल लैस इस्लाही नदवी

धार्मिक ग्रंथ क़ुरआन मजीद में शराब को बिल्कुल ही हराम (निषिद्ध) और नापाक कहा गया है । और यह स्पष्ट करने के लिए कि इससे बचना उन लोगों के लिए अत्यंत आवश्यक है जो ईश्वर में विश्वास रखते हों, मुसलमानों को 'ऐ वे लोगो जो ईमान लाये हो' कहकर संबोधित करते हुए उन्हें इससे दूर रहने की ताकीद की गयी है और इसे कल्याण एवं सफलता का मार्ग कहा गया है–

'ऐ ईमान लाने वालो, यह शराब और जुआ और ये (झूठे देवी-देवताओं के) थान और पांसे, शैतान के गन्दे कामों में से हैं, अत: इनसे बचो ताकि तुम सफल हो सको ।' (5:90)

इसके आगे शराब और जुए दोनों की ख़राबियों की ओर इन शब्दों में ध्यान दिलाया गया है–'शैतान तो यही चाहता है कि शराब और जुए के द्वारा तुम्हारे बीच वैमनस्य और द्वेष पैदा कर दे, और तुम्हें ईश्वर की याद और नमाज़ से रोक दे । फिर क्या तुम बाज़ आ जाओगे ।' (5:91)

और कहा गया कि अल्लाह और उसके पैग़म्बर के आज्ञापालन का तक़ाज़ा यह है कि इन हानिकारक चीज़ों से बचा जाए, अतएव चेतावनी के रूप में आगे कहा गया है–

'अल्लाह का आदेश मानो और रसूल का आदेश मानो, और (इन चीज़ों से) बचते रहो । यदि तुमने (हुक्म मानने से) मुंह मोड़ा, तो जान लो कि हमारे रसूल (पैग़म्बर) पर केवल स्पष्ट रूप से पहुंचा देने ही की ज़िम्मेदारी थी ।' (5:92)

क़ुरआन की इन आयतों में शराब के लिए 'ख़म्र' शब्द का प्रयोग किया गया है जो विशेष रूप से विचारणीय है । ख़म्र अरबी भाषा का शब्द है जिससे अभिप्रेत हर वह चीज़ है जो बुद्धि पर परदा डाल दे । इस शब्द की यही व्याख्या दूसरे ख़लीफ़ा हज़रत उमर (रज़ि॰) ने अपने एक ख़ुत्बे (धार्मिक अभिभाषण) में की थी–

'ख़म्र उस चीज़ को कहते हैं जो बुद्धि पर परदा डाल दे ।'

इस व्याख्या से जहां यह बात स्पष्ट होती है कि शराब बुद्धि को भंग करती है, वहीं इससे यह भी मालूम होता है कि इस्लाम ने किसी विशेष प्रकार की शराब ही को हराम नहीं किया है, बल्कि इसके अन्तर्गत हर वह चीज़ आ जाती है जो नशावर हो और मनुष्य की सोचने-समझने की शक्ति को नष्ट करे या उसे क्षति पहुंचाए ।

इस अवसर पर इस बात को भी ध्यान में रखने की ज़रूरत है कि मनुष्य का जिस चीज़ के कारण समस्त प्राणियों में विशिष्ट और प्रतिष्ठित एवं केन्द्रीय स्थान दिया गया है, वह वास्तव में उसकी सोचने-समझने और सत्य-असत्य और भले-बुरे में अन्तर करने की क्षमता है । अब यह स्वाभाविक बात है कि जिस चीज़ या काम से मनुष्य की इस क्षमता और योग्यता को आघात पहुंचता हो या उसके पूर्ण रूप से क्रियाशील होने में बाधा उत्पन्न होती हो, उसको मनुष्य का निकृष्टतम शत्रु समझा जाए । शराब चूंकि मस्तिष्क को स्वाभाविक रूप से कार्य करने में रुकावट डालती और उसकी तर्क-शक्ति को शिथिल करके मनुष्य को मानवता से ही वंचित कर देती है, इसलिएं उसे मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु घोषित करना बिल्कुल उचित ही है ।

शराब पैग़म्बरे इस्लाम की दृष्टि में

क़ुरआन मजीद में शराब के विषय में जो कुछ कहा गया है उसका स्पष्टीकरण अल्लाह के रसूल हज़रत मुहम्मद (सल्ल॰) के बहुत से कथनों से भी होता है । आपने कहा है–'प्रत्येक मादक चीज़ 'ख़म्र' है और प्रत्येक मादक चीज़ हराम है ।'

आपने यह भी कहा है–'हर वह पेय जो नशा पैदा करे, हराम है और मैं हर मादक चीज़ से वर्जित करता हूं ।'

शराब की हानि और ख़राबी के सिलसिले में इस्लाम के दृष्टिकोण का अनुमान इससे भी किया जा सकता है कि अल्लाह के रसूल (सल्ल॰) ने फ़रमाया–'अल्लाह ने लानत की है, शराब पर, उसके पीने वाले पर, पिलाने वाले पर, बेचने वाले पर, उसको ख़रीदने वाले पर और उसे निचोड़ने वाले पर और जिसके लिए वह निचोड़ी जाए उस पर, उसे उठाकर ले जाने वाले पर और उस पर भी जिसके पास वह ले जायी जाए ।'

शराब के सिलसिले में इस्लाम की सख़्ती का यह हाल है कि एक व्यक्ति ने नबी (सल्ल॰) से पूछा कि : 'क्या

In the Name of Allah

ہولی ویژن پبلک اسکول وہاسٹل، پٹنہ

HOLY VISION PUBLIC SCHOOL

(WHOLE-DAY CARE & HOSTEL)
Contemporary Education in Islamic Atmosphere

رَبِّ زِدْنِی عِلْماً

اسلامی

اور عصری

تعلیم کا حسین امتزاج

1. Nursery to Class-VIII
2. English Medium
3. CBSE Curriculum
4. Convenience facilities

HOLY VISION PUBLIC SCHOOL

Separate Hostel for Boys and Girls

Saman Pura Raja Bazar, Patna-800014
Phone : 0612-2295242, 09905049407

Branch : Holy Vision School & Hostel, Lahra, Kishan Ganj-855708
Phone : 06456-226144, 09470453769, 9470085643, 09852367955

दवा के रूप में उसे प्रयोग में लाने की इजाज़त है ? तो आपने कहा, 'शराब दवा नहीं बल्कि बीमारी है ।'

एक सहाबी जो हिमियर के रहने वाले थे, कहते हैं कि मैंने नबी (सल्ल०) से निवेदन किया कि 'हम एक ऐसे क्षेत्र के रहने वाले हैं कि जो अत्यंत ठंडा है और हमें मेहनत भी बहुत करनी पड़ती है । हम लोग एक प्रकार की शराब बनाते हैं और उसे पीकर थकावट और ठंडक का मुक़ाबला करते हैं ।' आपने पूछा, 'जो चीज़ तुम पीते हो वह नशा करती है ?' मैंने कहा हां, आपने कहा, 'तो फिर उससे परहेज़ करो ।' मैंने निवेदन किया, 'किंतु हमारे इलाक़े के लोग नहीं मानेंगे ।' तो आपने कहा, 'यदि वे न मानें तो उनसे युद्ध करो ।'

शराब के सिलसिले में इस्लाम का एक नियम यह भी है कि नशीली चीज़ को कम से कम मात्रा में भी इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं है । यह मानव-दुर्बलता की दृष्टि से एक बुद्धिसंगत बात है, क्योंकि शराब के विषय में जहां यह बात सत्य है कि मुंह को लग जाए तो बड़ी मुश्किल से छूटती है, वहीं यह बात भी सत्य है कि इसमें किसी सीमा का निर्धारण बहुत मुश्किल है, क्योंकि सीमा का निर्धारण बुद्धि ही करेगी और वह शराब के प्रभाव से शिथिल हो जाती है ।

अल्लाह के नबी (सल्ल०) कहते हैं–'जिस चीज़ की अधिक मात्रा नशा पैदा करे, उसकी थोड़ी मात्रा भी हराम है ।'

इस सिलसिले में यह बताना भी आपकी दिलचस्पी की चीज़ होगी कि किस तरह इस्लामी समाज में शराबन्दी का क़ानून लागू हुआ । नशाबन्दी की संजीदा कोशिश के लिए यह विभिन्न पहलुओं से मार्ग-दर्शक सिद्ध हो सकता है ।

शराब के विषय में इस्लाम के क्रमिक आदेश

हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) का आविर्भाव हुआ तो उस समय अरब समाज इतना बिगड़ चुका था कि जीवन में भोग विलास की जो सामग्री भी प्राप्त हो सकती थी उससे आनन्द लेना और आज़ादी के साथ शराब पीना लोगों के दैनिक जीवन में शामिल हो चुका था । इस्लाम ने लोगों के समक्ष एक वैमनस्य और पवित्र जीवन की जो कल्पनाएं उजागर करनी आरंभ की थीं उससे प्रभावित होकर बहुतों के मन में स्वयं ही शराब और जुए के विषय में प्रश्न उठने लगे थे कि इनके सिलसिले में सही दृष्टिकोण क्या हो सकता है ? अतएव क़ुरआन ने उनके इस प्रश्न को लेते हुए इसका उत्तर इन शब्दों में दिया–'लोग आप से शराब और जुए के विषय में पूछते हैं । कह दीजिए कि इन दोनों में बड़ा गुनाह है और यद्यपि इनमें लोगों के लिए कुछ लाभ भी है, किन्तु इन का गुनाह इनके लाभ से कहीं अधिक है ।' (2:299)

यह शराब और जुए के संबंध में पहला आदेश था । जिसमें इनके बारे में केवल अप्रियता व्यक्त करके छोड़ दिया गया ताकि लोगों के मन और मस्तिष्क इन के निषेध को स्वीकार करने को तैयार हो जाएं । बहुत-से मुसलमान तो शराब के बारे में इस पहली ही टिप्पणी के बाद शराब से परहेज़ करने लगे थे, मगर चूंकि इसमें स्पष्ट रूप से शराब के वर्जित होने की घोषणा नहीं की गयी थी इसलिए बहुत से लोग पूर्ववत मद्य-पान करते रहे यहां तक कि कभी-कभी नशे की हालत में नमाज़ पढ़ने खड़े हो जाते थे और नमाज़ में कुछ का कुछ पढ़ जाते थे । अतः कुछ दिनों के पश्चात यह आदेश आया–'ऐ वे लोगो जो ईमान लाये हो, नशे की हालत में नमाज़ के क़रीब न जाओ । नमाज़ उस समय पढ़नी चाहिए जब तुम यह जानो कि नमाज़ में क्या कह रहे हो ।' (4:43)

इसका प्रभाव यह हुआ कि लोगों ने शराब पीने का समय बदल डाला और ऐसे समय में शराब पीनी छोड़ दी जिसमें यह आशंका हो कि नशे की हालत में कहीं नमाज़ का समय न आ जाए । इसके कुछ समय के बाद शराब के निषेध का वह स्पष्ट आदेश आ गया जिसका उल्लेख आरंभ में हम कर चुके हैं । इस आदेश का पालन इस प्रकार किया गया कि जिसके पास भी शराब थी उसने मदीना की गलियों में बहा दी ।

अरब समाज में जुए और शराब की गणना दानशीलता के श्रेष्ठ कामों और सहानुभूति की प्रेरणादायक चीज़ों में होती थी । अतः जब ग़रीबों पर ख़र्च करने के संबंध में आयतें उतरीं, तो लोगों के मन में यह प्रश्न उठा कि जब इस्लाम ग़रीबों पर ख़र्च करने पर इतना ज़ोर देता है, तो शराब और जुए में क्या ख़राब है जिनके द्वारा ग़रीबों को एक प्रकार से सहायता पहुंचती है ? इस प्रश्न के उत्तर में यह आयत अवतरित हुई और यह स्पष्ट कर दिया गया कि जो चीज़ें नैतिक दृष्टि से हानिकारक हैं यदि उनसे कोई लाभ देखने में होता भी हो, जब भी उनके हानि के पहलू बढ़े होने के कारण उनसे परहेज़ करना अनिवार्य है ।

मानव-जीवन और परलोक

■ अबू मुहम्मद इमामुद्दीन रामनगरी

एक ऐसे दिन का आना अनिवार्य है, जिस दिन न यह आकाश रहेगा, न सूर्य, चांद और सितारे रहेंगे, न यह धरती रहेगी, न उसके पहाड़ और वृक्ष रहेंगे, न पशु-पक्षी और न मनुष्य रह जाएंगे, सृष्टि का यह सारा कारख़ाना नष्ट-भ्रष्ट हो जाएगा । इसके बाद एक नयी सृष्टि का आविर्भाव होगा । उस सृष्टि की धरती और ही प्रकार की होगी, उसका आकाशभी और ही तरह का होगा, उसका जीवन, उसकी कार्य-प्रणाली, उसका बुद्धि और किसी ज्ञान से उस लोक की वास्तविक स्थिति का ज्ञान प्राप्त नहीं किया जा सकता । उस लोक की हर वस्तु और स्थिति इस संसार की वस्तु और स्थिति से सर्वथा भिन्न होगी, जिस प्रकार एक नयी सृष्टि का जन्म होगा, उसी प्रकार सारे मनुष्यों को जो आदि से अन्त तक तक हुए होंगे चाहे वे किसी देश और स्थान में मरे हों और उनकी अंतिम गति चाहे कैसी ही हुई हो और उनका धर्म-कर्म कुछ भी और कैसा ही रहा हो, उन्हें एक नवीन शरीर और नया जीवन दिया जाएगा और उनको सांसारिक जीवन के कार्य और व्यवहार के हिसाब के लिए अल्लाह, ईश्वर के सामने उपस्थित होना पड़ेगा । ईश्वर उनके समस्त अच्छे और बुरे कामों का हिसाब लेगा । मनुष्यों को जो शरीर और जीवन दिया गया था, जो जीवन-सामग्री और शक्ति दी गयी थी, जो बुद्धि और ज्ञान दिया गया था, जो अधिकार और प्रभुत्व प्रदान किया गया था, इन सबका उन्होंने किस प्रकार उपयोग किया, कहां तक ईश्वर की प्रसन्नता का ध्यान रखा और कहां तक मन की इच्छा का ? कहां तक ईश्वर की आज्ञाओं का पालन किया और कहां तक अपने मन की आज्ञाओं का ? लोगों के अच्छे या बुरे जैसे कर्म होंगे उन्हीं के अनुसार उनको अच्छा या बुरा स्थान मिलेगा अर्थात स्वर्ग या नरक और वे सुख या दुख भोगेंगे ।

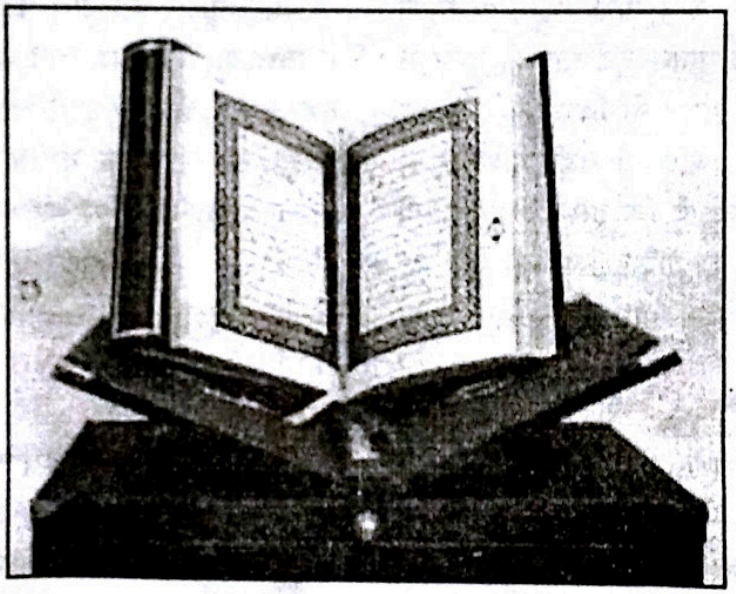

उसी दिन को क़ियामत, हश्र, जज़ा, हिसाब-किताब, प्रलय, न्याय का दिन आदि कहते हैं, और दूसरी सृष्टि और दूसरे जीवन का नाम पारलौकिक-जीवन है। वह लोक भी स्थाई होगा और उसका जीवन भी और उसका सुख-दुख भी स्थाई होगा। इसलिए इस्लाम ने परलोक को संसार पर और पारलौकिक जीवन को सांसारिक जीवन पर महत्व दिया है और सांसारिक जीवन से अधिक पारलौकिक जीवन के सफल और कल्याणमय बनाने पर जोर दिया है।

मानवता उपकारक ईशदूत हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) के विसाल के बाद इस्लामी राज्य के प्रथम ख़लीफ़ा (शासकाध्यक्ष) हज़रत अबूबक्र सिद्दीक़ (रज़ि०) हुए । आपने धर्म और जनता की सेवा के उद्देश्य से ख़लीफ़ा होना स्वीकार कर लिया था । फिर भी समय-समय पर घोषणा करते रहते थे कि कोई इस भार को उठाने पर तैयार हो तो वह बड़ी प्रसन्नता से उसके परित्याग के लिए तैयार हैं । एक दिन एक व्यक्ति ने उनसे प्रार्थना की कि कुछ उपदेश कीजिए । आपने उपदेश करते हुए कहा, "शासन-सत्ता और अधिकार कभी स्वीकार न करना । संसार में तो शासक का दायित्व बढ़ ही जाता है । प्रलय के दिन भी उसका हिसाब बड़ी कड़ाई से होगा और उसका लेखा-पत्र अधिक लंबा होगा ।"

वह स्वयं प्रलय और उस दनि के हिसाब-किताब से हर समय भयभीत रहते थे । पक्षियों को वृक्षों पर आनन्द से चहचहाते देखते तो ठंडी सांस लेकर कहते, पक्षियो ! तुम अच्छे हो कि संसार में चरते-चुगते हो, वृक्ष की छाया में बैठते हो और प्रलय में तुम्हारा कोई हिसाब-किताब नहीं । क्या अच्छा होता कि अबूबक्र भी तुम्हारे समान होता ।

परलोक भय का आप पर ऐसा प्रभाव था कि धनवान

होते हुए आप आपना सब कुछ ईश्वर की प्रसन्नता और भक्ति में लुटाकर निर्धन हो गये और समस्त अरब के राजपद पर आसीन होकर भी राजकोष से इतना न लिया कि सुखमय जीवन बिता सकते । आपने मरते समय अपनी बेटी हज़रत आयशा से, जो ईशदूत हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) की पत्नी थीं, कहा, "जब से मेरे सिर पर ख़िलाफ़त (राजपद) का भार आया है मैंने साधारण से साधारण भोजन और मोटे-झोटे वस्त्र पर निर्भर किया । मुसलमानों के राजकोष से मेरे पास एक हब्शी गुलाम, एक ऊंट और इस पुरानी चादर के अतिरिक्त और कुछ नहीं है । मेरी मृत्यु के बाद यह सारी चीज़ें हज़रत उमर (रज़ि०) को देकर इन वस्तुओं से मुक्त हो जाना ।"

मृत्यु के बाद हज़रत उमर (रज़ि०) के पास यह वस्तुएं पहुंची तो वे रो पड़े । कहने लगे, अबूबक्र ! तुम पर ईश्वर की दया हो । तुमने मुत्यु के पश्चात भी संयम सूत्र को हाथ से न छोड़ा और किसी को टीका-टिप्पणी का अवसर न दिया । इस्लामी राज्य के दूसरे ख़लीफ़ा हज़रत उमर (रज़ि०) के परलोक-भय की यह अवस्था थी कि एक बार रात को गश्त करते हुए मदीना से दूर निकल गये । एक गांव में देखा एक स्त्री कुछ पका रही है और दो-तीन बच्चे बिलख रहे हैं । स्त्री से पूछा तो ज्ञात हुआ कि कुछ खाने को नहीं है, बच्चे भूख से तड़प रहे हैं, माता ने उनको बहलाने के लिए खाली हांडी चढ़ा दी है । हज़रत उमर (रज़ि०) फ़ौरन मदीना आये राजकोष से भोजन सामग्री लेकर चलने लगे तो दास ने कहा, "मेरे होते हुए आप बोझ क्यों ढोएंगे, लाइए मैं ले चलता हूं ।" हज़रत उमर (रज़ि०) ने कहा, "तुम आज तो मेरा बोझ उठा कर ले जाओगे, लेकिन कल प्रलय के दिन जब इस सम्बन्ध में प्रश्न किया जाएगा, तो उत्तर मुझे ही देना होगा । अत: स्वयं बोझ उठाकर ले गये और चूल्हा जलाकर खाना तैयार करने में भी सहायता की ।"

हज़रत उमर (रज़ि०) का जीवन इतना सीधा-सादा था कि कंधे पर मश्क रखकर विधवा स्त्रियों का पानी भरते । युद्ध में गये सिपाहियों के घेरों का सौदा-सुलुफ़ ला देते । काम-काज से थक जाते तो मस्जिद के किसी कोने में भूमि पर लेट जाते । यात्रा करते तो डेरा खेमा कुछ साथ न होता, वृक्ष की छाया में रात को भूमि ही पर पड़े रहते ।

हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़ (रज़ि०) जो ईशदूत हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) के सच्चे साथी थे एक बार दिन भर रोज़ा रहे, संध्या को भोजन सामने आया, तो सहसा मुसलमानों का वह समय याद आ गया जब मुसलमान बहुत ही निर्धन और दीन दशा में थे, कहने लगे, "मुसइब बिन उमैर (रज़ि०) मुझ से श्रेष्ठ थे वे शहीद हुए तो कफ़न में केवल एक चादर थी, जिससे सिर छिपाया जाता तो पांव खुल जाते और पांव छिपाये जाते तो सिर खुल जाता । इसी प्रकार हज़रत हमज़ा (रज़ि०) शहीद हुए । वे भी मुझ से श्रेष्ठ थे, लेकिन अब हमारे लिए दुनिया विस्तृत हो गयी है और हमें इतनी सांसारिक सामग्रियां प्रदान की गयी हैं कि मुझे डर है कि कदाचित हमारे पुण्य कार्यों का पुरस्कार दुनिया ही में हो गया । इसके पश्चात इस प्रकार दिल भर आया कि भोजन से हाथ खींच लिया ।

पवित्र क़ुरआन में एक आयत उतरी जिसमें कहा गया है कि लोग प्रलय के दिन ईश्वर के सामने अपने हक़ के लिए एक-दूसरे से झगड़ेंगे । हज़रत ज़ुबैर बिन अवाम (रज़ि०) ने यह आयत सुनी तो अल्लाह के रसूल (सल्ल०) से पूछा, "कि क्या प्रलय के दिन हमारे झगड़े फिर दुहराए जाएंगे ? आप (सल्ल०) ने फ़रमाया, "हां, एक-एक कण का हिसाब होगा और हक़दार को उसका हक़ दिलाया जाएगा । यह सुनकर हृदय कांप उठा, बोले, "हे ईश्वर! कितना कठिन अवसर होगा ?"

हज़रत अबू हुरैरा (रज़ि०) अल्लाह के रसूल हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) के प्रमुख सहाबी (साथी) थे । एक बार एक व्यक्ति ने उनसे प्रार्थना की, "आप अल्लाह के रसूल (सल्ल०) की कोई हदीस (कथन) सुनाइए, जिसे आपने स्वयं अल्लाह के रसूल (सल्ल०) से सुना हो, समझा हो और जाना हो । हज़रत अबू हुरैरा (रज़ि०) ने कहा, ऐसी ही हदीस सुनाऊंगा । यह कहा और चीख़ मारकर बेहोश हो गये । थोड़ी देर के बाद बेहोशी दूर हुई तो बोले, "मैं तुमसे ऐसी ही हदीस वर्णन करूंगा, जो अल्लाह के रसूल (सल्ल०) ने इसी घर में वर्णन की थी और उस समय मेरे और रसूल (सल्ल०) के अतिरिक्त कोई तीसरा व्यक्ति न था" इतना कहकर फिर ज़ोर से चिल्लाए और मूर्छित हो गये । जब मूर्छा दूर हुई तो मुंह पर हाथ फेर कर कहा, "मैं तुमसे ऐसी ही हदीस वर्णन करूंगा जो रसूल (सल्ल०) ने इसी घर में बयान की थी और वहां मेरे और रसूल (सल्ल०) के सिवा कोई न था । यह कहा और चीख़ मारकर बेहोश हो गये और मुंह के बल गिर पड़े । जो व्यक्ति पूछ रहे थे

उन्होंने पकड़ लिया और देर तक संभाले रहे । जब अचेतना दूर हुई तो कहा, "अल्लाह के रसूल हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) ने फ़रमाया था–

"प्रलय के दिन जब अल्लाह मनुष्यों के फ़ैसले के लिए उतरेगा तो सबसे पहले तीन आदमी बुलाए जाएंगे, कुरआन का ज्ञाता, अल्लाह की राह में मारा जाने वाला और धनी, फिर अल्लाह कुरआन के ज्ञाता से पूछेगा, "क्या मैंने तुझे कुरआन की विद्या नहीं दी ?" वह कहेगा, "हां, ऐ अल्लाह ।" फिर वह पूछेगा, "तूने उसके अनुसार काम किया ?" वह कहेगा, रात-दिन उसका पाठ करता था ।" अल्लाह फ़रमाएगा, "तू झूठा है, तू इसलिए पाठ करता था कि लोग तुझे "क़ारी" (पाठकर्ता) कहे और लोगों ने तुझे यह पदवी दी ।" फिर अल्लाह धनी से प्रश्न करेगा, "क्या मैंने तुझको धनी बनाकर लोगों के सामने हाथ फैलाने से बेपरवाह नहीं कर दिया था ?" वह कहेगा, "हां, ऐ अल्लाह?" पूछेगा, "तूने क्या किया ?" वह कहेगा, "संबंधियों की सहायता करता था ।" वह फ़रमाएगा, "तू झूठ बोलता है बल्कि इससे तेरा उद्देश्य यह था कि लोग तुझको दानकर्ता और सख़ी कहें और लोगों ने कहा," फिर वह व्यक्ति उपस्थित किया जाएगा जिसका अल्लाह की राह में जान देने का दावा था । उससे प्रश्न होगा, "तू क्यों मारा गया ?" वह कहेगा, "तूने अपनी राह में युद्ध की आज्ञा दी थी मैं तेरी राह में लड़ा और मारा गया ।" अल्लाह फ़रमाएगा, तू झूठ कहता है बल्कि तू चाहता था कि संसार में वीर और बलवान कहलाए और यह तुझे कहा जा चुका ।"

यह हदीस बयान करके अल्लाह के रसूल मुहम्मद (सल्ल०) ने मेरी रान पर हाथ मार कर फ़ामाया, "अबू हुरैरा ! सबसे पहले इन्हीं तीनों से नरक की आग भड़काई जाएगी ।"

हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ जो एक इस्लामी ख़लीफ़ा (शासक) थे एक दिन एक व्यक्ति से क़ब्र के सम्बन्ध में अपना विचार प्रकट करते हुए कहने लगे–"मुर्दे के गाड़े जाने के तीन दिन बाद उस क़ब्र में देखो तो उससे प्रेम और स्नेह होते हुए भी भयभीत हो जाओगे । तुम ऐसा घर देखोगे जिसमें अच्छे ढंग, अच्छे वस्त्र और सुगंध के पश्चात कीड़े रेंग रहे होंगे और पीप बह रही होगी और उसमें कीड़े तैर रहे होंगे, दुर्गन्ध फैली होगी, कफ़न गल चुका होगा ।" यह कहकर उनकी हिचकी बंध गयी और बेहोश होकर गिर पड़े । पत्नी ने पानी छिड़का तो होश में आये ।

एक रात उन्होंने क़ियामत (प्रलय के दिन) के सम्बन्ध में कुरआन की एक आयत पढ़ी, जिसका अर्थ है–"जिस दिन मनुष्य बिखरे हुए पतिंगों के समान होंगे और पहाड़ धुनी हुई ऊन के समान ।" इस आयत को पढ़कर एक चीख़ मारी और इस प्रकार गिरे मानो जीवन-लीला ही समाप्त हो गयी हो ।

हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ को ईश्वर और परलोक पर जो इतना सच्चा और प्रबल विश्वास था, उसी का परिणाम था कि अरब, शाम, मिस्र, फ़ारस और इराक़ का शासक होते हुए भी आप साधु का-सा जीवन व्यतीत करते थे । आपके वस्त्र में अधिकतर एक जोड़ा रहता था उसी को धो-धोकर पहनते थे । उसमें भी पेवंद लगे होते थे । मृत्यु के समय एक कुर्ते के अतिरिक्त और कोई वस्त्र न था । उनकी पत्नी के एक भाई मुस्लिमा ने अपनी बहन फ़ातिमा से कहा कि, "लोग इनको देखने आते हैं, इनका कुर्ता मैला हो गया है दूसरा कुर्ता बदल दो ।" वे सुनकर चुप रह गयीं, उन्होंने दूसरी बार कहा तो बोलीं, "अल्लाह की क़सम! इस कुर्ते के अतिरिक्त और कोई कुर्ता नहीं है ।"

भोजन की भी यही दशा थी । सादा रोटी और ज़ैतून का तेल यही आपका भोजन था । इसके बारे में भी आपके गुलाम का कथन है कि ख़लीफ़ा होने के पश्चात मृत्युकाल तक कभी आपने पेट भर भोजन नहीं किया ! एक बार अंगूर खाने का जी चाहा पास में पैसे न थे, पत्नी से पूछा, "तुम्हारे पास ऐ दिरहम (चांदी का सिक्का) है ? अंगूर खाना चाहता हूं ।" पत्नी ने जलकर उत्तर दिया, "तुम मुसलमानों के अमीर (शासक) हो, तुम्हारे पास एक दिरहम भी नहीं है?"

हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ने कहा–"हां, और नरक की हथकड़ियों से मैं इसे अधिक सरल समझता हूं ।" राजकोष से कभी कोई लाभ नहीं उठाया । रात को जब तक राज-कार्य करते, सरकारी दीया जलाते और उसके पश्चात उसे बुझा कर घर का दीया जलवाते, इतना भी उचित न समझते कि फ़क़ीरों के लिए जो सरकारी भोजनालय था उससे वुज़ू का पानी गर्म करा लें । आपकी अनभिज्ञता में एक महीने तक आपका सेवक सरकारी चूल्हे से वुज़ू का पानी गर्म करता रहा । आपको मालूम हुआ तो उतनी लकड़ी

ख़रीद कर सरकारी भोजनालय में भिजवा दी । सरकारी अतिथि इसी भोजनालय से खाते थे । आप अतिथियों के साथ न खाते, एक बार उन्होंने कहा, आप नहीं खाते तो हम भी नहीं खाएंगे, इस पर आप खाने लगे, मगर उसका मुल्य दे देते ।

एक बार हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ के पास बहुत से सेब आये, आप मुसलमानों को बांट रहे थे । आपको छोटा बच्चा एक सेब उठाकर खाने लगा । आपने बच्चे के मुंह से सेब छीन लिया । वह रोने लगा और जाकर मां से शिकायत की । मां ने बाज़ार से से मंगा दिये, घर गये तो सेब की महक मालूम हुई, पत्नी से पूछा, ''फ़ातिमा ! सरकारी सेब तो घर में नहीं आये हैं ?'' उन्हांने सारा हाल कह सुनाया, आपने फ़रमाया, ''अल्लाह की क़सम ! मैंने बच्चे के मुख से सेब नहीं छीना था, अपने हृदय से छीना था, लेकिन मुझे यह स्वीकार न था कि मैं मुसलमानों के हिस्से के एक सेब के बदले में परलोक में अल्लाह के सामने अपनी आत्मा को भ्रष्ट करूं ।''

जनता का इतना ख़याल रखते थे कि जब से शासन पद पर आप नियुक्त हुए थे सारी राजकीय विशेषताओं को समाप्त कर दिया था और कहते, समस्त मुसलमानों की तरह मैं भी एक मुसलमान हूं । सरकारी पहरेदारों को अपने सम्मान में खड़े होने की मनाही कर दी थी । अपने सेवकों और सेविकाओं के साथ भी समानता का व्यवहार करते थे । एक बांदी आपको पंखा झल रही थी, उसकी आंख लग गयी । आप उसको पंखा झलने लगे, बांदी की आंख खुली तो वह घबराकर चिल्ला पड़ी । हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ने फ़रमाया, घबराने की कोई बात नहीं है मेरी तरह तुम भी मनुष्य हो, तुमको भी गर्मी लगती होगी, इसलिए जिस प्रकार तुम मुझे पंखा झल रही थीं, मैं भी तुम्हें पंखा झल रहा था ।

एक बार एक अतिथि से आप बातें कर रहे थे । रात अधिक हो गयी । सेवक पास ही सोया था, दीया झिलमिलाने लगा, अतिथि ने चाहा, सेवक को जाग दे, आपने कहा, ''उसे सोने दो ।'' अतिथि ने चाहा स्वयं दीया ठीक कर दे, हज़रत उमर ने उसे भी रोक दिया, कहा, ''अतिथि से काम लेना सभ्यता के विरुद्ध है ।'' फिर स्वयं उठाकर दीया में तेल डाला और उसको ठीक करके अपनी जगह आकर कहा—जब मैं उठा था तक भी अब्दुल अज़ीज़ को बेटा उमर था और जब भी अब्दुल अज़ीज़ का बेटा उमर हूं ।

मानवजाति में समता, न्याय, प्रेम और सुख-शांति की स्थापना के लिएउ ऐसी जीवन-विश्वास, ऐसी जीव्रन-सिद्धांत और ऐसे जीवन विधान की आवश्यकता है जो समाज में साधारण रूप से हर व्यक्ति में दायित्व का गहरा भाव उत्पन्न कर दे, जो केवल राज नियम के भय से नहीं ईश्वर भय और परलोक भय से दायित्वपूर्ण जीवन व्यतीत करने पर अपने को बाध्य समझे ।



पारलौकिक जीवन और इस्लाम

■ अबरार अहमद

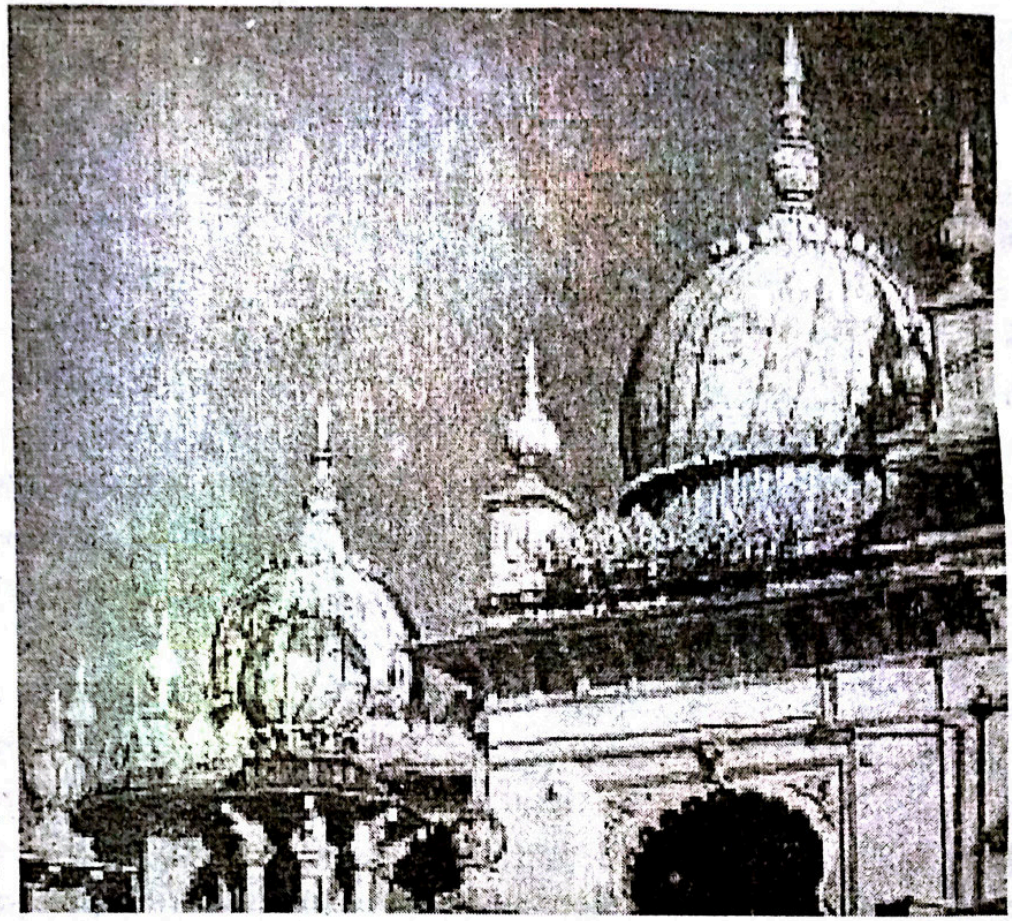

इस्लाम धर्म में जिस प्रकार अल्लाह, उसके फ़रिश्तों, उसके रसूलों और उसकी किताबों पर ईमान रखना फ़र्ज़ है, उसी प्रकार आख़िरत पर ईमान रखना भी अनिवार्य है ।

आख़िरत का अक़ीदा यह है कि जो कर्म मनुष्य इस दुनिया में करता है, आख़िरत में उसको वैसा ही बदला मिलेगा । जो लोग आख़िरत पर ईमान नहीं रखते, उनके लिए यह जीवन थोड़ा-सा आनन्द है, फिर वे सब जहन्नम में जाएंगे जो बहुत ही बुरा ठिकाना है ।

इसके विपरीत जो लोग आख़िरत पर ईमान रखते हैं, और अपने रब से डरते हुए ज़िन्दगी गुज़ारते हैं, उनके लिए ऐसे बाग़ हैं जिनके नीचे नहरें बहती हैं, उन बागों में वे हमेशा रहेंगे । यह अल्लाह की ओर से उनके लिए आतिथ्य सामग्री है और जो कुछ अल्लाह के पास है, नेक लोगों के लिए वही उत्तम है ।

जिन लोगों को अल्लाह ने अपनी उदार अनुकम्पा से दिया है और फिर वे कंजूसी से काम लेते हैं, तो यह कंजूसी उनके लिए बहुत बुरी है । जो कुछ वे अपनी कंजूसी से जमा कर रहे हैं, वही क़ियामत के दिन उनके गले का तौक़ बन जाएगा । जिस सरो-सामान पर ये लोग इतराते फिरते हैं, वह उनके कुछ काम न आएगा और उनको अल्लाह के सामने अकेले हाज़िर होना पड़ेगा । सब आख़िरत में अकेले-अकेले अल्लाह के सामने हाज़िर होंगे ।

अल्लाह यक़ीनन एक दिन मुर्दों को ज़िन्दा कर देगा । जो कर्म उन्होंने किये हैं वे सब एक खुली किताब में दर्ज हैं । अत: आख़िरत में जब आमालनामा सामने रख दिया जाएगा, उस समय अपराधी लोग अपनी ज़िन्दगी की किताब में अंकित बातों से डर रहे होंगे और कह रहे होंगे कि हाय हमारा दुर्भाग्य ! यह कैसी किताब है कि हमारी कोई छोटी-बड़ी हरकत ऐसी नहीं रही जो इसमें अंकित न हो गयी हो ।

अत: क़ुरआन में है–"उस दिन के अपमान और मुसीबत से बचो जबकि तुम अल्लाह की ओर वापस होंगे, वहां हर आदमी को अपनी कमाई हुई नेकी या बुराई का पूरा-पूरा बदला दिया जाएगा और किसी के साथ हरगिज़ ज़ुल्म न होगा ।" (क़ुरआन, 2:281)

इस दुनिया में भेजे जाने से पहले अल्लाह ने आदम के बेटों की पीठों से उनकी नस्ल को निकाला था और उन्हें ख़ुद उनके ऊपर गवाह बनाते हुए पूछा था– "क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं ?" उन्होंने कहा ज़रूर आप ही हमारे रब हैं, हम इस पर गवाही देते हैं । अल्लाह ने ऐसा इसलिए किया कि कहीं लोग क़ियामत के दिन यह न कह दें कि "हम तो इस बात से बेख़बर थे ।" या यह न कह दें कि, "शिर्क का आरंभ हमारे बाप-दादा ने हमसे पहले किया था और हम उसके पश्चात उनकी नस्ल से पैदा हुए, फिर क्या हमें उस अपराध में पकड़ते हैं जो ग़लतकार लोगों ने किया था ?"

क़ियामत के दिन एक सूर फूंका जाएगा और वे सबके

सब मर कर गिर जाएंगे जो आसमानों और ज़मीन में है, सिवाय उनके जिन्हें अल्लाह ज़िन्दा रखना चाहे । फिर एक दूसरा सूर फूंका जाएगा और अचानक सब उठकर देखने लगेंगे । ज़मीन अपने रब के नूर से चमक उठेगी, आमालनामा लाकर रख दिया जाएगा और कहा जाएगा–"आज हर जीव को उस कमाई का बदला दिया जाएगा जो उसने की थी, आज किसी पर कोई जुल्म न होगा और अल्लाह हिसाब लेने में बहुत तेज़ है ।" (कुरआन, 40:17)

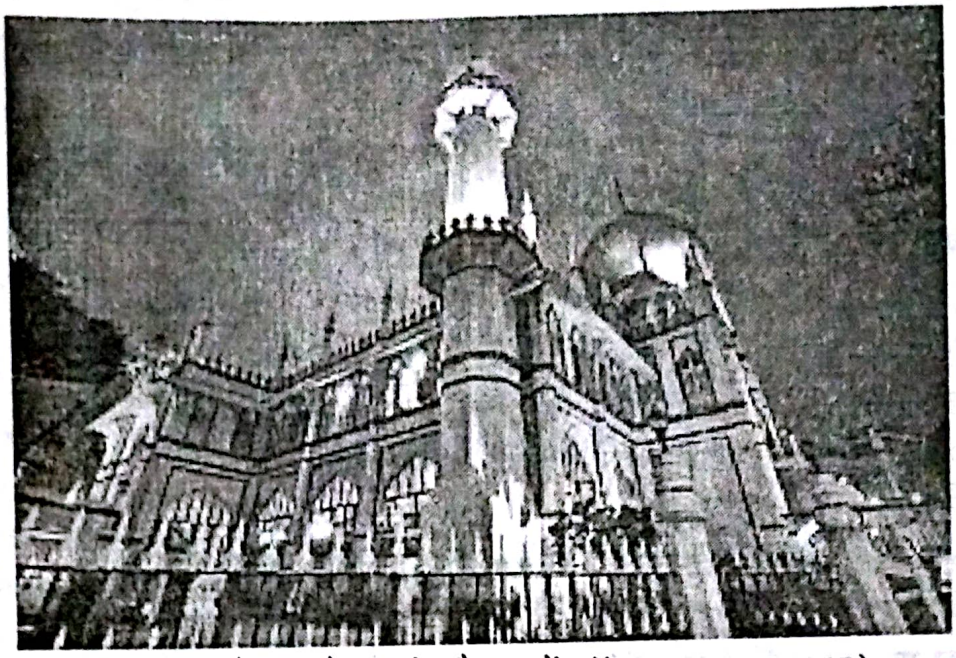

ईमान रखने वाले और नेक अमल करने वालों को उनका आमालनामा दाएं हाथ में दिया जाएगा तथा ज़ालिमों को उनका आमालनामा बाएं हाथ में दिया जाएगा तब ज़ालिम कहेगा कि काश उसे उसका आमालनामा दिया ही न जाता । और जब सब ज़ालिम लोग जमा हो जाएंगे तो उनके कान, उनकी आंखें और उनके जिस्म की खालें उन पर गवाही देंगी कि वे दुनिया में क्या कुछ करते रहे हैं । वे अपने जिस्म की खालों से कहेंगे, "तुमने हमारे विरुद्ध गवाही क्यों दी ?" वे जवाब देंगी–"हमें उसी अल्लाह ने बोलने की शक्ति दी है जिसने हर चीज़ को बोलता कर दिया है ।"

"वे उस दिन को भूल न जाएं जबकि उनकी अपनी ज़बानें और उनके अपने हाथ-पांव उनकी करतूतों की गवाही देंगे ।" (कुरआन, 24:24)

"आज हम उनके मुंह बन्द किये देते हैं, इनके हाथ हम से बोलेंगे और इनके पांव गवाही देंगे कि ये दुनिया में क्या कमाई करते रहे हैं ।" (कुरआन, 32:65)

आख़िरत में लोग अल्लाह के सामने वैसे ही अकेले हाज़िर होंगे जैसे पहली बार अकेले पैदा हुए थे । अत: वे लोग नुक़सान में पड़ जाएंगे जिन्होंने अल्लाह से अपनी मुलाक़ात की ख़बर को झूठ ठहराया होगा । जब अचानक क़ियामत आ जाएगी तो ये लोग कहेंगे, 'अफ़सोस हम से इस मामले में कैसी चूक हुई ।" इनकी हालत यह होगी कि अपनी पीठों पर अपने गुनाहों का बोझ लादे होंगे । जिसने आख़िरत की पेशी का इन्कार किया उसका सारा किया-धरा अकारथ गया ।

"क्या ये लोग इसके सिवा कुछ और बदला पा सकते हैं कि जैसा करें, वैसा भरें ।" (कुरआन, 7:147)

क़ियामत के दिन जहन्नम सामने ले आयी जाएगी, उस दिन इन्सान को समझ आएगी लेकिन उस समय उसके समझने का कोई लाभ उसे न होगा ।

यक़ीनन अगले और पिछले सब लोग आख़िरत के दिन जमा किये जाएंगे । उस दिन इन्सान को उसका सब अगला-पिछला किया कराया बता दिया जाएगा ।

"फिर जब वह बड़ा कोलाहल मचेगा जिस दिन इन्सान अपना सब किया-धरा याद करेगा ।" (कुरआन, 79:34-35)

जो कुछ भी लोग इस दुनिया में करते हैं वह अल्लाह के यहां चिट्ठों में अंकित है और हर छोटी-बड़ी बात लिखी हुई मौजूद है । उस समय हर गिरोह घुटनों के बल गिरा होगा, हर गिरोह को पुकारा जाएगा कि आए और अपना आमालनामा देखे । उस दिन लोगों को उनके कर्मों का बदला दिया जाएगा ।

अब उस व्यक्ति की दुर्दशा का क्या अनुमान लगाया जा सकता है जो आख़िरत में अजाब की सख़्त मार अपने मुंह पर लेगा ? ऐसे ज़ालिमों से तो कह दिया जाएगा कि अब चखो मज़ा उस कमाई का जो करते रहे थे । क़ियामत के दिन क़ब्रों में जो कुछ गड़ा हुआ है, उसे निकाल लिया जाएगा और सीनों में जो कुछ छिपा है, उसे निकालकर उसकी जांच-पड़ताल की जाएगी । जिसने कण भर भी नेकी की होगी, वह उसे देख लेगा और जिस किसी ने कण भर भी बुराई की होगी, वह उसे देख लेगा । हर शख़्स को उसकी कमाई का पूरा-पूरा बदला दिया जाएगा तथा आख़िरत में किसी जान पर कोई जुल्म नहीं किया जाएगा ।

समाज के नव-निर्माण की स्वर्णिम कल्पना

इस्लाम धर्म में तप, त्याग और अप्रमाद पर सर्वाधिक बल दिया गया है । अनेक अवसरों पर हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) ने ईमान लाने वाले लोगों को ज़रूरतमन्द लोग ग़रीब मज़दूर तथा मज़लूम को दान तथा उसकी भरपूर सेवा की नसीहत दी है । अपनी दौलत से ज़कात देना इस्लाम का एक बुनियादी नियम है । ग़ुरबत तथा फटेहाली से निजात दिलाना इस्लाम अपना दायित्व मानता है । इस्लाम धर्म जीवन से थके-हारे जनमानस, वेदनाग्रस्त तथा व्यथित मन के लिए स्नेह-वाणी का वरदान है । इस्लाम की लोकप्रियता का मूल कारण है पवित्र कुरआन की सहजता, संवेदनशीलता, सरलता और अनुभूतिमूलक सत्यता । हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) की वाणी में लोक-संस्कृति, मानवता, अध्यात्म के विमल-भाव, प्रेम तथा करुणा के करुण स्वर प्रतिपल अनुगूंजित है । दैनिक जीवन के सार्थक दृष्टांतों और उपमाओं का प्रयोग इस क़दर प्रभावोत्पादक शैली में हुआ है कि समस्त कुरआन को अतिशय रोचक बना दिया है ।

सुलझे हुए भाव, समाज के नवनिर्माण की स्वर्णिम कल्पना तथा मानव-जीवन की नयी राह, अल्लाह के दिव्य वचनामृत से आंतरिक उन्मेष के दर्शन तथा खुदा की विमल झांकी मिलती है ।

• जयकृष्ण प्रेहता

वैज्ञानिक भी थे उमर ख़य्याम

फ़ारसी साहित्य में उमर ख़य्याम का नाम आदर के साथ लिया जाता है । उनकी रुबाइयां प्रसिद्ध हैं । इस ईरानी कवि को दुनिया एक अच्छे साहित्यकार के रूप में जानती है, लेकिन कम लोगों को पता है कि उमर ख़य्याम कवि और दार्शनिक होने के साथ-साथ महान गणितज्ञ और खगोलशास्त्री भी थे ।

उमर ख़य्याम का जन्म 18 मई 1048 में ईरान के नेशापुर नामक स्थान पर हुआ था । उन्होंने बीजगणित के सिद्धांतों पर उल्लेखनीय कार्य किया था । उन्होंने त्रिघातीय व उच्च घात की समीकरणों को हल करने के कुछ तरीके विकसित किये थे । द्विपद समीकरणों के गुणकों को पहली बार उन्होंने त्रिभुजाकार रूप में निरूपित किया । इसी के संशोधित रूप को अब पास्कल ट्राएंगल के रूप में जाना जाता है ।

ख़य्याम ने ज्यामितीय बीजगणित की स्थापना की, जिसमें उन्होंने समीकरणों के ज्यामितीय हल प्रस्तुत किये । खगोलशास्त्र में कार्य करते हुए उमर ख़य्याम ने एक सौर वर्ष की दूरी दशमलव के छह स्थानों तक शुद्ध प्राप्त की थी । इस आधार पर उन्होंने एक नये कैलेंडर का आविष्कार किया, जिसे उस समय की ईरानी हुकूमत ने लागू किया था । उमर ख़य्याम की रुबाइयों में जीवन दर्शन की झलक देखी जा सकती है । उनकी रुबाइयों में धर्म की रूढ़ियों के प्रति विद्रोह के स्वर और सूफ़ियाना अंदाज़ दिखायी पड़ते हैं ।

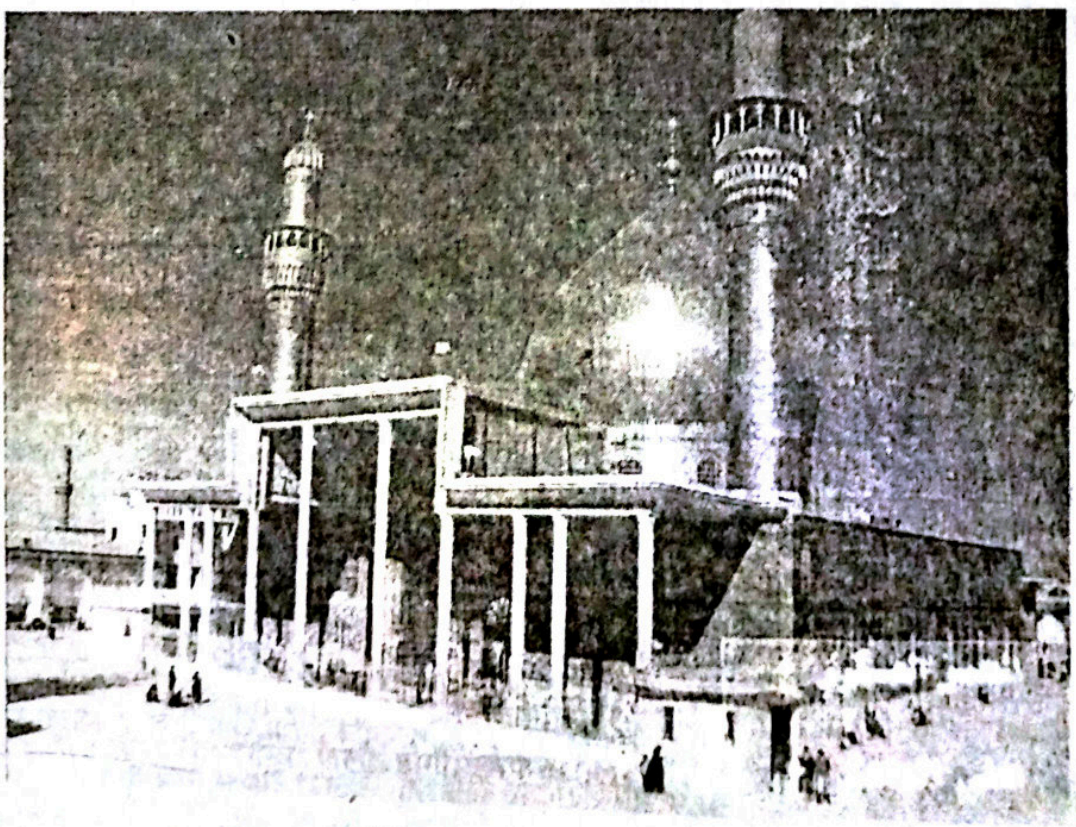

मुद्रक एवं प्रकाशक ख़लील अहमद द्वारा दावत ट्रस्ट (रजि०), D-314, दावत नगर, अबुल फ़ज़्ल इन्कलेव, जामिया नगर, नयी दिल्ली-110025 से प्रकाशित एवं भारत ऑफ़सेट, गली क़ासिम जान, बल्लीमारान, दिल्ली-6 से मुद्रित ।
फोन: 011-26949430
संपादक : डॉ० मुहम्मद अहमद

संस्था की लिखित अनुमति के बिना सम्पूर्ण या आंशिक पुनर्प्रकाशन पूर्णतः प्रतिबंधित है ।

M.Khan : 9890227700

Khan & Sons

Hindustan

Group

Manufactures of
: Crumb Rubber &

Dealers
: New/Old M.S. Angles, Channels, Plates, Pipes etc
: Building Material, Furnitures, M.S./Plastic Barrels.
: Industrial Scrap Materials & Empty Plastic/Gunny Bags

Add:
N.H.17 Highway, Karaswada Mapusa - GOA
Akbar Khan : 9822497700, Anwar Khan : 9822427700
Office : 2257900, Telefax :2257793, Res.: 2257700

Our Firms

M/s. Hindustan Sales Corporation
38/12, Khorlim, Mapusa, Goa

M/s. Hindustan Rubber Industries
Plot No.62 Canacona IDC, Goa

M/s. Hindustan Sales Syndicate
HH-17, Karaswada, Mapusa, Goa.

M/s. Hindustan Containers
S/2, IDC, Colvale, Bardez, Goa

M/s. Hindustan weight Bridge
NH-17, Karaswada, Mapusa Goa.

M/s. Hindustan Gunny Traders
Narasaraj Pet, Davangere (Karnataka)

Email: hindustansales@gmail.com

Posted on 20-21 September 2012
October 2012
E-mail: kantimonthly@hotmail.com
Publishing Date: 18.09.2012

हिन्दी भाषियों की मासिक पत्रिका
कान्ति

RNI 53372/91
DL(S)-01/3147/2012-2014
LICENSED TO POST WITHOUT PREPAYMENT
License No. U (SE)-73/2012-14

ADAM'S HOME ENGLISH MISSION SCHOOL

Noornagar, Near Waris Colony Mango, Jamshedpur

ESTD 1989



Providing : Value based Education, Personalised Care and Indiviual Attention, Experienced, Dedicated and Committed Staff.

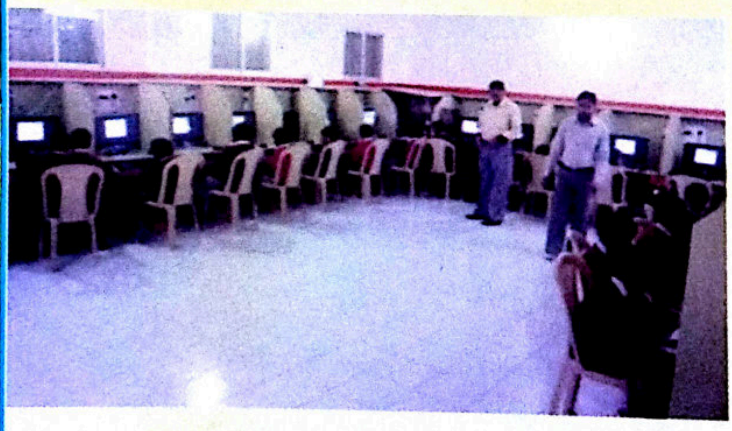



No objection Certificate (NOC) granted by Govt. of Jharkhand for affilliation to ICSE board New Delhi.

Choudhary Hasibur Rahman
Secretary

Prof. Susanna Hansdak
Director